प्रस्तावना

हिन्दी और प्रादेशिक भाषाओ को शिक्षा का माध्यम बनाने के लिए यह आवश्यक है कि इनमें उच्च कोटि के प्रामाणिक ग्रन्थ अधिक-से-अधिक सख्या में तैयार किए जाएँ। शिक्षा मन्त्रालय ने यह काम अपने हाथ में लिया है और इसे बडे पैमाने पर करने की योजना बनाई है। इस योजना के अन्तर्गत अग्रेजी और अन्य भाषाओं के प्रामाणिक ग्रन्थो का अनुवाद किया जा रहा है तथा मौलिक ग्रन्थ भी लिखाए जा रहे है। यह काम राज्य सरकारो, विश्वविद्यालयों तथा प्रकाशको की सहायता से आरम्भ किया गया है। कुछ अनुवाद और प्रकाशन-कार्य वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग, शिक्षा मन्त्रालय स्वयं अपने अधीन करा रहा है। प्रसिद्ध विद्वान और अध्यापक हमे इस योजना में सहयोग प्रदान कर रहे है। अनूदित और नए साहित्य में भारत सरकार की शब्दावली का ही प्रयोग किया जा रहा है ताकि भारत की सभी शैक्षणिक संस्थाओं में एक ही पारिभाषिक शब्दावली के आधार पर शिक्षा का आयोजन किया जा सके।

यह पुस्तक वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग, शिक्षा मत्रालय, भारत सरकार के तत्त्वावधान में हिन्दी प्रकाशन समिति, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित की जा रही है। इसके अनुवादक श्री (डॉ०) रामाधार पाठक हैं। आशा है कि भारत सरकार द्वारा मानक ग्रन्थों के प्रकाशन सम्बन्धी इस प्रयास का सभी क्षेत्रो मे स्वागत किया जाएगा।

भारत सरकार
नई दिल्ली

मुहम्मदअली करीम चागला
शिक्षा मत्री

प्रकाशकीय

8 अगस्त सन् 1963 ई० को केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय की ओर से काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में हिन्दी प्रकाशन समिति की स्थापना हुई। समिति के तत्त्वावधान में मानक ग्रन्थो का अनुवाद और कुछ विषयो पर मौलिक ग्रन्थों का प्रणयन निश्चित किया गया। केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय की ओर से अन्य मानक ग्रन्थों सहित घाना, जापान, स्विटजरलैण्ड, पाकिस्तान, आस्ट्रेलिया, ब्रिटिश नार्थ अमेरिका एक्ट, सयुक्त राज्य अमेरिका, रूस आदि के सविधान अनुवाद के लिए सौपे गए। समिति ने इनका अनुवाद विश्वविद्यालय के अनुभवी अध्यापको से कराया है। जापान का सविधान इस योजना की दूसरी पुस्तक ह। अनुवाद करते समय भारत सरकार की ओर से प्रकाशित पारिभाषिक शब्दावली का पूरा उपयोग किया गया है। भाषा सरल तथा औपचारिक रखी गई है। संविधान की अधिकांश शब्दावली पारिभाषिक होती है, उसके प्रत्येक शब्द का एक निश्चित अर्थ होता है, इसलिए विषय सुस्पष्ट बनाने के लिए भाषा में यथासम्भव पर्यायों के प्रयोग से बचने का प्रयास किया गया है। यथा-अवसर सविधान के मिश्र या सयुक्त वाक्य हिन्दी की प्रवृत्ति के अनुकूल छोटे वाक्यों में रखे गए है।

अन्य भाषा में बने सविधान का हिन्दी भाषा में अनुवाद करते समय यह ध्यान रखा गया है कि उस देश के शिष्टाचार तथा सस्कृति मूलक प्रयोग विशेष परिवर्तित न हों। सम्भव है इससे कही-कही भाषा अनमेल प्रतीत हो, जैसे Koso Appeal (कोसो अपील), Kokoku Appeal (कोकोकु अपील), Jokoku Appeal (जोकोकु अपील) आदि।

इस कार्य के लिए पूरी आर्थिक सहायता भारत सरकार से मिली है। इस अनुदान तथा प्रोत्साहन के लिए काशी हिन्दू विश्वविद्यालय की हिन्दी प्रकाशन समिति भारत सरकार के प्रति विशेष रूप से कृतज्ञ है। अनुवादक ने बड़े परिश्रम से इसका अनुवाद किया है। उनका कार्य प्रशसनीय है और वे समिति

की ओर से बधाई के पात्र हैं। प्रकाशन-कार्य में मैनेजर, बी० एच्० य० प्रेस, का सहयोग पूर्णरूप से प्राप्त हुआ है। मै उन्हें अपनी ओर से तथा समिति की ओर से धन्यवाद देता हूँ।

काशी हिन्दू विश्वविद्यालय
वारानसी—5

नन्दलाल सिंह
निदेशक, हिन्दी प्रकाशन समिति

विषय-सूची

जापान का संविधान

मुझे हर्ष है कि जापान की जनता की इच्छा के अनुसार नव जापान के निर्माण के लिए शिलान्यास किया गया है, और मैं प्रिवी कौंसिल के परामर्श एव उक्त सविधान के अनुच्छेद 73 के अनुसार सगठित राज्य सभा के निर्णय के अनुसार जापान के राष्ट्रीय सविधान के सुधारों को अधिनियमितकर अनुमोदित एव प्रवर्तित करता हूँ।

हस्ताक्षर **हिरोहितो**, सम्राट् की मुद्रा

दिनांक शोव के इक्कीसवें वर्ष के ग्यारहवे मास का तीसरा दिन (3 नवम्बर, 1946)

प्रति हस्ताक्षर .

प्रधान मत्री एव परराष्ट्र मन्त्री

योशिदा शिगेरू

राज्य मन्त्री

बेरन **शिदेहरा** किजुरो

न्याय-मन्त्री

किमुरा तोकुतरो

गृह-मन्त्री

ओमुरा सेआइची

शिक्षा-मन्त्री

तनका कोतरो

कृषि एवं वन-मन्त्री

वादा हिरोओ

राज्य-मन्त्री

साइतो तकाओ

सवाद-मन्त्री

हितोत्सुमत्सु सदयोशि

वाणिज्य एव उद्योग-मन्त्री

होशिजिमा जिरो

कल्याण-मन्त्री

कवाई योशिनरी

राज्य-मन्त्री

उएहरा एत्सुजिरो

परिवहन-मन्त्री

हिरत्सुक त्सुनेजिरो

वित्त-मन्त्री

इशीवशी तजान

राज्य-मन्त्री

कानामोरी तोकुजिरो

राज्य-मन्त्री

जेन काइनोसुके

जापान का संविधान

हम जापान के निवासी, अपनी राष्ट्रीय सभा के उचित रूप से निर्वाचित प्रतिनिधियो द्वारा कार्य करते हुए यह निश्चय किए कि हम लोग अपने लिए तथा अपने उत्तराधिकारियो के लिए, अन्य सभी राष्ट्रो के साथ शान्तिपूर्ण सहयोग, एव इस अखिल राष्ट्र की भूमि पर स्वतत्रता के वरदानो की सुरक्षा करेंगे और यह दृढ निश्चय किए कि हम सरकारी कार्यो के माध्यम से फिर कभी भी युद्ध के आतक को नही देखेगे, तथा यह घोषणा करते है कि सर्वोच्च शक्ति जनता मे निहित है और इस सविधान को दृढतापूर्वक प्रतिष्ठित करते है। सरकार जनता का एक पवित्र न्यास (ट्रस्ट) है जिसका प्रामाण्य जनता से ही आता है, जिसकी शक्तियों का प्रयोग जनता के प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है, और जिसके लाभो का उपभोग भी जनता द्वारा किया जाता है। यह मानवता (मनुष्य जाति) का सार्वजनिक सिद्धान्त है जिस पर यह सविधान आधृत है। हम इसके विरोध मे आने वाले सभी सविधानों, विधानो, अध्यादेशो एव प्रतिविधानो का निराकरण एव खण्डन करते है।

हम, जापान की जनता, सदैव शान्ति चाहते है और मानव सबधो को नियमित करने वाले आदर्शो के प्रति गम्भीरतया जागरूक है। विश्व की शान्ति-प्रिय जनता की न्याय और श्रद्धा मे विश्वास करते हुए हम लोगो ने अपनी सुरक्षा एव सत्ता की रक्षा करने का निश्चय किया है। हम सदा के लिए पृथ्वी पर शान्ति के सस्थापन, तथा यहाँ से दासता, जनपीडन, दलन, एव असहिष्णुता के निराकरण के लिए सदैव प्रयत्नशील रहने वाले अन्तर्राष्ट्रीय समाज मे एक गौरवान्वित स्थान रखना चाहते है। हम यह स्वीकार करते है कि विश्व की जनता को अभाव एव भय से रहित होकर शान्तिपूर्वक जीने का सर्वथा अधिकार है।

हमारा यह विश्वास है कि कोई भी राष्ट्र अकेले अपने प्रति उत्तरदायी नही है, बल्कि राजनीतिक नैतिकता के नियम सार्वजनिक है, और ऐसे नियमो का पालन उन सभी राष्ट्रो के लिये आवश्यक है जो अपना प्रभुत्व धारण करते है और अपने प्रभुत्व-सबधो को अन्य राष्ट्रो के साथ स्पष्ट करते है।

हम जापान के निवासी इन उच्च आदर्शों एव उद्देश्यो को अपने सभी साधनो से पूरा करने के लिए अपने राष्ट्रीय समान का शपथ लेते है।

अध्याय 1

सम्राट्

अनुच्छेद 1—जनता की इच्छा से ही जिसमे सर्वोच्च प्रभुत्व निहित है, अपनी प्रतिष्ठा पाता हुआ सम्राट् राज्य एव जनता की एकता का प्रतीक होगा।

अनु० 2—राज्य-सिहासन राजवशीय होगा और राज्य सभा (Diet) द्वारा पारित राज्य-सदन-विधि (Imperial House Law) के अनुसार ही इसका उपभोग होगा।

अनु० 3—सम्राट् के राज्य-सबन्धी सभी कार्यो मे मन्त्रि-परिषद् का परामर्श एव अनुमोदन आवश्यक होगा और इसके लिए मन्त्रि-परिषद् उत्तरदायी होगी।

अनु० 4—सम्राट् राज्य के केवल उन्ही विषयो मे अपना कार्य कर सकेगा जो इस सविधान मे विहित है और उसमे सरकार या शासन-विषयक शक्ति नही रहेगी।

सम्राट् राज्य के विषयो में अपने कार्य-सपादन का प्रतिनिधान, विधान के निर्देशो के अनुसार, कर सकता है।

अनु० 5—जब राज्य-सदन-विधि के अनुसार, कोई राज-प्रतिनिधिमंडल (Regency) नियुक्त होगा, तो वह राज-प्रतिनिधि (Regent) राज्य के विषय में सम्राट् के नाम पर कार्य करेगा। ऐसी दशा मे, पिछले अनुच्छेद का पहला परिच्छेद ही लागू होगा।

अनु० 6—सम्राट्, प्रधान मन्त्री को, जैसा कि राज्यसभा (Diet) ने यह नाम दिया है, नियुक्त करेगा।

सम्राट्, उच्चतम न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश की, जैसा कि मन्त्रिपरिषद् ने यह नाम दिया है, नियुक्ति करेगा।

अनु० 7—सम्राट् मन्त्रि-परिषद् के परामर्श एव अनुमोदन के अनुसार, जनता की ओर से राज्य-विषयक निम्नाकित कार्य करेगा :

सविधान, विधियो, मन्त्रिपरिषद् के आदेशो एव सधि-पत्रों के सशोधनो का प्रवर्तन करना,

राज्य-सभा का समारोह,

प्रतिनिधि-सदन भग करना,

राज्य-सभा के सदस्यो के सामान्य निर्वाचन की घोषणा,

राज्य के मन्त्रियो एवं अन्य कर्मचारियो की नियुक्ति एवं पदच्युति का साक्ष्यङ्कन, जैसा विधान द्वारा बिहित हो तथा मन्त्रियो एव राजदूतो के सारे अधिकार एवम् प्रत्यय-पत्र का साक्ष्यङ्कन,

सामान्य एव विशेष प्रकार के क्षमा-प्रदान एव दण्ड-परिवर्तन, तथा अधिकारों के प्रत्यावर्तन एव निरोध।

सम्मानो का प्रदान,

सत्यापन एवं अन्य दौत्य-सबधी लेखो के उपकरणों का साक्ष्यङ्कन, जैसा विधान द्वारा विहित हो,

विदेशी राजदूतो तथा मन्त्रियो का स्वागत,

समारोह-विषयक उत्सवो का सपादन।

अनु० 8--राज्य-सभा के प्राधिकरण के विना, राज्य सदन द्वारा न तो किसी प्रकार की सपत्ति किसी को दी जा सकती है न किसी से ली जा सकती है और न किसी प्रकार उपहार रूप मे ही दी जा सकती है।

अध्याय 2

युद्ध का परित्याग

अनु० 9–न्याय एव व्यवस्था पर आधृत अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति की हार्दिक रूप से आकांक्षा करते हुए हम जापान के निवासी, अपने राष्ट्र के सार्वभौम अधिकार के रूप मे सदा के लिए युद्ध तथा तर्जन अथवा अन्तर्राष्ट्रीय विवादो के शमन के साधन रूप में शक्ति के प्रयोग का सर्वथा परित्याग करते है।

पिछले अनुच्छेद के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, स्थल, जल, एवं वायु-सेना तथा अन्य युद्ध के सभाव्य उपकरण कभी भी नही रखे जायेगे।

राज्य के युद्धकारिता अधिकार को मान्यता नही दी जायगी।

अध्याय 3

नागरिकों के अधिकार एवं कर्तव्य

अनु० 10—जापान के नागरिक होने की आवश्यक शर्तो का निर्णय विधान द्वारा किया जायगा।

अनु० 11—मानव के किसी मौलिक अधिकार के उपभोग से नागरिक वचित नही रखा जायगा। इस सविधान द्वारा सप्रदत्त (प्रत्याभूत) मौलिक अधिकार देश के वर्तमान एव आगामी पीढी के नागरिको को शाश्वत एव अखण्ड अधिकारो के रूप मे दिए जायेगे।

अनु० 12—सविधान द्वारा जनता को दी गई स्वतत्रता तथा अधिकारो की सुरक्षा जनता के सतत प्रयासो द्वारा की जायगी, जो उक्त स्वतन्त्रता एव अधिकारो का दुरुपयोग न करेगी तथा सदैव उनका उपयोग जनकल्याण के ही लिये करने को उत्तरदायी होगी।

अनु० 13—समस्त जनता को व्यक्तिगत रूप मे बरता जायगा। उनके जीवन, स्वतत्रता एव सुख के प्रयत्न उस अश तक, विधान तथा अन्य सरकारी मामलो में, सर्वप्रधान समझे जायेगे जब तक कि वे जनहित के विरोध मे नही आयेगे।

अनु० 14—विधान के समक्ष समस्त जनता समान है। जाति, धर्म, लिग, सामाजिक स्तर, कुटुम्ब उद्भव (family origin) के कारण उत्पन्न होने वाले राजनीतिक, आर्थिक अथवा सामाजिक सबन्धो मे कोई भेद नही रहेगा।

कुलीन अथवा कुलीनता मान्य नही होगी।

किसी सम्मान, अलकरण या किसी वैशिष्ट्य-प्रदान के साथ कोई विशेपाधिकार न रहेगा और न तो इस प्रकार का कोई प्रदान उस व्यक्ति की आयु के पश्चात् विहित समझा जायगा जो उसे अब पाया हो या भविष्य में पाने वाला हो।

अनु० 15—जनता को अपने सरकारी कर्मचारियो को चुनने एवं पदच्युत करने का अहार्य अधिकार है।

सभी लोक कर्मचारी समस्त जनता के सेवक है किसी वर्ग-विशेष के नही।

लोक कर्मचारियो के चुनाव के सबध मे सार्वजनिक वयस्क मताधिकार की गारण्टी दी जाती है।

सभी चुनावो मे मत-दान गुप्त रखा जायगा। किसी भी मतदाता के द्वारा किए गए चुनाव के सबध मे व्यक्तिगत या सार्वजनिक रूप से कोई उत्तर नही दिया जायगा।

अनु० 16—प्रत्येक व्यक्ति को, हानि के निवारण, लोक कर्मचारियो के हटाने, विधियो, अध्यादेशो, एव अधिनियमो के अधिनियमन, निरसन एव सशोधन, एव अन्य विषयो के लिए, शान्ति पूर्ण याचिका का अधिकार होगा। किसी भी ऐसे व्यक्ति को, उक्त प्रकार की याचिका का प्रयोग करने पर किसी प्रकार का अपराधी नही समझा जायगा।

अनु० 17—उस दशा मे जब किसी व्यक्ति को, किसी लोक-कर्मचारी द्वारा अपने कार्य से हानि पहुँचाई गई हो, वह राज्य या जनता की किसी सगठित इकाई से, जैसा कि विधि द्वारा विहित हो, क्षति-पूर्ति के लिए वाद प्रस्तुत कर सकता है।

अनु० 18—किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार के बन्धन मे नही रखा जायगा। केवल किए गए अपराध के दण्ड के रूप में अधिसेविता के अतिरिक्त अन्य अनैच्छिक अधिसेविता निषिद्ध है।

अनु० 19—विचार एव अन्तर्विवेक की स्वतत्रता का अतिक्रमण कभी नही किया जायगा।

अनु० 20—धर्म के सबध मे सभी को स्वतत्रता दी जाती है। किसी भी धार्मिक सगठन को राज्य की ओर से कोई भी विशेषाधिकार नही दिया जायगा, न तो उसे किसी प्रकार का राजनीतिक प्रभुत्व जमाने का ही अधिकार होगा।

कोई भी व्यक्ति किसी धार्मिक कृत्य, समारोह, कर्म या क्रिया मे भाग लेने के लिए बाध्य नही किया जायगा।

राज्य एव इसके अग धर्म-सबधी शिक्षा अथवा अन्य किसी धार्मिक कृत्य से दूर रहेगे।

अनु० 21—समिति एव सघ तथा भाषण, प्रेस (यत्रालय) एव अन्य प्रकाशन के प्रकारो की स्वतत्रता दी जाती है।

किसी तरह की सेन्सर व्यवस्था विहित न होगी और न तो सचार के किसी प्रकार के रहस्य को ही उद्घाटित किया जायगा।

अनु० 22—हर व्यक्ति को अपना निवास चुनन एव बदलने तथा अपने व्यवसाय चुनने की उस अश तक स्वतत्रता होगी जिस अश तक वह जन-हित के विरोध मे नही आती।

हर व्यक्ति को विदेश जाने एव अपनी राष्ट्रीयता बदलने की स्वतत्रता होगी ।

अनु० 23—सभी को शैक्षिक स्वतत्रता की गारण्टी दी जाती है ।

अनु० 24—विवाह दोनो ही लिंगो के पारस्परिक अभिमत पर आधृत होगा और इसका निर्वाह पारस्परिक सहयोग एव पति-पत्नी के समान अधिकार को आधार मानते हुए किया जायगा ।

अपने जोडे चुनने, सपत्ति के अधिकार, उत्तराधिकार, आवास चुनने, विवाह-विच्छेद तथा विवाह एव परिवार के अन्य विषयो के सबन्ध मे, विधियो का अधिनियमन, व्यक्तिगत समान एव लिङ्गो के अनिवार्य गुणो की दृष्टि से किया जायगा ।

अनु० 25—जनता को अनुकूल, सुखी एव सभ्य-सस्कृत जीवन स्तर पर जीवन यापन करने का अधिकार होगा ।

जीवन के हरेक क्षेत्र मे, राज्य के प्रयास सर्वथा सामाजिक हित, सुरक्षा एव जनस्वास्थ्य की वृद्धि एवं प्रसार के लिए होगे ।

अनु० 26—जनता को अपनी योग्यता के अनुसार, जैसा कि विधान द्वारा विहित होगा, समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होगा ।

जनता को, जैसा कि विहित हो, अपने लडके-लडकियो को सरक्षण में रखते हुए साधारण शिक्षा दिलाना अनिवार्य होगा । ऐसी अनिवार्य शिक्षा नि.शुल्क होगी ।

अनु० 27—जनता को काम करने का अधिकार एवं दायित्व होगा ।

वेतन, (काम करने के) घटो, एव विश्राम तथा अन्य काम करने की शर्तो के मानदण्ड विधान द्वारा निश्चित किये जायँगे ।

बच्चो का शोषण नही किया जायगा ।

अनु० 28—काम करने वालो को सगठित होने, सौदाकारी एव सामूहिक रूप से काम करने के अधिकार की गारण्टी दी जाती है ।

अनु० 29—सपत्ति रखने या उसके स्वामित्व का अटल अधिकार होगा ।

सपत्ति के अधिकारो का निर्धारण, विधान द्वारा, जन-हित के अनुसार किया जायगा ।

व्यक्तिगत सपत्ति को, जनता के उपयोग के लिए, न्यायोचित प्रतिकर देकर, लिया जा सकता है।

अनु॰ 30—जनता को, जैसा कि विधि द्वारा विहित होगा, कर देना पड़ेगा।

अनु॰ 31—किसी भी व्यक्ति को जीवन अथवा स्वतत्रता से वचित नही किया जायगा और न तो विधान द्वारा निर्णीत प्रक्रिया के दण्ड के अतिरिक्त अन्य कोई दण्ड ही दिया जायगा।

अनु॰ 32—किसी भी व्यक्ति को न्यायालयो से न्याय पाने के अधिकार से वचित नही किया जायगा।

अनु॰ 33—किसी भी व्यक्ति पर कोई सदेह तब तक नही किया जायगा जब तक कि किसी समर्थ न्यायाधिकारी द्वारा, जो कि आरोपित अपराध को सविशेष निर्दिष्ट करेगा, कोई अधि-पत्र (वारट) न जारी किया गया हो और जबतक कि वह सदिग्ध न सिद्ध हो और अपराध किया न गया हो।

अनु॰ 34—किसी भी व्यक्ति को, उसके विरुद्ध लगाए गए आरोपो को तत्काल सूचित किए बिना अथवा परामर्श-दाता के तत्काली विशेषाधिकार के बिना न तो बन्दी किया जा सकता है और न तो निरुद्ध किया जा सकता है, और न तो उसे समुचित कारण के बिना ही निरुद्ध किया जा सकता है; और किसी व्यक्ति के माँग करने पर उक्त कारण खुले न्यायालय मे तत्काल उसकी एव उसके परामर्शदाता की उपस्थिति मे, अवश्य प्रकट किया जायगा।

अनु॰ 35—सभी व्यक्तियो का अपने निवास, गोपनीय कागजात एव सपत्ति के पडताल, तलाशी एवं अभिग्रहण के विरुद्ध कार्य का अधिकार तब तक रद्द नही समझा जायगा जब तक समुचित कारण पर कोई अधिपत्र न जारी हो और जिसमे विशेष रूप से उस स्थान का निर्देश न हो जिसकी तलाशी लेनी हो तथा उन वस्तुओ का भी जिनको बरामद करना हो, अथवा अनु॰ 33 मे विहित दशाओ के अतिरिक्त हो।

प्रत्येक तलाशी या अभिग्रहण किसी समर्थ न्यायाधिकारी द्वारा जारी किए गए अलग-अलग अधिपत्रो पर ही की जायेगी।

अनु॰ 36—किसी भी लोक-अधिकारी द्वारा किसी तरह की पीडा या कोई क्रूर दण्ड बिल्कुल निषिद्ध है।

अनु० 37—सभी आपराधिक अभियोगो मे अभियुक्त को किसी निष्पक्ष न्यायालय मे अविलम्ब न्याय पाने का अधिकार होगा।

अभियुक्त को सभी साक्षिओ से तिर प्रश्न (जिरह) करने का अवसर दिया जायगा और उसे अपने लिए राजकीय खर्च पर साक्षिओ के पाने क लिए अनिवार्य कार्यवाहियों का अधिकार होगा।

हर समय अभियुक्त को समर्थ परामर्शदाता की सहायता मिलेगी जो कि, यदि अभियुक्त अपने प्रयासो से न कर सकेगा तो उसके उपयोग के लिए राज्य के द्वारा दी जायगी।

अनु० 38—किसी भी व्यक्ति को अपने विरुद्ध प्रमाण देने को बाध्य नही किया जायगा।

किसी भी प्रकार की बाध्यता, यन्त्रणा या धमकी, या लम्बे बन्दी-करण या निरोध के फलस्वरूप की गयी सस्वीकृति प्रमाण रूप मे नही मानी जायगी।

किसी भी व्यक्ति को केवल उसकी सस्वीकृति के ही प्रमाण पर न तो अपराधी समझा जायगा और न कोई दण्ड ही दिया जायगा।

अनु० 39—किसी भी व्यक्ति को उस कार्य के लिए अपराधी नही ठहराया जा सकेगा जो किए जाने के समय वैध रहा हो या जिसके लिए उसे छूट रही हो, और न तो उसे दोहरे खतरे अथवा सदेह (jeopardy) मे ही रखा जायगा।

अनु० 40—प्रत्येक व्यक्ति, उस दशा मे जबकि वह बन्दी-करण या निरोध से मुक्त कर दिया गया हो, विधान के अनुसार, निवारण के लिये मुकदमा कर सकता है।

अध्याय 4

राज्य सभा (Diet)

अनु० 41—राज्य-सभा राज्य-शक्ति का सर्वोच्च अग होगी और राज्य का एकमात्र विधायक अग भी।

अनु० 42—राज्य-सभा मे दो सदन होगे जिनके नाम प्रतिनिधि-सदन एव सभासद्-सदन होगे।

अनु० 43—दोनो सदनो मे समस्त जनता द्वारा निर्वाचित सदस्य एव प्रनिनिधि रहेगे।

प्रत्येक सदन के सदस्यो की सख्या का निर्धारण विधान द्वारा किया जायगा।

अनु० 44--दोनो सदनो के सदस्यो एव उनके निर्वाचको की अर्हताओ का निश्चय विधान द्वारा किया जायगा। इस सम्बन्ध मे जाति, सम्प्रदाय, लिग, सामाजिक स्थिति, कौटुम्बिक मूल, शिक्षा, सपत्ति अथवा आय के आधार पर कोई भेद नही किया जायगा।

अनु० 45—प्रतिनिधि-सदन के सदस्यो का कार्यकाल चार वर्ष होगा, पर यदि प्रतिनिधि-सदन भग कर दिया जायगा तो यह कार्यकाल पूरी अवधि के पूर्व भी रद्द समझा जायगा।

अनु० 46—सभासद्-सदन के सदस्यो का कार्यकाल छ वर्ष रहेगा और इसके आधे सदस्यो का चुनाव हर तीसरे वर्ष होगा।

अनु० 47—निर्वाचकीय क्षेत्र, मतदान-पद्धति एव दोनो सदनो के चुनाव की पद्धति से सबद्ध अन्य विषयो का निश्चय विधान द्वारा किया जायगा।

अनु० 48—किसी भी व्यक्ति को एक साथ दोनो सदनो का सदस्य होने की अनुमति नही दी जायगी।

अनु० 49--दोनो सदनो के सदस्यो को विधानानुसार राष्ट्रीय कोष से समुचित वार्षिक निधि दी जायगी।

अनु० 50—विधान द्वारा विहित दशाओ के अतिरिक्त, दोनो सदनो के सदस्य राज्य-सभा के अधिवेशन की अवधि मे गिरफ्तारी से मुक्त होगे और किसी भी सदस्य पर अधिवेशन के आरम्भ मे की गई गिरफ्तारी से वह अधिवेशन की अवधि तक के लिए सदन की मॉग पर मुक्त किया जायगा।

अनु० 51--दोनो सदनो के सदस्य, सदन के भीतर दिए गए मतो, वक्तृताओ या बहसो के सबध मे सदन के बाहर उत्तरदायी नही ठहराए जायॅगे।

अनु० 52—राज्य-सभा का सामान्य अधिवेशन प्रतिवर्ष एक बार होगा।

अनु० 53—राज्य-सभा के असाधारण अधिवेशनो का निर्धारण मन्त्रि-परिषद् करेगी। दोनो सदनो के सदस्यो की सख्या के एक चौथाई या अधिक सदस्यो की मॉग पर मन्त्रिपरिषद् ऐसा अधिवेशन बुलाएगी।

अनु० 54—प्रतिनिधि-सदन के भंग हो जाने पर भग होने की तिथि से चालीस (40) दिन के अन्दर प्रतिनिधि-सदन के सदस्यो का एक सामान्य निर्वाचन होगा और निर्वाचन के तीस (30) दिन के अन्दर राज्य-सभा का अधिवेशन अवश्य बुलाया जायगा ।

प्रतिनिधि-सदन के भग होने पर उसके साथ सभासद्-सदन भी बन्द कर दिया जायगा । तथापि, मत्रि-परिषद् राष्ट्रीय सकट के समय सभासद्-सदन का सकटकालीन अधिवेशन बुला सकती है ।

पिछले परिच्छेद के उपबन्ध मे उल्लिखित अधिवेशन मे प्रयुक्त उपाय अस्थायी होगे और राज्य-सभा के दूसरे अधिवेशन के दस (10) दिन के अन्दर प्रतिनिधि-सदन द्वारा अनुमोदित न होने पर व्यर्थ हो जायॅगे ।

अनु० 55—प्रत्येक सदन अपने सदस्यो की अर्हता से सबद्ध विवादो का निर्णय करेगा । तथापि, किसी सदस्य को उसके स्थान से वचित करने के लिए उपस्थित सदस्यो के दो-तिहाई या उससे अधिक मत द्वारा पारित प्रस्ताव आवश्यक होगा ।

अनु० 56—दोनो सदनो में कार्यवाही तब तक नही प्रारम्भ की जायगी जब तक कि कुल सदस्यो के एक-तिहाई अथवा उससे अधिक सदस्य उपस्थित न हो ।

प्रत्येक सदन मे, विषयो का निर्णय, सविधान मे अन्यत्र विहित दशाओ को छोड कर उपस्थित सदस्यो के बहुमत से होगा, एव किसी बन्ध (tie) को छोडकर जिसका निर्णय अधिष्ठाता करेगा ।

अनु० 57—प्रत्येक सदन मे विचार-विमर्श सार्वजनिक रूप मे होगा । तथापि गुप्त बैठके भी की जा सकेगी यदि उसके लिए उपस्थित सदस्यो के दो-तिहाई या उससे अधिक सदस्य प्रस्ताव पारित करें ।

प्रत्येक सदन अपनी कार्यवाहियो का लेखा रखेगा । इन लेखाओ को, केवल गुप्त बैठको की कार्यवाहियो के उन अशो को छोडकर जिन्हें गोपनीय रखना आवश्यक समझा जायगा, प्रकाशित एवं जन सामान्य तक प्रसारित किया जायगा ।

उपस्थित सदस्यो के $\frac{1}{5}$ अथवा उससे अधिक सदस्यो की माँग पर, किसी भी विषय पर सदस्यो के मतो को कार्यवाही के लेख में अकित किया जायगा ।

अनु० 58—प्रत्येक सदन अपन अध्यक्ष एव अन्य कर्मचारियो का स्वय चुनाव करेगा ।

प्रत्येक सदन अपनी बैठको, कार्यवाहियो एव आन्तरिक अनुशासन-सबधी नियमो का निर्धारण करेगा और किसी सदस्य के उच्छृखल व्यवहार पर उसे दण्ड दे सकेगा । तथापि, किसी सदस्य को बहिष्कृत करने के लिए उपस्थित सदस्यो के दो-तिहाई या उससे अधिक सदस्यो के बहुमत द्वारा उस पर प्रस्ताव पारित होना आवश्यक है ।

अनु० 59—सविधान द्वारा अन्यथा-विहित दशाओ के अतिरिक्त, कोई भी विधेयक दोनो सदनो द्वारा पारित होने पर विधि का रूप धारण करेगा ।

कोई विधेयक जिसे प्रतिनिधि-सदन ने पारित कर दिया हो और जिसपर सभासद्-सदन ने उससे भिन्न निर्णय दिया हो, विधि के रूप मे आ जायगा यदि वह प्रतिनिधि-सदन मे उपस्थित सदस्यो के दो-तिहाई या उससे अधिक सदस्यो के बहुमत द्वारा दूसरी बार पारित कर दिया गया हो ।

पिछले परिच्छेद की व्यवस्था प्रतिनिधि-सदन को, विधि द्वारा विहित, दोनों सदनो की समिलित बैठक बुलाने का निषेध नही करती ।

प्रतिनिधि-सदन द्वारा पारित किसी विधेयक की प्राप्ति के साठ (60) दिनो के अन्दर, अवकाश के समय को छोड़कर, यदि सभासद्-सदन अतिम. कार्यवाही करने में असमर्थ रहे तो प्रतिनिधि-सदन सभासद्-सदन द्वारा उक्त विधेयक रद्द करने का निश्चय करेगा ।

अनु० 60—आय-व्ययक (बजट) सर्वप्रथम प्रतिनिधि सदन के सामने रखा जायगा ।

आय-व्ययक के विचार पर यदि सभासद्-सदन प्रतिनिधि सदन से भिन्न निर्णय दे, और जब दोनो सदनो की समिलित बैठक से भी, कोई संमत (agreement) प्राप्त न हो सके, जैसा कि विधि द्वारा विहित हो अथवा यदि सभासद्-सदन प्रतिनिधि-सदन द्वारा पारित आय-व्ययक के पाने के तीस (30) दिन के अन्दर, अवकाशो को छोड़कर, कोई अतिम निर्णय देने में असमर्थ हो तो प्रतिनिधि-सदन का निर्णय राज्य-सभा (Diet) का निर्णय माना जायगा ।

अनु० 61—पिछले अनुच्छेद का दूसरा परिच्छेद सधियो के निश्चय के लिए अपेक्षित राज्य सभा के अनुमोदन के सबध मे भी लागू होगा ।

अनु० 62--प्रत्येक सदन सरकार के सबध मे जाँच-पडताल कर सकता है और साक्षियो की उपस्थिति एव प्रमाण की माँग कर सकता है तथा लिखित प्रमाणो को प्रस्तुत करने की भी माग कर सकता है ।

अनु० 63—प्रधान मत्री एव राज्य के अन्य मत्री, चाहे वे सदन के सदस्य हो या न हों, किसी भी समय किसी भी सदन मे विधेयको पर बोलने के लिए जा सकते है । उत्तर अथवा स्पष्टीकरण देने के लिए जब उनकी उपस्थिति अपेक्षित हो तो उन्हे अवश्य उपस्थित होना पडेगा ।

अनु० 64—राज्य-सभा उन न्यायाधीशो के अभियोगो के निर्णय के लिए जिनके विरुद्ध पदच्युत करने की कार्यवाही की जा चुकी हो, दोनो सदनो के सदस्यो मे से एक महाभियोग-न्यायालय का सगठन करेगी ।

इस प्रकार के महाभियोगो से सबद्ध विषयो की व्यवस्था विधि द्वारा की जायगी ।

अध्याय 5

मन्त्रि-परिषद्

अनु० 65—कार्यकारी शक्ति मत्रिपरिषद् में निहित होगी ।

अनु० 66 —मत्रिपरिषद् मे राज्य के अन्य मत्री एव उनके अध्यक्ष के रूप में प्रधान मत्री रहेगा, जैसा कि विधि द्वारा विहित होगा ।

प्रधान मत्री एवं राज्य के अन्य मत्री सिविलियन (फौजी से भिन्न) रहेगे ।

कार्यकारी शक्ति के सचालन (प्रयोग) मे मत्रिपरिषद् राज्य सभा के प्रति सामूहिकरूप से उत्तरदायी होगी ।

अनु० 67—राज्य-सभा के एक प्रस्ताव द्वारा राज्य-सभा के सदस्यो मे से प्रधानमत्री को पदनामित किया जायगा । यह पदनाम अन्य सभी कार्यो से पहले होगा ।

यदि प्रतिनिधि-एव सभासद्-सदन एकमत नही होते और यहाँ तक कि दोनो सदनो की समिलित बैठक मे भी कोई निर्णय नही हो पाता, जैसा कि विहित हो, अथवा सभासद्-सदन, प्रतिनिधि-सदन के पदनाम देने के दस (10) दिन के अन्दर, अवकाशों को छोडकर, यदि पदनाम देने में असमर्थ रहे तो प्रतिनिधि-सदन का निर्णय राज्य-सभा का निर्णय माना जायगा ।

अनु० 68—राज्य के मन्त्रियो की नियुक्ति प्रधान मन्त्री करेगा तथापि उनकी कुल सख्या का अधिकांश राज्य-सभा के सदस्यो मे से चुना जायगा।

प्रधान मत्री राज्य के मन्त्रियों को जैसे चुन सकता है वैसे ही उन्हे निकाल भी सकता है।

अनु० 69—यदि प्रतिनिधि-सदन कोई अविश्वास का प्रस्ताव पारित करता है अथवा किसी विश्वास के प्रस्ताव को रद्द करता है तो मन्त्रिपरिषद् सामूहिक रूप से त्यागपत्र दे देगी यदि दस (10) दिन के अन्दर प्रतिनिधि-सदन विघटित न हो जाय।

अनु० 70—प्रधान मत्री का पद रिक्त होने पर अथवा प्रतिनिधि-सदन के सदस्यो के सामान्य निर्वाचन के बाद राज्य-सभा के प्रथम समारोह पर मत्रि-परिषद् सामूहिक रूप से त्यागपत्र दे देगी।

अनु० 71—पिछले दो अनुच्छेदो मे उल्लिखित दशाओ मे मन्त्रि-परिषद् उस समय तक अपना कार्य करती रहेगी जबतक कि नया प्रधान मत्री नियुक्त नही हो जाता।

अनु० 72—मन्त्रि-परिषद् के प्रतिनिधि के रूप मे प्रधान-मत्री विधेयक प्रस्तुत करेगा, सामान्य राष्ट्रीय विषयो, एव राज्य सभा के बाह्य सबधो का प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा, तथा अनेक प्रशासनिक विभागो का नियन्त्रण एव पर्यवेक्षण करेगा।

अनु० 73—अन्य सामान्य प्रशासनिक कार्यो के साथ ही, मन्त्रि-परिषद् को निम्नलिखित कार्य करने होगे ·

श्रद्धापूर्वक विधान का नियोजन करना . राज्य के कार्यो का सचालन करना।

विदेशी विषयो का प्रबन्ध करना।

सधियो का निश्चय करना, किन्तु इन विषयो मे राज्य-सभा (Diet) का पहले ही, अथवा परिस्थितियो के अनुसार, बाद में अनुमोदन आवश्यक है।

विधि द्वारा निर्धारित मानदण्डो के अनुसार लोक (Civil) सेवाओ का नियोजन करना।

आयव्ययक तैयार करना एव उसे राज्य-सभा के समक्ष प्रस्तुत करना।

प्रस्तुत सविधान एव विधि की व्यवस्थाओ के निष्पादन के लिए मत्रिपरिषद् के आदेशो का अधिनियमन करना । तथापि, मन्त्रिपरिषद् के ऐसे आदेशो मे किन्ही दाण्डिक व्यवस्थाओ का तब तक समावेश नही होगा जब तक कि वे उक्त प्रकार की विधि द्वारा प्राधिकृत न हो ।

सामान्य राज्य-क्षमा, दण्ड का लघूकरण, अधिकारो का प्रतिलम्बन एव प्रत्यावर्तन आदि का निर्णय करना ।

अनु० 74—सभी विधियो एव मन्त्रि-परिषद् के आदेशो पर राज्य के समर्थ मन्त्रियो के हस्ताक्षर होगे एव प्रधान-मत्री का प्रतिहस्ताक्षर होगा ।

अनु० 75—राज्य के मन्त्रियो पर अपने कार्यकाल मे कोई भी वैधानिक कार्यवाही बिना प्रधान मत्री की समति के नही की जा सकेगी । तथापि, इसके द्वारा उक्त कार्यवाही करने के अधिकार का आहरण नही होगा ।

अध्याय 6

न्यायपालिका

अनु० 76—न्याय-विषयक समस्त शक्ति **सर्वोच्च न्यायालय** मे तथा उन अवर न्यायालयो मे निहित है जो विधि द्वारा सस्थापित हो ।

किसी प्रकार का असाधारण न्यायाधिकरण (Extraordinary tribunal) स्थापित नही किया जायगा और न तो **कार्यपालिका** के किसी अग या अभिकरण को ही सर्वोच्च न्यायिक शक्ति दी जायगी ।

सभी न्यायाधीश अपने अन्तर्विवेक से कार्य करने मे स्वतत्र रहेंगे और उन पर केवल सविधान एव विधियो का बन्धन रहेगा ।

अनु० 77—विधायिका शक्ति सर्वोच्च-न्यायालय मे निहित है जिससे वह प्रक्रिया एव व्यवहार के, तथा न्यायवादियो से सम्बद्ध मामलो, न्यायालयो के आन्तरिक अनुशासन एव न्यायिक विषयो के प्रशासन से सबद्ध नियमो का निर्धारण करेगा ।

लोक-समाहर्ता सर्वोच्च न्यायालय की विधायिका शक्ति के अधीन होगे ।

सर्वोच्च न्यायालय अन्य न्यायालयों को अवर न्यायालयो के लिए नियम बनाने का अधिकार सौप सकता है ।

अनु० 78 — जनता द्वारा लगाए हुए महाभियोग की स्थिति को छोडकर, न्यायाधीश तब तक नही हटाए जा सकते, जबतक कि वे न्यायालय द्वारा मानसिक अथवा शारीरिक रूप से अक्षम नही घोषित किए जाते। न्यायाधीशो के विरुद्ध कोई भी अनुशासनिक कार्यवाही किसी भी कार्यपालिका के अग अथवा अभिकरण द्वारा नही की जा सकती।

अनु० 79 — सर्वोच्च न्यायालय मे एक प्रधान न्यायाधीश एव उतने और न्यायाधीश रहेगे जितने विधान द्वारा निर्धारित किए जाएँगे। प्रधान न्याया-धीश के अतिरिक्त अन्य सभी न्यायाधीशो को मन्त्रि-परिषद् नियुक्त करेगी।

सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशो की नियुक्ति का, प्रतिनिधि-सदन के सदस्यो के पहले सामान्य निर्वाचन के अवसर पर उनकी नियुक्ति के बाद, जनता द्वारा पुर्नविलोकन किया जायगा और प्रतिनिधि-सदन के सदस्यों के प्रथम सामान्य निर्वाचन के अवसर पर दस (10) वर्ष बाद पुन पुर्नविलोकन किया जायगा तथा इसी तरह बाद मे भी किया जायगा।

पिछले परिच्छेद मे उल्लिखित दशा मे यदि मतदाताओ का बहुमत किसी न्यायाधीश की पदच्युति के पक्ष मे हो तो वह पदच्युत कर दिया जायगा।

पुर्नविलोकन से सबद्ध विषय विधान द्वारा विहित होगे।

सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश विधान द्वारा निश्चित आयु तक पहुँच जाने पर निवृत्त कर दिए जाएँगे।

ऐसे सभी न्यायधीशो को नियमित अन्तर पर समुचित प्रतिकर मिलेगा जो कि उनके कार्यकाल मे कम नही किया जायगा।

अनु० 80—अवर न्यायालयो के न्यायाधीशो की नियुक्ति मन्त्रि-परिषद् द्वारा, **सर्वोच्च न्यायालय** द्वारा नामित व्यक्तियो की नियमावली में से, किया जायगा। ऐसे सभी न्यायाधीश दस (10) वर्ष की अवधि तक कार्यभार वहन करेंगे, वे इसके बाद भी नियुक्त हो सकते है किन्तु यदि वे विधान द्वारा नियत आयु पर निवृत्त कर दिये जायँ।

अवर न्यायालयो के न्यायाधीश नियमित अन्तर पर समुचित प्रतिकर पाएँगे और वह उनके कार्यकाल के अन्दर घटाया नही जायगा।

अनु० 81—किसी विधि, आदेश, नियम या आधिकारिक कार्य की सांविधानिकता के निर्धारण में **सर्वोच्च न्यायालय** ही अन्तिम आश्रय का समर्थ न्यायालय है।

2

अनु० 82—विचारणो (trials) का सचालन एव निर्णय की घोषणा सार्वजनिक रूप मे की जायगी। जब कोई न्यायालय इनके प्रचार को एकमत से सार्वजनिक व्यवस्था अथवा नैतिक आचारो के लिए घातक घोषित करे, उस दशा मे कोई भी न्यायिक विचारण गुप्त रीति से किया जा सकता है, किन्तु राजनीतिक अपराधो के, अथवा यन्त्रालय से सबद्ध अपराधो के विचारण मे अथवा उन अभियोगो मे जिनमें कि इस सविधान के अध्याय 3 मे सप्रदत्त जनता के अधिकारो का प्रश्न हो, विचारण सार्वजनिक रूप मे किया जायगा।

अध्याय 7

वित्त

अनु० 83—राष्ट्रीय वित्त को प्रशासित करने की शक्ति का प्रयोग राज्य-सभा के निर्णयो के अनुसार होगा।

अनु० 84—बिना विधान के न तो नए कर लगाए जा सकते हैं और न पुराने करो मे परिवर्तन किया जा सकता है, अथवा ऐसी दशाओ में, जैसा विधान द्वारा विहित हो, किया जायगा।

अनु० 85—राज्य-सभा द्वारा प्राधिकृत हुए बिना राज्य द्वारा न तो कोई धन राशि खर्च की जा सकती है और न तो राज्य अनिवार्य रूप से उसका उपयोग ही कर सकता है।

अनु० 86—मन्त्रि-परिषद् प्रत्येक राजवित्तीय वर्ष के लिए आयव्ययक तैयार करेगी तथा उस पर विचार एव निर्णय के लिए राज्य-सभा को प्रस्तुत करेगी।

अनु० 87—आयव्ययक में अदृष्ट कमियो को पूरा करने के लिए राज्य-सभा द्वारा एक आरक्षित निधि की व्यवस्था की जायगी जो मन्त्रि-परिषद् के दायित्व पर खर्च की जायगी।

आरक्षित निधि में से किये जाने वाले सभी भुगतानो के लिए मन्त्रि-परिषद् को बाद मे राज्य-सभा से स्वीकृति लेना आवश्यक होगा।

अनु० 88—राज-परिवार की समस्त संपत्ति राज्य की सपत्ति होगी।

राज-परिवार के सभी व्ययो का विनियोजन राज्य सभा द्वारा आयव्ययक में किया जायगा।

अनु० 89—किसी भी सार्वजनिक द्रव्य या अन्य सपत्ति का विनियोजन या व्यय किसी धार्मिक सस्था या सघ के उपयोग, लाभ या सधारण के लिए अथवा किसी धर्मार्थ, शिक्षा-सबधी अथवा परोपकार-विषयक उद्यमो के लिए जो लोक प्राधिकरण के नियन्त्रण मे न हो, नही किया जा सकता ।

अनु० 90—राज्य के व्यय एव आय (राजस्व) के अन्तिम लेखाओ का लेखा-परीक्षण प्रतिवर्ष एक लेखा-परीक्षक-मण्डल द्वारा किया जायगा, और मन्त्रि-परिषद् द्वारा राज्य-वित्तीय वर्ष के अन्दर लेखा-परीक्षण के विवरण के साथ, उस समय के ठीक बाद जब तक का वह लेखा हो राज्य-सभा को प्रस्तुत किया जायगा ।

लेखा-परीक्षक-मण्डल के सगठन एव सामर्थ्य का निर्धारण विधान द्वारा किया जायगा ।

अनु० 91—कुछ नियत अन्तरो पर और कम-से-कम प्रतिवर्ष मन्त्रि-परिषद् राष्ट्रीय राजस्व की स्थिति के विषय मे राज्य-सभा एव जनता को प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी ।

अध्याय 8

स्थानीय स्वायत्त-शासन

अनु० 92—स्थानीय लोक-सत्ताओ के सगठन एव कार्य करने के नियमो का निश्चय विधान द्वारा स्थानीय स्वायत्त-शासन सिद्धान्तो के अनुसार किया जायगा ।

अनु० 93—स्थानीय लोकसत्ता, विधानानुसार, सभाओ की स्थापना अपने विचार-विमर्श करने वाले अग के रूप मे करेगी ।

सभी स्थानीय लोक-सत्ताओ के मुख्य कार्यकारी अधिकारियो, उनकी सभाओ के सदस्यो तथा उन स्थानीय कर्मचारियो के, जो विधान द्वारा निर्धारित किये जाँय, निर्वाचन उनके विभिन्न समुदायो मे प्रत्यक्ष मतदान द्वारा होगे ।

अनु० 94—स्थानीय लोक-सत्ताओ को अपनी सपत्ति, अपने विविध विषयो एव प्रशासन के प्रबन्ध करने तथा विधान के अन्तर्गत अपने निजी नियमो को अधिनियमित करने का अधिकार होगा ।

अनु० 95—एक स्थानीय लोक-सत्ता मे लागू होने वाले किसी भी विशेष विधान को, जो विधि-सगत पाया गया हो, उस स्थानीय लोक सत्ता के मत-दाताओ के बहुमत द्वारा प्राप्त अनुमोदन के बिना राज्य-सभा द्वारा अधि-नियमित नही किया जा सकता ।

अध्याय 9

संशोधन

अनु० 96—इस सविधान मे सशोधन का सूत्रपात राज्यसभा द्वारा दोनो सदनो के कुल सदस्यो के दो-तिहाई या इससे अधिक सदस्यो के समिलित मतदान से किया जायगा और तब वह सत्याङ्कन के लिए जनता को प्रस्तुत किया जायगा । इस सत्याङ्कन के लिए एक विशेष जनमत-सग्रह का, अथवा निर्वाचन के अवसर पर जैसा कि राज्य-सभा निश्चय करे, कुल मत के बहुमत का सकारात्मक मत अपेक्षित है ।

उक्त प्रकार से सत्याङ्कित या अनुसमर्थित सशोधन तत्काल सम्राट् द्वारा जनता के नाम से सविधान का अभिन्न अग घोषित कर दिया जायगा ।

अध्याय 10

सर्वोच्च विधि

अनु० 97—जापान की जनता के लिए प्रत्याभूत (guaranteed) मानव के मूल अधिकार उसके उस स्वतत्रता-संघर्ष के प्रतिफल है जिसे वह युगान्तरो से करता चला आ रहा था । ये अधिकार अनेक चिरस्थायिता की यथार्थ कसौटियो पर खरे उतरे हैं । अत. इन्हे वर्तमान एवं भविष्य में होने वाली पीढियो को इस विश्वास के साथ प्रदान किया जाता है कि जापान का मानव इन्हे सर्वदा अक्षुण्ण बनाए रखेगा ।

अनु० 98—प्रस्तुत सविधान राष्ट्र का सर्वोच्च विधान होगा जिसके समक्ष किसी भी विधि, अध्यादेश, सम्राट् की घोषणा या अन्य सरकारी अधिनियम या उसके अंग को, जो इसकी व्यवस्थाओ के विरुद्ध होगा, विधि-बल या मान्यता नही प्राप्त होगी ।

जापान द्वारा की गई संधियो एव राष्ट्र के प्रतिष्ठापित विधानों का श्रद्धा-पूर्वक अनुपालन किया जायगा ।

अनु० 99—सम्राट् अथवा राजप, तथा राज्य के सभी मन्त्रियो, राज्य-सभा के सदस्यो, न्यायाधीशो तथा अन्य सभी लोक-कर्मचारियो को इस सविधान के प्रति समादर रखने एव इसकी मर्यादा बनाए रखने की बाध्यता होगी ।

अध्याय 11

अनुपूरक उपबन्ध

अनु० 100—प्रख्यापित करने की तिथि से छ. (6) मास की अवधि के बाद यह सविधान प्रवर्तित होगा ।

प्रस्तुत सविधान के प्रवर्तन के लिए आवश्यक विधियों के अधिनियमन, सभासद्-सदन के सदस्यो के निर्वाचन, राज्य-सभा के समारोह की प्रक्रिया तथा इस सविधान के प्रवर्तन के लिए अन्य प्रारम्भिक प्रक्रियाओ को, पिछले परिच्छेद मे विहित तिथि के पूर्व, निष्पन्न किया जायगा ।

अनु० 101—यदि इस सविधान के अनुसार समारभ तिथि के पूर्व सभासद्-सदन का सगठन नही हो जाता तो प्रतिनिधि-सदन राज्य-सभा के रूप मे तबतक कार्य करता रहेगा जब तक कि सभासद्-सदन का सगठन नही हो जाता ।

अनु० 102—इस सविधान के अन्तर्गत पहली अवधि मे कार्य करते हुए सभासद्-सदन के आधे सदस्यो का कार्यकाल तीन वर्ष होगा । इस कोटि के अन्तर्गत आने वाले सदस्यो का निर्धारण विधि द्वारा किया जायगा ।

अनु० 103—इस सविधान की समारभ तिथि पर अपना कार्य करते हुए राज्य के मत्री-गण, प्रतिनिधि-सदन के सदस्य, एव न्यायाधीश तथा अन्य सभी लोक-कर्मचारी जो ऐसे पदो से सबद्ध पदो पर हो जो सविधान द्वारा मान्यता प्राप्त हो, स्वत इस सविधान के प्रवर्तित होने पर, अपने पद से च्युत नही होगे, जब तक कि विधान द्वारा उनका अन्यथा उल्लेख न किया जाय, किंतु जब उनके उत्तराधिकारी इस सविधान की व्यवस्थाओं के अनुसार निर्वाचित या नियुक्त हो जायँगें तब वस्तुत उन्हे अपना पद त्यागना पडेगा ।

दण्ड संहिता

(1921 के विधि क्र० 77, 1941 के विधि क्र० 61 एव 1947 के विधि क्र० 124 द्वारा सशोधित 1907 का विधि क्र० 45)

पहला खण्ड—सामान्य उपबन्ध

अध्याय 1

विधियों के विनियोग (प्रयुक्ति)

अनु० 1—यह विधि ऐसे प्रत्येक व्यक्ति पर लागू होगी जिसने जापान राज्य की सीमा के अन्तर्गत कोई अपराध किया हो।

यह उन सभी व्यक्तियो पर भी लागू होगी जिन्होने जापान राज्य के बाहर भी किसी जापानी जहाज पर चढे हुए अपराध किया हो।

अनु० 2—यह विधि उन सभी व्यक्तियो पर लागू होगी जिन्होने जापान की सीमा के बाहर निम्नाङ्कित अपराधो मे किसी को किया हो :

(1) निरसित ;

(2) 77 से 79 तक के अनुच्छेदो मे उल्लिखित अपराध ;

(3) अनु० 81, 82, 87 और 88 मे उल्लिखित अपराध ;

(4) अनु० 148 मे उल्लिखित अपराध एव उसका प्रयत्न ;

(5) अनु० 154, 155, 157 और 158 मे उल्लिखित अपराध;

(6) अनु० 162 एव 163 मे उल्लिखित अपराध,

(7) अनु० 164 से 166 मे उल्लिखित अपराध एव अनु० 164 के परिच्छेद 2, 165 के परि० 2 तथा 166 के परि० 2 मे उल्लिखित अपराधो के प्रयत्न।

अनु० 3—यह विधान उन सभी जापान राष्ट्र के निवासियो पर लागू होगा जिन्होने जापान की सीमा के बाहर निम्नाकित में से कोई अपराध किया हो :

(1) अनु० 108 एव अनु० 109 के परि० 1 में उल्लिखित अपराध, अनुच्छेद 108 एवं अनु० 109 परि० 1 के अनुसार व्यवहृत किए जाने वाले अपराध एव उनके प्रयत्न;

(2) अनु० 119 मे उल्लिखित अपराध,

(3) अनु० 159 से 161 तक के अनुच्छेदो मे उल्लिखित अपराध,

(4) अनु० 167 मे उल्लिखित अपराध एव उक्त अनुच्छेद के परि० 2 मे उल्लिखित अपराध-प्रयत्न,

(5) अनु० 176 से 179, 181 और 184 मे उल्लिखित अपराध,

(6) अनु० 199 एव 200 मे उल्लिखित अपराध एव उनके प्रयत्न,

(7) अनु० 204 एव 205 मे उल्लिखित अपराध,

(8) अनु० 214 से 216 में उल्लिखित अपराध;

(9) अनु० 218 मे उल्लिखित अपराध तथा उक्त अपराध के करने मे किसी व्यक्ति को मार डालने या घायल कर देने का अपराध,

(10) अनु० 220 एव 221 मे उल्लिखित अपराध;

(11) अनु० 224 से 228 में उल्लिखित अपराध,

(12) अनु० 230 मे उल्लिखित अपराध;

(13) अनु० 235, 236, 238 से 241 और 243 में उल्लिखित अपराध;

(14) अनु० 246 से 250 में उल्लिखित अपराध;

(15) अनु० 253 मे उल्लिखित अपराध,

(16) अनु० 256 परि० 2 मे उल्लिखित अपराध।

अनु० 4—यह विधान उन सभी जापानी लोक-कर्मचारियो पर लागू होगा जिन्होने निम्नाकित मे से किसी अपराध को जापान की सीमा के बाहर किया हो

(1) अनु० 101 मे उल्लिखित अपराध एवं उसका प्रयत्न;

(2) अनु० 156 में उल्लिखित अपराध,

(3) अनु० 193, अनु० 195 परि० 2 और अनु० 179 से 197—(3) मे उल्लिखित अपराध एव अनु० 195 परि० 2 मे उल्लिखित अपराध के द्वारा किसी व्यक्ति को मार डालने अथवा घायल करने का अपराध।

अनु० 5—चाहे किसी भी देश मे कोई अटल निर्णय भले ही दिया गया हो उससे जापान मे उसके लिए कोई दण्ड बाधित नही होगा। तथापि यदि अपराधी विदेश मे घोषित दण्ड को अशत अथवा पूर्णत निष्पादित कर चुका हो तो

जापान मे उस अपराध का दण्ड हल्का कर दिया जायगा या उसे छोड दिया जायगा ।

अनु० 6—यदि किसी अपराध के करने के बाद उसका दण्ड विधान द्वारा बदल दिया गया हो तो जो लघु दण्ड होगा वही लागू होगा ।

अनु० 7—इस विधान मे "लोक कर्मचारी" पद से सरकारी कर्मचारियो, लोक-कर्मचारियो, सभाओ एव समितियो के सदस्यो तथा अन्य लोगो का भी जो जन साधारण के कार्यों मे, विधियो एव अध्यादेशो के अनुसार, लगे हुए हो, बोध होगा ।

"लोक कार्यालय" पद से उन स्थानो को समझा जायगा जहाँ लोक-कर्मचारी अपना कार्य करेगे ।

अनु० 8—इस विधान के सामान्य उपबन्ध उन अभियोगो (अपराधो) के सबध मे भी लागू होंगे जिनके लिए दण्ड अन्य विधियो या आदेशो द्वारा विहित हो, केवल उस दशा को छोडकर जब कि ऐसे विधियो या आदेशो द्वारा वह अन्यथा विहित हो ।

अध्याय 2

दण्ड

अनु० 9—प्रधान दण्ड हैं—प्राण-दण्ड, कठोरश्रमकारावास, कारावास, अर्थदण्ड, दाण्डिक निरोध तथा लघु अ दण्ड; राज्यसात्करण एक अतिरिक्त दण्ड है ।

अनु० 10—प्रधान दण्डों की सापेक्ष गुरुता पिछले अनुच्छेद मे निर्दिष्ट क्रम से होगी, केवल आजीवन कारावास सीमित कठोरश्रमकारावास से तथा सीमित कारावास भी सीमित कठोरश्रमकारावास से गुरुतर होगा यदि पहले की चरम अवधि दूसरे की चरम अवधि से दुगुनी अधिक हो ।

समान प्रकार के दण्डो में भी जिसकी अधिक चरम अवधि या अधिक चरम राशि होगी वह गुरुतर होगा । यदि चरम अवधि एव चरम राशि बराबर हो तो जिसकी न्यूनतम अवधि या न्यूनतम राशि अधिक होगी वह गुरुतर माना जायगा ।

दो या अधिक प्राण-दण्डों में या उसी प्रकार के अन्य दण्डो मे चरम एव न्यूनतम अवधियाँ या राशियाँ बराबर हो तो दण्डो की सापेक्ष गुरुता का निर्धारण अपराध के स्वरूप के आधार पर किया जायगा।

अनु० 11—प्राण-दण्ड किसी कारावास के भीतर फाँसी पर लटका कर दिया जायगा।

उन व्यक्तियो को, जिन्हे प्राण-दण्ड घोषित किया जा चुका हो तब तक कारावास मे ही रखा जायगा जबतक कि उन्हे प्राण-दण्ड दे न दिया जाय।

अनु० 12—कठोरश्रमकारावास या तो आजीवन होगा या सीमित अवधि तक के लिए, सीमित कठोरश्रमकारावास एक मास से लेकर पन्द्रह वर्ष तक का हो सकता है।

कठोरश्रमकारावास के दण्ड में कारावास में रहना एव निर्धारित श्रम करना होगा।

अनु० 13—कारावास का दण्ड या तो आजीवन होगा या सीमित अवधि तक के लिए, सीमित कारावास एक मास से लेकर पन्द्रह वर्ष तक का होगा।

कारावास दण्ड के अन्तर्गत कारावास मे रहना होगा।

अनु० 14—यदि सीमित कठोरश्रमकारावास या कारावास के दण्ड में कोई वृद्धि करनी हो तो प्रत्यक को बीस वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। यदि कमी करनी हो तो प्रत्येक को एक मास से भी कम दिया जा सकता है।

अनु० 15—अर्थदण्ड बीस **येन**[1] या उससे अधिक **येन** का होगा, किन्तु यदि उसमे कमी करनी हो तो वह बीस **येन** से भी कम किया जा सकता है।

अनु० 16—दाण्डिक निरोध तीस दिन से कम का, किन्तु एक दिन से कम का नही होगा और इसके अन्तर्गत दाण्डिक निरोध-गृह (**कोर्युजो**) मे परिरुद्ध रहना पडेगा।

अनु० 17—लघु अर्थदण्ड 20 येन (जापान की मुद्रा=2 शि० 1½ पेस) से कम के होगे किन्तु 10 सेन से कम के नही होगे।

अनु० 18—ऐसे व्यक्ति जो पूरे अर्थदण्ड को देने मे असमर्थ होगे उन्हें किसी कर्मशाला मे कम-से-कम एक दिन एव अधिक-से-अधिक दो वर्ष तक रखा जायगा।

---

[1] जापान की मुद्रा जो 2 शिलिङ्ग 1½ पेस के बराबर होती है।

ऐसे व्यक्ति जो पूरे लघु अर्थदण्ड को देने मे असमर्थ होंगे उन्हे किसी कर्मशाला मे कम से कम एक दिन और अधिक से अधिक तीस दिन तक रखा जायगा।

उस दशा मे जबकि दो या उससे अधिक अर्थदण्ड सामूहिक रूप से लगाए गए हो या बडे अर्थदण्ड या छोटे अर्थदण्ड साथ लगाए गए हो तो उक्त निरोध की अवधि तीन वर्ष से अधिक नहीं की जा सकती, उस दशा मे जबकि दो या अधिक छोटे अर्थदण्ड साथ लगाए गए हो, निरोध की अवधि साठ दिन से अधिक नही बढाई जा सकती।

जब कोई बडा या छोटा अर्थदण्ड लगाया गया हो तो ऐसे बड़े या छोटे अर्थदण्ड को पूर्णत देने मे असमर्थ होने की दशा मे निरोध की अवधि भी साथ ही निर्धारित एव घोषित कर दी जायगी।

संबद्ध पक्ष की राय के बिना बडे अर्थदण्ड के लिए निरोध, निर्णय के अटल हो जाने के तीस दिन के अन्दर तथा छोटे अर्थदण्ड के लिए दस दिन के अन्दर प्रवर्तित नही किया जा सकता।

जब कोई व्यक्ति जिस पर बडा या छोटा अर्थदण्ड लगाया गया हो तथा उसने उसका कुछ भाग चुका दिया हो तो वह पूरी अवधि के उस शेष अश तक निरोध में रखा जायगा जितना कि पूरी निरोध-अवधि से उसके दिए गए धन के अनुपात मे दिनों की सख्या घटाने से शेष बचेगा।

निरोध-अवधि के अन्तर्गत की गई भुगतान से बाकी दिनों मे से दिनों की सख्या उसी अनुपात मे घटाई जायगी जैसा कि पिछले परिच्छेद मे उल्लिखित है।

ऐसी राशि जमा नही हो सकेगी जो एक भी दिन के निरोध के अनुपात में न हो (अर्थात् निरोध की पूरी अवधि के दिनो मे से एक दिन पर जो अर्थदण्ड आता है उससे भी कम अर्थदान स्वीकार नही किया जायगा)।

अनु० 19—निम्नांकित वस्तुओ का राज्यसात्करण किया जा सकता है :

(1) वे वस्तुएँ जो आपराधिक कर्म की घटक रही हो;

(2) वे वस्तुएँ जिनका किसी आपराधिक कर्म में प्रयोग या प्रयोग करने का मन्तव्य रहा हो,

(3) वे वस्तुएँ जो आपराधिक कर्म से उत्पन्न हुई हों या पाई गई हों अथवा वे वस्तुएँ जो आपराधिक कर्म के प्रतिकर के रूप मे प्राप्त की गई हो,

(4) पिछले प्रभाग मे उल्लिखित वस्तुओ के विनिमय से प्राप्त वस्तुएँ ।

राज्यसात्करण केवल उसी दशा मे किया जा सकेगा जबकि वह वस्तु अपराधी के अतिरिक्त अन्य किसी व्यक्ति की न हो; परन्तु उस दशा मे जब कि अपराधी से भिन्न किसी व्यक्ति ने, अपराध किए जाने के बाद, उस वस्तु के अवैध स्वरूप को जान कर उसे लिया हो, उसका राज्यसात्करण हो सकता है चाहे वह भले ही अपराधी से भिन्न किसी दूसरे व्यक्ति की हो ।

अनु० 19—(2) उस दशा मे पिछले परिच्छेद के प्रभाग (3) या (4) मे उल्लिखित वस्तुओ का राज्यसात्करण पूर्णत. या अशत असभव हो तो उसके साथ-साथ उसकी बराबरी की धन-सपत्ति अतिरिक्त रूप मे ली जा सकती है ।

अनु० 20—विरोध मे, विशेष व्यवस्थाओ के न रहने पर ऐसे अपराधो मे, जिनका दण्ड केवल निरोध या लघु अर्थदण्ड हो, कोई राज्यसात्करण नही किया जा सकता बशर्ते कि वह अनु० 19 परि० 1 के प्रभाग 1 में उल्लिखित वस्तुओं के राज्यसात्करण मे लागू न होता हो ।

अनु० 21—लम्बित निर्णय की दशा मे निरोध के दिनों की सख्या को नियत दण्ड की अवधिगणना मे पूर्णत. या अशत समिलित किया जा सकता है ।

अध्याय 3

अवधि का परिकलन

अनु० 22—मास या वर्ष रूप में निर्धारित अवधि का परिकलन कैलेण्डर के अनुसार किया जायगा ।

अनु० 23—दण्ड की अवधि का परिकलन उसी दिन से किया जायगा जिस दिन निर्णय अटल हो गया हो ।

वे दिन, जो कारावास के अन्तर्गत न बिताए गए हो, अटल या अन्तिम निर्णय हो जाने के बाद भी, दण्ड की अवधि मे परिकलित नही किए जायेंगे ।

अनु० 24—दण्ड भोगने का पहला दिन, चाहे किसी घण्टे में भोगना शुरू किया जाय पूरे एक दिन के रूप में परिकलित किया जायगा। यही नियम भोगाधिकार की अवधि के पहले दिन के संबन्ध में भी लागू होगा।

दण्ड की अवधि के पूरे होने वाले दिन के बाद वाले दिन निर्मुक्ति का निष्पादन किया जायगा।

अध्याय 4

दण्ड के निष्पादन का निलम्बन

अनु० 25—यदि निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसी को कठोरश्रम-कारावास या कारावास का दण्ड मिल चुका हो जिसकी अवधि तीन वर्ष से अधिक न हो या अर्थदण्ड जो 5,000 येन से अधिक न हो तो ऐसे दण्ड का निष्पादन, निर्णय के दिन से, परिस्थितियों के अनुकूल, कम-से-कम एक वर्ष तथा अधिक-से-अधिक पाँच वर्ष तक की अवधि के लिए निलम्बित किया जा सकता है .

(1) ऐसे व्यक्ति जिन्हें पहले कभी भी कारावास या कोई कठिन दण्ड न मिला हो;

(2) ऐसे व्यक्ति जिन्हें यद्यपि पहले कारावास या कोई कठिन दण्ड मिल चुका हो किन्तु उस पूर्व दण्ड के निष्पादन के पूर्ण होने या क्षमा किये जाने की तिथि से सात वर्ष के अन्दर कोई कारावास या कठिन दण्ड फिर न मिला हो।

अनु० 26—अधोलिखित दशाओं में दण्ड के निष्पादन का निलम्बन प्रतिसहृत किया जा सकता है :

(1) जबकि निलम्बन की अवधि के अन्तर्गत कोई अन्य अपराध किया गया हो और उसके लिए कारावास या कोई और कठिन दण्ड दिया गया हो,

(2) जबकि दण्ड-निष्पादन के निलम्बन की घोषणा के पूर्व किए गए अपराध के लिए कारावास या कोई और कठिन दण्ड दिया जा चुका हो,

(3) पिछले अनुच्छेद के प्रभाग (2) में उल्लिखित व्यक्तियो के अतिरिक्त, जब यह पता चल जाय कि उस व्यक्ति को, दण्ड-निष्पादन के निलम्बन की घोषणा के पहले किसी अन्य अपराध के लिए कारावास या कोई कठिन दण्ड मिला था।

जब निलम्बन की अवधि के अन्दर कोई और अपराध किया गया हो और उसके लिए कोई अर्थदण्ड दिया गया हो तो दण्ड-निष्पादन के निलम्बन की घोषणा प्रतिसंहृत की जा सकती है।

अनु० 27—जब दण्ड-निष्पादन के निलम्बन की अवधि, निलम्बन की घोषणा के प्रतिसहरण के बिना ही बीत जाय तो दण्ड की घोषणा प्रभावशून्य हो जायगी।

अध्याय 5

कारागार से सामयिक निर्मुक्ति (वाग्विश्वास)

"करिशुत्सुगोकु"

अनु० 28—यदि कोई कठोरश्रम-कारावास या कारावास से दण्डित व्यक्ति सुधार के सकेत प्रकट करे तो प्रशासनिक अधिकारियो की कार्रवाई द्वारा, दण्ड की अवधि सीमित होने पर उसके एक-तिहाई एव आजीवन रहने पर दस वर्ष भोग लेने पर, कारागार से सामयिक (कुछ शर्तों पर) निर्मुक्ति दी जा सकती है।

अनु० 29—कारागार से सामयिक निर्मुक्ति की कार्रवाई अधोलिखित दशाओ मे प्रतिसहृत कर ली जायगी .

(1) जबकि सामयिक निर्मुक्ति की दशा मे कोई और अपराध किया गया हो और कोई अर्थदण्ड या कठिन दण्ड दिया गया हो;

(2) जबकि सामयिक निर्मुक्ति के पहले किए गए अन्य किसी अपराध के लिए कोई अर्थदण्ड या और कठिन दण्ड दिया गया हो;

(3) जबकि व्यक्ति को कोई अर्थदण्ड या कठिन दण्ड भुगतना हो जो कि उसे सामयिक निर्मुक्ति के पूर्व किसी अन्य अपराध के लिए दिया गया था,

(4) जबकि सामयिक निर्मुक्ति के नियन्त्रण विषयक विनियम अतिलघित हो गए हों।

सामयिक निर्मुक्ति की कार्रवाई के प्रतिसहृत किये जाने की दशा मे कारागार के बाहर बिताए गए दिनो को दण्ड की अवधि मे समिलित नही किया जायगा ।

अनु० 30—दाण्डिक निरोध से दण्डित व्यक्तियो को, परिस्थितियो के अनुसार, किसी भी समय प्रशासनिक अधिकारियो की कार्रवाई द्वारा सामयिक रूप मे निर्मुक्त किया जा सकता है ।

यही नियम उन व्यक्तियो के विषय मे भी लागू होगा जो किसी बडे या छोटे अर्थदण्ड को पूर्णत देने मे असमर्थ होने के फलस्वरूप निरोध मे रखे गए हो ।

अध्याय 6

दण्ड का भोगाधिकार एवं उसकी समाप्ति

"जिको"

अनु० 31—किसी दण्ड से दण्डित व्यक्तियो को उस दण्ड के निष्पादन से भोगाधिकार द्वारा अवमुक्त किया जायगा ।

अनु० 32—यह भोगाधिकार उस समय पूरा होगा जबकि दण्ड की अन्तिम निर्णय की तिथि से निम्नाकित अवधि के अन्तर्गत दण्ड का निष्पादन न किया गया हो

(1) मृत्युदण्ड के लिए, तीस वर्ष,

(2) आजीवन कठोरश्रम-कारावास या आजीवन कारावास के लिए, बीस वर्ष;

(3) सीमित कठोरश्रम-कारावास या सीमित कारावास के लिए, पन्द्रह वर्ष, यदि अवधि दस वर्ष या उससे अधिक हो, दस वर्ष, यदि अवधि तीन वर्ष या उससे अधिक हो; पाँच वर्ष, यदि अवधि तीन वर्ष से कम हो;

(4) बडे अर्थदण्डो के लिए, तीन वर्ष;

(5) दाण्डिक निरोध, छोटे अर्थदण्डो एव राज्यसात्करण के लिए, एक वर्ष ।

अनु० 33—किसी विधि या आदेश द्वारा, जब किसी दण्ड का निष्पादन निलम्बित कर दिया गया हो या रोक दिया गया हो उस समय भोगाधिकार चालू नही होगा।

अनु० 34—दण्ड के निष्पादन के लिए अपराधी के बन्दीकरण द्वारा भोगाधिकार अवरुद्ध हो जायगा।

बडे अर्थदण्डो, छोटे अर्थदण्डो एव राज्यसात्करण के लिए ऐसे दण्डो के निष्पादन द्वारा भोगाधिकार अवरुद्ध हो जायगा।

अनु० 34—(2) यदि किसी व्यक्ति के विरुद्ध या उसके पक्ष मे कारावास या कठिनतर दण्ड का निष्पादन पूरा हो गया हो या क्षमा कर दिया गया हो और उसके बिना किसी बडे अर्थदण्ड या कठिनतर दण्ड से दण्डित हुए दस वर्ष बीत गए हो तो दण्ड प्रभावशून्य हो जायगा। यही बात उस दशा मे भी लागू होगी जबकि किसी व्यक्ति के विरुद्ध या पक्ष मे बडे अर्थदण्ड या छोटे अर्थदण्ड का निष्पादन पूरा हो गया हो या परिहृत कर दिया गया हो और बिना उसके किसी बडे अर्थदण्ड या कठिन दण्ड से दण्डित हुए ही पॉच वर्ष बीत गए हो।

उस दशा मे जब कोई व्यक्ति सिद्धदोष ठहराया जा चुका हो किन्तु दण्ड क्षमा कर दिया गया हो और दण्ड के अन्तिम निर्णय से दो वर्ष बीत गए हो और उसे बडा अर्थदण्ड या कोई कठिन दण्ड न मिला हो तो अपराधी का दण्ड और क्षमा दोनो ही प्रभाव-रहित हो जायेगे।

अध्याय 7

अपराधों का वियोजन एवं दण्डों का घटाव और क्षमाप्रदान

"हआइ नो फुसेइरित्सु ओयोबि केइ नो गेन्मेन"

अनु० 35—किसी भी व्यक्ति को जो विधि अथवा आदेश के अनुसार अथवा अपना उचित कार्य करेगा कोई दण्ड नही दिया जायगा।

अनु० 36—किसी आसन्न एव अन्यायपूर्ण आक्रमण से अपने या दूसरे व्यक्ति के अधिकारो की रक्षा के लिए किए गए अनिवार्य कार्य दण्डनीय नही होगे।

प्रतिरक्षा की सीमा को अतिक्रमण करने वाले कार्यो का दण्ड, परिस्थिति के अनुसार, हल्का या क्षमा किया जा सकता है।

अनु० 37- जीवन, शरीर, स्वतन्त्रता या अपनी अथवा दूसरो की सपत्ति के प्रति उपस्थित खतरे को हटाने के लिए किए गए अनिवार्य कार्य दण्डनीय नही होगे, यदि उक्त कार्यों द्वारा पहुंचाई गई क्षति, होने वाली क्षति से अधिक न हो। तथापि, परिस्थितियो के अनुसार, ऐसे कार्यों के दण्डो को, जिनमे होने वाली क्षति से उक्त कार्यों द्वारा की गई क्षति अधिक हो, हल्का अथवा क्षमा किया जा सकता है।

पिछले परिच्छेद की व्यवस्थाएँ (उपबन्ध) उन व्यक्तियो के सबध मे लागू नहीं होंगी जो अपनी जीविका या व्यवसाय के कारण किसी विशेष बन्धन के अन्तर्गत हो।

अनु० 38—बिना आशय के किए गए अपराध के लिए किसी भी व्यक्ति को दण्डित नही किया जायगा परन्तु यह उस दशा में लागू नही होगा जहाँ कि किसी विधि में कोई विशेष व्यवस्था उसके विरुद्ध हो।

उस दशा में जब कि किसी व्यक्ति को, जिसने अपराध किया हो, अपराध करते समय यह ज्ञात न रहा हो कि जो अपराध वह कर रहा है वह उसके सोचे गए अपराध से गुरुतर है तो उसे उसके गुरुतर अपराध के लिए दण्डित नही किया जायगा।

विधि की व्यवस्था की अनभिज्ञता के बल पर किसी व्यक्ति को अपराध करने के आशय से शून्य नही माना जायगा। तथापि, इस दशा में परिस्थिति के अनुसार, दण्ड कम किया जा सकता है।

अनु० 39—अविवेकी व्यक्तियो के कार्य दण्डनीय नही होंगे। निर्बल मन वाले व्यक्तियो द्वारा किये गए अपराध-कृत्यो के दण्डो को हल्का कर दिया जायगा।

अनु० 40—मूक-बधिरों के कार्य दण्डनीय नही होगे अथवा दण्डित होने पर उनका दण्ड हल्का कर दिया जायगा।

अनु० 41—चौदह वर्ष से कम आयु वाले व्यक्तियो के अपराध दण्डनीय नहीं होगे।

अनु० 42—उन व्यक्तियो का दण्ड हल्का किया जा सकता है जिहोने अपराध करने के बाद समर्थ अधिकारियों के समक्ष जाच होने पर अपना प्रत्याख्यान कर दिया हो।

यही नियम उन दशाओ में भी लागू होगा जब कि उस अपराध के संबध में जिसका अभियोजन परिवाद पर हो, परिवाद करने के अधिकारी व्यक्ति के प्रति आत्म-प्रत्याख्यान किया गया हो ।

अध्याय 8

आपराधिक प्रयत्न

"मिसुइज़ाई"

अनु० 43—उन व्यक्तियो का दण्ड हल्का किया जा सकता है जिन्होने अपराध शुरू किया हो किन्तु निष्पन्न न किया हो । यदि अपराध का सपादन स्वेच्छया रोक दिया गया हो, तो दण्ड हल्का या क्षमा किया जा सकता है ।

अनु० 44—किसी अपराध के करने का प्रयत्न केवल उसी दशा मे दण्डनीय होगा जब उक्त अपराध के उल्लेख करने वाले किसी अनुच्छेद मे वैसा विहित हो ।

अध्याय 9

अनेकापराध

"हेइगोज़ाइ"

(एक ही व्यक्ति द्वारा किये गए अपराध-समूह, जिनका किसी अन्तिम निर्णय के पूर्व पता न लगा हो एव जिन पर समिलित रूप से दण्ड के आरोप या निष्पादन के लिये अभिक्रिया की जानेवाली हो)

अनु० 45—"हेइगोजाइ" उन दो या अधिक अपराधों को कहते है जिन पर कोई अन्तिम न्याय-निर्णय न दिया गया हो। यदि किसी अपराध पर अन्तिम न्याय-निर्णय दिया जा चुका हो, केवल वह अपराध तथा अन्य अपराध जो निर्णय के पूर्व किये गए हो और जिनका अन्तिम न्याय-निर्णय हो गया हो, "हेइगोजाइ" मे आते है ।

अनु० 46—यदि "हेइगोजाइ" मे से किसी अपराध के लिए प्राण-दण्ड दिया जाने वाला हो तो राज्यसात्करण के अतिरिक्त और कोई दूसरा दण्ड नही दिया जायगा ।

इसी प्रकार यदि "हेइगोजाइ" मे से किसी अपराध के लिए आजीवन कठोरश्रमकारावास या आजीवन कारावास का दण्ड दिया जाने वाला हो तो बड़े

अर्थदण्ड, छोटे अर्थदण्ड एव राज्यसात्करण के अतिरिक्त और कोई दूसरा दण्ड नही दिया जायगा।

अनु० 47—यदि "हेइगोजाइ" मे से दो या उससे अधिक अपराध सीमित कठोरश्रमकारावास अथवा कारावास के दण्ड के योग्य हो तो दण्ड की चरम अवधि, गुरुतम अपराध की चरम अवधि तथा इसकी आधी और (अर्थात् डेढ गुनी) होगी, किन्तु यह अवधि दूसरे अनेक किए गए अपराधो के लिए उल्लिखित चरम अवधियो से अधिक नही होगी।

अनु० 48—केवल अनु० 46 के परि० 1 की दशा के अतिरिक्त, कोई अर्थदण्ड या अन्य दण्ड भी साथ-साथ दिया जायगा। ,

दो या अधिक अर्थदण्ड उतनी मात्रा तक दिए जायेगे जहॉ तक कि उनकी राशि अनेक अपराधो पर लगाए गए अर्थदण्डो के योग से अधिक न हो।

अनु० 49—यद्यपि "हेइगोजाइ" के अन्तर्गत गुरुतम अपराध के लिये राज्य-सात्करण का उल्लेख नही किया गया है, तथापि यह अतिरिक्त रूप मे लगाया जा सकता है यदि अन्यो मे से किसी अपराध पर राज्यसात्करण विहित हो।

राज्यसात्करण के दो या अधिक दण्ड एक साथ लगाए जा सकते है।

अनु० 50—यद्यपि "हेइगोजाइ" के अन्तर्गत एक या अधिक अपराध (अपराधो) पर न्याय निर्णय दिया गया हो और अन्य (अन्यो) पर नही, तो अनिर्णीत अपराध (अपराधो) पर न्याय-निर्णय दिया जायगा।

अनु० 51—यदि "हेइगोजाइ" पर दो या अधिक निर्णय दिए जा चुके हो, तो दण्ड सयुक्त करके निष्पादित किए जायॅगे; किन्तु यदि प्राण-दण्ड निष्पादित करना हो तो राज्यसात्करण के अतिरिक्त अन्य कोई भी दण्ड कार्यान्वित नही किया जायगा। यदि आजीवन कठोरश्रमकारावास या आजीवन कारावास का दण्ड निष्पादित करना हो तो अर्थ-दण्ड एव राज्य-सात्करण के अतिरिक्त अन्य कोई दण्ड कार्यान्वित नही किया जायगा। सीमित कठोरश्रमकारावास या सीमित कारावास के निष्पादन की अवधि, अनेक अपराधों मे से गुरुतम के लिए उल्लिखित दण्ड की चरम अवधि एव उसकी आधी (अर्थात् डेढ गुनी) से अधिक नही होगी।

अनु० 52—यदि "हेइगोजाइ" के लिए दण्डित किसी व्यक्ति को एक (या अधिक) अपराध (या अपराधो) के सबध में सामान्य राज-क्षमा की कृपा प्रदान की गई हो तो ऐसे क्षमा-प्रदान से भिन्न अपराध (अपराधो) के लिए दण्ड का निर्णय विशेष रूप से किया जायगा।

अनु० 53—अनु० 46 मे विहित दशाओ के अतिरिक्त, दाण्डिक निरोध या छोटे अर्थदण्ड भी अन्य दण्डो के साथ आरोपित किये जा सकते है ।

दो या अधिक दाण्डिक निरोध या छोटे अर्थदण्ड एक साथ आरोपित किए (लगाए) जायेंगे ।

अनु० 54—जब किसी एक ही कार्य मे अनेक अपराध होते हो अथवा जब कोई ऐसा कार्य जो किसी अपराध के करने का साधन या प्रतिफल हो और अन्य अपराध का रूप धारण कर ले तो उसके लिए दण्ड उस व्यवस्था के अन्तर्गत दिया जायगा जो गुरुतम दण्ड का विधान करती हो ।

अनु० 49 परि० 2 की व्यवस्था पिछले परिच्छेद के सबध मे लागू होगी ।

अनु० 55—निकाल दिया गया ।

अध्याय 10

पुनरावृत्त अपराध

"रुइहन"

अनु० 56—यदि कोई कठोरश्रमकारावास से अपराधित व्यक्ति, इसके निष्पादन के पूर्ण होने या क्षमा किये जाने के दिन से पॉच वर्ष के अन्दर फिर कोई अपराध किया हो और जिसे सीमित कठोरश्रमकारावास से दण्डित करना हो तो उक्त अपराध एक दूसरे अपराध को घटित करेगा ।

यही नियम उस दशा मे भी लागू होगा जबकि कोई व्यक्ति जिसे कठोर-श्रमकारावास का दण्ड पाने के योग्य अपराध के लिए प्राण-दण्ड से दोषित किया गया हो, और उसने पिछले परिच्छेद मे उल्लिखित अवधि के अन्दर जिसका परिकलन दण्ड निष्पादन के क्षमा किये जाने के दिन से किया जायगा — फिर दूसरा अपराध किया हो, अथवा उस दशा मे जबकि दण्ड कठोरश्रमकारावास के रूप मे हल्का कर दिया गया हो, उस दिन से जबकि दूसरे कठोरश्रम-कारावास का निष्पादन पूरा हो गया हो या क्षमा कर दिया गया हो और उसे कठोरश्रमकारावास के दण्ड से दोषित करना हो ।

किसी अनेकापराध (हेइगोजाइ) के अभियुक्त को, जिसके अनेकपराध में कोई अपराध कठोरश्रमकारावास दण्ड के योग्य हो, चाहे ऐसा अपराध उक्त अनेक अपराध का गुरुतम अपराध भले ही न हो, पुनरावृत्त अपराध से सबद्ध व्यवस्थाओ के लागू होने के लिए कठोरश्रमकारावास से दण्डित माना जायगा ।

अनु० 57—किसी पुनरावृत्त अपराध के दण्ड की अवधि, उस अपराध के लिए उल्लिखित कठोरश्रमकारावास की चरम अवधि के दुगुने से अधिक नही होगी।

अनु० 58—निकाल दिया गया।

अनु० 59—पुनरावृत्त अपराधो से सबद्ध व्यवस्थाएँ उसी तरह उन व्यक्तियो पर भी लागू होगी जिन्होने कोई अपराध तीन या अधिक बार किया हो।

अध्याय 11

सहापराधिता

"क्योहन्"

अनु० 60—किसी अपराध-कार्य में सहयोग देने वाले दो या अधिक व्यक्तियो को मुख्य अपराधी के रूप मे व्यवहृत किया जायगा।

अनु० 61—वह व्यक्ति, जिसने दूसरे को अपराध करने के लिए उकसाया हो या उससे अपराध करवाया हो, मुख्य अपराधी समझा जायगा।

यही नियम उस व्यक्ति के सबध मे भी लागू होगा जिसने किसी उकसाने वाले को उकसाया हो।

अनु० 62—मुख्य अपराधी को सहायता देने वाला प्रत्येक व्यक्ति उसका उपसहायक है।

उपसहायक को उकसाने वाला प्रत्येक व्यक्ति उपसहायक ही समझा जायगा।

अनु० 63—उपसहायक का दण्ड, मुख्य अपराधी के दण्ड का हल्का किया गया दण्ड होगा।

अनु० 64—अन्यथा विशेष प्रकार से विहित दशा को छोड़कर, उकसाने वालो एव उपसहायको को दाण्डिक निरोध अथवा छोटे अर्थ दण्ड द्वारा दण्डनीय अपराधो के लिए दण्डित नही किया जायगा।

अनु० 65—यदि कोई व्यक्ति किसी ऐसे कार्य मे फँस गया हो जो अपराध करने वाले की स्थिति के कारण अपराध हो तो उसे सहापराधी के रूप में व्यवहृत किया जायगा भले ही उसकी वैसी स्थिति न हो।

यदि दण्ड की गुरुता अपराधी की स्थिति पर निर्भर करती हो तो वैसी स्थिति न रखने वाले व्यक्तियो को सामान्य दण्ड दिया जायगा।

अध्याय 12

(दण्ड) घटाव वाली परिस्थितियों के कारण दण्ड का घटाव

"शकुर्यो गेङ्केइ"

अनु० 66—(दण्ड) हल्का करने वाली परिस्थितियो के रहने पर किसी अपराध का दण्ड हल्का किया जा सकता है।

अनु० 67—विधि द्वारा भले ही दण्ड बढ़ाया या घटाया जाने वाला हो, फिर भी (दण्ड) हल्का करने वाली परिस्थितियो के कारण (दण्ड) हल्का किया जा सकता है।

अध्याय 13

दण्ड के बढ़ाव या घटाव के सामान्य नियम

"कगेन रेइ"

अनु० 68—यदि विधि द्वारा दण्ड हल्का करने के एक (या अधिक) आधार हो(हो,)तो वह अधोलिखित नियमों के अनुसार हल्का किया जायगा :

(1) यदि प्राणदण्ड को हल्का करना हो तो इसे कठोरश्रमकारावास या कारावास के रूप मे किया जायगा जिसकी अवधि आजीवन अथवा दस वर्ष से कम नही होगी;

(2) यदि आजीवन कठोरश्रमकारावास या आजीवन कारावास दण्ड हल्का करना हो तो इसे सीमित कठोरश्रमकारावास या सीमित कारावास के रूप मे किया जायगा जिसकी अवधि सात वर्ष से कम नही होगी;

(3) यदि सीमित कठोरश्रमकारावास या सीमित कारावास हल्का करना हो तो इसे सीमित दण्ड की अवधि का आधा कर दिया जायगा;

(4) यदि कोई बडा अर्थदण्ड हल्का करना हो तो इसे उसकी कुल राशि का आधा कर दिया जायगा;

(5) यदि दाण्डिक निरोध हल्का करना हो तो उसकी चरम अवधि का आधा कर दिया जायगा;

(6) यदि कोई छोटा अर्थदण्ड हल्का करना हो तो उसे उसकी कुल राशि का आधा कर दिया जायगा।

अनु० 69—जब विधि द्वारा कोई दण्ड हल्का करना हो किन्तु उससे सबद्ध अनुच्छेद दो या अधिक दण्डो का विधान करता हो, तो सबसे पहले लगाए जाने वाले दण्ड का निर्णय एव तत्पश्चात् दण्ड का हल्काव किया जायगा।

अनु० 70—यदि कठोरश्रमकारावास, कारावास या दाण्डिक निरोध को हल्का करने मे पूरे एक दिन से कुछ घटे कम पडे तो उनकी गणना नही की जायगी।

यही नियम उस दशा मे लागू होगा जबकि किसी (बड़े) अर्थदण्ड या छोटे अर्थदण्ड को हल्का करने मे एक "सेन" का कोई भाग (भिन्न) बच रहे।

अनु 71—(दण्ड) हल्का करने वाली परिस्थितियो के कारण दण्ड का हल्काव करने मे अनुच्छेद 68 एव पिछले अनुच्छेद के नियमो का भी अनुसरण किया जायगा।

अनु० 72—यदि दण्डो को, उसी समय, बढ़ाना और हल्का करना हो तो उसका अधोलिखित क्रम होगा

(1) पुनरावृत्त अपराध के लिए दण्ड में बढाव;

(2) विधि द्वारा दण्ड में घटाव,

(3) अनेकापराध (हेइगोजाइ) के लिए दण्ड मे बढाव;

(4) (दण्ड) हल्का करने वाली परिस्थितियो के कारण दण्ड मे घटाव।

— ———

दूसरा खण्ड—अपराध

अध्याय 1

अनु० 73 से 76 तक निकाल दिया गया।

अध्याय 2

गृहयुद्ध से संबद्ध अपराध

"नइरान नि कन्सुरु त्सुमि"

अनु० 77—प्रत्येक व्यक्ति, जिसने सरकार (राज्यसत्ता) को उखाड फेकने, राज्य के उपनिवेश के बलात् अभिग्रहण करने, अथवा अन्य प्रकार से राष्ट्रीय सविधान के विध्वस्त करने की धारणा से कोई विद्रोह सबन्धी या राजद्रोही कृत्य किया हो, गृहयृद्ध करने का अपराधी होगा और अधोलिखित विशेषताओ के अनुसार दण्डित किया जायगा

(1) प्रधान राजद्रोहियो को प्राण-दण्ड अथवा आजीवन कारावास,

(2) जिन्होने षड्यत्रो मे भाग लिया हो अथवा किसी भीड़ मे अपना आदेश चलाया हो, उन्हे आजीवन अथवा कम से कम तीन वर्ष का कारावास; वे जो ऐसे अनेक अन्य कृत्यो मे लगे हो, उन्हे एक वर्ष से लेकर दस वर्ष तक का कारावास,

(3) विप्लव-सबधी या राजद्रोही कृत्य मे अनुयायियो अथवा केवल समिलित होने वालो को अधिक से अधिक तीन वर्ष का कारावास।

पिछले परिच्छेद के क्रमा० 3 मे उल्लिखित व्यक्तियो को छोड़कर पिछले परिच्छेद के अपराध का प्रयत्न भी दण्डनीय होगा।

अनु० 78—प्रत्येक व्यक्ति को, जिसने गृहयुद्ध के लिए तैयारी की हो, या षड्यत्र किया हो, एक वर्ष से लेकर दस वर्ष तक का कारावास दण्ड दिया जायगा।

अनु० 79—प्रत्येक व्यक्ति को, जिसने अस्त्र-शस्त्र, धन, खाद्य-सामाग्री या ऐसे अन्य कार्य से सहायता द्वारा पिछले दो अनुच्छेदो का अपराध किया हो, अधिक से अधिक सात वर्ष तक का कारावास का दण्ड दिया जायगा।

अनु० 80—यदि कोई व्यक्ति जो पिछले दो अनुच्छेदों का अपराध कर चुका हो, किन्तु विप्लव के सपादन के पहले ही आत्मप्रत्याख्यान कर दे तो उसका दण्ड क्षमा कर दिया जायगा।

अध्याय 3

(बाह्य) युद्ध संबंधी अपराध

अनु० 81—प्रत्येक व्यक्ति को, जिसने किसी विदेशी राज्य के साथ षड्यत्र किया हो और उस देश से जापान राज्य के विरुद्ध शक्ति का प्रयोग कराया हो, प्राणदण्ड दिया जायगा ।

अनु० 82—प्रत्येक व्यक्ति को, जिसने किसी विदेशी राज्य के जापान के विरुद्ध शक्ति के प्रयोग करने पर उक्त विदेशी राज्य की सेना में सैनिक सेवा के लिए प्रवेश किया हो या उसे सैनिक सहायता दिया हो, प्राण-दण्ड अथवा आजीवन या कम से कम दो वर्ष का कठोरश्रमकारावास दण्ड दिया जायगा ।

अनु० —83 से 86 तक निकाल दिया गया ।

अनु० 87—अनुच्छेद 81 एव 82 के अपराधो के प्रयत्न भी दण्डनीय होगे ।

अनु० 88—प्रत्येक व्यक्ति को, जिसने अनुच्छद 81 एवं 82 मे उल्लिखित अपराधों के लिए उद्योग किया हो या षड्यत्र किया हो, एक वर्ष से लेकर दस वर्ष तक का कठोरश्रमकारावास का दण्ड दिया जायगा ।

अनु० 89—निकाल दिया गया ।

अध्याय 4

अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों से संबद्ध अपराध

"कोक्को नि कन्सुरु त्सुमि"

अनु०—90 और 91 निकाल दिए गए ।

अनु० 92—प्रत्येक व्यक्ति को, जिसने किसी विदेशी शक्ति (देश) को अपमानित करने की धारणा से उसके राष्ट्रीय ध्वज या राष्ट्र के किसी अन्य प्रतीक को हानि पहुँचाया, विनष्ट किया, हटा दिया या धराशायी किया हो, दो वर्ष तक का कठोरश्रमकारावास का दण्ड या 200 येन तक का अर्थदण्ड दिया जायगा किन्तु उक्त दण्ड का अभियोजन उक्त सरकार की माँग पर ही किया जायगा ।

अनु० 93—प्रत्येक व्यक्ति को, जिसने किसी विदेशी शक्ति के विरुद्ध निजी युद्ध करने की धारणा से तैयारियाँ की हों या उसके लिए षड्यत्र किया

हो, तीन मास से लेकर पाँच वर्ष तक का कारावास का दण्ड दिया जायगा; किन्तु आत्म-प्रत्याख्यान करने पर दण्ड क्षमा कर दिया जायगा।

अनु० 94—प्रत्येक व्यक्ति को, जिसने दो विदेशी शक्तियो के युद्धकाल मे, तटस्थता के अध्यादेश का उल्लघन किया हो, अधिक से अधिक तीन वर्ष तक का कारावास या 1,000 येन तक का अर्थदण्ड दिया जायगा।

अध्याय 5

कार्यालयीय कार्यों में बाधा डालने के अपराध

"कोमु नो शिक्को वो बोगैसुरु त्सुमि"

अनु० 95—प्रत्येक व्यक्ति को, जिसने अपना कर्त्तव्य करते हुए किसी लोक कर्मचारी के विरुद्ध हिंसा या धमकी का प्रयोग किया हो, तीन वर्ष तक का कठोरश्रमकारावास या कारावास का दण्ड दिया जायगा।

यही उस प्रत्येक व्यक्ति के सबध मे लागू होगा जिसने किसी लोक कर्मचारी के विरुद्ध हिंसा या धमकी का प्रयोग, उससे कोई कार्रवाई कराने या किसी कार्रवाई से विमुख करने या उसे अपने पद से त्याग-पत्र दिलाने के अभिप्राय से किया हो।

अनु० 96—(1) प्रत्येक व्यक्ति को, जिसने किसी लोक कर्मचारी द्वारा अकित मुद्राओ या कुर्की के चिह्नो को नुकशान पहुँचाया हो या विनष्ट किया हो अथवा जिसने अन्य प्रकार से उन मुद्राओ या चिह्नो को व्यर्थ कर दिया हो, दो वर्ष तक का कठोरश्रमकारावास अथवा 300 येन तक का अर्थदण्ड दिया जायगा।

अनु० 96—(2) प्रत्येक व्यक्ति को, जिसने सपत्ति छिपा दिया हो, नुकसान किया हो, विनष्ट कर दिया हो अथवा अन्तरित कर देने का बहाना किया हो, अथवा अनिवार्य निष्पादन के परिहार के लिए किसी बाध्यतावश रखने का बहाना किया हो, दो वर्ष तक का कठोरश्रमकारावास अथवा 1,000 येन तक का अर्थदण्ड दिया जायगा।

अनु० 96—(3) प्रत्येक व्यक्ति को, जिसने किसी सार्वजनिक नीलामी या निविदा के सबध मे किसी कपटपूर्ण उपाय या प्रभाव से औचित्य के प्रतिकूल कोई कार्य किया हो, दो वर्ष तक का कठोरश्रमकारावास या 5,000 येन तक का अर्थदण्ड दिया जायगा।

यही उस व्यक्ति के सबध मे भी लागू होगा जिसने उचित मूल्यो को कम करने या अनुचित लाभ पाने के अभिप्राय से आपस में परामर्श किया हो।

अध्याय 6

निकल भागने (पलायन) के अपराध

"तोसो नो त्सुमि"

अनु० 97—प्रत्येक सिद्धदोष या असिद्धदोष बन्दी को, जो निकल भागे, एक वर्ष तक का कठोरश्रमकारावास दण्ड दिया जायगा।

अनु० 98—यदि कोई सिद्धदोष या असिद्धदोष बन्दी या व्यक्ति, जिसके विरुद्ध प्रस्तुति का अधिपत्र निष्पादित हो, निरोध-स्थान या बन्धन को तोडकर या हिंसा या धमकी देकर, या दो या अधिक व्यक्तियो के साथ कामत उपेक्षा करके निकल भागा हो, उसे तीन मास से लेकर पाँच वर्ष तक का कठोरश्रम-कारावास का दण्ड दिया जायगा।

अनु० 99–प्रत्येक व्यक्ति को, जो विधि या आदेश द्वारा निरोधित किसी अन्य व्यक्ति को छुडा लिया हो, तीन मास से लेकर पाँच वर्ष तक का कठोरश्रम-कारावास का दण्ड दिया जायगा।

अनु० 100—प्रत्येक व्यक्ति को, जिसन विधि या आदेश द्वारा निरोधित किसी अन्य व्यक्ति को निकल भगाने के अभिप्राय से ऐसे यत्र या साधन उपलब्ध किया हो, या उसके निकल भागने को सरल बनाने के अभिप्राय वाले अन्य प्रकार के कार्य किया हो, तीन वर्ष तक का कठोरश्रमकारावास या दण्ड दिया जायगा।

प्रत्येक व्यक्ति को जिसने पिछले परिच्छेद के अभिप्राय से हिंसा का प्रयोग किया हो या धमकी दी हो, तीन मास से लेकर पाँच वर्ष तक का कठोरश्रम-कारावास का दण्ड दिया जायगा।

अनु० 101—प्रत्येक व्यक्ति को, जो विधि या आदेश द्वारा स्थानबद्ध व्यक्तियो की देखभाल या वहन के लिए उत्तरदायी हो, और उसने, उन्हे निकल भागने दिया हो, एक वर्ष से लेकर दस वर्ष तक का कठोरश्रमकारावास दण्ड दिया जायगा।

अनु० 102—इस अध्याय के अपराधो के प्रयत्न भी दण्डनीय होगे।

अध्याय 7

अपराधियों को संश्रय देने एवं साक्ष्य के अधिलंघन के अपराध

"हन्निन् ज़ोतोकु ओयोबि शोको इन्मेत्सु नो त्सुमि"

अनु० 103—प्रत्येक व्यक्ति को, जिसने किसी ऐसे व्यक्ति को आश्रय दिया हो या उसकी तलाशी मे हस्तक्षेप किया हो या जिसने अर्थदण्ड या गुरुतर दण्ड द्वारा दण्डनीय अपराध किया हो अथवा जो निरोध की अवस्था मे निकल भागा हो, दो वर्ष तक का कठोरश्रमकारावास या 200 येन तक का अर्थदण्ड दिया जायगा।

अनु०104--प्रत्येक व्यक्ति को, जिसने किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध किसी आपराधिक अभियोग मे, साक्ष्य का दमन किया हो, जालसाज़ी किया हो अथवा उसे मिथ्या बनाया हो, अथवा जिसने जाली या मिथ्या साक्ष्य का प्रयोग किया हो, दो वर्ष तक का कठोरश्रमकारावास या 200 येन तक का अर्थदण्ड दिया जायगा।

अनु० 105—जब इस अध्याय का कोई अपराध अपराधी या फरार के किसी सबधी द्वारा अपराधी या फरार के लाभ के लिए किया जाय तो दण्ड क्षमा किया जा सकता है।

अध्याय 8

बलवे का अपराध

"सोजो नो त्सुमि"

अनु० 106—वे व्यक्ति, जो बडी सख्या मे एकत्र होकर हिंसा किये हो अथवा धमकी दिये हो, बलवे के अपराधी माने जायेगे और उन्हे निम्नलिखित वर्गीकरण के अनुसार दण्ड दिया जायगा·

(1) सरगना को एक वर्ष से लेकर दस वर्ष तक का कठोरश्रमकारावास या कारावास दण्ड;

(2) जिन्होंने दूसरो को निर्देश दिया या नेतृत्व किया एव अशाति फैलाई हो, उन्हें छ मास से लेकर सात वर्ष तक का कठोरश्रमकारावास या कारावास दण्ड,

(3) जिन्होने केवल अनुसरण किया हो, उन्हे 50 येन तक का अर्थदण्ड।

अनु० 107—उन व्यक्तियो मे से जो हिसक प्रयोग करने या धमकी देने के अभिप्राय से बडी सख्या मे एकत्र हुए हो एव लोक-कर्मचारियो द्वारा तीन या अधिक बार तितर-बितर होने के लिए आदेश दिए जाने पर भी नही हटे हो, सरगनो को तीन वर्ष तक का कठोरश्रमकारावास या कारावास एव अन्यो को 50 येन तक का अर्थ दण्ड दिया जायगा।

अध्याय 9

आग लगाने एवं उपेक्षावश जलाने के अपराध

"होका ओयोबि शिक्का नो त्सुमि"

अनु० 108—प्रत्येक व्यक्ति को, जिसने मानव-निवास के रूप में प्रयुक्त अथवा जिसमें व्यक्ति हो ऐसे भवन, रेलगाडी, बिजली की कार, जलयान, या कारावास खान को आग लगा कर जला दिया हो, प्राण-दण्ड या आजीवन-अथवा कम-से कम पॉच वर्ष तक का कठोरश्रम-कारावास का दण्ड दिया जायगा।

अनु० 109—प्रत्येक व्यक्ति को, जिसने किसी भवन, रेलगाडी, जलयान या खान को जिसका प्रयोग, उस समय मानव-निवास के रूप मे नही होता था, अथवा जिसमे आदमी नही थे, आग लगा कर जला दिया हो, कम से कम दो वर्ष का सीमित कठोरश्रमकारावास दण्ड दिया जायगा।

यदि पिछले परिच्छेद मे उल्लिखित वस्तुओ मे से कोई अपराधी की निजी सपत्ति रही हो तो उसे छः मास से लेकर सात वर्ष तक का कठोरश्रम-कारावास दण्ड दिया जायगा; किन्तु यदि कोई सार्वजनिक सकट न हुआ हो तो कोई दण्ड नही दिया जायगा।

अनु० 110—प्रत्येक व्यक्ति को, जिसने पिछले दो अनुच्छेदो मे उल्लिखित वस्तुओ के अतिरिक्त किसी वस्तु मे आग लगाकर जला दिया हो और उससे सार्वजनिक सकट उत्पन्न किया हो, एक वर्ष से लेकर दस वर्ष तक का कठोर-श्रमकारावास दण्ड दिया जायगा।

यदि पिछले परिच्छेद में उल्लिखित वस्तु अपराधी की निजी सपत्ति हो, तो उसे एक वर्ष तक का कठोर-श्रमकारावास दण्ड या 100 येन तक का अर्थदण्ड दिया जायगा।

अनु० 111—अनु० 109 परि० 2 या, पिछले अनुच्छेद के परि० 2 के अपराध-सपादन के फलस्वरूप यदि अनुच्छेद 108 या 109 परि० 1 मे

उल्लिखित वस्तुओ तक आग फैल गई हो और उन्हें जला दिया हो तो अपराधी को तीन मास से लेकर दस वर्ष तक का कठोरश्रमकारावास दण्ड दिया जायगा।

यदि पिछले अनुच्छेद के परि० 2 मे उल्लिखित अपराध के संपादन के फलस्वरूप आग फैल गई हो और पिछले अनुच्छेद के परि० 1 में उल्लिखित किसी वस्तु को जला दिया हो तो अपराधी को तीन वर्ष तक का कठोरश्रम-कारावास दण्ड दिया जायगा।

अनु० 112—अनु० 108 एवम् 109 परि० 1 के अपराधो के प्रयत्न भी दण्डनीय होगे।

अनु० 113—प्रत्येक व्यक्ति को, जिसने अनु० 108 या 109 परि० 1 में उल्लिखित अपराध को करने के अभिप्राय से तैयारियाँ की हो, दो वर्ष तक का कठोरश्रम-कारावास दण्ड दिया जायगा , किन्तु परिस्थितियो के अनुसार उसका दण्ड पूर्णत: क्षमा भी किया जा सकता है।

अनु० 114—प्रत्येक व्यक्ति को, जिसने किसी अग्निकाण्ड के अवसर पर आग बुझाने वाले यत्र को छिपा दिया हो, नुकसान पहुँचाया हो, (विनष्ट कर दिया हो) अथवा अन्य किसी तरह से आग बुझाने में बाधा पहुँचाई हो, एक वर्ष से लेकर दस वर्ष तक का कठोरश्रमकारावास दण्ड दिया जायगा।

अनु० 115—प्रत्येक व्यक्ति को, जिसने अनु० 109 परि० 1 एवं अनु० 110 परि० 1 मे उल्लिखित किसी वस्तु को जला दिया हो उसे दूसरे व्यक्ति की वस्तु जलाने वाले व्यक्ति के रूप मे व्यवहृत किया जायगा यदि उक्त वस्तु कुर्की के अन्दर हो, जिसका वास्तविक अधिकार निर्णीत न हो, किराए या पट्टे पर दी गई हो, या बीमाकृत हो, चाहे उक्त वस्तु अपराधी की ही क्यो न हो।

अनु० 116—प्रत्येक व्यक्ति को, जिसने असावधानी के कारण अनु० 108 या अनु० 109 मे उल्लिखित किसी वस्तु को जला दिया हो और जो अन्य व्यक्ति की सपत्ति हो, 1,000 येन तक का अर्थ दण्ड दिया जायगा।

यही नियम ऐसे प्रत्येक व्यक्ति के सबध मे भी लागू होगा जिसने अनु० 109 मे उल्लिखित किसी वस्तु को जो उसकी निजी सपत्ति हो, अथवा अनु० 110 मे उल्लखित किसी वस्तु को असावधानी के कारण जला दिया हो और उससे कोई सार्वजनिक संकट उत्पन्न कर दिया हो।

अनु० 117—(1) प्रत्येक व्यक्ति को, जिसने बारूद (gunpowder), भाप बायलर (steam-boiler) या अन्य किसी विस्फोटक वस्तु का विस्फोट किया हो और (उससे) अनु० 108 मे उल्लिखित किसी वस्तु या अनु० 109 मे उल्लिखित किसी वस्तु को नुकसान पहुँचाया हो या विनष्ट कर दिया हो, जो दूसरे व्यक्ति की सपत्ति रही हो, आग लगाने वाले की तरह ही दण्ड दिया जायगा। यही नियम ऐसे प्रत्येक व्यक्ति के सबध मे लागू होगा जिसने अनु० 109 या 110 में उल्लिखित किसी वस्तु को हानि पहुँचाया हो या विनष्ट किया हो जो उसकी निजी सपत्ति रही हो, और उससे कोई सार्वजनिक सकट उत्पन्न किया हो।

यदि पिछले परिच्छेद का कोई कृत्य असावधानी के कारण हो गया हो तो उसे असावधानी के कारण लगी हुई आग के कृत्य की तरह व्यवहृत किया जायगा।

अनु० 117–(2)—ऐसी दशा में जबकि अनु० 116 या पिछले अनु० के परि० 1 मे उल्लिखित कोई कृत्य, व्यावसायिक दृष्टि से आवश्यक सावधानी की उपेक्षावश या घोर उपेक्षा से हो गया हो तो अपराधी को तीन वर्ष तक का कारावास या 3,000 येन तक का अर्थ दण्ड दिया जायगा।

अनु० 118—प्रत्येक व्यक्ति को, जिसने गैस, बिजली या भाप को किसी छेद से निकलने दिया हो या बाहर प्रवाहित किया हो, या बन्द कर दिया हो और उससे दूसरो के जीवन, शरीर या सपत्ति को सकट उत्पन्न कर दिया हो, तीन वर्ष तक का कठोरश्रमकारावास या 100 येन तक का अर्थदण्ड दिया जायगा।

प्रत्येक व्यक्ति को, जिसने गैस, बिजली या भाप को किसी छेद से निकलने दिया हो, बाहर प्रवाहित किया हो, या बन्द कर दिया हो और उससे दूसरे को मार डाला हो या घायल किया हो, उपर्युक्त दण्ड एव घायल करने के दण्ड की तुलना मे जो गुरुतर दण्ड होगा दिया जायगा।

अध्याय 10

आप्लावन एवं जल के उपयोग से संबद्ध अपराध

"इस्सुइ ओयोबि सुइरी नि कन्सुरू त्सुमि"

अनु० 119—प्रत्येक व्यक्ति को, जिसने कोई आप्लावन (बाढ) किया हो और उससे किसी भवन, रेलगाडी, बिजली की कार या खान को जलमग्न कर

दिया हो या क्षति पहुँचाई हो जिसका उपयोग जन-आवास के रूप में होता हो या जिसमे व्यक्ति रहा हो (रहे हो), प्राण-दण्ड या आजीवन कारावास या कम से कम तीन वर्ष तक का कठोरश्रमकारावास का दण्ड दिया जायगा ।

अनु० 120—प्रत्येक व्यक्ति को, जिसने आप्लावन किया हो और उससे पिछले अनुच्छेद मे उल्लिखित से भिन्न वस्तुओ को जलमग्न किया हो या क्षति पहुँचाई हो और इस प्रकार कोई जन-सकट उपस्थित कर दिया हो, एक वर्ष से दस वर्ष तक का कठोरश्रमकारावास दण्ड दिया जायगा ।

यदि आप्लावन से क्षत वस्तु अपराधी की निजी सपत्ति हो तो पिछले अनुच्छेद का दण्ड केवल उसी दशा मे लागू होगा जबकि उक्त वस्तु कुर्की में हो, वास्तविक अधिकार के विवाद में हो, भाडे पर दी गई हो, पट्टे पर दी गई हो या बीमाकृत हो ।

अनु० 121—प्रत्येक व्यक्ति को, जिसने आप्लावन के समय उसे दूर करने मे उययोगी किसी वस्तु को छिपा दिया हो, क्षति पहुँचाई हो या नष्ट किया हो या किसी दूसरी तरह से आप्लावन के लिए प्रयुक्त क्रिया का निरोध किया हो, एक वर्ष से दस वर्ष तक का कठोरश्रमकारावास दण्ड दिया जायगा ।

अनु० 122—प्रत्येक व्यक्ति को, जिसने प्रमादवश कोई आप्लावन कर दिया हो और उससे अनु० 119 में लिखित किसी न किसी वस्तु को क्षति पहुँचाई हो या जिसने (उसी तरह) अनु० 120 मे लिखित किसी वस्तु को क्षति पहुँचाई हो एव उससे कोई जन-सकट उपस्थित किया हो, 300 येन तक का अर्थदण्ड दिया जायगा ।

अनु० 123—प्रत्येक व्यक्ति को, जिसन किसी भराव या बॉध को तोड दिया हो, किसी प्रणाल (मोरी) को नष्ट किया हो, या पानी के उपयोग को रोकने अथवा बाढ या आप्लावन करने के आशय से कोई अन्य कार्य किया हो, दो वर्ष तक का कठोरश्रमकारावास या कारावास अथवा 200 येन तक का अर्थदण्ड दिया जायगा ।

अध्याय 11

यातायात में अवरोध पहुँचाने से संबद्ध अपराध

"ओराइ वो बोगाइ-सुरु त्सुमि"

अनु० 124—प्रत्येक व्यक्ति को, जो स्थल या जल से किसी सड़क को हानि पहुँचा कर, नष्ट करके या अवरुद्ध करके या किसी पुल को तोड कर यातायात बाधित किया हो, दो वर्ष तक का कठोरश्रमकारावास या 200 येन तक का अर्थदण्ड दिया जायगा।

प्रत्येक व्यक्ति को, जिसने पिछले परिच्छेद के अपराध को करने मे किसी अन्य व्यक्ति को घायल किया हो या मार डाला हो, उक्त दण्ड एंव घायल करने के दण्ड की तुलना में गुरुतर दण्ड से दण्डित किया जायगा।

अनु० 125—प्रत्येक व्यक्ति को, जिसने रेलवे या उसके सिगनल (केतु, signal) को क्षति पहुँचाई हो या नष्ट किया हो या अन्य प्रकार से ट्रेन या बिजली की कार के यातायात को खतरा पैदा किया हो, कम से कम दो वर्ष तक के सीमित कठोरश्रमकारावास दण्ड दण्डित किया जायगा।

यही नियम उन व्यक्तियो के सबध मे भी लागू होगा जिन्होने किसी लाइट हाउस (lighthouse) या बोया (buoy) को नुकसान पहुँचाया हो या नष्ट किया हो अथवा दूसरी तरह से नौपरिवहन यातायात को खतरा पैदा किया हो।

अनु० 126—प्रत्येक व्यक्ति को, जिसने किसी रेलगाडी या बिजली की कार का, जिसमें आदमी रहे हो, स्थूलन (upset) किया हो, या नष्ट किया हो, आजीवन या कम से कम तीन वर्ष तक का कठोरश्रमकारावास दण्ड दिया जायगा।

यही नियम उस व्यक्ति के सबध में भी लागू होगा जिसने किसी जलयान को, जिसमें आदमी रहे हो, डुबो दिया हो या विनष्ट किया हो।

प्रत्येक व्यक्ति को, जिसने पिछले दो परिच्छेदो के अपराधो के करने में किसी अन्य व्यक्ति का प्राणान्त कर दिया हो, प्राण-दण्ड या आजीवन कठोरश्रमकारावास के दण्ड से दण्डित किया जायगा।

अनु० 127—प्रत्येक व्यक्ति को, जिसने अनु० 125 का अपराध किया हो और उससे किसी रेलगाडी या बिजली की कार का स्थूलन कर दिया हो या

किसी जलयान को डुबो दिया हो या विनष्ट कर दिया हो, पिछले अनुच्छेद मे विहित व्यवस्था के अनुसार व्यवहृत किया जायगा ।

अनु० 128—अनु० 124 परि० 1, अनु० 125, एव अनु० 126 परि० 1 और 2 मे निर्दिष्ट अपराधो के प्रयत्न भी दण्डनीय होगे ।

अनु० 129—प्रत्येक व्यक्ति को, जिसने असावधानी के कारण किसी रेलगाडी या बिजली की कार या जलयान-यातायात को खतरा पहुँचाया हो, या किसी रेलगाडी या बिजली की कार का स्थूलन किया हो या उन्हे विनष्ट किया हो या किसी जलयान को डुबो दिया हो या विनष्ट किया हो, अधिक से अधिक 500 येन तक का अर्थदण्ड दिया जाएगा ।

यदि पिछले परि० का कोई अपराधी यातायात के उपर्युक्त व्यापार में लगा हो, तो उसे तीन वर्ष तक का कारावास दण्ड या 1,000 येन तक का अर्थदण्ड दिया जाएगा ।

अध्याय 12

अतिचार (Trespass) के अपराध

"जुक्यो वो ओकसु त्सुमि"

अनु० 130—प्रत्येक व्यक्ति को, जिसने बिना किसी कारण के किसी वास-गृह या आरक्षित स्थान, भवन या जलयान का अतिचार किया हो या माँग करने पर ऐसे स्थान को छोड न दिया हो, अधिक से अधिक तीन वर्ष का कठोरश्रमकारावास दण्ड या 50 येन तक का अर्थदण्ड दिया जाएगा ।

अनु० 131—निकाल दिया गया ।

अनु० 132—अनु० 130 के अपराधो के प्रयत्न भी दण्डनीय होगे ।

अध्याय 13

गोपनीयता-उल्लंघन के अपराध

"हिमित्सु वो ओकसु त्सुमि"

अनु० 133—प्रत्येक व्यक्ति को, जिसने बिना किसी उचित कारण के किसी मुहरबन्द पत्र को खोल दिया हो, अधिक से अधिक एक वर्ष का कठोर-श्रमकारावास दड अथवा 200 येन तक का अर्थदण्ड दिया जायगा ।

अनु० 134—प्रत्येक व्यक्ति को, जो कोई काय-चिकित्सक, औषधकारक, औषधिनिर्माता, धात्री, वकील (विधिज्ञ), परामर्शदाता या लेख्यप्रमाणक (notary) हो या रह चुका हो तथा जिसने बिना किसी कारण के किसी अन्य व्यक्ति का कोई गोपनीय रहस्य खोल दिया हो, जो कि उसकी जानकारी मे अपने व्यवसाय के अनुसरण-सबधी किसी तथ्य से आया हो, अधिक से अधिक छ मास तक का कठोरश्रमकारावास या 100 येन तक का अर्थ दण्ड दिया जाएगा।

यही नियम प्रत्येक उस व्यक्ति के सबध मे भी लागू होगा जो किसी ऐसे व्यवसाय मे लगा हो या रह चुका हो, जो धर्म या आराधना से सबद्ध हो और जिसने किसी ऐसे व्यक्ति का रहस्य खोल दिया हो जो व्यक्ति उसकी जानकारी में अपने व्यवसाय के अनुसरण-सबन्धी किसी तथ्य से आया हो।

अनु० 135—इस अध्याय में निर्दिष्ट अपराध की कार्यवाही परिवाद (complaint) पर ही की जाएगी।

अध्याय 14

अफीम-तम्बाकू से संबद्ध अपराध

"अहेन-तबको नि कन्सुरु त्सुमि"

अनु० 136—प्रत्येक व्यक्ति को, जिसने अफीम-तम्बाकू का आयात किया हो, निर्माण या विक्रय किया हो या विक्रय के अभिप्राय से अपने पास रखा हो, छ. मास से सात वर्ष तक का कठोरश्रमकारावास का दण्ड दिया जाएगा।

अनु० 137—प्रत्येक व्यक्ति को, जिसने अफीम-तम्बाकू पीने के उपयोग में आने वाले किसी उपकरण का आयात, निर्माण या विक्रय किया हो, या विक्रय के अभिप्राय से अपने पास रखा हो, तीन मास से लेकर पाँच वर्ष तक का कठोरश्रमकारावास का दण्ड दिया जाएगा।

अनु० 138—कोई भी सीमा-शुल्क कर्मचारी जिसने अफीम-तम्बाकू अथवा अफीम-तम्बाकू पीने में उपयोगी किसी उपकरण का आयात किया हो या आयात की अनुज्ञा दी हो, उसे एक वर्ष से लेकर दस वर्ष तक का कठोर-श्रमकारावास का दण्ड दिया जाएगा।

अनु० 139—अफीम-तम्बाकू पीने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अधिक से अधिक तीन वर्ष तक का कठोरश्रमकारावास का दण्ड दिया जाएगा।

प्रत्येक व्यक्ति को, जिसने अपने लाभ के निमित्त अफीम पीने के लिए कोई स्थान प्रदान किया हो, छ मास से लेकर सात वर्ष तक का कठोरश्रम-कारावास का दण्ड दिया जायगा।

अनु० 140—प्रत्येक व्यक्ति को, जिसने अफीम तम्बाकू पीने का कोई उपकरण रखा हो, अधिक से अधिक एक वर्ष तक का कठोरश्रमकारावास का दण्ड दिया जायगा।

अनु० 141—इस अध्याय के अपराधो के प्रयत्न भी दण्डनीय होगे।

अध्याय 15

पेय जल से संबद्ध अपराध

"इन्‌रियोसुइ नि कन्‌-सुरु त्सुमि"

अनु० 142—प्रत्येक व्यक्ति को, जिसने जनता के पीने के शुद्ध जल को दूषित किया हो या उक्त जल को अनुपयोगी कर दिया हो, अधिक से अधिक छ. मास का कठोरश्रमकारावास या 50 येन तक का अर्थ दण्ड दिया जायगा।

अनु० 143—प्रत्येक व्यक्ति को, जिसने जनता को पीने के लिए जलघर या अन्य किसी स्रोत से सभृत (Supplied) शुद्ध जल को दूषित किया हो या उसे अनुपयोगी बना दिया हो, छ मास से लेकर सात वर्ष तक का कठोर-श्रमकारावास का दण्ड दिया जायगा।

अनु० 144—प्रत्येक व्यक्ति को, जिसने पीने के साफ पानी में विष या अन्य कोई जन-स्वास्थ्य को हानि पहुँचाने वाला पदार्थ मिला दिया हो, अधिक से अधिक तीन वर्ष तक का कठोरश्रमकारावास दण्ड दिया जायगा।

अनु० 145—प्रत्येक व्यक्ति को, जिसने पिछले तीन अनुच्छेदों मे निर्दिष्ट मे से किसी अपराध को किया हो और उससे किसी अन्य व्यक्ति को घायल किया हो या मार डाला हो, उक्त हत्या एव घायल करने के दण्ड की तुलना में जो गुरुतरतर दण्ड होगा, दिया जायगा।

अनु० 146—प्रत्येक व्यक्ति को, जिसने जलघर या अन्य स्रोत से जनता को पीने के लिए पहुँचाए जाने वाले शुद्ध जल मे विष या अन्य कोई हानिकारक पदार्थ मिला दिया हो, जिससे जन-स्वास्थ्य को हानि पहुँचे, कम से कम दो वर्ष का सीमित कठोरश्रमकारावास दण्ड दिया जायगा। यदि उसने उससे किसी का प्राण ले लिया हो तो उसे प्राण-दण्ड अथवा आजीवन या कम से कम पाँच वर्ष का कठोरश्रमकारावास का दण्ड दिया जायगा।

अनु० 147—प्रत्येक व्यक्ति को, जिसने जनता के पेय जल की साफ जल-नली (Water main) को नुकसान पहुँचाया हो, विनष्ट किया हो या अवरुद्ध किया हो, एक वर्ष से लेकर दस वर्ष तक का कठोरश्रमकारावास दण्ड दिया जायगा।

अध्याय 16

जाली सिक्के बनाने के अपराध

"त्सुक—गिजो नो त्सुमि"

अनु० 148—प्रत्येक व्यक्ति को, जिसने किसी चालू सिक्के, कागजी मुद्रा या बैंकनोट के बदले जाली सिक्के आदि चलाने के आशय से जाली बनाए हो, आजीवन या कम से कम तीन वर्ष का कठोरश्रमकारावास दण्ड दिया जायगा।

यही नियम प्रत्येक ऐसे व्यक्ति पर भी लागू होगा जिसने जाली सिक्के चलाए हो या सिक्का, कागजी मुद्रा या बैंकनोट में परिवर्तन कर दिया हो या इसे चलाने के अभिप्राय से वितरित किया हो या आयात किया हो।

अनु० 149—प्रत्येक व्यक्ति को, जिसने किसी विदेशी सिक्के, कागजी मुद्रा या बैंक-नोट को, जो इस देश मे परिचालित हो, चलाने के अभिप्राय से उसके बदले जाली तैयार किया हो या उसमे परिवर्तन किया हो, कम से कम दो वर्ष का सीमित कठोरश्रमकारावास दण्ड दिया जायगा।

यही (दण्ड) प्रत्येक उस व्यक्ति के सबन्ध में भी लागू होगा जिसने जाली या परिवर्तित सिक्के, कागजी मुद्रा या बैंक नोट आदि को चलाया हो या जिसने इसके परिचालन के अभिप्राय से इसे वितरित किया हो या इसका आयात किया हो।

अनु० 150—प्रत्येक व्यक्ति को, जिसने परिचालन के अभिप्राय से जाली या परिवर्तित सिक्का, कागजी मुद्रा, या बैंक नोट लिया हो, अधिक से अधिक तीन वर्ष तक का कठोरश्रमकारावास दण्ड दिया जायगा।

अनु० 151—पिछले तीन अनुच्छेदो मे लिखित अपराधो के प्रयत्न भी दण्डनीय होगे।

अनु० 152—प्रत्येक व्यक्ति को, जिसने जानबूझ कर जाली सिक्का, कागजी मुद्रा या बैंक नोट लेकर परिचालन के अभिप्राय से चलाया हो या वितरित किया हो, गुरु अर्थ-दण्ड या लघु अर्थ-दण्ड, जो 1 येन से लेकर उस सिक्के या कागजी मुद्रा या बैंक नोट के तीन गुने तक का होगा, दिया जायगा।

अनु० 153—प्रत्येक व्यक्ति को, जिसने जाल के आशय से जाली सिक्को, कागजी मुद्राओ या बैक नोटो के बनाने या बदलने में उपयोगी उपकरण (यन्त्र) या पदार्थ तैयार किए हो, तीन वर्ष से पाँच वर्ष तक का कठोरश्रमकारावास दण्ड दिया जायगा।

अध्याय 17

लेख्यों (दस्तावेजों) की जालसाजी के अपराध

"बुंशो-गिजो नो त्सुमि"

अनु० 154—प्रत्येक व्यक्ति को, जिसने चलाने (व्यवहृत करने) के अभिप्राय से किसी राज्य-लेख (Imperial rescript) या राज्य मुद्रा (Imperial Seal) या राज्य की महामुद्रा, (Great Seal of State) या सम्राट् के साइन मैनुअल (Imperial Sign Manual) के प्रयोग से अन्य लेख्यो की जालसाजी किया हो या किसी राज्य-लेख्य, राज्य-मुद्रा या सम्राट् के साइन मैनुअल के प्रयोग से जाली साम्राज्य मुद्रा या अन्य लेख्यो की जालसाजी किया हो, आजीवन या कम से कम तीन वर्ष का कठोरश्रमकारावास दण्ड दिया जायगा।

यही दण्ड ऐसे प्रत्येक व्यक्ति के सबन्ध में लागू होगा जिसने किसी राज्य-लेख या अन्य लेख्य में, जिस पर राज्य-मुद्रा (Imperial Seal) राज्य की महामुद्रा (Great seal of State) अथवा सम्राट् का साइन मैनुअल अङ्कित हो, हेर-फेर किया हो।

अनु० 155—प्रत्येक व्यक्ति को, जिसने चलाने के अभिप्राय से किसी लेख्य (document) या चित्राकन (drawing, map) की, जिसे कि विधानतः किसी लोक कार्यालय या लोक कर्मचारी द्वारा निर्मित होना चाहिए, उक्त कार्यालय या अधिकारी की मुहर या हस्ताक्षर के प्रयोग से, जालसाजी की हो, एक वर्ष से लेकर दस वर्ष तक का कठोरश्रमकारावास का दण्ड दिया जायगा।

यही दण्ड उस व्यक्ति के सबध मे भी लागू होगा जिसने किसी लेख्य (document) या मानचित्र (drawing, map) मे, जिसपर लोक-कार्यालय की मुहर या लोक-कर्मचारी का हस्ताक्षर हो, हेर-फेर किया हो।

पिछले दो परिच्छेदो के अन्दर आने वाली दशाओ के अतिरिक्त, प्रत्येक व्यक्ति को, जिसने किसी ऐसे लेख्य या मानचित्र की जालसाजी की हो जिसे

किसी लोक-कार्यालय या लोक-कर्मचारी द्वारा निर्मित होने चाहिए अथवा किसी लोक-कार्यालय या लोक-कर्मचारी द्वारा निर्मित किसी लेख्य या मान-चित्र मे हेर-फेर किया हो, अधिक से अधिक तीन वर्ष तक का कठोरश्रम-कारावास या 300 येन तक का अर्थदण्ड दिया जायगा ।

अनु० 156— प्रत्येक लोक-कर्मचारी को, जिसने चालू करने के अभिप्राय से तथा अपनी दफ्तरी कारवाई के सबन्ध में कोई जाली लेख्य या मानचित्र बनाया हो अथवा किसी लेख्य या मानचित्र मे हेरफेर किया हो, उसी रूप मे व्यवहृत किया जायगा जैसा कि पिछले दो अनुच्छेदो मे निर्दिष्ट है, अन्तर केवल उस पर मुहर या हस्ताक्षर के रहने या न रहने के अनुसार किया जायगा ।

अनु० 157—प्रत्येक ऐसे व्यक्ति को, जिसने किसी लोक-कर्मचारी के समक्ष कोई गलत विवरण दिया हो और उसके द्वारा किसी अधिकार या कर्त्तव्य से सबंद्ध प्रमाणित विलेख (authenticated deed) के मौलिक पत्र मे कोई गलत इन्दराज करा दिया हो, अधिक से अधिक पॉच वर्ष तक का कठोरश्रम-कारावास या 1,000 येन तक का अर्थदण्ड दिया जायगा ।

प्रत्येक ऐसे व्यक्ति को, जिसने किसी लोक-कर्मचारी के समक्ष असत्य विवरण दिया हो और उससे किसी अनुमति या अनुज्ञा-पत्र अथवा पारपत्र (passport) में गलत इन्दराज करा दिया हो, अधिक से अधिक एक वर्ष तक का कठोरश्रमकारावास अथवा 300 येन तक का अर्थदण्ड दिया जायगा।

पिछले दो परिच्छेदो मे निर्दिष्ट अपराधो के प्रयत्न भी दण्डनीय होगे ।

अनु० 158—प्रत्येक व्यक्ति को, जिसने पिछले चार अनुच्छेदो मे निर्दिष्ट किसी लेख्य या मान-चित्र को चलाया हो, वही दण्ड दिया जायगा जो उस व्यक्ति को दिया जाता, जिसने उक्त लेख्य या मानचित्र की जालसाजी की हो या उसमे हेरफेर किया हो या कोई मिथ्या लेख्य या मानचित्र बनाया हो या कोई गलत इन्दराज कराया हो ।

पिछले परिच्छेद मे निर्दिष्ट अपराध के प्रयत्न भी दण्डनीय होगे ।

अनु० 159—प्रत्येक ऐसे व्यक्ति को, जिसने चलाने के अभिप्राय से, किसी अधिकार, कर्त्तव्य या तथ्य के प्रमाणन से सबद्ध किसी लेख्य या मानचित्र की जालसाजी, किसी अन्य व्यक्ति के हस्ताक्षर या मुहर के प्रयोग से किया हो अथवा जिसने अधिकार, कर्त्तव्य या तथ्य के प्रमाणन से सबद्ध किसी लेख्य या मानचित्र की जालसाजी, अन्य व्यक्ति के जाली हस्ताक्षर या जाली मुहर के प्रयोग से किया

हो, तीन मास से लेकर पाँच वर्ष तक का कठोरश्रमकारावास का दण्ड दिया जायगा।

यही नियम प्रत्येक ऐसे व्यक्ति पर भी लागू होगा, जिसने किसी लेख्य या चित्र (मानचित्र) मे हेरफेर किया हो जो अधिकार, कर्त्तव्य या किसी तथ्य के सत्यापन से सबद्ध हो तथा जिस पर किसी अन्य व्यक्ति का हस्ताक्षर हो।

पिछले दो परिच्छेदो मे आने वाली दशाओ के अतिरिक्त, प्रत्येक व्यक्ति को, जिसने अधिकार, कर्तव्य या किसी तथ्य के प्रमाणन से सबद्ध लेख्य या चित्र (मानचित्र) की जालसाजी या उसमे हेर-फेर किया हो, अधिक से अधिक एक वर्ष तक का कठोरश्रमकारावास अथवा 100 येन तक का अर्थदण्ड दिया जायगा।

अनु० 160 - प्रत्येक ऐसे चिकित्सक को, जिसने किसी लोक-कार्यालय में प्रस्तुत करने के लिए किसी चिकित्सा-प्रमाणपत्र, शव-परीक्षा-प्रमाणपत्र या मृत्यु-प्रमाणपत्र मे गलत इन्दराज किया हो, अधिक से अधिक तीन वर्ष तक का कारावास या 500 येन तक का अर्थदण्ड दिया जायगा।

अनु० 161—प्रत्येक व्यक्ति को, जिसने पिछले दो अनुच्छेदो मे निर्दिष्ट लेख्य या चित्र (मानचित्र) को चलाया हो, वही दण्ड दिया जायगा जो लेख्य या चित्र (मानचित्र) की जालसाजी या उसमें हेर-फेर करने वाले या गलत इन्दराज करने वाले को विहित है।

पिछले अनुच्छेद मे निर्दिष्ट अपराधो के प्रयत्न भी दण्डनीय होगे।

अध्याय 18

मूल्यवान ऋणपत्रों (जमानतों) (Valuable Securities) की जालसाजी के अपराध

"युकशोकेन-गिजो नो त्सुमि"

अनु० 162—प्रत्येक व्यक्ति को, जिसने परिचालन के अभिप्राय से, किसी लोक-बन्धक, किसी लोक-कार्यालय के ऋणपत्र, किसी कम्पनी के अशप्रमाण-पत्र (Share certificate) या अन्य किसी मूल्यवान ऋणपत्र की जालसाजी या उसमे हेर-फेर किया हो, तीन मास से लेकर दस वर्ष तक का कठोरश्रम-कारावास का दण्ड दिया जायगा।

यही नियम उस व्यक्ति पर भी लागू होगा, जिसने चलाने के अभिप्राय से किसी मूल्यवान जमानत (Valuable Security) या ऋण-पत्र मे कोई गलत इन्दराज किया हो।

अनु० 163—प्रत्येक व्यक्ति को, जिसने किसी जाली या परिवर्तित मूल्यवान ऋणपत्र (जमानत) या ऐसे ऋणपत्र को चलाया हो जिसमें कोई गलत इन्दराज हुआ हो, या चालू करने के अभिप्राय से ऐसे ऋणपत्र को अन्य किसी को वितरित किया हो, या उसका आयात किया हो, तीन मास से लेकर दस वर्ष तक का कठोरश्रमकारावास दण्ड दिया जायगा।

पिछले परिच्छेद के अपराधो के प्रयत्न भी दण्डनीय होगे।

अध्याय 19

मुद्राओं (मुहरों) की जालसाजी के अपराध

"इन्शो-गिज़ो नो त्सुमि"

अनु० 164—परिचालन के अभिप्राय से, जाली राज्य-मुद्रा, राज्य की महामुद्रा या इम्पीरियल साइन मैनुएल का प्रयोग करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम दो वर्ष का सीमित कठोरश्रमकारावास दण्ड दिया जायगा।

यही दण्ड उस व्यक्ति पर भी लागू होगा जिसने राज्य-मुद्रा, राज्य की महा-मुद्रा या इम्पीरियल साइन मैनुएल का अनुचित प्रयोग किया हो, अथवा जिसने जाली राज्य-मुद्रा, राज्य की महामुद्रा या इम्पीरियल साइन मैनुएल का प्रयोग किया हो।

अनु० 165—परिचालन के अभिप्राय से, किसी लोक-कार्यालय की मुहर की जालसाजी करने वाले या लोक-कर्मचारी के जाली हस्ताक्षर करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को तीन मास से लेकर पॉच वर्ष तक का कठोरश्रमकारावास का दण्ड दिया जायगा।

यही दण्ड उस व्यक्ति के सबन्ध में भी लागू होगा, जिसने किसी लोक-कार्यालय की मुहर या लोक-कर्मचारी के हस्ताक्षर का अनुचित प्रयोग किया हो अथवा जिसने लोक-कार्यालय की जाली मुहर या लोक कर्मचारी के जाली हस्ताक्षर का प्रयोग किया हो।

अनु० 166—प्रयोग करने के अभिप्राय से, किसी लोक-कार्यालय के चिह्न (mark) की जालसाजी करने वाले व्यक्ति को अधिक से अधिक तीन वर्ष तक का कठोरश्रमकारावास दण्ड दिया जायगा ।

यही नियम उस व्यक्ति के सबन्ध में भी लागू होगा, जिसने लोक-कार्यालय के चिह्न (mark) का अनुचित प्रयोग किया हो अथवा जिसने लोक-कार्यालय के जाली चिह्न (Counterfeit mark) का प्रयोग किया हो ।

अनु० 167—प्रयोग करने के अभिप्राय से, किसी अन्य व्यक्ति के जाली हस्ताक्षर करने वाले या जाली मुहर को प्रयोग करने वाले व्यक्ति को अधिक से अधिक तीन वर्ष तक का कठोरश्रमकारावास दण्ड दिया जायगा ।

यही नियम उस व्यक्ति के सबन्ध मे भी लागू होगा, जिसने किसी दूसरे व्यक्ति की मुहर या हस्ताक्षर का अनुचित प्रयोग किया हो, या जिसने किसी दूसरे व्यक्ति की जाली मुहर या जाली हस्ताक्षर का प्रयोग किया हो ।

अनु० 168—अनु० 164 के परि० 2, अनु० 165 परि० 2, अनु० 166 परि० 2, तथा पिछले अनुच्छेद के परि० 2 में निर्दिष्ट अपराधो के प्रयत्न भी दण्डनीय होगे ।

अध्याय 20

मिथ्या शपथ के अपराध

"गिशो नो त्सुमि"

अनु० 169—प्रत्येक साक्षी को, जिसे समुचित विधान के अन्तर्गत शपथ दिलाया गया हो और जिसने मिथ्या साक्ष्य दिया हो, तीन मास से लेकर दस वर्ष तक का कठोरश्रमकारावास दण्ड दिया जायगा ।

अनु० 170—पिछले अनुच्छेद मे निर्दिष्ट अपराध को करनेवाला व्यक्ति यदि अन्तिम निर्णय होने के पहले अथवा उसके द्वारा प्रमाणित वाद (Case) में अनुशासनीय कार्रवाई हो जाने के पहले प्रत्याख्यान (denounce) कर दे तो उसका दण्ड कम या क्षमा किया जा सकता है ।

अनु० 171—प्रत्येक विशेषज्ञ साक्षी या व्याख्याता (दुभाषिया) को, जिसे समुचित विधान के अन्तर्गत शपथ दिलाया गया हो, और जिसने कोई गलत विशेष मत दिया हो अथवा गलत व्याख्या की हो, वही दण्ड दिया जायगा जो पिछले दो अनुच्छेदो मे विहित है ।

अध्याय 21

मिथ्या अभियोग के अपराध

"फुकोकु नो त्सुमि"

अनु० 172—प्रत्येक व्यक्ति को, जिसने अन्य व्यक्ति पर आपराधिक या आनुशासनिक दण्ड आरोपित कराने के अभिप्राय से गलत सूचना दी हो, वही दण्ड दिया जायगा जो अनु० 169 में विहित ह ।

अनु० 173—पिछले अनुच्छेद में निर्दिष्ट अपराध करने वाला व्यक्ति, यदि उस वाद के सबध में, जिसमे उसने गलत सूचना दी हो, निर्णय के अटल होने अथवा अनुशासनीय कार्रवाई किए जाने के पहले ही प्रत्याख्यान कर दे तो उसका दण्ड हल्का या क्षमा किया जा जा सकता है ।

अध्याय 22

अश्लीलता, बलात्कार तथा द्विपत्नीत्व के अपराध

"वैसेत्सु, कनिन ओयोबि जुकोन नो त्सुमि"

अनु० 174—प्रत्येक व्यक्ति को, जिसने सार्वजनिक रूप से कोई अश्लील कृत्य किया हो अधिक से अधिक छ मास तक का कठोरश्रमकारावास, या 500 येन तक का अर्थ दण्ड या दाण्डिक निरोध या लघु अर्थ दण्ड दिया जायगा ।

अनु० 175—प्रत्येक व्यक्ति को, जिसने किसी अश्लील पुस्तक (लेख), चित्र या अन्य वस्तु का वितरण या विक्रय किया हो या सार्वजनिक रूप से उसका प्रदर्शन किया हो, अधिक से अधिक दो वर्ष तक का कठोरश्रमकारावास या 5,000 येन तक का अर्थदण्ड या लघु अर्थदण्ड दिया जायगा । यही दण्ड उस व्यक्ति पर भी लागू होगा जो विक्रय के अभिप्राय से उक्त वस्तुओ को अपने पास रखे हो ।

अनु० 176—प्रत्येक व्यक्ति को, जिसने बलात् या धमकी देकर कम से कम तेरह वर्ष के किसी नर या नारी के साथ कोई अभद्र कृत्य किया हो, छः मास से लेकर सात वर्ष तक का कठोरश्रमकारावास दण्ड दिया जायगा । यही नियम उस व्यक्ति के साथ भी लागू होगा जिसने तेरह वर्ष से कम आयु के लडके या लड़की के साथ अभद्र कृत्य (indecent act) किया हो ।

अनु० 177—प्रत्येक व्यक्ति, जिसने बलात् या धमकी देकर कम से कम तेरह वर्ष की किसी औरत के साथ सभोग किया हो, बलात्कार (rape) का

अपराधी होगा और उसे कम से कम दो वर्ष तक का सीमित कठोरश्रमकारावास दण्ड दिया जायगा। यही नियम उस व्यक्ति के सबध मे भी लागू होगा जिसने तेरह वर्ष से कम आयु वाली लडकी के साथ सभोग किया हो।

अनु० 178—प्रत्येक व्यक्ति को, जिसने दूसरो की चेतनाहानि (loss of consciousness) या प्रतिरोध की असमर्थता (inability to resist) का अनुचित लाभ लेते हुए अथवा दूसरे को चेतनाहीन या प्रतिरोध करने में असमर्थ बनाकर उसके साथ कोई अभद्र कृत्य (indecent act) या सभोग किया हो, उसी रूप में व्यवहृत किया जायगा जैसा कि पिछले दो अनुच्छेदों में विहित है।

अनु० 179—पिछले तीन अनुच्छेदो मे निर्दिष्ट अपराधो के प्रयत्न भी दण्डनीय होगे।

अनु० 180—पिछले चार अनुच्छेदो के अपराधो को केवल परिवाद पर ही अभियोजित किया जायगा।

अनु० 181—प्रत्येक व्यक्ति को, जिसने अनु० 176 से अनु० 179 मे निर्दिष्ट अपराधो मे से किसी के करने मे किसी दूसरे व्यक्ति की हत्या कर दी हो या उसे घायल कर दिया हो, आजीवन या कम से कम तीन वर्ष का कठोरश्रमकारावास दण्ड दिया जायगा।

अनु० 182—प्रत्येक व्यक्ति को, जिसने लाभ उठाने के अभिप्राय से, किसी ऐसी महिला को जो स्वभावत लम्पट न हो, अनूढा-गमन (fornication) करने को अभिप्रेरित किया हो, अधिक से अधिक तीन वर्ष तक का कठोरश्रम-कारावास अथवा 500 येन तक का अर्थदण्ड दिया जायगा।

अनु० 183—निकाल दिया गया।

अनु० 184—किसी विवाहित व्यक्ति को, जिसने अन्य विवाह की सविदा की हो, दो वर्ष तक का कठोरश्रम-कारावास का दण्ड दिया जायगा। यही नियम ऐसे द्विविवाह से सबद्ध दूसरे पक्ष पर भी लागू होगा।

अध्याय 23

जुआ खेलने तथा लाटरी से संबद्ध अपराध

"तोबकु ओयोबि तोमिकुजि नि कन्सुरु त्सुमि"

अनु० 185—प्रत्येक व्यक्ति को, जिसने सयोग पर आधृत किसी विषय पर जुआ खेला हो या अपनी सपत्ति दाव पर रख दिया हो, अधिक से अधिक

1,000 येन तक का अर्थदण्ड या लघु अर्थदण्ड दिया जायगा; किन्तु यह उस दशा मे नही लागू होगा जब कि दाव क्षणिक मनोरजन के लिए अभिप्रेत हो।

अनु० 186—प्रत्यक व्यक्ति को, जो नियमित अभ्यास के रूप मे जुआ खेलने या पण (दाव) लगाने मे आसक्त हो, अधिक से अधिक तीन वर्ष तक का कठोरश्रमकारावास दण्ड दिया जायगा।

प्रत्येक व्यक्ति को, जिसने कोई द्यूत-गृह खोल रखा हो या जुआडियो को एकत्र किया हो और उससे लाभ उठाया हो, तीन मास से लेकर पाँच वर्ष तक का कठोरश्रम कारावास दण्ड दिया जायगा।

अनु० 187—प्रत्येक व्यक्ति को, जिसने लाटरी टिकट बेचा हो, अधिक से अधिक दो वर्ष तक का कठोरश्रमकारावास या 3,000 येन तक का अर्थदण्ड दिया जायगा।

प्रत्येक व्यक्ति को, जिसने लाटरी टिकट के विक्रय मे मध्यस्थ (अभिकर्ता, एजेण्ट) का काम किया हो, अधिक से अधिक एक वर्ष तक का कठोरश्रम-कारावास या 2,000 येन तक का अर्थदण्ड दिया जायगा।

प्रत्येक व्यक्ति को, जिसने, पिछले दो परिच्छेदो में अन्तर्भूत दशाओ के अतिरिक्त, कोई लाटरी टिकट दिया हो या लिया हो, अधिक से अधिक 3,000 येन तक का अर्थदण्ड या लघु अर्थदण्ड दिया जायगा।

अध्याय 24

पूजा-स्थानों एवं समाधियों से संबद्ध अपराध

"रेइहैशो ओयोबि फुन्बो नि कन्-सुरु त्सुमि"

अनु० 188—प्रत्येक व्यक्ति को, जो किसी **शिन्तो**-चैत्य, **बौद्ध**-मन्दिर, कब्रिस्तान या किसी अन्य पूजा-स्थल के प्रति सार्वजनिक रूप से कोई अपमान-जनक कार्य किया हो, अधिक से अधिक एक वर्ष तक का कारावास या कठोरश्रम-कारावास या 100 येन तक का अर्थदण्ड दिया जायगा।

अनु० 189—प्रत्येक व्यक्ति को, जिसने किसी समाधि (कब्र) से शव-उत्खनन किया हो, अधिक से अधिक दो वर्ष तक का कठोरश्रम-कारावास का दण्ड दिया जायगा।

अनु० 190—प्रत्येक व्यक्ति को, जिसने किसी शव, अवशेषो, या मृत व्यक्ति के केशो या शव-पेटिका (coffin) मे प्रदत्त किसी वस्तु को क्षति पहुँचाया हो, नष्ट कर दिया हो, परित्यक्त कर दिया हो, या अधिकार में कर लिया हो, अधिक से अधिक तीन वर्ष तक का कठोरश्रमकारावास दण्ड दिया जायगा।

अनु० 191—प्रत्येक व्यक्ति को, जिसने अनु० 189 मे निर्दिष्ट अपराध किया हो और किसी शव, अवशेष, मृत व्यक्ति के केश, या शव-पेटिका में प्रदत्त किसी अन्य वस्तु को, क्षति पहुँचाया हो, नष्ट किया हो, या परित्यक्त किया हो, तीन मास से लेकर पाँच वर्ष तक का कठोरश्रमकारावास दण्ड दिया जायगा।

अनु० 192—प्रत्येक व्यक्ति को, जिसने किसी अस्वाभाविक रूप से मृत व्यक्ति की शव-परीक्षा कराए बिना ही दफना दिया हो, अधिक से अधिक 50 येन तक का अर्थदण्ड या कोई लघु अर्थदण्ड दिया जायगा।

अध्याय 25

कार्यालयीय भ्रष्टाचार के अपराध

"तोकुशोकु नो त्सुमि"

अनु० 193—प्रत्येक लोक-कर्मचारी को, जिसने अपने अधिकार का अनुचित प्रयोग किया हो और किसी व्यक्ति से वैसा कार्य कराया हो, जिसे करने के लिए वह बाध्य न हो अथवा उसे अपने समुचित अधिकार के प्रयोग करने से रोका हो, अधिक से अधिक दो वर्ष तक का कठोरश्रमकारावास या कारावास का दण्ड दिया जायगा।

अनु० 194—न्यायिक, आभियोगिक या पुलिस के कृत्य में सहायता पहुँचाते हुए अथवा उसको कार्यान्वित करते हुए प्रत्येक व्यक्ति को, जिसने अपने अधिकारो का अनुचित प्रयोग करके किसी व्यक्ति को बन्दी कर लिया हो या निरुद्ध कर लिया हो, छ. मास से लेकर दस वर्ष तक का कठोरश्रमकारावास या कारावास का दण्ड दिया जायगा।

अनु० 195—न्यायिक, आभियोगिक या पुलिस के कार्य में सहायता पहुँचाते हुए या उसे कार्यान्वित करते हुए प्रत्येक व्यक्ति को, जिसने अपने कर्तव्य के पालन में किसी आपराधिक अभियुक्त या अन्य व्यक्ति के प्रति कोई हिंसा या

क्रूरता का कार्य किया हो, अधिक से अधिक सात वर्ष तक का कठोरश्रम-कारावास या कारावास का दण्ड दिया जायगा ।

यही दण्ड उस व्यक्ति के सबध में भी लागू होगा, जिसने विधि या अध्यादेश द्वारा परिरुद्ध किसी व्यक्ति के प्रति जिसकी वह रखवाली कर रहा हो या न्यायार्थ ले जा रहा हो, हिसा या क्रूरतापूर्ण कार्य किया हो ।

अनु० 196—प्रत्येक व्यक्ति को, जिसने पिछले दो अनुच्छेदो में निर्दिष्ट कोई अपराध किया हो और उससे किसी अन्य व्यक्ति की हत्या की हो या घायल किया हो, घायल करने के दण्ड एव उक्त दण्ड की तुलना मे प्राप्त गुरुतर दण्ड दिया जायगा ।

अनु० 197—यदि किसी लोक-कर्मचारी या विवाचक (मध्यस्थ) ने अपने कर्त्तव्य के सबन्ध मे उत्कोच (घूस) लिया हो, मॉगा हो या लेने की प्रतिज्ञा की हो तो उसे अधिक से अधिक तीन वर्ष तक का कठोरश्रमकारावास दण्ड दिया जायगा; यदि याचना के बाद स्वीकार किया हो तो उसे पॉच वर्ष तक का कठोरश्रमकारावास दण्ड दिया जायगा ।

उस दशा मे जबकि किसी व्यक्ति ने, लोक-कर्मचारी या विवाचक होने के अभिप्राय से अपने कर्तव्य के सबन्ध मे, याचना की स्वीकृति पर, उत्कोच लिया हो या उसकी मॉग की हो तो उसे, जब वह लोक-कर्मचारी या विवाचक होता है, अधिक से अधिक तीन वर्ष तक का कठोरश्रमकारावास दण्ड दिया जायगा ।

अनु० 197–(2)—उस दशा मे जब कि किसी लोक-कर्मचारी या विवाचक ने अपने कर्तव्य के सबन्ध में किसी तीसरे पक्ष को, प्रार्थना की स्वीकृति पर घूस देने के लिए प्रेरित किया हो, मॉग किया हो या प्रतिज्ञा की हो तो उसे अधिक से अधिक तीन वर्ष तक का कठोरश्रमकारावास का दण्ड दिया जायगा ।

अनु० 197–(3)—उस दशा मे जब कि कोई लोक-कर्मचारी या विवाचक पिछले दो अनुच्छेदो में निर्दिष्ट अपराधो को करने के बाद कोई अनुचित कार्य करता है या कोई उचित कार्य छोड देता (नही करता) है, उसे कम से कम एक वर्ष का सीमित कठोरश्रमकारावास दण्ड दिया जायगा ।

यही नियम उस दशा में भी लागू होगा जब कि किसी लोक-कर्मचारी या विवाचक ने अपने कर्तव्य-पालन में किसी अनुचित कार्य के किए जाने या उचित कार्य के छोड देने के सबध मे घूस लिया हो, मॉगा हो या लेने की प्रतिज्ञा की हो अथवा किसी तीसरे पक्ष को देने के लिए प्रेरित किया हो, मॉग की हो या प्रतिज्ञा की हो ।

उस दशा मे, जब कि कोई व्यक्ति लोक-कर्मचारी या विवाचक रहा हो और जिसने अपने कार्यकाल मे, प्रार्थना की स्वीकृति पर, किसी अनुचित कार्य के करने या उचित कार्य के न करने के सबध मे घूस लिया हो, माँगा हो या लेने की प्रतिज्ञा की हो तो उसे अधिक से अधिक तीन वर्ष तक का कठोरश्रमकारावास दण्ड दिया जायगा ।

अनु० 197-(4)—अभियुक्त द्वारा या परिस्थितियो के ज्ञान रखने वाले किसी तीसरे पक्ष द्वारा लिया गया घूस जब्त कर लिया जायगा; उस दशा मे जब कि घूस का पूरा या कोई भाग जब्त न हो सके तो उसके बराबर की अतिरिक्त मुद्रा वसूल कर ली जायगी ।

अनु० 198--प्रत्येक व्यक्ति को, जिसने अनु० 197 से 197-(3) तक के अनुच्छेदो मे निर्दिष्ट घूस किसी लोक-कर्मचारी या विवाचक को दिया हो, निवेदन किया हो या देना स्वीकार किया हो, अधिक से अधिक तीन वर्ष तक का कठोरश्रमकारावास या 5,000 येन तक का अर्थदण्ड दिया जायगा ।

यदि पिछले परिच्छेद के अपराधो का कोई अभियुक्त अपना प्रत्याख्यान कर दिया हो तो उसका दण्ड हल्का या क्षमा कर दिया जायगा ।

अध्याय 26

मानव-वध के अपराध

"सत्सुजिन नो त्सुमि"

अनु० 199—प्रत्येक व्यक्ति को, जिसने किसी अन्य व्यक्ति को मार डाला हो, प्राण-दण्ड या आजीवन या कम से कम तीन वर्ष का कठोरश्रम-कारावास दण्ड दिया जायगा ।

अनु० 200—प्रत्येक व्यक्ति को, जिसने अपने किसी पूर्वपुरुष या अपने विवाहित जोडे के पूर्वपुरुष को मार डाला हो, प्राण-दण्ड या आजीवन कठोरश्रमकारावास दण्ड दिया जायगा ।

अनु० 201—प्रत्येक व्यक्ति को, जिसने पिछले दो अनुच्छदो में निर्दिष्ट अपराधो मे से किसी एक को करने के अभिप्राय से तैयारी की हो, अधिक से अधिक दो वर्ष तक का कठोरश्रमकारावास दण्ड दिया जायगा, किन्तु परि-स्थितियों के अनुसार, उसका दण्ड क्षमा भी किया जा सकता है ।

अनु० 208—प्रत्येक व्यक्ति को, जिसने किसी अन्य व्यक्ति पर शस्त्र-प्रयोग किया हो किन्तु घायल न कर पाया हो, दो वर्ष तक का कठोरश्रमकारावास या 5०० येन तक का अर्थदण्ड, दाण्डिक निरोध या लघु अर्थदण्ड दिया जाएगा।

अध्याय 28

अनवधानता से घायल करने के अपराध

"कशित्सु—शोगाइ नो त्सुमि"

अनु० 20९—प्रत्येक व्यक्ति को जिसने असावधानी के कारण अन्य व्यक्ति को चोट पहुँचाई हो, अधिक से अधिक 500 येन तक का अर्थदण्ड या कोई लघु अर्थदण्ड दिया जाएगा।

पिछले परिच्छद के अपराध का अभियोजन परिवाद पर ही किया जाएगा।

अनु० 210—प्रत्येक व्यक्ति को, जिससे असावधानी के कारण किसी अन्य व्यक्ति की हत्या हो गई हो, अधिक से अधिक 1,000 येन तक का अर्थदण्ड दिया जाएगा।

अनु० 211—प्रत्येक व्यक्ति को, जो अपेक्षित व्यावसायिक सावधानी न कर सका हो और उसने किसी अन्य व्यक्ति की हत्या कर दी हो या घायल किया हो, अधिक से अधिक तीन वर्ष तक का कारावास या 1,000 येन तक का अर्थदण्ड दिया जाएगा। यही नियम उस व्यक्ति के सबध मे भी लागू होगा जिसने घोर उपेक्षावश अन्य व्यक्ति को मृतक बना दिया हो या चोट पहुँचाया हो।

अध्याय 29

गर्भपात का अपराध

"दताई नो त्सुमि"

अनु० 212—गर्भवती स्त्री को, जिसने औषधि या अन्य प्रयोगो से अपने गर्भ को गिराया हो, अधिक से अधिक एक वर्ष तक का कठोरश्रमकारावास दण्ड दिया जायगा।

अनु० 213—प्रत्येक व्यक्ति को, जिसने किसी स्त्री की प्रार्थना पर या उसकी सम्मति से गर्भपात कराया हो, अधिक से अधिक दो वर्ष तक का कठोर-

श्रमकारावास का दण्ड दिया जायगा। यदि उस (गर्भपात) से वह मर जाय या घायल हो जाय तो उसका दण्ड तीन मास से लेकर पाँच वर्ष तक का कठोरश्रमकारावास होगा।

अनु॰ 214—किसी भी वैद्य, दाई, औषधकारक या ड्रगिष्ट को, जिसने किसी स्त्री का गर्भपात, उसकी प्रार्थना पर या उसकी सम्मति से कराया हो, तीन मास से लेकर पाँच वर्ष तक का कठोरश्रमकारावास का दण्ड दिया जायगा। यदि इस (गर्भपात) से वह मर जाय या घायल हो जाय तो दण्ड छ मास से लेकर सात वर्ष तक का कठोरश्रमकारावास होगा।

अनु॰ 215—प्रत्येक व्यक्ति को, जिसने किसी स्त्री का गर्भपात, बिना उसकी प्रार्थना पर या बिना सम्मति से कराया हो, छ मास से लेकर सात वर्ष तक का कठोरश्रमकारावास का दण्ड दिया जायगा।

पिछले परिच्छेद मे लिखित अपराध का प्रयत्न भी दण्डनीय होगा।

अनु॰ 216—प्रत्येक व्यक्ति को, जिसने पिछले अनुच्छेद मे निर्दिष्ट अपराध किया हो और उससे उसने किसी स्त्री की हत्या कर दी हो या चोट पहुँचाई हो तो उक्त दण्ड एव चोट पहुँचाने के दण्ड की तुलना करने पर जो गुरुतर दण्ड होगा, वही दिया जायगा।

अध्याय 30

अभित्याग के अपराध

"इकि नो त्सुमि"

अनु॰ 217—प्रत्येक व्यक्ति को, जिसने सहायता की अपेक्षा के समय, अन्य व्यक्ति का अभित्याग, वृद्धता, बालकपन, कुरूपता या रोग के कारण कर दिया हो, अधिक से अधिक एक वर्ष तक का कठोरश्रमकारावास का दण्ड दिया जाएगा।

अनु॰ 218—प्रत्येक व्यक्ति को, जिसने किसी वृद्ध, बालक, कुरूप या रुग्ण व्यक्ति का, जिसकी उसे रक्षा करनी चाहिए, अभित्याग कर दिया हो या उक्त व्यक्ति को जीवित रहने के लिये अपेक्षित सरक्षण प्रदान करने में असमर्थ रहा हो, तीन मास से लेकर पाँच वर्ष तक का कठोरश्रमकारावास का दण्ड दिया जाएगा।

यदि यह अपराध अपराधी के किसी वशीय पूर्वज या उसके विवाहित जोड़े मे से किसी के प्रति किया गया हो तो अपराधी को छ मास से लेकर सात वर्ष तक का कठोरश्रमकारावास का दण्ड दिया जाएगा।

अनु० 219—प्रत्येक व्यक्ति को, जिसने पिछले दो अनुच्छेदो में निर्दिष्ट मे से किसी अपराध को करके किसी व्यक्ति को मार डाला हो या चोट पहुँचाया हो, उक्त दण्ड एव चोट पहुँचाने के दण्ड की तुलना में जो गुरुतर दण्ड होगा, दिया जाएगा।

अध्याय 31

(अवैध) बन्दीकरण एवं परिरोध के अपराध

"तइहो आयोबि कन्किन् नो त्सुमि"

अनु० 220—प्रत्येक व्यक्ति को, जिसने किसी अन्य व्यक्ति को अवैध रूप से बन्दी कर लिया हो या परिरुद्ध कर लिया हो, तीन मास से लेकर पॉच वर्ष तक का कठोरश्रमकारावास का दण्ड दिया जाएगा। यदि यह अपराध अपराधी के किसी वशीय पूर्वज या उसके विवाहित जोड़े में से किसी के प्रति किया गया हो तो अपराधी को छ मास से लेकर सात वर्ष तक का कठोरश्रम-कारावास का दण्ड दिया जाएगा।

अनु० 221—प्रत्येक व्यक्ति को, जिसने पिछले अनुच्छेद में निर्दिष्ट अपराध को करने मे किसी व्यक्ति को मार डाला हो या चोट पहुँचाया हो, तो उक्त अपराध एव चोट पहुँचाने के अपराध की तुलना मे जो गुरुतर दण्ड होगा, वही दिया जाएगा।

अध्याय 32

अभित्रास के अपराध

"क्योहकु नो त्सुमि"

अनु० 222—प्रत्येक व्यक्ति को, जिसने अन्य व्यक्ति को, उसके जीवन, शरीर, स्वतन्त्रता, ख्याति या सपत्ति को हानि पहुँचाने की धमकी दी हो, अधिक से अधिक दो वर्ष तक का कठोरश्रमकारावास या 500 येन तक का अर्थदण्ड दिया जाएगा।

यही नियम उन व्यक्तियो के सबध में भी लागू होगा जिन्होने अन्य व्यक्ति को उसके सबन्धी के जीवन, शरीर, स्वतन्त्रता या ख्याति या सपत्ति को हानि पहुँचाने की धमकी दी हो ।

अनु० 223—प्रत्येक व्यक्ति को, जिसने अन्य व्यक्ति को उसके जीवन शरीर, स्वतंत्रता, ख्याति या सपत्ति की हानि पहुँचाने की धमकी दी हो, या अन्य व्यक्ति के प्रति बल-प्रयोग किया हो और इस (बल प्रयोग) से उस व्यक्ति द्वारा ऐसा कार्य कराया हो जिसके लिए वह बाध्य न हो, अथवा उसे किसी उचित अधिकार से वचित किया हो, अधिक से अधिक तीन वर्ष तक का कठोरश्रमकारावास का दण्ड दिया जाएगा ।

यही नियम उन व्यक्तियो के सबध मे भी लागू होगा जिन्होने अन्य व्यक्ति को, उसके सबन्धी के जीवन, शरीर, स्वतत्रता, ख्याति या सपत्ति को हानि पहुँचाने की धमकी दी हो, या उससे एसा कार्य कराया हो जिसे करने को वह बाध्य न हो, अथवा उसे किसी उचित अधिकार से वचित किया हो ।

पिछले दो परिच्छेदों में निर्दिष्ट अपराधो के प्रयत्न भी दण्डनीय होगे ।

अध्याय 33

हरण एवं अपहरण के अपराध

"रियकुशु ओयोबि युकाइ नो त्सुमि"

अनु० 224—प्रत्येक व्यक्ति को, जिसने किसी अवयस्क का हरण या अपहरण किया हो, तीन मास से लेकर पॉच वर्ष तक का कठोरश्रमकारावास का दण्ड दिया जाएगा ।

अनु० 225—प्रत्येक व्यक्ति को, जिसने लाभ लेने, अश्लील आचरण करने या विवाह करने के अभिप्राय से अन्य व्यक्ति का हरण या अपहरण किया हो, एक वर्ष से लेकर दस वर्ष तक का कठोरश्रमकारावास का दण्ड दिया जाएगा ।

अनु० 226—प्रत्येक व्यक्ति को, जिसने अन्य व्यक्ति का हरण या अपहरण, जापान राज्य के बाहर निर्यात करने के अभिप्राय से, किया हो, कम से कम दो वर्ष का सीमित कठोरश्रम-कारावास का दण्ड दिया जाएगा ।

यही नियम उस व्यक्ति के सबध में भी लागू होगा जिसने अन्य व्यक्ति को, जापान राज्य के बाहर निर्यात के लिए बेंचा या खरीदा हो, तथा उन व्यक्तियो के सबध मे भी, जिन्होने ऐसे हृत, अपहृत या विक्रीत (बेचे गए) व्यक्ति का जापान राज्य के बाहर निर्यात किया हो।

अनु० 227—प्रत्येक व्यक्ति को, जिसने उस व्यक्ति को सहायता पहुँचाने के अभिप्राय से, जिसने पिछले तीन अनुच्छेदो में निर्दिष्ट मे से कोई अपराध किया हो, किसी हृत, अपहृत या बेचे गए व्यक्ति को रखा हो, छिपा दिया हो या उसकी तलाशी में हस्तक्षेप किया हो, तीन मास से लेकर पॉच वर्ष तक का कठोरश्रमकारावास का दण्ड दिया जाएगा।

प्रत्येक व्यक्ति को, जिसने लाभ लेने या अश्लील आचरण के अभिप्राय से, किसी हरण किए गए, अपहृत (भगाए गए) या बेचे गए व्यक्ति को छुडा लिया हो, छ. मास से लेकर दस वर्ष तक का कठोरश्रमकरावास का दण्ड दिया जाएगा।

अनु० 228—इस **अध्याय** मे निर्दिष्ट अपराधो के प्रयत्न भी दण्डनीय होंगे।

अनु० 229—अनु० 226 के अपराध, अनु० 226 के अपराधी को सहायता देने के अभिप्राय से किया गया अनु० 227 परि० 1 का अपराध तथा इन अपराधो के प्रयत्न के अतिरिक्त इस **अध्याय** के अपराध यदि लाभ लेने के अभिप्राय से न किए गए हों तो उनका अभियोजन परिवाद पर ही किया जाएगा, किन्तु उस दशा मे जब कि अपहरण किया गया (kidnapped) भगाया गया (abducted) या बेचा गया (sold) व्यक्ति अपराधी से विवाह कर ले तो कोई वैध परिवाद (valid complaint) तब तक नही किया जा सकता जब तक कि उक्त विवाह को अकृत और शून्य (रद्द) घोषित करने वाला कोई अन्तिम निर्णय न हो जाए।

अध्याय 34

ख्याति के विरुद्ध अपराध

"मेइयो नि तइसुरु त्सुमि"

अनु० 230—प्रत्येक व्यक्ति को, जिसने ऐसे तथ्यो के खुले आम अभिकथन द्वारा जिनके सत्यासत्य का निश्चय न हो, किसी अन्य व्यक्ति की ख्याति को

हानि पहुँचाया हो, तीन वर्ष तक का कठोरश्रमकारावास या सामान्य कारावास अथवा 1,000 येन तक का अर्थदण्ड दिया जाएगा ।

किसी भी मृत-व्यक्ति की ख्याति को हानि पहुँचाने वाले व्यक्ति को तब दण्डित नही किया जाएगा जब तक कि उक्त हानि असत्य रूप से न की गई हो।

अनु० 230–(2)—जब पिछले अनुच्छेद के परिच्छेद 1 के कार्य को, जनहित एव जनता के लाभ सवर्धन के एकमात्र उद्देश्य से सबद्ध तथ्यो के अभियोजन मे किया गया समझा जाएगा तो उक्त अपराध दण्डनीय नही होगा, यदि तथ्यो की छान-बीन मे उक्त कार्य की सत्यता सिद्ध हो जाए ।

पिछले परिच्छेद मे निर्दिष्ट उपबन्ध के विनियोग मे, किसी अपराध-कार्य से सबद्ध तथ्यो को, जो कार्य कि उस व्यक्ति द्वारा सपादित हो जो उस विषय मे अभियोजित न किया गया हो, सार्वजनिक हित से सबद्ध तथ्य के रूप में समझा जाएगा ।

जब पिछले अनुच्छेद के परि० 1 का कार्य, किसी लोक-कर्मचारी या किसी निर्वाचकीय लोक-कार्यालय के उम्मीदवार के विषय से सबद्ध तथ्यो के अभि-योजन में किया गया हो तो उक्त कार्य दण्डनीय नही होगा, यदि छानबीन होने पर उक्त कार्य की सत्यता सिद्ध हो चुकी हो ।

अनु० 231—प्रत्येक व्यक्ति को, जिसने किसी व्यक्ति को बिना तथ्यो के अभियोजन के ही सार्वजनिक रूप से अपमानित किया हो, दाण्डिक निरोध या लघु अर्थदण्ड दिया जाएगा ।

अनु० 232—इस **अध्याय** के सभी अपराधो पर कार्यवाही परिवाद पर ही की जाएगी ।

यदि परिवाद का करने वाला सम्राट् (Emperor) सम्राज्ञी (Empress) विधवा महा सम्राज्ञी (Grand Empress Dowager) या विधवा सम्राज्ञी (Empress Dowager) या सम्राजीय उत्तराधिकारी (Imperial Heir) हो तो परिवाद प्रधानमन्त्री को उसकी तरफ से करना होगा; और यदि परिवाद-कर्ता कोई विदेशी अधिराज (Sovereign) या राष्ट्रपति (President) हो तो उसका प्रतिनिधि इसे उसकी तरफ से करेगा ।

अध्याय 35

साख एवं व्यवसाय के प्रति अपराध

"शिन्यो ओयोबि ग्योमु नि तैसुरु त्सुमि"

अनु० 233—प्रत्येक व्यक्ति को, जिसने किसी व्यक्ति की साख या व्यवसाय को, गलत विवरण के प्रसार या जाली दाव-पेच द्वारा हानि पहुँचाया हो या रोक दिया हो, तीन वर्ष तक का कठोरश्रम कारावास या 1,000 येन तक का अर्थदण्ड दिया जाएगा।

अनु० 234—प्रत्येक व्यक्ति को, जिसने अपने प्रभाव द्वारा अन्य व्यक्ति के व्यवसाय में हस्तक्षेप किया हो, पिछले अनुच्छेद में विहित रूप मे व्यवहृत किया जाएगा।

अध्याय 36

चोरी और लूट के अपराध

"सेत्तो ओयोबि गोतो नो त्सुमि"

अनु० 235—प्रत्येक व्यक्ति, जिसने अन्य व्यक्ति की सपत्ति चुरा ली हो, चोरी का अपराधी होगा और उसे अधिक से अधिक दस वर्ष तक का कठोरश्रम कारावास का दण्ड दिया जाएगा।

अनु० 236—प्रत्येक व्यक्ति, जिसने अन्य व्यक्ति की सपत्ति जबरदस्ती, बलप्रयोग या धमकी द्वारा ले ली हो, लूट का अपराधी होगा और उसे कम से कम पाँच वर्ष का सीमित कठोरश्रमकारावास का दण्ड दिया जाएगा।

यही नियम, जैसा कि पिछले परिच्छेद मे लिखित है, उन सभी व्यक्तियो के सबध में भी लागू होगा जिन्होने अन्य किसी से अवैध आर्थिक लाभ लिया हो या लेने के लिए किसी को प्रेरित किया हो।

अनु० 237—प्रत्येक व्यक्ति को, जिसने लूटने के अभिप्राय से, लूट के लिए तैयारियाँ की हो, दो वर्ष तक का कठोरश्रमकारावास का दण्ड दिया जाएगा।

अनु० 238—प्रत्येक चोर, जिसने कोई सपत्ति चुराकर, उस चुराई हुई सपत्ति की पुन प्राप्ति को रोकने, बन्दीकरण से बचने या अपराध के चिन्हो को लुप्त करने के लिए बल-प्रयोग किया हो या धमकी दी हो, लूट का अपराधी होगा।

अनु० 239—प्रत्येक व्यक्ति, जिसने अन्य व्यक्ति की सपत्ति को, उसे बेहोशी (मूर्छा) मे करके चुरा लिया हो, लूट का अपराधी होगा।

अनु० 240—यदि किसी लुटेरे ने किसी व्यक्ति को घायल किया हो तो उसे आजीवन या कम से कम सात वर्ष का कठोरश्रमकारावास का दण्ड दिया जाएगा; यदि उसने किसी की हत्या कर डाली हो तो उसे प्राण-दण्ड या आजीवन कठोरश्रमकारावास का दण्ड दिया जाएगा।

अनु० 241—यदि किसी लुटेरे ने किसी स्त्री के साथ बलात्कार किया हो तो उसे आजीवन या कम से कम सात वर्ष तक का कठोरश्रमकारावास का दण्ड दिया जाएगा।

अनु० 242—इस **अध्याय** के अपराधो से सबद्ध व्यवस्थाओं (उपबन्धो) के विनियोग में वह सपत्ति जो किसी लोक-कार्यालय के आदेशानुसार किसी व्यक्ति के अधिकार मे हो या उसकी देखभाल मे हो, उसी व्यक्ति की मानी जाएगी चाहे उस पर भले ही दूसरे का स्वामित्व हो।

अनु७ 243—अनुच्छेद 235, 236 तथा 238 से 241 तक के अनुच्छेदो के अपराधों के प्रयत्न भी दण्डनीय होगें।

अनु० 244—अनुच्छेद 235 के अपराध का या उसके प्रयत्न का दण्ड, जो कि अपराधी द्वारा अपने वशीय रक्त-सबन्धी, विवाहित जोड़े, या उसी घर में साथ रहने वाले किसी सबन्धी के विरुद्ध किया गया हो, क्षमा कर दिया जाएगा; किन्तु यदि अपराध अन्य सबन्धियो के विरुद्ध किया गया हो तो उसकी कार्यवाही परिवाद पर ही की जाएगी।

पिछले परिच्छेद की व्यवस्था, उन सयुक्त अपराधियों के संबंध मे लागू नही होगी, जो सबन्धी न हो।

अनु० 245—इस **अध्याय** के अपराधो से सबद्ध की प्रयुक्ति मे बिजली को संपत्ति माना जायगा।

अध्याय 37

धोखेबाजी (Fraud) और भयादोहन (Blackmail; दबाव से ऐंठने) के अपराध

"सगि ओयोबि क्योकत्सु नो त्सुमि"

अनु० 246—दूसरे व्यक्ति को धोखा देनेवाले और उस धोखे से उसकी सपत्ति ले लेनेवाले प्रत्येक व्यक्ति को दस वर्ष तक का कठोरश्रमकारावास का दण्ड दिया जाएगा।

यही व्यवस्था उस व्यक्ति के सबध में भी लागू होगी जिसने पिछले परिच्छेद के ढग से कोई अवैध आर्थिक लाभ लिया हो या लेने के लिए प्रेरित किया हो।

अनु० 247—प्रत्येक व्यक्ति को, जिसने दूसरे व्यक्ति के लिये व्यवसाय का प्रबन्ध करने में, अपने या किसी तीसरे के अभीष्ट सपादन या अपने स्वामी की हानि करने के अभिप्राय से अपने कर्त्तव्योल्लघन का कोई काम किया हो और उससे अपने स्वामी की आर्थिक हानि की हो, पाँच वर्ष तक का कठोरश्रम-कारावास या 1,000 येन तक का अर्थदण्ड दिया जाएगा।

अनु० 248—प्रत्येक व्यक्ति को, जिसने किसी अल्पवयस्क की अपरिपक्व बुद्धि या किसी व्यक्ति के निर्बल मस्तिष्क का अनुचित लाभ उठाते हुए उसकी सपत्ति ले लिया हो या अवैध आर्थिक लाभ लिया हो या किसी तीसरे पक्ष से ऐसा करवाया हो, दस वर्ष तक का कठोरश्रम-कारावास का दण्ड दिया जाएगा।

अनु० 249—प्रत्येक व्यक्ति को, जिसने किसी व्यक्ति को आतकित करके उसे अपनी सपत्ति देने को बाध्य किया हो, दस वर्ष तक का कठोरश्रमकारावास का दण्ड दिया जाएगा।

यही नियम उस व्यक्ति के सबध में भी लागू होगा जिसने पिछले परिच्छद के ढग से किसी से स्वय अवैध आर्थिक लाभ लिया हो या किसी तीसरे पक्ष को लेने के लिए उकसाया हो।

अनु० 250—इस **अध्याय** के अपराधो के प्रयत्न भी दण्डनीय होंगे।

अनु० 251—अनुच्छेद 242, 244 तथा 245 की व्यवस्थाएँ, यथोचित परिवर्तन के साथ, इस **अध्याय** के पअराधों के सबध में भी लागू होगी।

अध्याय 38

छलपूर्ण विनियोजन के अपराध

"ओर्यो नो त्सुमि"

अनु० 252—प्रत्येक व्यक्ति को, जिसने अपने पास मे रखी हुई दूसरे व्यक्ति की किसी वस्तु को, अपने प्रयोग मे विनियुक्त कर (लगा) लिया हो, पॉच वर्ष तक का कठोरश्रमकारावास का दण्ड दिया जाएगा।

यही व्यवस्था उस व्यक्ति के सबध मे भी लागू होगी जिसने अपनी उस वस्तु को विनियुक्त कर लिया हो, जिसको अधिकार मे रखने के लिए उसे किसी लोक-कार्यालय द्वारा आदेश मिला हो।

अनु० 253—प्रत्येक व्यक्ति को, जिसने अपने प्रयोग के लिए अपने व्यवसाय (व्यापार) के सिलसिले में, अधिकार मे रखी हुई किसी दूसरे की वस्तु को विनियुक्त कर लिया हो, दस वर्ष तक का कठोरश्रमकारावास का दण्ड दिया जाएगा।

अनु० 254—प्रत्येक व्यक्ति को, जिसने अपने प्रयोग के लिए, किसी खोई हुई वस्तु, हवा या पानी द्वारा स्वय एकत्रित कोई वस्तु या सपत्ति जिसका कोई स्वामी न हो, विनियुक्त कर लिया हो, एक वर्ष तक का कठोरश्रमकारावास या 100 येन तक का अथवा कोई लघु अर्थदण्ड दिया जाएगा।

अनु० 255—अनु० 244 की व्यवस्थाएँ, यथोचित परिवर्तन के साथ, इस अध्याय के अपराधो के सबध मे भी लागू होगी।

अध्याय 39

चोरी के मालों से संबद्ध अपराध

"ज़ोबुत्सु नि कन्-सुरु त्सुमि"

अनु० 256—प्रत्येक व्यक्ति को, जिसने (जानबूझकर) चोरी का माल ग्रहण किया हो, तीन वर्ष तक का कठोरश्रमकारावास का दण्ड दिया जाएगा।

प्रत्येक व्यक्ति को, जिसने चोरी के मालो का (जानबूझकर) परिवहन किया हो, उन्हें अपने पास रखने के लिए जमा किया हो, खरीदा हो या इनके निर्वर्तन (disposal) में दलाल का काम किया हो, दस वर्ष तक का कठोर-श्रमकारावास तथा 1,000 येन तक का अर्थदण्ड दिया जाएगा।

अनु० 257—पिछले अनुच्छेद के अपराध का दण्ड क्षमा कर दिया जाएगा, यदि वह अपराध वशीय रक्त-सबन्धियो, विवाहित जोडे या साथ रहनेवाले संबन्धियो तथा दम्पति के बीच होगा ।

पिछले परिच्छेद की व्यवस्था, उस सह-अपराधी के सबध मे लागू नहीं होगी, जो सबन्धी न हो ।

अध्याय 40

विनाश (Destruction) एवं छिपाने (Concealment) के अपराध

"किकि ओयोबि इन्तोकु नो त्सुमि"

अनु० 258 – प्रत्येक व्यक्ति को, जिसने किसी लोक-कार्यालय के उपयोग में आने वाले किसी प्रलेख (document) को विनष्ट कर दिया हो, तीन मास से लेकर सात वर्ष तक का कठोरश्रमकारावास का दण्ड दिया जायगा ।

अनु० 259—प्रत्येक व्यक्ति को, जिसने अन्य व्यक्ति के अधिकारो या दायित्वो से सबद्ध प्रलेख (document) को नष्ट कर दिया हो, पॉच वर्ष तक का कठोरश्रम-कारावास का दण्ड दिया जाएगा ।

अनु० 260—प्रत्येक व्यक्ति को, जिसने अन्य व्यक्ति के भवन या जलयान को हानि पहुँचाई हो या नष्ट कर दिया हो, पॉच वर्ष तक का कठोरश्रम-कारावास का दण्ड दिया जाएगा । यदि ऐसा करने मे उसने किसी व्यक्ति की हत्या कर दी हो या घायल कर दिया हो, तो उसे उक्त अपराध एव घायल करने के अपराध की तुलना में जो गुरुतर दण्ड होगा वही दिया जाएगा ।

अनु० 261—प्रत्येक व्यक्ति को, जिसने पिछले तीन अनुच्छेदों में उल्लिखित वस्तुओ से भिन्न कोई वस्तु नुकसान कर दी हो, विनष्ट कर दिया हो या अन्य किसी तरह से उसे व्यर्थ (useless) कर दिया हो, तीन वर्ष तक का कठोरश्रमकारावास या 500 येन तक का अर्थदण्ड या कोई लघु अर्थ-दण्ड दिया जाएगा ।

अनु० 262—पिछले तीन अनुच्छेदो के दण्ड उस व्यक्ति के सबध में भी लागू होगे जिसने अपनी वस्तु को भी, जो कुर्की मे हो, जिसके वास्तविक

अधिकारी का निश्चय न हो, या भाडे (पट्टे) पर दी गई हो, नुकशान किया हो, विनष्ट किया हो या दूसरे ढग से अनुपयोगी बना दिया हो ।

अनु० 263—प्रत्येक व्यक्ति को, जिसने अन्य व्यक्ति के पत्र को छिपा लिया हो, छ मास तक का कठोरश्रमकारावास या सामान्य कारावास या 50 येन तक का अर्थदण्ड या कोई लघु अर्थदण्ड दिया जाएगा ।

अनु० 264—अनुच्छेद 259, 261 तथा पिछले अनुच्छेद के अपराधो का अभियोजन केवल परिवाद पर ही किया जाएगा ।

दण्ड-प्रक्रिया संहिता

(1948 विधि क्र० 260 तथा 1949 के विधि क्र० 116 द्वारा सशोधित, 1948 का विधि क्र० 131)

पहला खण्ड

समान्य उपबन्ध

अनु० 1—आपराधिक अभियोगो (cases) के सबध मे, इस विधि का उद्देश्य, सार्वजनिक कल्याण के सधारण तथा हर व्यक्ति के मानवीय मूल अधिकारो के संरक्षण को पूर्णरूपेण निष्पन्न करते हुए, अभियोगो के सच्चे तथ्यो को स्पष्ट करना तथा आपराधिक विधियों एव अध्यादेशो को, यथोचित एव यथाशीघ्र, प्रयुक्त एव सिद्ध करना है।

अध्याय 1

न्यायालयों का अधिकार-क्षेत्र

अनु० 2—न्यायालयो के प्रादेशिक अधिकार-क्षेत्र का निर्णय अपराध के घटनास्थल द्वारा, या अभियुक्त के अधिवास या निवास-स्थान द्वारा या उस स्थान द्वारा किया जाएगा जहाँ अभियुक्त वर्तमान समय में रह रहा हो।

जापान की सीमा के बाहर जापानी जलयान पर किए गए अपराध के सबध में, प्रादेशिक अधिकार-क्षेत्र का निर्णय, पिछले परिच्छेद मे उल्लिखित स्थानो के साथ ही उक्त जलयान के देश-पत्तन के स्थान द्वारा या उस स्थान द्वारा किया जाएगा जहाँ उक्त जलयान अपराध की घटना के ठीक बाद लगर डाला हो।

अनु० 3—यदि विविध न्यायालयो के वास्तविक अधिकार-क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले विविध परस्पर सबद्ध अभियोग हो तो उन पर सामूहिक रूप से कोई उच्चतर न्यायालय अपना अधिकार-क्षेत्र कार्यान्वित करेगा।

यदि किसी **उच्च न्यायालय** के विशेष अधिकार-क्षेत्र के अन्दर आने वाले अभियोग तथा अन्य अभियोग परस्पर सबद्ध हों तो उच्च न्यायालय सामूहिक रूप से उन सभी पर अपना अधिकार-क्षेत्र प्रयुक्त करेगा।

अनु० 4—यदि किसी उच्चतर न्यायालय मे लम्बित विविध न्यायालयों के वास्तविक अधिकार-क्षेत्र के अन्दर आने वाले विविध संबद्ध अभियोगो के साथ कोई ऐसा अभियोग हो जिसका, उच्चतर न्यायालय, अन्यो के साथ सामूहिक रूप से निर्णय देना आवश्यक समझे तो वह उसे, एक व्यवस्था (ruling) द्वारा, किसी अधिकार-क्षेत्र सपन्न निम्न न्यायालय में अन्तरित कर सकता है।

अनु० 5—जब किसी उच्चतर न्यायालय एव निम्न न्यायालय मे अनेक सबद्ध अभियोग (cases) विविध रूप से लम्बित हो, उच्चतर न्यायालय वास्तविक अधिकार क्षेत्र का बिना विचार किए हुए ही, एक व्यवस्था (ruling) द्वारा, निम्न न्यायालय के अधिकार-क्षेत्र मे आने वाले अभियोग पर भी, सामूहिक रूप से, निर्णय दे सकता है।

जब किसी **उच्च न्यायालय** के विशेष अधिकार-क्षेत्र के अन्दर आने वाले अभियोग किसी **उच्च न्यायालय** में लम्बित हो और उल्लिखित अभियोगो से सबद्ध अभियोग किसी अवर न्यायालय में लम्बित हो तो **उच्च न्यायालय,** एक व्यवस्था (ruling) द्वारा, अवर न्यायालय के अधिकार-क्षेत्र के अदर आने वाले अभियोगो पर भी, सामूहिक रूप से, निर्णय दे सकता है।

अनु० 6—जब विविध न्यायालयो के प्रादेशिक क्षेत्राधिकार के अदर आने वाले अनेक अभियोग (cases) परस्पर सबद्ध हो तो वह न्यायालय जिसके अधिकार-क्षेत्र मे एक भी अभियोग आता हो, अन्य अभियोगो पर भी, सामूहिक रूप से, अपना अधिकार-क्षेत्र प्रयुक्त कर सकता है। तथापि, वह न्यायालय उन अभियोगो पर अपना अधिकार-क्षेत्र प्रयुक्त नही कर सकता, जो अन्य विधियो की व्यवस्थाओ (Provisions) के अनुसार किसी विशेष न्यायालय के अधिकार-क्षेत्र मे आते हो।

अनु० 7—यदि किसी एक न्यायालय मे लम्बित, विविध न्यायालयो के प्रादेशिक अधिकार-क्षेत्र के अदर आने वाले अनेक परस्पर सबद्ध अभियोगो के साथ कोई ऐसा अभियोग हो जिसका वह न्यायालय अन्यो के साथ, सामूहिक रूप से निर्णय देना आवश्यक समझता हो तो वह, एक व्यवस्था (ruling) द्वारा उसे अन्य न्यायालय मे अन्तरित कर सकता है, जिसके अधिकार-क्षेत्र मे वह अभियोग आता हो।

अनु० 8—जब वास्तविक अधिकार-क्षेत्र के विषय मे अनुरूप विविध न्यायालयो में अनेक परस्पर सबद्ध अभियोग अनेकश. लम्बित हों तो वह

न्यायालय, किसी लोक-समाहर्ता (Public Procurator) या अभियुक्त के समावेदन (motion) पर, किसी व्यवस्था (ruling) द्वारा, यह निर्णय दे सकता है कि वे किसी न्यायालय में एकत्र कर दिए जाएँ।

यदि पिछले परिच्छेद की स्थिति मे, विविधि न्यायालयो की व्यवस्थाएँ (rulings) एकमत न हो तो उक्त सभी न्यायालयो को अधिकार-क्षत्र में रखने वाला अन्य आसन्न उच्चतर न्यायालय, किसी लोकसमाहर्ता या अभियुक्त की प्रार्थना पर, एक व्यवस्था (ruling) के आधार पर, यह निर्णय दे सकता है कि उक्त सभी अभियोग किसी एक न्यायालय मे एकत्र कर दिए जाएँ।

अनु० 9—दो या अधिक अभियोग निम्नलिखित दशाओ मे परस्पर सबद्ध होते हैं;

(1) जहाँ कि एक ही व्यक्ति द्वारा अनेक अपराध किए गए हो;

(2) जब कि अनेक व्यक्ति सामूहिक रूप से कोई एक अपराध किए हो या अलग-अलग अपराध किए हो।

(3) जहाँ दुरभिसधि में कार्य करने-वाले अनेक मे से हर व्यक्ति पृथक्-पृथक् अपराध करता है।

अपराधी को आश्रय देने, साक्ष्य के विनष्ट करने, शपथ लेकर मिथ्या-साक्ष्य देने, मिथ्या विशेष-साक्ष्य या मिथ्या-व्याख्या के अपराध तथा असद् रूप से प्राप्त वस्तुओ से सबद्ध अपराधो तथा, पक्षान्तर मे, प्रधान अपराधी द्वारा किए गए अपराध को सामूहिक रूप से किया गया माना जाएगा।

अनु० 10—जब एक ही अभियोग, वास्तविक अधिकार-क्षेत्र की दृष्टि से भिन्न विविध न्यायालयो मे लम्बित हो तो इसका निर्णय किसी उच्चतर न्यायालय द्वारा किया जाएगा।

उच्चतर न्यायालय, किसी लोक-समाहर्ता या अभियुक्त के समावेदन (motion) पर एक व्यवस्था (ruling) द्वारा उक्त अभियोग को किसी अधिकार-क्षेत्र-सपन्न न्यायालय को निर्णय के लिए उद्युक्त कर सकता है।

अनु० 11—जब एक ही अभियोग, समान वास्तविक अधिकार-क्षेत्र वाले विभिन्न न्यायालयो मे लम्बित हो तो उक्त अभियोग का निर्णय उस न्यायालय द्वारा किया जायगा जहाँ लोक-कार्यवाही सर्वप्रथम की गई हो।

ऐसे सभी न्यायालयों को अपने अधिकार-क्षेत्र से प्रभावित करने वाला अन्य आसन्न उच्चतर न्यायालय, किसी लोक-समाहर्ता या अभियुक्त के समावेदन

(motion) पर एक व्यवस्था (ruling) द्वारा, अन्य न्यायालय को उस अभियोग के निर्णय के लिए उद्युक्त कर सकता है, जहाँ लोक-कार्यवाही बाद में की गई हो।

अनु० 12—तथ्यो के प्रकटीकरण की आवश्यकता के अनुसार कोई न्यायालय अपने अधिकार-क्षेत्र के अन्दर आनेवाले जिले के बाहर भी अपने कार्य कर सकता है।

पिछले परिच्छेद की व्यवस्थाएँ (provisions) राजादिष्ट न्यायाधीशो के सबध में, यथोचित परिवर्तन के साथ, लागू होंगी।

अनु० 13—न्यायालयों के अधिकार-क्षेत्र में न आने के कारण कार्यवाहियाँ प्रभाव शून्य नही होगी।

अनु० 14—अविलम्बिता (urgency) की दशा में, कोई भी न्यायालय अधिकार-क्षेत्र संपन्न न होते हुए भी, तथ्यो के प्रकटीकरण के लिए आवश्यक उपाय प्रयोग में ला सकता है।

पिछले परिच्छेद की व्यवस्थाएँ (provisions) राजादिष्ट न्यायाधीशो के सबध में, यथोचित परिवर्तन के साथ, लागू होगी।

अनु० 15—निम्नलिखित दशाओं में कोई लोक-समाहर्ता, अधिकार-क्षेत्र-सपन्न न्यायालय के निश्चय से सबद्ध सभी प्रथम न्यायालयो को अपने अधिकार-क्षेत्र से प्रभावित करने वाले किसी आसन्न उच्चतर न्यायालय को समावेदन प्रस्तुत कर सकता है :

(1) जब कि क्षमताशील न्यायालय की क्षमता का निर्धारण जिला-विषयक सीमाओ के स्पष्टत निर्दिष्ट न होने के कारण न हो सके;

(2) जब कि उस अभियोग को अपने अधिकार-क्षेत्र में रखने वाला अन्य कोई न्यायालय न हो, जिसके विषय में किसी न्यायालय को अधिकार-क्षेत्र से रहित घोषित करने वाला कोई निर्णय अन्तत बन्धनकारी न हो गया हो।

अनु० 16—जब कि विधानत. अधिकार-क्षेत्र-सपन्न कोई न्यायालय न हो, अथवा ऐसे न्यायालय का निश्चय असभव हो गया हो, तो **महासमाहर्ता** (Procurator General) अधिकार-क्षेत्र सपन्न न्यायालय के नामनिर्देशन करने के लिए, **उच्चतम न्यायालय** को प्रार्थना (समावेदन) प्रस्तुत करेगा।

अनु० 17—लोक-समाहर्ता, निम्नलिखित दशाओ में, अधिकार-क्षेत्र में परिवर्तन (न्याय-स्थल के परिवर्तन) कराने के किए, आसन्न उच्चतर न्यायालय को प्रावेदन प्रस्तुत करेगा ·

(1) जब कि किसी वैध कारणवश, या विशेष परिस्थितिवश, क्षमताशील न्यायालय न्यायिक शक्ति के प्रयोग में असमर्थ हो;

(2) जब कि जिले के स्थानीय मनोभाव के कारण, कार्यवाहियो की परिस्थिति या अन्य परिस्थिति के कारण, यह भय हो कि विचारण (trial) की निष्पक्षता की रक्षा नही हो सकती।

पिछले परिच्छेद के प्रत्येक प्रभाग में अवेक्षित अभियोग के सबन्ध में, अभियुक्त भी अधिकार-क्षेत्र के परिवर्तन (न्याय-स्थल के परिवर्तन) के लिए प्रावेदन प्रस्तुत कर सकता है।

अनु० 18—जब अपराध के स्वरूप के कारण, जिले के स्थानीय मनोभाव के कारण, या अन्य परिस्थिति-वश लोक-शान्ति भंग होने का भय हो तो यदि अभियोग अधिकार-क्षेत्र-सपन्न न्यायालय में अवेक्षित होनेवाला हो तो भी **महा-समाहर्ता**, उस अभियोग को अन्य न्यायालय में अन्तरित कर देने के लिए उच्चतम न्यायालय को प्रावेदन प्रस्तुत करेगा।

अनु० 19—अभियुक्त, लोक-समाहर्ता या पदेन लोक-समाहर्ता की प्रार्थना पर कोई न्यायालय, यदि उचित समझे तो एक व्यवस्था (ruling) द्वारा, अभियोग को, समवर्ती वास्तविक क्षेत्राधिकार-सपन्न क्षमताशील न्यायालय में अन्तरित कर सकता है।

अभियोग-सम्बन्धी साक्ष्य के आरम्भ किए जाने के बाद अन्तरण की व्यवस्था (ruling) नही की जाएगी।

किसी अभियोग का अन्तरण या उसके अन्तरण का निषेध करने वाली व्यवस्था (ruling) के फलस्वरूप गम्भीरतया उच्छिन्न होने वाले अधिकार से संबद्ध अभियोगो मे, ऐसे आधारो के प्रकल्पित प्रमाण देते हुए, आसन्न **कोकोकु** अपील की जा सकती है।

अध्याय 2

न्यायालय के कर्मचारियों के अपवर्जन एवं आपत्ति (चुनौती)

अनु० 20—निम्नाङ्कित दशाओ में किसी न्यायाधीश को अपने कृत्यों के करने से अपवर्जित किया जाएगा :

(1) यदि वह् स्वयं अपकृत पक्ष हो;

(2) यदि वह् अभियुक्त या अपकृत-पक्ष का संबधी हो या रह् चुका हो;

(3) यदि वह् अभियुक्त या अपकृत पक्ष का वैध प्रतिनिधि, सरक्षकता का पर्यवेक्षक या पालक (क्युरेटर) हो;

(4) यदि उसने उस अभियोग में साक्षी या विशेषज्ञ साक्षी के रूप में काम किया हो;

(5) यदि उस अभियोग में उसने अभियुक्त के प्रतिनिधि, परामर्शदाता या सहायक के रूप मे काम किया हो;

(6) यदि उसने उस अभियोग मे लोक-समाहर्ता या न्यायिक-पुलिस (आरक्षी) अधिकारी का कार्य किया हो,

(7) यदि उसने, अनु० 266 प्रभाग 2 मे उल्लिखित व्यवस्था (ruling) मे, क्षिप्र आदेश (Summary order) में, निचले न्यायालय के निर्णय में, अनु० 398 से 400, 412 या 413 के अनुसार अन्तरित या प्रति-प्रेषित अभियोग के प्राथमिक निर्णय में, या उन छानबीनों मे, जो ऐसे अभियोगो के आधारभूत हों, भाग लिया हो। परतु यह व्यवस्था तब लागू नही होगी यदि उसने एक अधियाचित (requisitioned) न्यायाधीश के रूप में भाग लिया हो।

अनु० 21—उस दशा में, जब कि किसी न्यायाधीश को उसके कृत्यों से अपवर्जित करना हो, या यह भय हो कि वह पक्षपातपूर्ण निर्णय देगा तो उसके विषय में कोई लोक-समाहर्ता या अभियुक्त आपत्ति कर सकता है।

प्रतिवाद परामर्शदाता (Defense Counsel), अभियुक्त के लाभार्थ आपत्ति के लिए प्रावेदन (motion) कर सकता है, किन्तु अभियुक्त के स्पष्टतया व्यक्त अभिप्राय के विरुद्ध नही।

अनु० 22—अभियोग मे किसी अभियाचना (demand) या विवरण (statement) के संपन्न हो जाने पर किसी भी न्यायाधीश के विरुद्ध इस आधार पर आपत्ति नही की जा सकती कि उसके पक्षपातपूर्ण निर्णय देने का भय है। परंतु, यह व्यवस्था तब लागू नही होगी यदि वह पक्ष आपत्ति के किसी आधार की जानकारी से अनभिज्ञ रहा हो, या ऐसा आधार (उक्त अभियाचना या विवरण के) बाद में हुआ हो।

अनु० 23—जब किसी न्यायाधीश के विरुद्ध, जो किसी सहयोगी (collegiate) न्यायालय का सदस्य हो, आपत्ति की गई हो तो वह न्यायालय, जिसका कि वह न्यायाधीश हो, उस पर एक व्यवस्था (ruling) लागू करेगा। यदि ऐसी दशा मे उक्त न्यायालय जिला-न्यायालय हो, तो व्यवस्था (ruling) किसी सहयोगी न्यायालय द्वारा लागू की जायगी।

जब किसी जिला-न्यायालय के या परिवार-न्यायालय (Family Court) के एकमात्र किसी न्यायाधीश के विरुद्ध आपत्ति की गई हो तो व्यवस्था (ruling) उस न्यायालय के सहयोगी न्यायालय द्वारा लागू की जायगी जिससे सबद्ध वह न्यायाधीश हो, और जब कि किसी क्षिप्र-न्यायालय (Summary Court) के न्यायाधीश के विरुद्ध की गई हो तो किसी क्षमताशील जिला-न्यायालय के सहयोगी न्यायालय द्वारा लागू की जायगी। तथापि उक्त रूप में आपत्ति किया गया न्यायाधीश, यदि आपत्ति के प्रावेदन (motion) को साधार पाता है तो व्यवस्था (ruling) की गई ही समझी जाएगी।

इस प्रकार आपत्ति किया गया न्यायाधीश, पिछले दो परिच्छेदों मे निर्दिष्ट व्यवस्था (ruling) मे कोई भाग नही लेगा।

जब किसी आपत्ति किए गए न्यायाधीश के प्रत्याहरण (withdrawal) के फलस्वरूप कोई न्यायालय ऐसी व्यवस्था (ruling) चालू करने मे असमर्थ हो तो व्यवस्था (ruling) अन्य आसन्न उच्चतर न्यायालय द्वारा दी जायगी।

अनु० 24—किसी आपत्ति का प्रावेदन जो कि स्पष्टतः कार्यवाही मे केवल विलम्ब लाने के अभिप्राय से किया गया हो, एक व्यवस्था (ruling) द्वारा खारिज कर दिया जायगा। ऐसी दशा मे पिछले अनुच्छेद के परिच्छेद 3 के उपबन्ध लागू नही होगे। यही नियम उस दशा मे भी लागू होगा जब कि अनु० 22 के उपबन्ध या न्यायालय के नियमो द्वारा निर्धारित कार्यवाही के उल्लघन के सबध मे आपत्ति के लिए किया गया प्रावेदन खारिज करना हो।

पिछले परिच्छेद की दशा में, कोई राजादिष्ट (Commissioned) न्यायाधीश किसी जिला-न्यायालय का एकमात्र न्यायाधीश, किसी परिवार-न्यायालय या क्षिप्रन्यायालय (Summary Court) का कोई न्यायाधीश, जिसके विरुद्ध आपत्ति की गई हो, आपत्ति के प्रावेदन को खारिज करते हुए कोई निर्णय दे सकता है।

अनु॰ 25—किसी व्यवस्था (ruling) के विरुद्ध, जिसके द्वारा किसी आपत्ति का प्रावेदन खारिज किया गया हो, एक आसन्न **कोकोकु** अपील की जा सकती है।

अनु॰ 26—अनु॰ 20, प्रभाग 7 के उपबन्धो को छोड़कर, इस **अध्याय** के उपबन्ध न्यायालय-लिपिकों के सबध में, यथोचित परिवर्तन के साथ, लागू होंगे।

व्यवस्था (ruling) उसी न्यायालय द्वारा दी जायगी जिससे सबद्ध वह लिपिक होगा। तथापि अनु॰ 24 परिच्छेद 1 में उल्लिखित स्थिति मे आपत्ति के प्रावेदन को खारिज करने के लिए निर्णय उस राजादिष्ट न्यायाधीश द्वारा दिया जाएगा जिससे वह न्यायालय-लिपिक संबद्ध हो।

अध्याय 3

वाद्-करण सामर्थ्य

अनु॰ 27—जब अभियुक्त या सदिग्ध व्यक्ति कोई न्यायिक व्यक्ति हो तो प्रक्रिया अधिनियमों के संबध में उसका अभिवेदन किसी प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा किया जाएगा।

उस दशा में भी जब कि किसी न्यायिक व्यक्ति का अभिवेदन दो या अधिक व्यक्तियों द्वारा सामूहिक रूप से किया गया हो, प्रक्रिया अधिनियमों के संबंध में उसका अभिवेदन प्रत्येक द्वारा पृथक रूप से होगा।

अनु॰ 28—यदि, जहाँ ऐसे अपराध का अभियोग हो जिसमें दण्ड-सहिता के अनु॰ 39 से 41 तक के उपबन्ध न लागू हो, अभियुक्त या सदिग्ध मानसिक शक्ति से रहित हो तो प्रक्रिया अधिनियमो के संबंध में उसका अभिवेदन किसी वैध प्रतिनिधि द्वारा किया जाएगा (जब कि दो व्यक्ति हों जिसमें से प्रत्येक पैतृक प्रभाव जमाता हो। यही व्यवस्था इसके आगे भी लागू होगी)।

अनु॰ 29—पिछले दो अनुच्छेदो के उपबन्धों के अनुसार जब अभियुक्त के अभिवेदन के लिए कोई व्यक्ति न हो तो किसी लोक-समाहर्ता या पदेन लोक-समाहर्ता के निवेदन पर न्यायालय द्वारा एक विशेष प्रतिनिधि नियुक्त किया जायगा।

यही नियम उस दशा में भी लागू होगा जब कि पिछले दो अनुच्छेदों के उपबन्धों के अनुसार संदिग्ध के अभिवेदन के लिये कोई व्यक्ति न हो और

लोक-समाहर्ता, न्यायिक-आरक्षी (Police) अधिकारी या उसमे दिलचस्पी रखने वाले व्यक्ति द्वारा उक्त निवेदन किया गया हो।

विशेष प्रतिनिधि अपने कार्यो को तब तक करेगा, जब तक कि सदिग्ध या अभियुक्त के प्रतिनिधि के रूप मे कार्यवाही के कार्य को करने के लिए अन्य कोई व्यक्ति न आ जाय।

अध्याय 4

परामर्शदाता द्वारा प्रतिवाद तथा संबंधियों द्वारा सहायता

अनु० 30—अभियुक्त या सदिग्ध किसी समय प्रतिवाद-परामर्शदाता (Defense Counsel) को चुन सकता है।

अभियुक्त या सदिग्ध का वैध प्रतिनिधि, पालक (Curator), विवाहित जोड़ा, वशीय सबधी, भाई या बहन स्वतन्त्र रूप से उसके लिए प्रतिवाद-परामर्शदाता चुन सकते है।

अनु० 31—परामर्शदाता का चुनाव अधिवक्ताओ (advocates) में से होगा।

क्षिप्र-न्यायालय (Summary Court), परिवार-न्यायालय या जिला-न्यायालय मे प्रतिवाद-परामर्शदाता का चुनाव, अधिवक्ताओं से भिन्न व्यक्तियों मे से, न्यायालय की अनुमति से, किया जा सकता है। तथापि, यह नियम जिला-न्यायालय में केवल उन दशाओ मे लागू होगा जिनमें अधिवक्ताओं में से चुना गया एक अन्य प्रतिवाद-परामर्शदाता हो।

अनु० 32—लोक-कार्यवाही (Public Action) के किए जाने के पूर्व सपादित प्रतिवाद-परामर्शदाता का चुनाव प्रथम न्यायालय मे भी प्रभावी रहेगा।

लोक-कार्यवाही के किए जाने के पश्चात् किया गया प्रतिवाद-परामर्शदाता का चुनाव विचारण (trial) के प्रत्येक दृष्टान्त के लिये किया जायगा।

अनु० 33—उस दशा में जब कि अभियुक्त के लिए अनेक प्रतिवाद-परामर्शदाता हों तो न्यायालय के नियमानुसार एक मुख्यप्रतिवाद परामर्शदाता की नियुक्ति की जाएगी।

अनु० 34—मुख्य परामर्शदाता के कार्यों (Functions) एव सामर्थ्य (powers) को जैसा कि पिछले अनुच्छेद में उल्लिखित है, न्यायालय के नियमों द्वारा विहित किया जाएगा।

अनु० 35—जैसा कि न्यायालय के नियमो द्वारा विहित हो, न्यायालय अभियुक्त या सदिग्ध व्यक्ति के प्रतिवाद-परामर्शदाताओं की सख्या नियत कर सकता है। तथापि, जहाँ तक अभियुक्त के प्रतिवाद-परामर्शदाता का सबध है, यह नियम केवल विशेष परिस्थितियो में ही लागू होगा।

अनु० 36—जब अभियुक्त, निर्धनता या अन्य कारणवश अपने प्रतिवाद-परामर्शदाता को चुनने में असमर्थ हो, तो उसकी प्रार्थना पर, न्यायालय उसके लिए प्रतिवाद-परामर्शदाता की व्यवस्था करेगा। तथापि, यह व्यवस्था उस दशा मे लागू नही होगी जब कि अभियुक्त से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा उसके लिए प्रतिवाद-परामर्शदाता चुन लिया गया हो।

अनु० 47—यदि अभियुक्त, प्रतिवाद-परामर्शदाता द्वारा न अभिवेदित किया गया हो तो निम्नांकित दशाओ मे, न्यायालय पदेन (ex-officio) उसके लिए परामर्शदाता की व्यवस्था करेगा :

(1) जब अभियुक्त अल्प-वयस्क हो;

(2) जब अभियुक्त सत्तर (70) वर्ष से कम आयु का न हो;

(3) जब अभियुक्त बहरा या गूँगा हो;

(4) जब अभियुक्त अपरिपक्व या दुर्बल-मनस्क हो;

(5) जब अन्य कारणवश ऐसा आवश्यक समझा जाए।

अनु० 38—किसी न्यायालय या पीठासीन न्यायाधीश द्वारा, इस विधि के उपबन्धो के अनुसार नियत किए जाने वाले प्रतिवाद-परामर्शदाता की नियुक्ति अधिवक्ताओं में से होगी।

पिछले परिच्छेद की व्यवस्था के अनुसार नियुक्त किया गया प्रतिवाद-परामर्शदाता यात्रा-व्यय, दैनिक भत्ता, आवास-भत्ता तथा शुल्क (fees) की माँग करने का अधिकारी होगा।

अनु० 39—किसी भी प्रकार से शारीरिक निरोध में रखा गया अभियुक्त या संदिग्ध (व्यक्ति), किसी कार्यालयीय रखवाल की उपस्थिति के बिना, अपने प्रतिवाद-परामर्शदाता या किसी अन्य व्यक्ति से भी, जो उसका प्रतिवाद-

परामर्शदाता हो, उस व्यक्ति की प्रार्थना पर जिसे प्रतिवाद-परामर्शदाता को चुनने का अधिकार हो साक्षात् कर सकता है तथा कोई प्रलेख या अन्य वस्तु ले या दे सकता है, (उस दशा में जब कि किसी अधिवक्ता से भिन्न कोई व्यक्ति प्रतिवाद-परामर्शदाता चुना जाने वाला हो तो यह नियम तभी लगेगा जब अनु० 31 के परिच्छेद 2 मे निर्दिष्ट अनुमति ले ली गई हो)।

पिछले परिच्छेद मे उल्लिखित साक्षात्कार या वस्तु के आदान-प्रदान के सबध में विधि या अध्यादेश (जिनमे **न्यायालय के नियम** भी सम्मिलित है। यही नियम इसके आगे भी लागू होगा) द्वारा ऐसे उपाय विहित किए जा सकते है, जो अभियुक्त या सदिग्ध को भाग निकलने, साक्ष्य के विनाश या परिवर्तन करने या उन वस्तुओ के, आदान-प्रदान करने का प्रतिरोध करें, जो (वस्तुएँ) अभियुक्त या संदिग्ध की सम्यक् अभिरक्षा का रोध करती हो।

लोक-समाहर्ता, लोक-समाहर्ता-कार्यालय का सचिव तथा न्यायिक पुलिस कर्मचारी (जिनमे न्यायिक पुलिस अधिकारी एव सिपाही दोनो ही सम्मिलित है। यही नियम इसके आगे भी लागू होगा) जब छानबीन के लिए ऐसा आवश्यक हो, परिच्छेद 1 में उल्लिखित साक्षात्कार तथा वस्तुओं के आदान-प्रदान के लिए, लोक-कार्यवाही के पहले ही, कोई तिथि, स्थान एव समय निर्धारित कर दे, परतु ऐसा निर्धारण, सदिग्ध (व्यक्ति) को प्रतिवाद के लिए अपने अधिकारो के प्रयोग करते समय, अनुचित रूप से अवरोध मे न रखे।

अनु० 40—लोक-कार्यवाही की संस्थिति के बाद, प्रतिवाद-परामर्शदाता किसी न्यायालय में अभियोग से सबद्ध प्रलेखो एव साक्ष्य के लेखो का निरीक्षण या उनकी प्रतिलिपि कर सकता है। तथापि, साक्ष्य के लेखो की प्रतिलिपि करने के लिए उसे पीठासीन न्यायाधीश से अनुमति अवश्य लेनी होगी।

अनु० 41—केवल उस दशा मे जब कि यह इस विधि मे विशेषरूप से विहित हो, प्रतिवाद-परामर्शदाता कार्यवाही की क्रियाओं को अपने नाम में ले सकता है।

अनु० 42—अभियुक्त का वैध प्रतिनिधि, पालक (Curator), विवाहित जोड़ा, वंशीय सबधी, भाई या बहन किसी भी समय सहायक (**होसेनिन**) हो सकते है।

उस व्यक्ति को, जो अभियुक्त के सहायक के रूप में काम करना चहता हो, विचारण के प्रत्येक दृष्टान्त के लिये न्यायालय में सूचना देनी चाहिए।

कोई भी सहायक, अभियुक्त की कार्यवाही की उन सभी क्रियाओ को वहाँ तक कर सकता है जहाँ तक कि वे अभियुक्त के व्यक्त अभिप्राय के विरुद्ध न हो। तथापि, यह उस दशा मे लागू नही होगा जब कि इस विधि मे यह अन्य प्रकार से विहित हो।

अध्याय 5

निर्णय

अनु० 43—इस विधि मे अन्य प्रकार से विहित दशा को छोड़कर, कोई भी न्याय-निर्णय (हंकेत्सु) मौखिक कार्यवाही के आधार पर दिया जायगा।

कोई व्यवस्था (केत्तेइ, ruling) या आदेश (मेइरेइ, order) आवश्यक-रूप से मौखिक कार्यवाही पर आधृत नही होगा।

किसी व्यवस्था (ruling) या आदेश के निर्माण मे न्यायालय, आवश्यकतानुसार, तथ्यो की छानबीन (Examination) कर सकता है।

पिछले परिच्छेद मे लिखित छानबीन, किसी सबद्ध सहयोगी न्यायालय (Collegiate Court) के सदस्य को सौप दी जायगी अथवा जिला-न्यायालय, परिवार-न्यायालय या क्षिप्र-न्यायालय का कोई न्यायाधीश इसके लिए अधियाचित किया जा सकता है।

अनु० 44—किसी भी निर्णय के साथ उसका कारण सलग्न रहेगा।

उस दशा में जब कि कोई ऐसी व्यवस्था (ruling) या आदेश हो, जिसके विरुद्ध किसी अपील की अनुमति न हो तो उसके कारण को अलग किया जा सकता है। तथापि, यह उस व्यवस्था (ruling) के सबध में लागू नही होगा जिसके विरुद्ध, अनु० 428, परि० 2 के अनुसार, कोई आपत्ति की जा सके।

अनु० 45—न्याय-निर्णय से भिन्न कोई विनिश्चय (decision) किसी सहायक न्यायाधीश द्वारा ही दिया जा सकता है।

अनु० 46—अभियुक्त या अभियोग से संबद्ध कोई भी व्यक्ति, अपने खर्च पर, निर्णय के प्रलेख के अशों या नयाचार (protocol) की, जिसमें निर्णय लिखित हो, प्रतिलिपि या उसके किसी अंश की प्राप्ति के लिये माँग कर सकता है।

अध्याय 6

प्रलेख (Documents) तथा वितरण (Service)

अनु० 47—किसी अभियोग से सबद्ध कोई भी प्रलेख, लोक-विचारण (Public trial) के प्रारभ के पहले प्रकाशित नही किया जायगा। तथापि, यह उस दशा मे लागू नही होगा जब लोक-हित या अन्य किसी कारणवश इसे (प्रकाशित करना) आवश्यक समझा जाय।

अनु० 48—लोक-विचारण का कोई नयाचार (Protocol), लोक-विचारण की तिथियों पर होने वाली कार्यवाहियो के अनुसार तैयार किया जायगा।

लोक-विचारण के नयाचार मे, उसकी तिथियो पर घटित विचारण से सबद्ध प्रमुख विषय रहेगे, जैसा कि न्यायालय के नियमो द्वारा विहित हो।

लोक-विचारण का नयाचार, एक अच्छे क्रम में, विचारण की प्रत्येक तिथि के ठीक बाद या कम से कम निर्णय की घोषणा के समय या पहले ही पूरा हो जाना चाहिये। तथापि, यह लोक-विचारण के उस नयाचार के सबध मे लागू नहीं होगा जिसमें कि निर्णय घोषित हो गया हो।

अनु० 49—यदि अभियुक्त के पास कोई प्रतिवाद-परामर्शदाता न हो तो वह, जैसा कि न्यायालय के नियमों द्वारा विहित हो, लोक-विचारण के नयाचार का निरीक्षण कर सकता है; तथा यदि अभियुक्त अन्धा हो और स्वयं न पढ़ सके तो वह नयाचार को अपने लिए जोर से पढ़वाने के लिए मॉग कर सकता है।

अनु० 50—उस दशा में जब कि लोक-विचारण का नयाचार, दूसरे विचारण की तिथि के पहले अच्छे क्रम मे, पूरा न हुआ हो तो कोई न्यायालय-लिपिक लोक-समाहर्ता, अभियुक्त या प्रतिवाद-परामर्शदाता की प्रार्थना पर, अतिम विचारण की तिथि पर साक्षियो द्वारा दिए गए प्रमाण की रूपरेखा दूसरे विचारण की तिथि पर या उसके पहले ही सूचित कर दे। ऐसी दशा में यदि प्रार्थना करने वाला लोक-समहर्ता, अभियुक्त या प्रतिवाद-परामर्शदाता साक्षियो द्वारा दिए गए प्रमाण की रूपरेखा की यथार्थता पर आपत्ति करें तो वह आपत्ति भी नयाचार में समाविष्ट की जायगी।

उस दशा मे जब कि अभियुक्त या उसके परामर्शदाता की अनुपस्थिति मे तैयार किया गया किसी लोक-विचारण का नयाचार, दूसरे विचारण की

तिथि के पहले अच्छे क्रम मे सज्जित न हो तो न्यायालय-लिपिक दूसरे विचारण की तिथि पर या पहले ही, उपस्थित होने वाले अभियुक्त या उसके परामर्शदाता को अतिम विचारण की तिथि पर घटित प्रमुख घटनाओ को सूचित करेगा ।

अनु० 51—लोक-समाहर्ता, अभियुक्त या परामर्शदाता किसी लोक-विचारण के नयाचार की यथार्थता पर आपत्ति कर सकता है । यदि उक्त आपत्ति की गई हो तो उसका विवरण नयाचार में समाविष्ट किया जायगा ।

पिछले परिच्छद मे उल्लिखित आपत्ति प्रत्येक व्यवहार (Instance) के लोक-विचारण की अतिम तिथि के बाद चौदह दिन के अदर ही की जा सकेगी तथापि, जहाँ तक लोक-विचारण के नयाचार का सबध है जिसमे कि निर्णय घोषित हो, ऐसी आपत्ति नयाचार की समाप्ति के बाद चौदह दिन के अदर ही की जा सकती है ।

अनु० 52—लोक-विचारण की तिथि की कार्यवाहियाँ जो लोक-विचारण के नयाचार मे लिखित रहती है, उसी नयाचार द्वारा ही प्रमाणित की जा सकती है ।

अनु० 53—कोई व्यक्ति किसी विचारण के अभिलेखों (records) का निरीक्षण आपराधिक अभियोग की समाप्ति पर ही कर सकता है । तथापि, यह उस दशा मे लागू नही होगा, जब कि निरीक्षण से विचारण के अभिलेखो के परिरक्षण, अथवा न्यायालय या लोक-समाहर्ता के कार्यालय के कार्य-व्यापार में बाधा पहुँचती हो ।

उस विचारण के किसी अभिलेख का, जिसका सुनना सामान्य जनता के लिए निषिद्ध हो, अथवा किसी अभिलेख का, जिसका निरीक्षण सामान्य जनता के लिये अनुचित होने के कारण प्रतिषिद्ध हो, पिछले परिच्छेद के उपबन्धों के प्रतिकूल, निरीक्षण तब तक नही किया जायगा, जब तक कि वे (निरीक्षण करने वाले) उस अभियोग से सबद्ध पक्ष (Parties) न हों, या उनके पास निरीक्षण के लिये समुचित कारण न हों तथा विचारण के अभिलेखों के अभिरक्षक (Custodian) से अनुमति न ले चुके हों ।

जापान के संविधान के अनु० 82 परि० 2 के उपबन्धों द्वारा विहित अभियोगों में अभिलेखों का निरीक्षण निषिद्ध नही होगा ।

विचारण के अभिलेखों के परिरक्षण तथा उनके निरीक्षण के परिव्ययों से संबद्ध विषय अन्य विधि द्वारा विहित किये जायँगे ।

अनु० 54—न्यायालय के नियमों द्वारा अन्य प्रकार से विहित दशा को छोड़कर, दीवानी प्रक्रिया से सबद्ध विधि या अध्यादेश के विधान (प्रकाशन द्वारा वितरण (Service) से संबद्ध उपबन्धो को छोड़कर) प्रलेखो के वितरण (तामीली) के संबन्ध में, यथोचित परिवर्तन के साथ, लागू होंगे।

अध्याय 7

अवधियाँ

(Periods)

अनु० 55—अवधियों के परिकलन (Calculation) मे, जिनका परिकलन घण्टों में हो वह तुरन्त शुरू होगी, जब कि जिनका दिनों, मासो अथवा वर्षो में करना हो, पहला दिन उसमे सम्मिलित नही किया जायगा। तथापि, भोगाधिकार (Prescription) की अवधि का पहला दिन, उसके घण्टो की सख्या का विचार किये बिना, एक दिन के रूप मे गिन लिया जायगा।

मासो एव वर्षों का परिकलन कैलेण्डर के अनुसार होगा।

यदि किसी अवधि का अतिम दिन रविवार, पहली, दूसरी, तीसरी जनवरी, 29 वे, 30 वें या 31 वे दिसम्बर, या उस दिन, जिसे सामान्य छुट्टी उद्दिष्ट किया गया हो, पडता हो तो उसे परिकलन मे सम्मिलित नही किया जायगा। तथापि, यह भोगाधिकार की अवधि के सबध में लागू नहीं होगा।

अनु० 56—न्यायालय के नियमानुसार, कोई भी वैधानिक अवधि, कार्यवाही की क्रियाओ को करने वाले व्यक्ति के अधिवास, निवास या कार्यालय, तथा न्यायालय या लोक-समाहर्ता के कार्यालय के बीच की दूरी के तथा परिवहन एवं संचार की सुविधाओ के अनुसार, बढाई जा सकती है।

पिछले परिच्छेद के उपबन्ध उस अवधि के संबध मे लागू नही होंगे जिसके अन्दर ही किसी घोषित निर्णय के विरुद्ध अपील की जाए।

अध्याय 8

अभियुक्त के आह्वान, प्रस्तुति और निरोध

अनु० 57—कोई न्यायालय किसी अभियुक्त को, समुचित अग्रिम समय देते हुए, जैसा कि न्यायालय के नियमों द्वारा विहित हो, आहूत (summon) कर सकता है।

अनु० 58—न्यायालय किसी अभियुक्त को निम्नाकित दशाओ में प्रस्तुत (produce) करा सकता है :

(1) यदि उसका कोई नियत निवास न हो ;

(2) यदि समुचित कारण के बिना, वह आह्वानो का अनुपालन न करे या उससे ऐसी आशका हो कि वह पालन नही करेगा ।

अनु० 59—प्रस्तुत किया गया अभियुक्त न्यायालय में प्रस्तुत किये जाने के समय से चौबीस घण्टे के अंदर छोड दिया जायगा । तथापि, यह उस दशा मे लागू नही होगा जब कि उक्त समय के अदर ही कोई निरोध का अधिपत्र (Warrant) कार्यान्वित किया जा चुका हो ।

अनु० 60—न्यायालय अभियुक्त को निरोध में रख सकता है यदि उसे यह पुष्ट करने के समुचित आधार प्राप्त हो जायँ कि उसने अपराध किया है और अभियोग यदि निम्नलिखित मे से किसी प्रभाग (item) के अन्तर्गत आता हो ;

(1) जब कि अभियुक्त का कोई नियत निवास न हो ;

(2) जब कि अभियुक्त से इस विषय की आशका के पर्याप्त प्रमाण हो कि वह साक्ष्य विनष्ट कर देगा ;

(3) जब कि अभियुक्त ने पलायन किया हो या उसके पलायन करने की आशका के पर्याप्त प्रमाण मिले ।

निरोध की अवधि, लोक-कार्यवाही के संस्थित किए जाने के दिन से, दो मास से अधिक नही होगी । उस दशा में, जब कि निरोध को जारी रखने की विशेष आवश्यकता हो तो प्रत्येक मास की अतिम तिथि को निरोध की अवधि, एक व्यवस्था (ruling) द्वारा उसके नवीकरण के स्पष्ट कारणो के विवरण के साथ, नवीकृत की जाएगी । तथापि, अनु० 89 प्रभाग 1 तथा 3 से 5 के अन्तर्गत आने वाली दशाओं को छोडकर, निरोध की अवधि का नवीकरण केवल एक बार होगा ।

उस अभियोग के सबध में जिसमें 500 येन से अधिक अर्थ दण्ड, निरोध या लघु-अर्थदण्ड न हो, इस अनुच्छेद का पहला परिच्छेद केवल उसी दशा में लागू होगा जब कि अभियुक्त का कोई नियत निवास न हो ।

अनु० 61—न्यायालय द्वारा अभियुक्त को उसके विरुद्ध आरोपों की सूचना देने तथा उसके विषय में अभियुक्त के विवरण सुनने के पहले उसे निरोध में नही रखा जा सकता। तथापि, यह उन अभियोगों के सबन्ध में लागू नही होगा जिनमें कि अभियुक्त ने पलायन किया हो।

अनु० 62—अभियुक्त का आह्वान (Summons) उसकी प्रस्तुति या निरोध, आह्वान का प्रादेश (writ) अथवा प्रस्तुति या निरोध का अधिपत्र जारी करके निष्पादित किया जायगा।

अनु० 63—आह्वानो के प्रादेश में, अभियुक्त का नाम और उसका निवास; अपराध का नाम, दिनाक, उपस्थित होने का समय तथा स्थान; साथ ही ऐसा विवरण जिसमें यह उल्लेख रहेगा कि वह यदि बिना समुचित कारण के उपस्थित नही होगा तो उसके विरुद्ध प्रस्तुति का अधिपत्र जारी किया जायगा तथा इसके साथ अन्य विषय भी जो कि न्यायालय के नियमों द्वारा विहित हों, और उक्त प्रादेश जारी करने वाले पीठासीन अथवा राजादिष्ट न्यायाधीश का नाम तथा उसकी मुद्रा (मुहर) रहेगी।

अनु० 64—प्रस्तुति अथवा निरोध के अधिपत्र में अभियुक्त का नाम एवं निवास, अपराध का नाम; लोक-कार्यवाही के प्रमुख तथ्य; स्थान, जहाँ उसे लाना हो; या कारागार जहाँ उसे निरुद्ध करना हो; प्रभावी अवधि तथा यह विवरण कि उक्त अवधि के बीत जाने के पश्चात् अधिपत्र जारी नही किया जायगा और जारी करने वाले न्यायालय को लौटा दिया जायगा; जारी होने कि तिथि, साथ ही और भी विषय जो न्यायालय के नियमों द्वारा विहित हों तथा अधिपत्र जारी करने वाले पीठासीन अथवा राजादिष्ट न्यायाधीश के नाम एवं मुद्रा (मुहर) रहेंगे।

उस दशा मे जब कि अभियुक्त का नाम अनिश्चित हो तो उसकी मुखाकृति, शरीर-गठन एव अन्य विशेष चिह्नों के विवरण द्वारा उसकी पहचान की जायगी।

उस दशा में जब कि अभियुक्त का निवास अनियत हो तो उसे कहलवाया नहीं जायगा।

अनु० 65—आह्वानों के प्रादेश तामील (वितरित) किये जायँगे। यदि अभियुक्त कोई प्रलेख इस विवरण के साथ दाखिल करता है कि वह सुनवाई के लिये नियत की गई तिथि पर उपसंजात होगा, या यदि न्यायालय,

सुनवाई की तिथि पर उपसजात अभियुक्त को, सुनवाई की दूसरी तिथि पर उपसजात होने के लिये आदेश देता है तो उसका प्रभाव आह्वानों के प्रादेश की तामीली के समान ही होगा। उस दशा में जब कि उसकी उपसजाति (appearance) का आदेश जबानी हुआ हो तो यह तथ्य नयाचार मे उद्दिष्ट किया जायगा।

न्यायालय के समीप किसी कारागार मे निरुद्ध कोई अभियुक्त कारागार के कर्मचारियो को सूचना देकर आहूत किया जा सकता है। ऐसी दशा मे, आह्वानो के प्रादेश की तामीली मान ली जाएगी यदि अभियुक्त को कारागार के कर्मचारियो से सूचना मिल चुकी हो।

अनु० 66—कोई न्यायालय अभियुक्त को उपसजात करने के लिये, तत्काल जहाँ वह रहता हो वहाँ के जिला-न्यायालय, परिवार-न्यायालय या क्षिप्र-न्यायालय के किसी न्यायाधीश की अधियाचना (माँग) कर सकता है।

इस प्रकार अधियाचित न्यायाधीश स्वयं किसी अन्य जिला-न्यायालय, परिवार-न्यायालय या क्षिप्र-न्यायालय के किसी न्यायाधीश की माँग कर सकता है, जो कि उक्त अधियाचना स्वीकृत करने के लिये प्राधिकृत हो।

यदि अधियाचित न्यायाधीश को स्वयं अधियाचना के अदर आने वाले अभियोग का अधिकार न हो तो वह उक्त अधियाचना को अन्य किसी जिला-न्यायालय, परिवार-न्यायालय या क्षिप्र-न्यायालय के न्यायाधीश के यहाँ अन्तरित कर सकता है जो उक्त अधियाचना को स्वीकृत करने के लिये प्राधिकृत हो।

वह न्यायाधीश जिसने उक्त अधियाचना प्राप्त की हो या जिसके यहाँ अधियाचना अन्तरित की गई हो, प्रस्तुति का अधिपत्र जारी कर सकता है।

अनु० 64 का उपबन्ध पिछले परिच्छेद मे लिखित प्रस्तुति के अधिपत्र के संबंध में, यथोचित परिवर्तन के साथ, लागू होगा। ऐसी दशा मे, अधिपत्र के अन्तर्गत यह विवरण रहेगा कि वह अधियाचना के अन्तर्गत जारी किया गया है।

अनु० 67—पिछले अनुच्छेद मे निर्दिष्ट दशा में अधियाचना के अदर प्रस्तुति का अधिपत्र जारी करने वाले न्यायाधीश को अभियुक्त के लाए जाने के समय से चौबीस घण्टे के अदर यह निश्चय कर लेना होगा कि अभियुक्त की पहचान में कोई गल्ती तो नही हुई है।

यदि अभियुक्त की पहचान में कोई गल्ती न हो तो उसे तत्काल नामोद्दिष्ट न्यायालय को सौप दिया जाएगा। ऐसी दशा मे, न्यायाधीश, जिसने

अधियाचना के अन्तर्गत प्रस्तुति का अधिपत्र जारी किया हो, समय की अवधि निर्धारित करेगा जिसके अदर कि अभियुक्त को नामोद्दिष्ट न्यायालय के समक्ष लाया जायगा ।

पिछले परिच्छेद की दशा में, अनु० 59 में उल्लिखित अवधि का परिकलन उस समय से किया जायगा जब कि अभियुक्य नामोद्दिष्ट न्यायालय के समक्ष लाया गया हो ।

अनु० 68—न्यायालय आवश्यकता पड़ने पर, अभियुक्त को किसी नामोद्दिष्ट स्थान पर उपसजात होने या साथ चलने के लिये आदेश दे सकता है । यदि अभियुक्त बिना समुचित कारण के उक्त आदेश के अनुपालन मे असमर्थ रहे तो उसे उक्त स्थान पर उपसंजात कराया जा सकता है । ऐसी दशा मे, अनु० 59 मे निर्धारित अवधि का परिकलन उस समय से किया जायगा जब कि अभियुक्त उक्त स्थान पर उपसंजात किया गया हो ।

अनु० 69—अविलम्बिता की दशा मे, कोई भी पीठासीन न्यायाधीश, अनु० 57 से 62, अनु० 65, 66 तथा पिछले अनुच्छेद मे विहित उपाय स्वय कर सकता है या अपने सहयोगी न्यायालय के किसी सदस्य से ऐसा करा सकता है ।

अनु० 70—प्रस्तुति या निरोध को अधिपत्र को, लोक-समाहर्ता के निर्देशन मे, लोक-समाहर्ता-कार्यालय का सचिव या न्यायिक पुलिस कर्मचारी द्वारा निष्पादित किया जायगा । तथापि, अविलम्बिता की दशा में उसके निष्पादन का निर्देश किसी पीठासीन न्यायाधीश, राजादिष्ट न्यायाधीश अथवा जिला-न्यायालय या क्षिप्र-न्यायालय के किसी न्यायाधीश द्वारा दिया जा सकता है ।

कारागार में रहते हुए अभियुक्त के विरुद्ध जारी किया गया निरोध का अधिपत्र, लोक-समाहर्ता के निर्देशन मे कारागार के कर्मचारियों द्वारा निष्पादित किया जायगा ।

अनु० 71—लोक-समाहर्ता-कार्यालय का सचिव या कोई न्यायिक पुलिस कर्मचारी, आवश्यकता पड़ने पर, अपने अधिकार-क्षेत्र से बाहर भी प्रस्तुति के अधिपत्र को निष्पादित कर सकता है, अथवा लोक-समाहर्ता-कार्यालय के सचिव या न्यायिक पुलिस अधिकारी द्वारा वहीं निष्पादित करा सकता है ।

अनु० 72—जब अभियुक्त का वर्तमान स्थान अज्ञात हो तो कोई पीठासीन न्यायाधीश (उच्च लोक-समाहर्ता के कार्यालय के) किसी **अधीक्षक समाहर्ता** को, छानबीन करने तथा प्रस्तुति का अधिपत्र निष्पादित करने के लिये समादिष्ट कर सकता है।

उच्च लोक-समाहर्ता के कार्यालय का **अधीक्षक समाहर्ता** जिसे उक्त समादेश मिला हो, अपने अधिकार-क्षेत्र के अदर किसी लोक-समाहर्ता को छानबीन और प्रस्तुति के अधिपत्र के निष्पादन की कार्यवाही का पालन करने के लिये प्रेरित करेगा।

अनु० 73—प्रस्तुति के अधिपत्र को निष्पादित करने में वह (अधिपत्र) उस अभियुक्त को दिखा दिया जायगा जिसे यथाशीघ्र सीधे न्यायालय के समक्ष या अन्य किसी नामोद्दिष्ट स्थान पर लाया जाएगा। अनु० 66 परि० 4 में उल्लिखित प्रस्तुति के अधिपत्र की दशा मे अभियुक्त, अधिपत्र जारी करने वाले न्यायाधीश के समक्ष लाया जाएगा।

निरोध के अधिपत्र के निष्पादित करने में वह (अधिपत्र) उस अभियुक्त को, जिसे कि यथाशीघ्र सीधे नामोद्दिष्ट कारागार में पहुँचा दिया जाएगा, दिखला दिया जाएगा।

अविलम्बिता की स्थिति मे, प्रस्तुति या निरोध का कोई अधिपत्र न रहने पर भी, पिछले दो परिच्छेदो पर बिना विचार किए, लोक-कार्य-वाही के प्रमुख तथ्यो को और यह कि अधिपत्र जारी किया गया है, सूचित करने के पश्चात् अधिपत्र निष्पादित किया जा सकता है। तथापि, यह अधिपत्र यथासभव शीघ्र ही उसे दिखा दिया जायगा।

अनु० 74—उस दशा में जब कि अभियुक्त, जिसके विरुद्ध प्रस्तुति या निरोध का कोई अधिपत्र निष्पादित किया जा चुका हो, रक्षी (guard) की देखभाल मे भेजा जाने वाला हो तो उसे, आवश्यकतानुसार, निकटस्थ कारागार में, अनन्तिमरूप से निरुद्ध किया जा सकता है।

अनु० 75—उस दशा में जब कि अभियुक्त, जिसके विरुद्ध प्रस्तुति का अधिपत्र निष्पादित किया जा चुका हो, लाया गया हो, यदि आवश्यक हो तो उसे कारागार मे निरुद्ध किया जा सकता है।

अनु० 76—उस दशा में जब कि अभियुक्त प्रस्तुत किया गया हो, उसे तुरन्त लोक-कार्यवाही का सार सूचित किया जायगा और अपने प्रतिवाद

परामर्शदाता को भी चुनने के लिए उसे सूचित किया जाएगा तथा उस दशा मे उसके लिए न्यायालय द्वारा परामर्शदाता के अधिन्यास (assignment) के विषय मे भी उसे सूचित किया जाएगा जब कि वह, अपनी निर्धनता या अन्य कारणो से स्वय परामर्शदाता प्राप्त करने मे असमर्थ हो। तथापि, यदि अभियुक्त के पास पहले से ही परामर्शदाता हो तो उसे लोक-कार्यवाही के सार को ही सूचित करना पर्याप्त होगा।

पिछले परिच्छेद मे उल्लिखित उपायो को करने के लिए किसी भी सहयोगी न्यायालय के सदस्य या न्यायालय के लिपिक को प्रेरित किया जा सकता है।

उस दशा मे जब कि अनु० 66 परि० 4 के अनुसार प्रस्तुति का अधिपत्र जारी किया गया हो तो पहले परिच्छेद मे उल्लिखित उपाय, अधिपत्र जारी करने वाले न्यायाधीश द्वारा प्रयुक्त किए जायेगे। तथापि, न्यायालय का लिपिक भी ऐसा करने के लिये प्रेरित किया जा सकता है।

अनु० 77—केवल उस दशा को छोड़कर जब कि विरोध प्रस्तुति या बन्दीकरण के बाद हो, अभियुक्त को निरुद्ध करने के लिए उसे यह तथ्य बता दिया जाएगा कि वह अपना प्रतिवाद परामर्शदाता चुन ले और यदि वह अपनी निर्धनता या अन्य कारणो से स्वय परामर्शदाता पाने मे असमर्थ हो तो न्यायालय द्वारा उसके लिए परामर्शदाता के अधिन्यास (assignment) का अधिकार भी सूचित किया जाएगा। तथापि, यह उस दशा में लागू नही होगा यदि अभियुक्त के पास पहले से ही परामर्शदाता हो।

अनु० 61 के उपबन्ध की दशा में, अभियुक्त को निरुद्ध होने के ठीक बाद पिछले परिच्छेद में विहित तथ्यो के साथ लोक-कार्यवाही का सार भी सूचित किया जाएगा। तथापि, यदि अभियुक्त के पास पहले से ही प्रतिवाद-परामर्शदाता हो तो केवल लोक-कार्यवाही के सार से ही उसे सूचित कर देना पर्याप्त होगा।

पिछले अनुच्छेद के परि० 2 के उपबन्ध, पिछले दो परिच्छेदो में उल्लिखित उपायो के संबध मे, यथोचित परिवर्तन के साथ, लागू होगे।

अनु० 78—प्रस्तुत किया गया या निरुद्ध अभियुक्त अपने प्रतिवाद-परामर्शदाता के चुनाव के लिए किसी अधिवक्ता या विधिज्ञ-संघ (Bar Association) को नामोद्दिष्ट करते हुए न्यायालय, कारागार के प्रमुख

या उसके स्थानापन्न को प्रार्थनापत्र दे सकता है। तथापि, यह उस दशा में लागू नही होगा यदि अभियुक्त के पास पहले से ही परामर्शदाता हो।

न्यायालय या कारागार का प्रमुख अथवा उसका स्थानापन्न, जो उक्त प्रार्थना-पत्र प्राप्त करे, तुरन्त इस तथ्य की सूचना अभियुक्त के अधिवक्ता अथवा **विधिज्ञ-संघ** को देगा। उस दशा मे जब कि अभियुक्त ने प्रार्थनापत्र में दो या अधिक अधिवक्ताओ या विधिज्ञ-सघों को नामोद्दिष्ट किया हो तो उनमे से किसी एक को सूचना देना पर्याप्त होगा।

अनु० 79—यदि अभियुक्त को निरुद्ध किया गया हो तो इस तथ्य की सूचना उसके परामर्शदाता को तत्काल दी जाएगी। यदि उसके पास कोई परामर्शदाता न हो तो उसके वैध प्रतिनिधि, पालक (Curator), विवाहित जोडे, वशीय संबधी, भाई या बहन मे से किसी एक व्यक्ति को यह सूचना दी जाएगी जिसे उसने नामोद्दिष्ट किया हो।

अनु० 80—निरोध में रखा गया अभियुक्त, जहाँ तक विधि एव अध्यादेश अनुज्ञा दे, अनु० 39 परि० 1 मे अनिर्दिष्ट व्यक्तियो से साक्षात् कर सकता है, उन्हे प्रलेख या अन्य कोई वस्तु दे या उनसे ले सकता है। यही नियम प्रस्तुति के अधिपत्र पर कारागार मे निरुद्ध किए गए अभियुक्त के सबध मे भी लागू होगा।

अनु० 81—यदि इस आशका का पर्याप्त दृढ आधार मिले कि निरोध के अन्तर्गत रहता हुआ अभियुक्त भाग सकता है या साक्ष्य नष्ट कर सकता है तो लोक-समाहर्ता या पदेन लोक-समाहर्ता के निवेदन पर, न्यायालय उसे अनु० 39 परि० 1 में उल्लिखित से भिन्न व्यक्तियो से साक्षात् करने से निषिद्ध कर सकता है, उक्त व्यक्तियों से जो प्रलेख या वस्तु वह ले या उन्हे दे उसकी जॉच कर सकता है अथवा उनका देना या लेना निषिद्ध कर सकता है अथवा उनका अभिग्रहण कर सकता है। तथापि, उसे खाद्य पदार्थ लेने से निषिद्ध नहीं किया जाएगा और न तो उसका अभिग्रहण ही किया जा सकेगा।

अनु० 82—निरोध के अन्तर्गत आया हुआ अभियुक्त अपने निरोध का हेतु बतलाने (सूचित करने) के लिये न्यायालय से निवेदन कर सकता है।

निरोध मे आए हुए अभियुक्त का प्रतिवाद-परामर्शदाता, वैध प्रतिनिधि, पालक, विवाहित जोडा, वंशीय सबधी, भाई या बहन अथवा अन्य कोई अभिरुचि रखने वाला व्यक्ति पिछले परिच्छेद मे निर्दिष्ट निवेदन कर सकता है।

पिछले दो परिच्छेदो मे निर्दिष्ट निवेदन कार्यकर नही होगा यदि अभियुक्त की जमानती निर्मुक्ति अथवा निरोध के निष्पादन का निलम्बन किया जा चुका हो, या जब निरोध विखण्डित कर दिया गया हो अथवा जब निरोध का अधिपत्र प्रभावशून्य हो चुका हो।

अनु० 83—सूचना (Indication) की कार्यवाही खुले न्यायालय मे की जाएगी।

न्यायालय न्यायाधीशो एव न्यायालय के लिपिको के सामने खोला जाएगा।

यदि अभियुक्त तथा उसके प्रतिवाद-परामर्शदाता उपसजात न हो तो न्यायालय नही खोला जाएगा। तथापि, यह अभियुक्त की उपसंजाति (appearance) से संबद्ध उस दशा में लागू नही होगा जब कि अभियुक्त बीमारी जैसे अनिवार्य कारणवश उपसजात होने में असमर्थ हो और जहाँ अभियुक्त की ओर से कोई आपत्ति न हो, और न तो अभियुक्त के परामर्शदाता की उपसजाति से सबद्ध दशा मे ही (लागू होगा) जहाँ कि अभियुक्त की ओर से कोई आपत्ति न हो।

अनु० 84—न्यायालय में पीठासीन न्यायाधीश निरोध के कारणों की अधिसूचना देगा।

अभियुक्त, उसका प्रतिवाद-परामर्शदाता और अन्य व्यक्ति, जिसने निवेदन किया हो अपनी समति दे सकते है। यही नियम लोक-समाहर्ता के सबध में भी लागू होगा।

अनु० 85—सूचना (Indication) की कार्यवाही किसी सहयोगी (Collegiate) न्यायालय के सदस्यों द्वारा निष्पादित की जाएगी।

अनु० 86—उस दशा मे जब कि एक ही निरोध के सबध मे अनु० 82 में उल्लिखित दो या अधिक निवेदन हो तो सूचना की कार्यवाही पहले निवेदन की तरह ही की जाएगी। एक व्यवस्था (ruling) द्वारा, सूचना की कार्यवाही पूरी हो जाने पर, अन्य निवेदनो को खारिज कर दिया जाएगा।

अनु० 87—निरोध के आधार (grounds) अथवा उसकी आवश्यकता न रह जाने पर, लोक-समाहर्ता निरोध में रखे गए अभियुक्त, उसके प्रतिवाद-परामर्शदाता, वैध प्रतिनिधि, पालक, विवाहित जोडा, वंशीय सबधी, भाई या बहन या पदेन किसी के निवेदन पर न्यायालय, एक व्यवस्था (ruling) द्वारा, निरोध को विखण्डित कर देगा।

अनु० 82 परि० 3 के उपबन्ध, यथोचित परिवर्तन के साथ, पिछले परिच्छेद मे उल्लिखित निवेदन के सबध में लागू होगे ।

अनु० 88—निरोध में रखा गया अभियुक्त, उसका प्रतिवाद-परामर्शदाता, वैध प्रतिनिधि, पालक, विवाहित जोड़ा, वशीय सबधी, भाई या बहन उसकी जमानती निर्मुक्ति (release on bail) के लिए निवेदन कर सकता है ।

अनु० 82 परि० 3 के उपबन्ध पिछले परिच्छेद मे उल्लिखित निवेदन के संबध मे, यथोचित परिवर्तन के साथ, लागू होगे ।

अनु० 89—जब जमानती निर्मुक्ति का निवेदन किया गया हो तो वह निम्नांकित दशाओं को छोड़कर स्वीकृत किया जायगा :

(1) जब कि अभियुक्त पर प्राण-दण्ड या असीमित काल के लिए कठोर श्रम-कारावास या कारावास का दण्ड पाने का अपराध आरोपित हो;

(2) जब कि अभियुक्त पहले प्राणदण्ड या असीमित काल के लिए अथवा दस वर्ष से अधिक अवधि के कठोरश्रम-कारावास या कारावास दण्ड के अपराध से अभिशस्त हो ;

(3) जब कि अभियुक्त ने स्वभावत (habitually) तीन वर्ष या उससे अधिक अवधि वाले कठोरश्रम-कारावास, या कारावास के दण्ड का अपराध किया हो;

(4) जब इस आशङ्का का दृढ़ एव तर्कसगत आधार हो कि अभियुक्त साक्ष्य विनष्ट कर सकता है ;

(5) जब कि अभियुक्त का नाम और निवास अज्ञात हो ।

अनु० 90—कोई न्यायालय, यदि उचित समझे, जमानती निर्मुक्ति (release on bail) की अनुमति पदेन (ex-officio) दे सकता है ।

अनु० 91—जब निरोध के अधिपत्र पर, असमुचित दीर्घ अवधि के लिए निरोध निष्पादित हो चुका हो तो न्यायालय, एक व्यवस्था (ruling) द्वारा, अनु० 88 में उल्लिखित व्यक्ति के निवेदन पर या पदेन, निरोध को विखण्डित कर सकता है अथवा जमानती निर्मुक्ति स्वीकृत कर सकता है ।

अनु० 82 परि० 3 के उपबन्ध पिछले परिच्छेद मे उल्लिखित निवेदन के संबंध में, यथोचित परिवर्तन के साथ, लागू होंगे ।

अनु० 92—न्यायालय जमानती निर्मुक्ति की अनुज्ञा करने अथवा उसके लिए किए गए निवेदन को अस्वीकृत करने के पहले ही किसी लोक-समाहर्ता की समति सुनेगा ।

अनु० 93—जमानती निर्मुक्ति स्वीकृत हो जाने पर न्यायालय द्वारा जमानत का द्रव्य निश्चित किया जाएगा ।

जमानत के द्रव्य की राशि, अभियुक्त की उपस्थिति को सुनिश्चित (insure) करने के लिए, अपराध के स्वरूप एव परिस्थितियो, अभियुक्त के विरुद्ध साक्ष्य का भार, उसके चरित्र तथा जमानत देने की उसकी आर्थिक समर्थता का विचार करते हुए जितनी पर्याप्त एव समुचित होगी, निश्चित की जाएगी ।

जब जमानती निर्मुक्ति स्वीकृत हो गई हो, अभियुक्त के निवास पर निर्बन्धन (restriction) लगाया जा सकता है, अथवा अन्य कोई शर्तें जिन्हे उचित समझा जाय, लगाई जा सकती है ।

अनु० 94—जमानती निर्मुक्ति प्रदान करने वाली व्यवस्था (ruling) जमानत की राशि के जमा हो जाने के पहले निष्पादित नही की जाएगी ।

न्यायालय, जमानत की माँग करने वाले व्यक्ति से भिन्न व्यक्ति को जमानत की राशि जमा करने के लिए अनुज्ञा दे सकता है ।

न्यायालय, अभियुक्त से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा, जिसे कि वह उचित समझे, जमानत की राशि के बदले मे स्थानापन्न करने के लिए पराक्राम्य जमानत (negotiable securities) या लिखित प्रतिश्रुति (written undertaking) प्रस्तुत करने की अनुज्ञा दे सकता है ।

अनु० 95—न्यायालय, यदि उचित समझे तो एक व्यवस्था (ruling) द्वारा, निरोध के अदर रखे गए अभियुक्त को उसके सबन्धी, किसी सरक्षक सस्था या इसी तरह की अन्य सस्था के प्रभार से सौंपकर अथवा उसके निवास पर निर्बन्धन लगाकर निरोध के निष्पादन को निलम्बित कर सकता है ।

अनु० 96—यदि अभियुक्त भग गया हो या उसके भग जाने अथवा साक्ष्य विनष्ट करने के सदेह का तर्कसगत आधार हो, समन करने पर बिना समुचित कारण के उपसजात होने में असमर्थ रहा हो या उसके निवास पर लगाए गए निर्बन्धन अथवा न्यायालय द्वारा निर्धारित अन्य शर्तो का अतिलघन

अध्याय 9

अभिग्रहण और तलाशी

(Seizure and Search)

अनु० 99—न्यायालय, आवश्यकतानुसार, इस अथवा अन्य विधियो द्वारा अन्यथा विहित दशाओ को छोड़कर किसी भी वस्तु का अभिग्रहण कर सकता है जिसे वह समझे कि वह वस्तु साक्ष्य मे उपयुक्त हो सकती है, अथवा जो राज्यसात्करण के योग्य है।

न्यायालय, अभिग्रहण में ली जाने वाली वस्तुओ को नामोद्दिष्ट कर सकता है और उसके स्वामी, अधिकर्ता या अभिरक्षक को उक्त वस्तु प्रस्तुत करने के लिए आदेश दे सकता है।

अनु० 100—न्यायालय, अभियुक्त द्वारा या उसके पास भेजे गए तार से सबद्ध कागजो या डाक-सामग्री का, जो किसी सरकारी कार्यालय या किसी अन्य संचार-कार्य करने वाले व्यक्ति के अभिरक्षण या अधिकार मे हो, अभिग्रहण कर सकता है अथवा उन्हे प्रस्तुत करा सकता है।

पिछले परिच्छेद मे उल्लिखित से भिन्न डाक–सामग्री या तार से सबद्ध कागजो का, जो किसी सरकारी कार्यालय या सचार-कार्य करने वाले अन्य किसी व्यक्ति के अभिरक्षण या अधिकार में हो, अभिग्रहण किया जा सकता है या उन्हे प्रस्तुत कराया जा सकता है केवल उसी दशा मे जब कि प्रस्तुत अभियोग से उनका सबध जताने वाली परिस्थितियाँ हो।

जब पिछले दो परिच्छेदो के उपबन्धों के अन्तर्गत कोई कार्रवाई कार्यान्वित की गई हो तो इस तथ्य की सूचना भेजने वाले (sender) या पाने वाले (addressee) को दी जाएगी। तथापि, यह तब लागू नही होगा जब कि उक्त अधिसूचना से कार्यवाही में रुकावट आ जाने की आशका हो।

अनु० 101—वे वस्तुएँ, जो अभियुक्त या अन्य किसी व्यक्ति द्वारा गिरा दी गई हों, अथवा जो उनके स्वामी, अधिकर्ता या अभिरक्षक द्वारा स्वेच्छया प्रस्तुत की गई हों, प्रतिधारित (retained) की जा सकती है।

अनु० 102—न्यायालय, आवश्यकतानुसार, अभियुक्त के शरीर, सपत्ति, निवास या अन्य किसी स्थान की तलाशी ले सकता है।

अभियुक्त से भिन्न किसी व्यक्ति के शरीर, संपत्ति, निवास या अन्य किसी स्थान की तलाशी तभी की जा सकती है जब कि परिस्थितियो से यह विश्वास हो जाय कि वहाँ पर अभिग्रहण के योग्य वस्तुएँ हैं।

अनु० 103—यदि कोई व्यक्ति, जो किसी कार्यालय से सबद्ध कोई लोक-कर्मचारी हो या रह चुका हो, अपने अभिरक्षण या अधिकार मे रखी हुई वस्तुओं के सबध में, यह घोषणा करे कि उक्त वस्तुएँ किसी कार्या-लयीय रहस्य से सबद्ध है तो ऐसी वस्तुओं का अभिग्रहण किसी समर्थ पर्यवेक्षी कार्यालय की समति से ही किया जा सकता है। तथापि, उन दशाओ को छोड़कर, जिनमे कि अनुपालन राज्य के प्रधान हितो के प्रतिकूल हो, वह कार्यालय उक्त समति देना अस्वीकृत नही कर सकता।

अनु० 104—यदि पिछले अनुच्छेद में उल्लिखित घोषणा निम्नलिखित व्यक्तियो द्वारा की गई हो तो अभिग्रहण, प्रभाग 1 में उल्लिखित व्यक्ति के सबध मे, **सदन** की समति के बिना, तथा प्रभाग 2 मे उल्लिखित व्यक्ति के सबध मे **मंत्रि-परिषद्** की समति के बिना, नही किया जा सकता :

(1) वह व्यक्ति जो **प्रतिनिधि सदन** या **सभासद्-सदन** का सदस्य हो या रह चुका हो;

(2) वह व्यक्ति जो प्रधान मत्री या राज्य-मत्री हो या रह चुका हो।

पिछले परिच्छेद की दशा मे **प्रतिनिधि-सदन, सभासद्-सदन** या **मंत्रि-परिषद्**, केवल उस दशा को छोडकर, जब कि अनुपालन राज्य के प्रधान हितो के प्रतिकूल हो, समति देना अस्वीकृत नही कर सकते।

अनु० 105—कोई व्यक्ति जो डाक्टर, दन्तचिकित्सक, दाई, उपचारिका अधिवक्ता, एकस्व अभिकर्ता (patent agent) लेख्य-प्रमाणक या धार्मिक कार्यकर्ता हो या रह चुका हो, किसी प्रादेश (mandate) के फलस्वरूप जो उसे अपनी व्यवसायिक दिशा में मिला हो और जिसका सबध अन्य व्यक्तियो के रहस्यो से हो, अपने अधिकार या अभिरक्षण मे रखी हुई वस्तुओ के अभि-ग्रहण को अस्वीकृत कर सकता है। किन्तु यह उस दशा मे लागू नही होगा यदि मुख्य (मुवक्किल) ने उक्त अभिग्रहण की समति दे दी हो, या अभिग्रहण की अस्वीकृति को केवल अधिकार के दुरुपयोग के अतिरिक्त और कुछ न समझा जाए जिसका उद्देश्य अभियुक्त का हित-मात्र हो, जब कि वह मुख्य (मुवक्किल) न हो, अथवा कोई विशेष परिस्थितियाँ हो जिनका निश्चय न्यायालय के नियमों द्वारा किया जाएगा।

अनु० 106—अभिग्रहण या तलाशी का अधिपत्र उसी दशा में जारी किया जाएगा जब कि अभिग्रहण या तलाशी खुले न्यायालय से अन्यत्र करनी हो।

अनु० 107—अभिग्रहण या तलाशी के अधिपत्र में—अभियुक्त और अपराध का नाम, वस्तुएँ जिनका अभिग्रहण करना हो अथवा स्थान, व्यक्ति या वस्तु जिनकी तलाशी लेनी हो; प्रभावी अवधि; तथा यह विवरण कि उक्त अवधि के बीत जाने पर अधिपत्र का निष्पादन किसी तरह नही किया जाएगा और उसे जारी करने वाले न्यायालय को लौटा दिया जाएगा, साथही अन्य तथ्य भी, जो न्यायालय-नियमो द्वारा विहित हो, और पीठासीन न्यायाधीश का नाम एव उसकी मुहर—रहेगी।

अनु० 64 के परिच्छेद 2 के उपबन्ध, यथोचित परिवर्तन के साथ, पिछले परिच्छेद मे उल्लिखित अभिग्रहण एव तलाशी के सबन्ध मे लागू होगे।

अनु० 108—अभिग्रहण या तलाशी के अधिपत्र का निष्पादन, लोक-समाहर्ता के निदेशन मे, लोक-समाहर्ता-कार्यालय के किसी सचिव, अथवा न्यायिक पुलिस कर्मचारी द्वारा किया जाएगा। तथापि, उन दशाओ मे जबकि न्यायालय अभियुक्त के हितो की रक्षा आवश्यक समझे तो पीठासीन न्यायाधीश उस अधिपत्र को न्यायालय-लिपिक या न्यायिक पुलिस कर्मचारी द्वारा निष्पादित किए जाने का निदेश दे सकता है।

अभिग्रहण या तलाशी के अधिपत्र के निष्पादन में, न्यायालय उसके निष्पादन करने वाले व्यक्ति को ऐसे अनुदेश (instructions) लिखित रूप मे दे सकता है जिन्हे वह उचित समझे।

पिछले परिच्छेद मे उल्लिखित अनुदेश, किसी सहयोगी (Collegiate) न्यायालय के सदस्य द्वारा दिलाए जा सकते हैं।

अनुच्छेद 71 के उपबन्ध, अभिग्रहण या तलाशी के अधिपत्र के निष्पादन के सबन्ध मे, यथोचित परिवर्तन के साथ, लागू होंगे।

अनु० 109—अभिग्रहण या तलाशी के अधिपत्र के निष्पादन में, लोक-समाहर्ता-कार्यालय का सचिव, अथवा न्यायालय-लिपिक, आवश्यकतानुसार, न्यायिक पुलिस कर्मचारी से सहायता की माँग कर सकता है।

अनु० 110—अभिग्रहण या तलाशी का अधिपत्र उस व्यक्ति को दिखाया जाएगा जिसके विरुद्ध वह कार्रवाई की गई हो।

अनु० 111—अभिग्रहण या तलाशी के अधिपत्र के निष्पादन मे ताले हटाए जा सकते है, मुहरे खोली जा सकती है या अन्य कोई आवश्यक उपाय किए जा सकते हैं। यही नियम खुले न्यायालय में कार्यान्वित, अभिग्रहण या तलाशी के संबन्ध मे लागू होगा।

पिछले परिच्छेद मे उल्लिखित कारंवाई अभिगृहीत वस्तुओ के सबन्ध में भी की जा सकती है।

अनु० 112—अभिग्रहण या तलाशी के अधिपत्र के निष्पादन पर्यन्त किसी भी व्यक्ति को प्रवेश करने अथवा बिना अनुज्ञा के वह स्थान छोड़ने के लिए निषिद्ध किया जा सकता है :

वह व्यक्ति जो पिछले परिच्छेद के निषेध का अनुपालन न करे उसे निष्पादन की समाप्ति तक वापस जाने (पीछे हट जाने) अथवा कटघरे में रखे जाने को बाध्य किया जा सकता है।

अनु० 113—अभिग्रहण या तलाशी के अधिपत्र के निष्पादित किए जाने के समय लोक-समाहर्ता, अभियुक्त या उसके प्रतिवाद-परामर्शदाता उपस्थित रह सकते है। तथापि, यह उस अभियुक्त के सबन्ध में लागू नही होगा जो शारीरिक अवरोध में रखा गया हो।

अभिग्रहण या तलाशी के अधिपत्र को निष्पादित करने वाला व्यक्ति उन व्यक्तियो को, जो कि पिछले परिच्छेद के उपबन्धानुसार उपस्थित रह सकते हो, निष्पादन की तिथि, समय एव स्थान के बारे मे अग्रिम सूचना देगा। तथापि, यह उस दशा में लागू नही होगा जबकि निष्पादन पर उपस्थित रहने का अधिकारी व्यक्ति न्यायालय के समक्ष अपने उपस्थित न रहने की इच्छा अग्रिम रूप मे स्पष्टतः व्यक्त करे और न तो उस दशा मे ही, जहाॅ कि अविलम्बिता अपेक्षित हो।

अभिग्रहण या तलाशी के अधिपत्र के निष्पादन मे, न्यायालय आवश्यकतानुसार अभियुवत को उपस्थित रहने को प्रेरित कर सकता है।

अनु० 114—उस दशा में, जबकि अभिग्रहण या तलाशी के अधिपत्र का निष्पादन किसी लोक-कार्यालय में करना हो तो उक्त कार्यालय के अध्यक्ष अथवा उसके स्थानापन्न व्यक्ति को इस तथ्य की अधिसूचना दी जाएगी और इस कारंवाई के कार्यान्वित करते समय उसे उपस्थित रहने के लिए प्रेरित किया जाएगा।

पिछले परिच्छेद के उपबन्धों द्वारा नियन्त्रित दशाओं को छोड़कर जब कोई अभिग्रहण या तलाशी का अधिपत्र किसी व्यक्ति के निवास, परिसर, भवन या व्यक्तियो द्वारा रक्षित जलयान में निष्पादित करना हो तो अधिभोक्ता (occupant) या पालक (keeper) अथवा उनके स्थान पर कार्य करने वाले व्यक्तियो को उपस्थित होने के लिए प्रेरित किया जाएगा। यदि उक्त व्यक्ति न मिले तो कोई पडोसी या स्थानीय लोक-सत्ता के किसी कर्मचारी को उपस्थित रहने के लिए प्रेरित किया जाएगा।

अनु० 115—यदि किसी स्त्री के शरीर की तलाशी का निष्पादन करना हो तो एक अन्य वयस्क स्त्री को उपस्थित रहना आवश्यक होगा किन्तु अविलम्बिता की दशाओ मे यह लागू नही होगा।

अनु० 116—सूर्योदय के पूर्व एव सूर्यास्त के बाद किसी व्यक्ति के निवास, परिसर, भवन या व्यक्तियो द्वारा रक्षित जलयान मे तलाशी या अभिग्रहण के अधिपत्र के निष्पादन के अभिप्राय से तबतक प्रवेश नही किया जाएगा जबतक कि अधिपत्र में यह विवरण न हो कि उसका निष्पादन रात्रि में भी होगा।

उस दशा में जबकि तलाशी या अभिग्रहण के किसी अधिपत्र का निष्पादन सूर्यास्त के पूर्व प्रारम्भ किया गया हो तो वह कार्रवाई सूर्यास्त के बाद तक भी जारी रखी जा सकती है।

अनु० 117—पिछले अनुच्छेद के परिच्छेद 1 में विहित निर्बन्धन का अनुपालन, अभिग्रहण या तलाशी के अधिपत्र के निष्पादन के सबन्ध में निम्नांकित स्थानों में आवश्यक नही हैं :—

(1) वे स्थान, जहाँ स्वभावत· जूआ खेला जाता हो, लाटरी निकाली जाती हो अथवा जहाँ नैतिक आचारो के प्रतिकूल कार्य होते हो;

(2) पान्थशाला (Inns), भोजनालय या अन्य स्थान जहाँ लोग रात को भी पहुँच सकते हो किन्तु केवल उन्हीं घटो में जबकि वे जन-सामान्य के लिए खुले रहते हों।

अनु० 118—उस दशा में जबकि अभिग्रहण या तलाशी के अधिपत्र का निष्पादन निलम्बित हो, आवश्यकतानुसार, उससे सबद्ध स्थान बन्द किया जा सकता है अथवा इसके लिए कोई रक्षी (guard) तबतक के लिए नियुक्त किया जा सकता है जबतक कि निष्पादन पूरा न हो जाए।

अनु० 119—जब कोई तलाशी की गई हो और साक्ष्य के किसी अंश या अभिग्रहण योग्य वस्तुओं का पता न लगा हो तो उस व्यक्ति की माँग पर, जिसकी तलाशी हुई हो, इस तथ्य का प्रमाण-पत्र उसे दिया जाएगा।

अनु० 120—अभिग्रहण के संदर्भ में, ली गई संपत्ति की एक वस्तु-सूची (inventory) बनाई जाएगी और सपत्ति के स्वामी, अधिकर्ता या अभिरक्षक को अथवा उसकी अनुपस्थिति में उस व्यक्ति को, जो उसका अभिवेदन करता हो, दे दी जाएगी।

अनु० 121—अभिगृहीत वस्तुओ के सबन्ध में, जिनका परिवहन सुविधापूर्वक न किया जा सके या जिन्हे सुविधापूर्वक अभिरक्षा (custody) में न रखा जा सके, या तो एक रक्षी (guard) रखा जा सकता है या उसका स्वामी या अन्य कोई व्यक्ति उसका अभिरक्षक बनने के लिए नियत किया जा सकता है, यदि वह इससे सहमत हो।

अभिगृहीत वस्तुओ को, यदि उनसे खतरा पैदा होने की आशका हो, विनष्ट किया अथवा दूर फेंका जा सकता है।

वह व्यक्ति, जिसने अभिग्रहण का अधिपत्र निष्पादित किया हो, पिछले दो परिच्छेदो मे उल्लिखित कारवाइयो को भी कार्यान्वित कर सकता है, जबतक कि किसी न्यायालय द्वारा अन्यथा निदेश न दिए जायँ।

अनु० 122—यदि इस बात की आशका हो कि अभिगृहीत वस्तुएँ, जो राज्यसात्करण के योग्य हो, खो जाएँगी, विनष्ट या क्षत हो जाएँगी अथवा उन्हे सुविधापूर्वक अभिरक्षा में नही रखा जा सकता तो वे न्यायालय द्वारा बेची जा सकती है और आगम (Proceeds) अभिरक्षा में रखा जा सकता है।

अनु० 123—अभिगृहीत वस्तुएँ, जिनका प्रतिधारण अनावश्यक हो, वाद की समाप्ति की बिना प्रतीक्षा किए, एक व्यवस्था (ruling) द्वारा, प्रत्यावर्तित की जा सकती है।

अभिग्रहण के अन्तर्गत रखी वस्तुओ को, उन्हे प्रस्तुत करने वाले स्वामी, अधिकर्ता, अभिरक्षक या पार्टी को माँग करने पर, एक व्यवस्था (ruling) द्वारा, अस्थायीरूप से प्रत्यावर्तित किया जा सकता है।

लोक-समाहर्ता और अभियुक्त, या उसके प्रतिवाद-परामर्शदाता की संमति, पिछले दो परिच्छेदों मे उल्लिखित व्यवस्थाओ (rulings) के कार्यान्वित किए जाने के पहले ही सुनी जाएगी।

अनु० 124—असद् रूप से प्राप्त (ill-gotten) अभिगृहीत माल, जिनका प्रतिधारण अनावश्यक हो, लोक-समाहर्ता, अभियुक्त अथवा उसके प्रतिवाद-परामर्शदाता की समति सुनने के बाद, एक व्यवस्था (ruling) द्वारा, वाद की समाप्ति की बिना प्रतीक्षा किए हुए अपकृत पक्ष को प्रत्यावर्तित कर दिए जाएँगे, किन्तु केवल उसी दशा मे जब कि उन्हे अपकृत पक्ष को प्रत्यावर्तित करने के स्पष्ट कारण हो।

पिछले परिच्छेद के उपबन्ध किसी बद्धहित (interested) व्यक्ति को, दीवानी प्रक्रिया द्वारा, अपने अधिकार प्रदर्शन से नही रोकेंगे।

अनु० 125—सहयोगी न्यायालय के किसी सदस्य को अभिग्रहण या तलाशी कार्यान्वित करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है, अथवा जहाँ अभिग्रहण या तलाशी कार्यान्वित करनी हो उस स्थान पर, जिला-न्यायालय, परिवार-न्यायालय या क्षिप्र-न्यायालय के किसी न्यायाधीश को वैसा करने के लिए अधियाचित किया जा सकता है।

अधियाचित न्यायाधीश, जिला-न्यायालय, परिवार-न्यायालय या क्षिप्र-न्यायालय के किसी अन्य न्यायाधीश को, जिसे उक्त अधिग्रहण के अन्तर्गत कार्य करने का अधिकार हो, अधियाचित कर सकता है।

यदि अधियाचित न्यायाधीश के पास स्वय, अधिग्रहण के अन्तर्गत विषय पर कोई प्राधिकार न हो तो वह उस अधियाचना को दूसरे जिला-न्यायालय, परिवार-न्यायालय, अथवा क्षिप्र-न्यायालय के किसी न्यायाधीश को, जो उक्त अधियाचना स्वीकृत करने के लिए प्राधिकृत हो, अन्तरित कर सकता है।

जहाँ तक किसी राजादिष्ट न्यायाधीश या अधियाचित न्यायाधीश द्वारा कार्यान्वित अभिग्रहण या तलाशी का संबन्ध है, किसी न्यायालय द्वारा कार्यान्वित अभिग्रहण या तलाशी से सबद्ध उपबन्ध, यथोचित परिवर्तन के साथ, लागू होगे। तथापि, अनुच्छेद 100 परिच्छेद 3 मे उल्लिखित सूचना किसी न्यायालय द्वारा दी जाएगी।

अनु० 126—यदि निरोध या प्रस्तुति के अधिपत्र के निष्पादन के लिए आवश्यक हो तो लोक-समाहर्ता-कार्यालय का सचिव या न्यायिक पुलिस कर्मचारी, अभियुक्त की तलाशी के लिए, किसी व्यक्ति के निवास, अथवा परिसर, भवन या व्यक्तियो द्वारा रक्षित जलयान में प्रवेश कर सकता है। उपर्युक्त दशा में तलाशी का अधिपत्र आवश्यक नही है।

अनु० 127—पिछले परिच्छेद के उपबन्धों के अनुसरण मे, किसी न्यायिक पुलिस कर्मचारी या लोक-समाहर्ता-कार्यालय के सचिव द्वारा कार्यान्वित तलाशी के सबन्ध में, अनुच्छेद 111, 112, 114 तथा 118 के उपबन्ध, यथोचित परिवर्तन के साथ, लागू होगे। तथापि, अविलम्बिता की दशा में, अनुच्छेद 114 परिच्छेद 2 के उपबन्धो का अनुपालन आवश्यक नही होगा।

अध्याय 10

निरीक्षण द्वारा साक्ष्य

(Evidence by Inspection)

अनु० 128—तथ्यो का पता लगाने के लिए यदि आवश्यक हो तो न्यायालय साक्ष्य का एक निरीक्षण (Inspection of Evidence) कार्यान्वित कर सकता है।

अनु० 129—निरीक्षण के सदर्भ मे, शरीर की परीक्षा, शव का विच्छेदन, कब्र का उत्खनन (opening of grave), वस्तुओ का विनाश अथवा अन्य आवश्यक कार्रवाई की जा सकती है।

अनु० 130—सूर्योदय के पहले और सूर्यास्त के बाद, किसी व्यक्ति के निवास अथवा परिसर, भवन या व्यक्तियो द्वारा रक्षित जलयानो मे, निरीक्षण के लिए, उनके अधिभोक्ता (occupants) या पालक या उनके स्थान पर काम करने वाले व्यक्तियो की समति से ही प्रवेश किया जा सकता है। तथापि, यह उस दशा में लागू नही होगा जब कि यह आशका हो कि निरीक्षण की वस्तु सूर्योदय के बाद न मिल सकेगी।

सूर्यास्त के पहले प्रारम्भ किया गया निरीक्षण, सूर्यास्त के बाद भी जारी रखा जा सकता है।

अनुच्छेद 117 मे उल्लिखित स्थानो के संबन्ध मे, पहले परिच्छेद में उल्लिखित निर्बन्धन का पालन आवश्यक नही।

अनु० 131—शरीर की परीक्षा में लिंग, स्वास्थ्य की दशा, एवं अन्य परिस्थितियों का विचार, अवश्य किया जाएगा और उस व्यक्ति (स्त्री या पुरुष) की ख्याति ो क्षति न पहुँचे इसके लिए हर उपाय से, विशेषतः निरीक्षण के ढग के चयन में, अवश्य विचार किया जाएगा।

किसी स्त्री की शरीर-परीक्षा में, किसी डाक्टर या अन्य वयस्क स्त्री को उपस्थित होने के लिए प्रेरित किया जाएगा।

अनु॰ 132—न्यायालय, अभियुक्त से भिन्न व्यक्तियों को शरीर-परीक्षा के लिए या तो न्यायालय मे या अन्य नामोद्दिष्ट स्थान पर बुला सकता है।

अनु॰ 133—उस दशा में जबकि पिछले अनुच्छेद के अनुसार आहूत (summoned) व्यक्ति बिना उचित कारण के उपसजात (पेश) न हो तो न्यायालय, एक व्यवस्था (ruling) द्वारा, उस पर पॉच हजार येन तक का अदाण्डिक अर्थदण्ड (non-penal fine) लगा सकता है और साथ ही उसकी अनुपसजाति (non-appearance) से होने वाले व्यय का प्रतिकर देने के लिए आदेश दे सकता है।

पिछले परिच्छेद की व्यवस्था (ruling) के विरुद्ध एक आसन्न (immediate) कोकोकु अपील की जा सकती है।

अन॰ 134—उस दशा में जबकि अनुच्छेद 132 के अनुसार समन किया हुआ व्यक्ति, बिना उचित कारण के उपसजात न हो तो उसे पॉच हजार येन तक का अर्थदण्ड अथवा निरोध से दण्डित किया जा सकता है।

पिछले परिच्छेद के अपराध करनेवाले व्यक्ति पर परिस्थितियो के अनुसार, अर्थदण्ड और निरोध दोनो ही दण्ड लगाए जा सकते है।

अनु॰ 135—प्रत्येक व्यक्ति को, जो अनुछेद 132 के अनुसार समनो (आह्वानो) का पालन न करे, फिर से समन किया जा सकता है अथवा प्रस्तुति के अधिपत्र पर प्रस्तुत किया जा सकता है।

अनु॰ 136—अनुच्छेद 62, 63 और 65, यथोचित परिवर्तन के साथ, अनुच्छेद 132 और पिछले अनुच्छेद के उपबन्धों के अन्तर्गत समनों के सबन्ध में लागू होगे, जबकि अनुच्छेद 62, 64, 66, 67, 70, 71 और अनुच्छेद 73 का परिच्छेद 1, पिछले अनुच्छेद मे उल्लिखित प्रस्तुति (production) के संबन्ध में लागू होगे।

अनु॰ 137—उस दशा में जबकि अभियुक्त अथवा अभियुक्त से भिन्न कोई व्यक्ति बिना समुचित कारण के, शरीर की परीक्षा अस्वीकृत कर दे तो उसे एक व्यवस्था (ruling) द्वारा पॉच हजार येन तक का अदाण्डिक अर्थ-दण्ड (non-penal fine) लगाया जाएगा, और साथ ही उसे उक्त

अस्वीकरण से होनेवाले व्यय का प्रतिकर देने के लिए आदेश दिया जा सकता है।

पिछले परिच्छेद मे उल्लिखित व्यवस्था (ruling) के विरुद्ध एक आसन्न (immediate) कोकोकु अपील की जा सकती है।

अनु० 138—प्रत्येक व्यक्ति को, जो बिना समुचित कारण के, शरीर की परीक्षा को अस्वीकृत करे, अधिक से अधिक पाँच हजार येन तक का अर्थदण्ड या निरोध का दण्ड दिया जाएगा।

प्रत्येक व्यक्ति को, जिसने पिछले परिच्छेद मे उल्लिखित अपराध किया हो, परिस्थितियो के अनुसार, अर्थदण्ड एव निरोध दोनो ही दण्ड दिया जा सकता है।

अनु० 139—उस दशा में जबकि न्यायालय, शरीर-परीक्षा अस्वीकृत करनेवाले व्यक्ति पर अदाण्डिक अर्थदण्ड या अन्य दण्ड लगाना प्रभावशून्य समझे तो वह उसकी अस्वीकृति (refusal) का बिना विचार किए हुए उसकी शरीर की परीक्षा करा सकता है।

अनु० 140—अनुच्छेद 137 के अन्तर्गत अदाण्डिक अर्थदण्ड लगाने अथवा पिछले अनुच्छेद के अन्तर्गत शरीर-परीक्षा के निष्पादन के पूर्व ही, न्यायालय किसी लोक-समाहर्ता की समति सुनेगा और उस व्यक्ति की आपत्तियों (objections) को निश्चित रूप से जानने के लिए उचित प्रयत्न भी करेगा, जिसकी परीक्षा करनी हो।

अनु० 141—निरीक्षण मे, आवश्यकतानुसार, किसी न्यायिक पुलिस कर्मचारी को सहायता के लिए प्रेरित किया जा सकता है।

अनु० 142—अनुच्छेद 112 से 114, 118 और 125 के उपबन्ध, यथोचित परिवर्तन के साथ, निरीक्षण के सबन्ध में लागू होगे।

अध्याय 11

साक्षी की परीक्षा

(Examination of Witness)

अनु० 143—इस विधि मे अन्यथा विहित दशा को छोडकर, न्यायालय साक्षी के रूप में किसी भी व्यक्ति की परीक्षा कर सकता है।

अनु० 144—यदि कोई व्यक्ति, जो लोक-कर्मचारी हो या पहले रह चुका हो, उन तथ्यो के विषय मे जानकारी रखता हो, जिनके विषय मे वह स्वय, अथवा लोक-कार्यालय जिससे वह सबद्ध हो या पहले रह चुका हो, यह घोषित करे कि वे तथ्य कार्यालयीय रहस्यो से सबन्ध रखते है, तो साक्षी के रूप मे उसकी परीक्षा, किसी सक्षम पर्यवेक्षी कार्यालय (competent supervisory office) की समति के बिना नही की जा सकती। तथापि, उक्त कार्यालय, उन दशाओ को छोडकर जिनमे अनुपालन राज्य के प्रधान हितो के प्रतिकूल हो, उक्त समति देना अस्वीकृत नही कर सकता।

अनु० 145—यदि पिछले अनुच्छेद मे उल्लिखित घोषणा निम्नलिखित व्यक्तियो द्वारा की गई हो तो साक्षी के रूप मे उनकी परीक्षा प्रभाग 1 मे उल्लिखित व्यक्ति के सबन्ध में **सदन** की समति के बिना, और प्रभाग 2 मे उल्लिखित व्यक्ति के सबन्ध मे, **मंत्रिपरिषद्** की समति के बिना, नही की जाएगी :

(1) वह व्यक्ति, जो **प्रतिनिधि-सदन** या **सभासद्-सदन** का सदस्य हो या रह चुका हो;

(2) वह व्यक्ति, जो प्रधान-मन्त्री या राज्य-मन्त्री हो या रह चुका हो।

पिछले परिच्छेद की दशा मे, **प्रतिनिधि-सदन, सभासद्-सदन** या **मन्त्रि-परिषद्** केवल उस दशा को छोडकर जबकि अनुपालन राज्य के प्रधान हितो प्रतिकूल हो, उक्त समति देना अस्वीकृत नही कर सकती।

अनु० 146—कोई भी व्यक्ति ऐसे किसी भी प्रश्न का उत्तर देना अस्वीकृत कर सकता है जिसका लक्ष्य स्वय अपने आपको अभिशस्त (incriminate) करना हो।

अनु० 147—साक्षी ऐसे किसी भी प्रश्न का उत्तर देना अस्वीकृत कर सकता है जिसका लक्ष्य निम्नांकित व्यक्तियो को अभिशस्त करना हो :

(1) साक्षी का पति या पत्नी, तीसरी सबन्ध-कोटि (third degree of relationship) के अन्दर का रक्त-सबन्धी, अथवा दूसरी सबन्ध-कोटि के अन्तर्गत विवाह-सबन्ध का सबन्धी अथवा वह व्यक्ति जो साक्षी के उपर्युक्त संबन्धियो मे से कोई सबन्धी रहा हो,

(2) साक्षी का सरक्षक, सरक्षण का पर्यवेक्षक या पालक (curator);

(3) वह व्यक्ति जिसका सरक्षक, सरक्षण का पर्यवेक्षक, अथवा पालक (curator) साक्षी स्वय हो।

अनु० 148—यद्यपि साक्षी पिछले अनुच्छेद मे उल्लिखित सबन्धो में से सहापराधियो (co-offenders) या सहप्रतिवादियो (co-defendants) मे किसी एक या अधिक द्वारा सबद्ध हो तथापि वह उन तथ्यो के सबन्ध मे उत्तर देना अस्वीकार नही करेगा जो शेष सहापराधियो या सहप्रतिवादियों से सबन्ध रखते हो ।

अनु० 149—कोई व्यक्ति, जो डाक्टर, दन्तचिकित्सक, दाई, उपचारिका, अधिवक्ता, एकस्व अभिकर्ता (Patent Agent), लेख्य-प्रमाणक या धार्मिक कार्यकर्ता हो या रह चुका हो, उन तथ्यो के सबन्ध मे, जिनकी जानकारी उसे किसी प्रादेश (mandate) के फलस्वरूप हुई हो जो उसे अपनी व्यावसायिक दिशा मे मिला हो, और जिनका सबन्ध अन्य व्यक्यिो के रहस्यो से हो, मौखिक साक्ष्य देना अस्वीकृत कर सकता है । तथापि, यह उस दशा मे लागू नही होगा यदि मुख्य (मुवक्किल) ने समति दे दी हो अथवा जबकि मौखिक साक्ष्य की अस्वीकृति को केवल अधिकार के दुरुपयोग से अतिरिक्त और कुछ न समझा जाए जिसका उद्देश्य अभियुक्त का हित मात्र हो जबकि वह मुख्य अपराधी न हो अथवा कोई विशेष परिस्थितियाँ हो जिनका निश्चय न्यायालय-नियमों द्वारा किया जाएगा ।

अनु० 150—यदि कोई समन किया गया साक्षी बिना उचित कारण के उपसजात होने मे असमर्थ रहे तो उसे, एक व्यवस्था (ruling) द्वारा अधिक से अधिक पाँच हजार येन तक का अदाण्डिक अर्थदण्ड (non-penal fine) दिया जा सकता है और साथ ही उसे उसकी अनुपसजाति (non-appearance) से होने वाले व्ययो के प्रतिकर देने का आदेश दिया जा सकता है ।

पिछले परिच्छेद में उल्लिखित व्यवस्था (ruling) के विरुद्ध एक आसन्न (immediate) **कोकोकु** अपील की जा सकती है ।

अनु० 151—यदि साक्षी के रूप मे समन किया गया कोई व्यक्ति, बिना उचित कारण के, उपसजात होने मे असमर्थ रहे तो उसे पॉच हजार येन तक का अर्थदण्ड या निरोध का दण्ड दिया जाएगा ।

पिछले परिच्छेद में उल्लिखित दशा में, परिस्थितियों के अनुसार, अर्थदण्ड और निरोध दोनों की दण्ड लगाए जा सकते है ।

अनु० 152—ऐसे साक्षी को, जो समन का अनुपालन न करे, फिर से समन किया जा सकता है ।

अनु० 153—अनुच्छेद 62, 63 और 65 के उपबन्ध, यथोचित परिवर्तन के साथ, साक्षी के समनो के सबन्ध मे लागू होगे, जबकि अनुच्छेद 62, 64, 66, 67, 70, 71 और 73, परिच्छेद 1 के उपबन्ध, साक्षी की प्रस्तुति के सबन्ध मे ।

अनु० 154—साक्षी को, इस विधि में अन्यथा विहित दशा को छोडकर, शपथ दिलाया जाएगा ।

अनु० 155—शपथ न समझ सकने वाले साक्षी की परीक्षा बिना शपथ दिलाए ही की जाएगी ।

यदि पिछले परिच्छेद में उल्लिखित कोई साक्षी (गलती से) शपथ ले लिया हो, तथापि, यह उसके प्रमाण को सबल साक्ष्य होने से नही रोकेगा ।

अनु० 156—साक्षी को अपने अनुमानो के विवरण देने के लिए प्रेरित किया जा सकता है जिन्हे उसने अपने अनुभूत तथ्यो से निकाला हो ।

पिछले परिच्छेद मे उल्लिखित विवरण प्रमाण के रूप में अपनी मान्यता नही खोएगा चाहे वह विशेषज्ञ साक्ष्य (expert evidence) का रूप भले धारण कर ले ।

अनु० 157—साक्षी की परीक्षा के समय, लोक-समाहर्ता, अभियुक्त अथवा उसका प्रतिवाद परामर्शदाता उपस्थित रह सकता है ।

पिछले परिच्छेद के अनुसार परीक्षा के समय उपस्थित रहने के अधिकारी व्यक्तियो को, साक्षी की परीक्षा के स्थान एव तिथि की सूचना, अग्रिम रूप में दी जाएगी । तथापि, यह उस दशा मे लागू नही होगा जब कि परीक्षा के समय उपस्थित रहने का अधिकारी व्यक्ति, वहाँ उपस्थित न रहने की अपनी इच्छा न्यायालय के समक्ष अग्रिम रूप मे स्पष्टत: व्यक्त करे ।

जब पहले परिच्छेद मे उल्लिखित व्यक्ति, साक्षी की परीक्षा के समय उपस्थित हो तो वे किसी पीठासीन न्यायाधीश को अधिसूचित करके साक्षी की परीक्षा कर सकते है ।

अनु० 158—लोक-समाहर्ता एव अभियुक्त या उसके प्रतिवाद-परामर्शदाता की समति सुनने के बाद, तथा साक्षी, उसकी आयु, व्यवसाय, स्वास्थ्य, अन्य विशेष परिस्थितियो के महत्त्व एव वाद की गुरुता पर विचार करते हुए

न्यायालय यदि आवश्यक समझे तो साक्षी को परीक्षा के लिए, न्यायालय से भिन्न किसी स्थान पर समन कर सकता है अथवा वह जहाँ हो वही परीक्षा कर सकता है ।

पिछले परिच्छेद मे उल्लिखित दशा के अन्तर्गत न्यायालय लोक-समाहर्ता, अभियुक्त और उसके प्रतिवाद परामर्शदाता को न्यायालय द्वारा साक्षी से पूछे जाने वाले प्रश्नो को जानने का अवसर अग्रिम रूप में देगा ।

लोकसमाहर्ता, अभियुक्त अथवा उसके प्रतिवाद-परामर्शदाता पिछले परिच्छेद मे उल्लिखित प्रश्नो मे क्रमश अपने प्रश्नो को जोड़ सकते है और उन्हे साक्षी से पूछने के लिए न्यायालय से निवेदन कर सकते है ।

अनु० 159—पिछले अनुच्छेद द्वारा विहित साक्षी की परीक्षा के समय यदि लोकसमाहर्ता, अभियुक्त या उसका प्रतिवाद-परामर्शदाता उपस्थित न रहा हो तो न्यायालय लोकसमाहर्ता, अभियुक्त अथवा उसके प्रतिवाद परामर्शदाता को, साक्षी द्वारा प्रमाणित तथ्य जानने का अवसर देगा ।

उस दशा मे जब कि पिछले परिच्छेद मे उल्लिखित साक्षी के प्रमाण मे अभियुक्त का कोई अप्रत्याशित एव गम्भीर अलाभ हो तो वह अथवा उसका प्रतिवाद-परामर्शदाता न्यायालय से उन विषयो के सबन्ध मे, जिसे वह अथवा उसका प्रतिवाद-परामर्शदाता प्रतिवाद के लिए आवश्यक समझते हो, पुनः परीक्षा के लिए फिर से निवेदन कर सकते है ।

न्यायालय पिछले परिच्छेद में उल्लिखित निवेदन को खारिज कर सकता है यदि वह उक्त निवेदन को युक्तियुक्त न समझे ।

अनु० 160—यदि कोई साक्षी शपथ लेने अथवा बिना उचित कारण के प्रमाण देना अस्वीकृत करे तो उसे, एक व्यवस्था (ruling) के आधार पर, पाँच हजार येन तक का अदाण्डिक अर्थदण्ड (non-penal fine) एव साथ ही उक्त अस्वीकृति से होने वाले व्ययो के प्रतिकर देने का आदेश दिया जा सकता है ।

पिछले परिच्छेद में उल्लिखित व्यवस्था (ruling) के विरुद्ध एक आसन्न (immediate) **कोकोकु** अपील की जा सकती है ।

अनु० 161—किसी व्यक्ति को, शपथ लेने अथवा बिना उचित कारण के, प्रमाण देना अस्वीकृत करने पर पाँच हजार येन तक का अर्थदण्ड या निरोध का दण्ड दिया जाएगा ।

पिछले परिच्छेद मे उल्लिखित दशा के अन्तर्गत, परिस्थितियो के अनुसार, अर्थदण्ड एव निरोध दोनो ही दण्ड लगाए जा सकते है।

अनु० 162—न्यायालय, एक व्यवस्था (ruling) के आधार पर, आवश्यकतानुसार, साक्षी को किसी नामोद्दिष्ट स्थान पर साथ जाने के लिए आदेश दे सकता है। साक्षी को, यदि वह बिना किसी उचित कारण के साथ जाने के आदेश का अनुपालन न करे, प्रस्तुत कराया जा सकता है।

अनु० 163—उस दशा मे जब कि किसी साक्षी की परीक्षा न्यायालय के बाहर करनी हो तो उक्त परीक्षा करने के लिए सहयोगी न्यायालय के किसी सदस्य को प्रेरित किया जा सकता है अथवा जिला-न्यायालय, परिवार-न्यायालय या क्षिप्र-न्यायालय के किसी न्यायाधीश को, जहाँ वह साक्षी हो, वैसा (परीक्षा) करने के लिए अधियाचित किया जा सकता है।

अधियाचित न्यायाधीश अपनी बारी मे किसी अन्य जिला-न्यायालय, परिवार-न्यायालय या क्षिप्र-न्यायालय के किसी न्यायाधीश को अधियाचित कर सकता है जिसे उक्त अधियाचना स्वीकृत करने का प्राधिकार हो।

यदि अधियाचित न्यायाधीश को अधियाचना के अन्तर्गत विषय पर स्वय प्राधिकार न हो तो वह अधियाचना को अन्य जिला-न्यायालय, परिवार-न्यायालय या क्षिप्र-न्यायालय के किसी न्यायाधीश के यहाँ अन्तरित कर सकता है जिसे उक्त अधियाचना स्वीकृत करने का प्राधिकार हो।

साक्षियो की परीक्षा के सबन्ध में, राजादिष्ट अथवा अधियाचित न्यायधीश पीठासीन न्यायाधीश के न्यायालय से सबद्ध कारवाइयाँ कर सकता है। तथापि, अनुच्छेद 150 एव 160 मे उल्लिखित व्यवस्थाएँ (rulings) न्यायालय द्वारा भी की जा सकेंगी।

पिछले परिच्छेद को छोडकर, अनुच्छेद 158 परिच्छेद 2 और 3 तथा अनुच्छेद 159 द्वारा विहित सभी कार्यवाहियाँ (प्रधान) न्यायालय द्वारा कार्यान्वित की जाएँगी।

अनु० 164—साक्षी यात्रा-व्ययो (travelling expenses), दैनिक भत्तो एव निवास प्रभारों (lodging charges) की माँग कर सकता है। तथापि, यह उस दशा मे लागू नही होगा, यदि उसने, बिना उचित कारण के शपथ लेने अथवा प्रमाणित करने से इन्कार किया हो।

अध्याय 12

विशेषज्ञ साक्ष्य (Expert Evidence)

अनु० 165—न्यायालय विद्वानो एव अनुभव वाले व्यक्तियो को विशेष साक्ष्य (expert evidence) देने के लिए आदेश दे सकता है।

अनु० 166—विशेषज्ञ साक्षी को शपथ दिलाया जायगा।

अनु० 167—यदि अभियुक्त की शारीरिक या मानसिक दशाओ के संबन्ध मे विशेषज्ञ साक्ष्य की आवश्यकता हो, तो न्यायालय, आवश्यकतानुसार, अभियुक्त को किसी औषधालय या अन्य उपयुक्त स्थान मे, निश्चित अवधि तक परिरुद्ध रख सकता है।

पिछले परिच्छेद के अनुसार, अभियुक्त को परिरुद्ध रखने के लिए परिरोध का एक प्रादेश (writ) जारी किया जाएगा।

इस विधि मे अन्यथा विहित दशा को छोडकर, निरोध-सबधी उपबन्ध, यथोचित परिवर्तन के साथ, पहले परिच्छेद मे उल्लिखित परिरोध के सबध मे लागू होगे। तथापि, यह जमानती निर्मुक्ति से सबद्ध उपबन्धो के सबध में लागू नही होंगे।

अनु० 168—विशेषज्ञ साक्ष्य के लिए आवश्यकतानुसार, कोई विशेषज्ञ साक्षी, न्यायालय की अनुमति से, किसी व्यक्ति के निवास, परिसर, भवन या व्यक्तियों द्वारा रक्षित जलयानों में प्रवेश कर सकता है, शरीर की परीक्षा (जॉच) कर सकता है, शव का विच्छेदन कर सकता है, समाधि उखाड सकता है, अथवा वस्तुओ को तोड या विनष्ट कर सकता है।

पिछले परिच्छेद मे उल्लिखित अनुमति देने पर, न्यायालय अनुमति का एक अधिपत्र जारी करेगा जिसमें अभियुक्त का नाम, अपराध, स्थान जिसमें प्रवेश करना हो, शरीर, जिसकी परीक्षा करनी हो, शव जिसका विच्छेदन करना हो, समाधि जिसे उखाड़ना हो, वस्तुएँ जिन्हे विनष्ट करना हो, विशेषज्ञ साक्षी का नाम तथा न्यायालय के नियमों द्वारा विहित अन्य विषय लिखित रहेगें।

न्यायालय किसी व्यक्ति (शरीर) की परीक्षा के लिए कुछ उपबन्धो को विहित कर सकता है जिन्हे वह न्यायालय युक्तिसंगत समझे।

विशेषज्ञ साक्षी अनुमति का अधिपत्र उस व्यक्ति को दिखलाएगा जिस पर पहले परिच्छेद मे उल्लिखित कारवाई हुई हो।

पिछले तीन परिच्छेदो के उपबन्ध, विशेषज्ञ साक्षी द्वारा न्यायालय-कक्ष मे की जाने वाली पहले परिच्छेद मे उल्लिखित कारवाईयो के सबध मे नही लागू होगे।

अनुच्छेद 131, 137, 138 और 140 के उपबन्ध, यथोचित परिवर्तन के साथ, पहले परिच्छेद की व्यवस्थाओ के अनुसार किसी विशेषज्ञ साक्षी द्वारा की गई शरीर की परीक्षा के सबध में लागू होगे।

अनु० 169—न्यायालय, सहयोगी न्यायालय के किसी सदस्य को विशेषज्ञ साक्ष्य लेने के लिए आवश्यक कारवाई करने को प्रेरित कर सकता है। तथापि यह अनुच्छेद 167, परिच्छेद 1 मे विहित कारवाई के सबध मे लागू नही होगा।

अनु० 170—विशेषज्ञ साक्षी द्वारा की जाने वाली परीक्षा या जाँच के समय लोक-समाहर्ता या प्रतिवाद-परामर्शदाता उपस्थित रह सकते है। इस सम्बन्ध मे अनुच्छेद 157 परिच्छेद 2 के उपबन्ध, यथोचित, परिवर्तन के साथ लागू होगे।

अनु० 171—प्रस्तुति से सबद्ध उपबन्धो को छोड़कर, पिछले अध्याय के उपबन्ध, यथोचित परिवर्तन के साथ, विशेषज्ञ साक्ष्य के सबध मे लागू होगे।

अनु० 172—वह व्यक्ति, जिसकी शरीर-परीक्षा, अनुच्छेद 168, परिच्छेद 1 के अनुसार किसी विशेषज्ञ साक्षी द्वारा की जाने वाली हो, यदि परीक्षा देने से इंकार करे तो विशेषज्ञ साक्षी परीक्षा के लिए किसी न्यायाधीश से निवेदन कर सकता है।

पिछले परिच्छेद मे उल्लिखित निवेदन पर, न्यायाधीश, आवश्यक परिवर्तनो के साथ अध्याय 10 की व्यवस्थाओं के अनुसार, शरीर की परीक्षा कर सकता है।

अनु० 173—विशेषज्ञ साक्षी अपने यात्रा-व्यय, दैनिक भत्ते एवं निवास खर्च के साथ ही साथ अपनी समति एव परिव्यय की प्रतिपूर्ति के शुल्क की माँग कर सकता है।

अनु० 174—उस दशा मे जब कि किसी व्यक्ति की परीक्षा, उन भूत-कालीन तथ्यों के सबध मे की गई हो, जिन्हे वह अपने विशेष-ज्ञान के कारण जानता हो, तो इस अध्याय के उपबन्धों के बदले पिछले अध्याय के उपबन्ध ही कार्यकर होगे ।

अध्याय 13

अर्थ-निर्वचन एवं अनुवाद

(Interpretation and Translation)

अनु० 175—उस दशा में जब कि किसी ऐसे व्यक्ति से विवरण लेना हो जो जापानी भाषा म प्रवीण न हो तो एक भाषान्तर करने वाले (द्विभाष) को अर्थ-निर्वाचन के लिए प्रेरित किया जाएगा ।

अनु० 176—उस दशा मे जब कि किसी बधिर या मूक से विवरण लेना हो तो किसी अर्थ-निर्वाचक को अर्थ लगाने के लिए प्रेरित किया जा सकता है।

अनु० 177—वर्ण, चिह्न या सकेत जो जापानी भाषा मे न हों अनूदित कराए जा सकते है ।

अनु० 178—पिछले अध्याय के उपबन्ध, यथोचित परिवर्तन के साथ, अर्थ-निर्वचन एवं अनुवाद के सम्बन्ध में लागू होंगे ।

अध्याय 14

साक्ष्य का परिरक्षण

(Preservation of Evidence)

अनु० 179—अभियुक्त, सदिग्ध अथवा उसका प्रतिवाद-परामर्शदाता, जब ऐसे कारण हों जिनसे साक्ष्य का अग्रिम परिरक्षण न होने पर, साक्ष्य का उपयोग दुष्कर हो जाय, पहले लोक-विचारण के पूर्व ही, न्यायाधीश से अभि-ग्रहण, तलाशी, निरीक्षण द्वारा साक्ष्य, साक्षी की परीक्षा अथवा विशेषज्ञ साक्ष्य जैसी कार्रवाइयो के करने का निवेदन कर सकता है ।

पिछले परिच्छेद में विहित निवेदन को प्राप्त करने वाले न्यायाधीश को वही अधिकार होगा जैसा किसी पीठासीन न्यायाधीश के न्यायालय को उसकी कार्रवाइयो के सबध में होता है ।

अनु० 180—कोई लोक-समाहर्ता तथा प्रतिवाद-परामर्शदाता, न्यायालय मे पिछले अनुच्छेद के परिच्छेद 1 में उल्लिखित कार्रवाइयो से सबद्ध साक्ष्यो के अशो एव प्रलेखो (documents) का निरीक्षण एव उसकी प्रतिलिपि कर सकते है। तथापि, यदि प्रतिवाद-परामर्शदाता को साक्ष्य के अशो की प्रतिलिपि करना हो तो उसे न्यायाधीश की अनुमति लेनी होगी।

अभियुक्त या संदिग्ध, न्यायालय मे, न्यायाधीश की अनुमति से, पिछले परिच्छेद में उल्लिखित प्रलेखो एव साक्ष्य के अशो के निरीक्षण कर सकते है। तथापि, यह उस दशा मे लागू नही होगा जब कि अभियुक्त या सदिग्ध को कोई प्रतिवाद-परामर्शदाता सौपा गया हो।

अध्याय 15

विचारण के परिव्यय

(Costs of Trial)

अनु० 181—दण्ड के उद्घोषित किए जाने पर, विचारण के परिव्यय का पूरा या कोई अश अभियुक्त से चार्ज (वसूल) किया जाएगा।

कोई दण्ड उद्घोषित किए जाने पर भी, वह परिव्यय, जो ऐसे कारण से उत्पन्न हुआ हो, जिसे अभियुक्त पर आरोपित किया जा सके, अभियुक्त से वसूल किया जाएगा।

उस दशा में जब कि केवल लोक-समाहर्ता ने ही अपील की हो और वह अपील खारिज की गई या वापस ले ली गई हो तो अपील से सबद्ध परिव्यय अभियुक्त पर नही लगाए जाएँगे।

अनु० 182—सहापराधियो के विरुद्ध विचारण का परिव्यय, उन सहापराधियो पर इस तरह लगाया जाएगा जिसे वे सयुक्त और पृथक् रूप से वहन करे।

अनु० 183—यदि, उस दशा में जबकि उस अभियोग मे निर्दोषिता या विमुक्ति का कोई निर्णय दिया गया हो जिस पर लोक-कार्रवाई परिवाद, अभियोजन या निवेदन से हुई हो, परिवादकर्ता, अभियोक्ता या निवेदक ने असद्भाव (in bad faith) या घोर प्रमादवश कार्य किया हो तो विचारण का परिव्यय उसी पर लगाया जाएगा।

अनु॰ 184—कार्यवाही के पुनर्विचार की माँग या अपील के सबध में, जो लोक-समाहर्ता से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा वापस ले ली गई हो, अपील या कार्यवाही के पुनर्विचार से सबद्ध परिव्यय उक्त व्यक्ति पर लगाए जाएँगे।

अनु॰ 185—जबकि उस अभियोग में, जिसमे कि कार्यवाहियाँ निर्णय द्वारा समाप्त कर दी गई हो, विचारण का परिव्यय अभियुक्त पर लगाया जाने वाला हो तो उक्त परिव्यय के विषय में निर्णय पदेन (ex-officio) किया जाएगा। ऐसे निर्णय के विरुद्ध अपील केवल तभी की जा सकती है जब कि मुख्य विषयों (principal matters) के निर्णय के विरुद्ध अपील की जा चुकी हो।

अनु॰ 186—जबकि उस अभियोग मे जिसमें कि कार्यवाहियाँ निर्णय द्वारा समाप्त कर दी गई हो, अभियुक्त से भिन्न व्यक्ति पर विचारण के परिव्यय लगाए जाने वाले हो तो इसके लिए एक पृथक् व्यवस्था (ruling) पदेन जारी की जाएगी। ऐसी व्यवस्था (ruling) के विरुद्ध एक आसन्न **कोकोकु** अपील की जा सकती है।

अनु॰ 187—जबकि उस अभियोग में विचारण का परिव्यय चार्ज करना हो, जिसमें कि कार्यवाहियो की समाप्ति (termination) निर्णय से भिन्न तरह की गई हो तो इसके लिए उस न्यायालय द्वारा, जिसमे कि अभियोग अत में लम्बित हो, एक व्यवस्था (ruling) पदेन जारी की जाएगी। ऐसी व्यवस्था के विरुद्ध आसन्न **कोकोकु** अपील की जा सकती है।

अनु॰ 188—यदि, किसी निर्णय मे, विचारण के परिव्यय वहन किए जाने के लिए आदेश किया गया हो, (किन्तु) परिव्यय की राशि निश्चित न की गई हो तो वह उस लोक-समाहर्ता द्वारा निश्चित की जाएगी जो इसके निष्पादन का निदेश करने वाला हो।

दूसरा खण्ड

प्राथमिक व्यवहार (First Instance)

अध्याय 1

परिप्रश्न (जाँच) एवं अनुसंधान
(Inquiry and Investigation)

अनु० 189—राष्ट्रीय ग्रामीण पुलिस (National Rural Police) के सदस्य अथवा स्वायत्तशासी सत्ताओ (Autonomous Entities) के किसी पुलिस को, विधि द्वारा अथवा **राष्ट्रीय लोक-सुरक्षा आयोग** (National Public Safety Commisson), **अनुशासकीय लोक-सुरक्षा आयोग** (Prefectural Public Safety Commission), **नगर** (City), **पौर** (Town) **ग्राम्य** (Village) **लोक-सुरक्षा आयोग** के अथवा **संबद्ध स्पेशल वार्ड लोक-सुरक्षा आयोग** (Special Ward Public Saftey Commission) के विनियमो (regulations) द्वारा प्राधिकृत होकर न्यायिक पुलिस कर्मचारी के रूप मे अपना कर्तव्य करना होगा।

न्यायिक पुलिस कर्मचारी जब यह समझे कि कोई अपराध किया गया है तो उन्हे अपराधी और उससे सबद्ध साक्ष्य का अनुसंधान करना होगा।

अनु० 190—उन व्यक्तियो को, जिन्हे वन-विभाग (forestry), रेलवे या अन्य विशेष विषयो में न्यायिक पुलिस कर्मचारी के कृत्य करने हो, उनके कृत्यों के क्षेत्र का विधान अन्य विधि द्वारा किया जाएगा।

अनु० 191—लोक-समाहर्ता, यदि आवश्यक समझे, किसी अपराध का अनुसधान स्वयं कर सकता है।

किसी लोक-समाहर्ता के अनुदेशानुसार, लोक-समाहर्ता-कार्यालय का सचिव, किसी अपराध का अनुसधान करेगा।

अनु० 192—आपराधिक अनुसधान (Criminal Investigation) के विषय में, लोक-समाहर्ताओ एव **अनुशासकीय लोक-सुरक्षा आयोग** (Prefectural Public Safety Commission), **नगर** (City), **पौर**

(Town) या **ग्राम्य** (Village) **लोक-सुरक्षा आयोग** (Public Safety Commission), **स्पेशल वार्ड लोक-सुरक्षा आयोग** (Special Ward Public Safety Commission) तथा न्यायिक पुलिस कर्मचारियो मे पारस्परिक सहयोग एव समन्वय रहेगा ।

अनु० 193—कोई लोक-समाहर्ता, अपने अधिकार-क्षेत्र के अन्तर्गत, न्यायिक पुलिस कर्मचारियो को उनके अनुसधान के विषय मे आवश्यक सुझाव दे सकता है। उक्त सामान्य सुझाव आपराधिक अनुसधान की मुख्य आवश्यकताओ के मानको (Standards) के निर्धारण तक ही सीमित रहेंगे और जो (मानक) लोक-कार्यवाही के स्थापन एव पुष्टीकरण के लिए आवश्यक होगे ।

लोक-समाहर्ता, अपने अधिकार-क्षेत्र के अन्तर्गत, न्यायिक पुलिस कर्मचारियो को ऐसे सामान्य अनुदेश भी जारी कर सकता है जो उनको अनुसधान मे सहयोग देने के लिए आवश्यक हो ।

लोक-समाहर्ता, जबकि वह स्वय किसी अपराध का अनुसधान करता हो, आवश्यकतानुसार, न्यायिक पुलिस कर्मचारियो को अनुदेश दे सकता है और उन्हे अनुसधान मे सहायता करने को प्रेरित कर सकता है ।

पिछले तीन परिच्छेदो की दशाओ मे, न्यायिक पुलिस कर्मचारियो को लोक-समाहर्ता के सुझावो एव अनुदेशो का अनुसरण करना होगा ।

अनु० 194—**महा-समाहर्ता** (Procurator General), उच्च लोक-समाहर्ता-कार्यालय का **अधीक्षक-समाहर्ता** (Superintending Procurator) या जिला-लोक-समाहर्ता-कार्यालय का प्रधान (Chief), उन दशाओं मे जबकि न्यायिक पुलिस कर्मचारी, बिना उचित कारण के, लोक-समाहर्ता के सुझावो एव अनुदेशों का अनुसरण न कर सके, यदि आवश्यक समझे तो उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई अथवा उनके हटाए जाने के सबध में आरोप (Charges) फाइल कर सकता है, यदि वे ऐसे न्यायिक पुलिस कर्मचारी हो जो **राष्ट्रीय ग्रामीण पुलिस** (National Rural Police) के सदस्य या **स्वायत्तशासी सत्ताओं** (Autonomous Entities) के पुलिस हो तो, या तो **राष्ट्रीय लोक-सुरक्षा आयोग**, **अनुशासकीय लोक-सुरक्षा आयोग, नगर, पौर** या **ग्रामीण** लोक-सुरक्षा आयोग अथवा **स्पेसल वार्ड लोक-सुरक्षा आयोग** में या उस व्यक्ति के यहाँ, जिसे अनुशासनिक कार्रवाई

का अधिकार हो, आरोप फाइल कर सकता है, अथवा उनके हटाए जाने के लिए, यदि वे **राष्ट्रीय ग्रामीण पुलिस** कर्मचारियों या **स्वायत्तशासी सत्ताओं** के कर्मचारियो से भिन्न न्यायिक पुलिस कर्मचारी हो, कार्रवाई कर सकता है।

राष्ट्रीय लोक-सुरक्षा आयोग, अनुशासकीय लोक-सुरक्षा आयोग, नगर, पौर या **ग्रामीण लोक-सुरक्षा** या **स्पेशल वार्ड लोक-सुरक्षा आयोग** या वह व्यक्ति जिसे राष्ट्रीय ग्रामीण पुलिस कर्मचारियो तथा **स्वायत्तशासी सत्ताओं** के पुलिस कर्मचारियो से भिन्न न्यायिक पुलिस कर्मचारियो के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई देने या उन्हे हटाने का अधिकार हो, जब वे यह समझे कि पिछले परिच्छेद मे उल्लिखित आरोप साधार है तो आरोपित व्यक्तियों के विरुद्ध, जैसा विधि द्वारा विहित हो, अनुशासनिक कार्रवाई करे या उन्हे हटा दे।

अनु० 195—लोक-समाहर्ता और लोक-समाहर्ता-कार्यालय का सचिव, आवश्यकता पडने पर, अनुसधान के लिए अपने अधिकार-क्षेत्र के बाहर भी अपने कर्तव्य कर सकता है।

अनु० 196—लोक-समाहर्ता, लोक-समाहर्ता-कार्यालय का सचिव, न्यायिक पुलिस कर्मचारी, प्रतिवाद-परामर्शदाता और अन्य व्यक्तियों को जिनके कर्तव्य आपराधिक अनुसधान से सबद्ध हो, सदिग्ध (suspect) या अन्य व्यक्तियो की ख्याति को क्षति न पहुँचाने और आपराधिक अनुसधान के प्रशासन मे हस्तक्षेप न करने के प्रति सावधान रहना आवश्यक है।

अनु० 197—अनुसंधान के सबध मे, उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आवश्यक जाँच की जा सकती है। तथापि, अनिवार्य कार्रवाइयाँ, उन दशाओ को छोडकर जिनमे उनके लिए इस विधि मे विशेष उपबन्ध हो, प्रवर्तित नही की जाएँगी।

सार्वजनिक कार्यालयो या सार्वजनिक या वैयक्तिक संस्थाओ से, अनुसधान से सबद्ध आवश्यक विषयो का विवरण देने के लिए माँग की जा सकती है।

अनु० 198—लोक-समाहर्ता, लोक-समाहर्ता-कार्यालय का सचिव एव न्यायिक पुलिस कर्मचारी किसी सदिग्ध को, यदि आपराधिक अनुसधान के अनुसरण मे आवश्यक हो, अपने कार्यालय में उपसजात होने के लिए आदेश दे सकते है और उससे पूछ सकते है। तथापि, सदिग्ध, उस दशा को छोडकर जबकि वह बन्दीकरण या निरोध मे हो, उपसजात होने से इकार कर सकता है, अथवा उपसंजात होने के बाद. किसी समय वापस जा सकता है।

पिछले परिच्छेद मे उल्लिखित पृच्छा (questioning) की दशा मे, सदिग्ध को अग्रिम रूप से अधिसूचित किया जाएगा कि वह किसी भी प्रश्न का उत्तर देने से इन्कार कर सकता है।

सदिग्ध (suspect) का वक्तव्य एक नयाचार (Protocol) मे लिखा जाएगा।

सदिग्ध अपने सत्यापन (verification) के लिए पिछले परिच्छेद मे उल्लिखित नयाचार का निरीक्षण करेगा अथवा वह उसके सामने पढा जाएगा और यदि वह उसमे कुछ बढाने, घटाने या बदलने का प्रस्ताव करे तो उसके टिप्पण नयाचार में दर्ज किए जायेगे।

यदि सदिग्ध, यह सकारता है कि नयाचार की अन्तर्वस्तुएँ ठीक है तो उसे उस पर हस्ताक्षर करने एव सील करने के लिए कहा जा सकेगा। तथापि. उस दशा मे लागू नही होगा जबकि सदिग्ध ऐसा करने से इन्कार करे।

अनु० 199—अपराध सदिग्ध द्वारा ही किया गया है इस शका का कोई युक्तियुक्त पर्याप्त कारण रहने पर कोई लोक-समाहर्ता, लोक-समाहर्ता-कार्यालय का सचिव या न्यायिक पुलिस कर्मचारी, किसी न्यायाधीश द्वारा अग्रिम जारी किए गए बन्दीकरण के अधिपत्र पर उसे बन्दी कर सकता है। तथापि, पाँच हजार येन तक के अर्थदण्ड, निरोध या छोटे अर्थदण्ड द्वारा दण्डनीय अपराध के सबध मे उक्त बन्दीकरण केवल उसी दशा मे हो सकेगा जबकि सदिग्ध का कोई निश्चित निवास न हो या यह पिछले परिच्छेद के उपबन्धो के अनुसार बुलाए जाने के बावजूद बिना समुचित कारण के उपसजात होने मे असफल रहे।

पिछले परिच्छेद मे उल्लिखित बन्दीकरण का अधिपत्र, किसी लोक-समाहर्ता या न्यायिक पुलिस अधिकारी के निवेदन पर जारी किया जाएगा।

पहले परिच्छेद मे उल्लिखित अधिपत्र की माँग करते हुए, लोक-समाहर्ता या न्यायिक पुलिस कर्मचारी उस सदिग्ध के विरुद्ध उसी अपराध के लिए पहले किए गए सभी निवेदनो या अधिपत्रो के निर्गमो (issuance) को, जो कोई हो, न्यायालय को सूचित करेगा।

अनु० 200 - बंदीकरण के अधिपत्र में संदिग्ध का नाम एव निवास; अपराध का नाम, सदिग्ध-अपराध के प्रमुख तथ्य, लोक-कार्यालय या अन्य स्थान जहाँ उसे लाना हो, प्रभावी (effective) अवधि और यह विवरण

कि इस अवधि के बीत जाने पर बन्दीकरण नही किया जा सकता और यह कि अधिपत्र जारी करनेवाले न्यायालय को वापस कर दिया जाएगा, जारी होने की तिथि, और अन्य विषय जो न्यायालय नियमो द्वारा विहित हो, तथा अधिपत्र जारी करनेवाले न्यायाधीश का नाम एव उसकी मुहर रहेगी ।

अनुच्छेद 64 के परिच्छेद 2 और 3 के उपबन्ध, यथोचित परिवर्तन के साथ, बन्दीकरण के अधिपत्र के सबध मे लागू होगे ।

अनु० 201—जब किसी बन्दीकरण के अधिपत्र पर सदिग्ध को बन्दी किया जाए तो अधिपत्र उसे दिखाया जाएगा ।

अनुच्छेद 73, परिच्छेद 3 के उपबन्ध, यथोचित परिवर्तन के साथ, उस दशा मे भी लागू होगे, जहाँ संदिग्ध बन्दीकरण के अधिपत्र पर बन्दी किया जायगा ।

अनु० 202—जब लोक-समाहर्ता-कार्यालय का सचिव या न्यायिक पुलिस सिपाही ने बन्दीकरण के अधिपत्र पर किसी सदिग्ध को बन्दी किया हो तो पहला (=लोक-समाहर्ता-कार्यालय का सचिव) उसे (सदिग्ध को) लोक-समाहर्ता एव दूसरा (=न्यायिक पुलिस सिपाही) उसे न्यायिक पुलिस अधिकारी के समक्ष अविलम्ब प्रस्तुत करेगा ।

अनु० 203—जब किसी न्यायिक पुलिस अधिकारी ने बन्दीकरण के अधिपत्र पर किसी सदिग्ध को बन्दी किया हो या बन्दीकरण के अधिपत्र पर बन्दी किए गए सदिग्ध को प्राप्त किया हो तो वह उसे अपराध के प्रमुख तथ्यो को, तथा वह प्रतिवाद-परामर्शदाता चुनने का अधिकारी है इस तथ्य को, अविलम्ब सूचित करेगा और तब, उसे स्पष्टीकरण देने का अवसर देते हुए वह उस सदिग्ध को, जब कि उसे निरुद्ध करने की आवश्यकता न समझे, अविलम्ब निर्मुक्त करेगा अथवा साक्ष्य एव प्रलेखों के साथ सदिग्ध को, उसके अवरोध में लाए जाने के अडतालीस (48) घण्टे के अन्दर यदि उसे निरुद्ध करना आवश्यक समझे, किसी लोक-समाहर्ता के यहाँ अन्तरित करने की कार्रवाई कर सकता है ।

पिछले परिच्छेद की दशा मे, सदिग्ध से यह पूछा जाएगा कि उसके पास प्रतिवाद-परामर्शदाता है या नहीं, यदि उसके पास हो तो उसे प्रतिवाद-परामर्शदाता चुनने के अधिकार की सूचना देना आवश्यक नही है ।

यदि संदिग्ध, पहले परिच्छेद मे उल्लिखित कालावधि के अन्दर अन्तरित नही कर दिया जाता तो उसे अविलम्ब निर्मुक्त कर दिया जाएगा।

अनु० 204—जब किसी लोक-समाहर्ता ने बन्दीकरण के अधिपत्र पर किसी सदिग्ध को बन्दी किया हो या बन्दीकरण के अधिपत्र पर बन्दी किए गए सदिग्ध को प्राप्त किया हो (वैसे सदिग्ध को छोडकर जो पिछले अनुच्छेद के अनुसार सौपा गया हो) तो वह उसे अपराध के प्रमुख तथ्यो और वह परामर्शदाता चुनने का अधिकारी है—इस तथ्य को अविलम्ब सूचित करेगा और तब, उसे स्पष्टीकरण देने का अवसर देते हुए वह उस सदिग्ध को, जब कि उसे निरुद्ध करने की आवश्यकता न समझे, अविलम्ब निर्मुक्त कर देगा, अथवा उसके अवरोध मे लाए जाने के अडतालीस (48) घण्टे के अन्दर, यदि उसे निरुद्ध करना आवश्यक समझे, उसे निरुद्ध करने के लिए किसी न्यायाधीश से निवेदन करेगा। तथापि, उस दशा मे जब कि कालावधि के अन्दर कोई लोक–कार्रवाई सस्थित की जा चुकी हो तो निरोध के लिए निवेदन आवश्यक नही।

यदि पिछले परिच्छेद मे उल्लिखित कालावधि के अन्दर निरोध के लिए निवेदन अथवा लोक–कारवाई की सस्थिति न की गई हो तो सदिग्ध अविलम्ब छोड़ दिया जाएगा।

पिछले अनुच्छेद के परिच्छेद 2 के उपबन्ध, यथोचित परिवर्तन के साथ, इस अनुच्छेद के परिच्छेद 1 की दशाओ के सबध मे लागू होगे।

अन० 205—जब किसी लोक-समाहर्ता ने अनुच्छेद 203 के उपबन्धो के अनुसार सौपे गए किसी सदिग्ध को प्राप्त किया हो तो वह संदिग्ध को स्पष्टीकरण देने का अवसर देगा और उसे निरुद्ध करने की आवश्यकता न समझने पर, अविलम्ब निर्मुक्त कर देगा अथवा सदिग्ध को निरुद्ध करने की आवश्यकता समझने पर, वह उस (सदिग्ध) के प्राप्त करने के चौबीस (24) घण्टे के अन्दर उसको निरुद्ध करने के लिए किसी न्यायाधीश से निवेदन करेगा।

पिछले परिच्छेद मे उल्लिखित कालावधि, सदिग्ध को, अवरोध में लाए जाने के बाद, बहत्तर (72) घण्टे से अधिक नही होगी।

उस दशा मे जब कि पिछले दो परिच्छेदो द्वारा विहित कालावधि के अन्दर कोई लोक-कार्रवाई सस्थित की जा चुकी हो तो लोक-समाहर्ता द्वारा निरोध के लिये निवेदन करना आवश्यक नही।

यदि निरोध के लिये निवेदन या लोक-कार्रवाई की सस्थिति, पहले और दूसरे परिच्छेद मे उल्लिखित कालावधि के अन्दर न की जा सके तो सदिग्ध अविलम्ब निर्मुक्त कर दिया जायगा।

अनु० 206—उस दशा में जब कि अनिवार्य परिस्थितियो ने लोक-समहर्ता या न्यायिक पुलिस अधिकारी को, पिछले तीन अनुच्छेदो मे विहित कालावधि के अनुपालन करने से, रोक दिया हो तो लोक-समाहर्ता उनके आधारो के सभावित प्रमाण देकर, सदिग्ध को निरुद्ध करने के लिये न्यायाधीश से निवेदन कर सकता है।

निवेदित न्यायाधीश, जैसा कि पिछले परिच्छेद मे विहित है, निरोध का अधिपत्र तब तक जारी नही करेगा जबतक कि उसे यह ज्ञात न हो जाय कि अनिवार्य परिस्थितियो के कारण उक्त विलम्ब हुआ है।

अनु० 207—पिछले तीन अनुच्छेदों में उल्लिखित निरोध के लिये निवेदन प्राप्त करने वाले न्यायाधीश को वही अधिकार होगा जो कि किसी न्यायालय या पीठासीन न्यायाधीश को उसकी कार्यवाही के सबध मे होता है। तथापि, यह जमानती निर्मुक्त के सबध मे लागू नही होगा।

पिछले परिच्छेद मे उल्लिखित निवेदन पाने पर न्यायाधीश तुरन्त निरोध का अधिपत्र जारी करेगा। तथापि, जब उसे ज्ञात हो जाय कि निरोध का कोई आधार नहीं है अथवा पिछले अनुच्छेद के परिच्छेद 2 के उपबन्धो के अनुसार निरोध का अधिपत्र जारी नही किया जा सकता तो वह निरोध का अधिपत्र बिना जारी किये ही सदिग्ध को निर्मुक्त करने के लिये अविलम्ब आदेश देगा।

अनु० 208—उस अभियोग वाद के सबन्ध में जिसमें कि सदिग्ध को पिछले अनुच्छेद के उपबन्धो के अनुसार निरुद्ध किया गया हो, जब निरोध के निवेदन किये जाने के दस दिन के अन्दर कोई लोक-कार्यवाही सस्थित न की गई हो तो लोक-समाहर्ता संदिग्ध को अविलम्ब निर्मुक्त कर देगा।

कोई न्यायाधीश, अनिवार्य परिस्थितियों के रहने पर, लोक-समाहर्ता के निवेदन पर, पिछले परिच्छेद मे विहित अवधि को बढा सकता है। ऐसे अवधि के बढाव या बढ़ावो का योग, किसी भी रूप मे, दस दिन से लम्बा (अधिक) नहीं होगा।

अनु० 209—अनुच्छेद 74, 75 और 78 के उपबन्ध, यथोचित परिवर्तन के साथ, बन्दीकरण के अधिपत्र के अन्तर्गत किये गए बन्दीकरण के सबन्ध मे लागू होगे ।

अनु० 210—जब, प्राण-दण्ड, असीमित काल के लिये या कम से कम तीन वर्ष या उससे अधिक की चरम अवधि के कठोरश्रम-कारावास, या कारावास द्वारा दण्डनीय अपराध के सपादन की आशङ्का के पर्याप्त आधार हो, और यदि, उसके साथ ही, किसी न्यायाधीश से, अतीव अविलम्बिता के कारण बन्दीकरण का अधिपत्र पहले न लिया जा सके, तो लोक-समाहर्ता, लोक-समाहर्ता-कार्यालय का सचिव या न्यायिक पुलिस कर्मचारी, उसके हेतुओ के विवरण (Statement of reasons) पर सदिग्ध को पकड सकते ह । ऐसी दशाओ मे, न्यायाधीश से बन्दीकरण का अधिपत्र प्राप्त करने के उपाय अविलम्ब किये जायेंगे । यदि बन्दीकरण का अधिपत्र जारी न किया गया हो तो सदिग्ध अविलम्ब निर्मुक्त कर दिया जायगा ।

अनुच्छेद 200 के उपबन्ध, यथोचित परिवर्तन के साथ, पिछले परिच्छेद मे उल्लिखित बन्दीकरण के अधिपत्र के सबध में लागू होगे ।

अनु० 211—उस दशा मे जब कि कोई सदिग्ध, पिछले अनुच्छेद की व्यवस्थाओं के अनुसार बन्दी किया गया हो, अनुच्छेद 199 की व्यवस्थाओं के अनुसार बन्दी किये गए सदिग्ध से सबद्ध व्यवस्थाएँ, यथोचित परिवर्तन के साथ, लागू होगी ।

अनु० 212—वह व्यक्ति जो कोई अपराध कर रहा हो या जिसने तुरन्त किया हो कुख्यात अपराधी (flagrant) कहा जाएगा ।

यदि निम्नाकित मे से किसी प्रभाग के अन्तर्गत आनेवाला कोई व्यक्ति, उन परिस्थितियो के अन्तर्गत हो जो स्पष्टत. यह सूचित करें कि अपराध तुरन्त ही का किया गया है तो उसे कुख्यात अपराधी (flagrant) समझा जाएगा :—

(1) वह व्यक्ति, जिसका पीछा बहुत शोर-गुल के साथ किया गया हो;

(2) वह व्यक्ति, जो असद् रूप से प्राप्त (ill-gotten) माल, हथियार या अन्य वस्तुओ को, जिनका प्रयोग प्रत्यक्षत. अपराध में हुआ हो, ले जा रहा हो;

(3) वह व्यक्ति, जिसके शरीर या वस्त्रो पर अपराव के दीख पडते हुए चिह्न हो,

(4) वह व्यक्ति, जो ललकारने पर भागने का प्रयत्न करे।

अनु० 213—कोई भी व्यक्ति कुख्यात अपराधी (flagrant) को बिना अधिपत्र के ही बन्दी कर सकता है।

अनु० 214—जब लोक-समाहर्ता, लोक-समाहर्ता-कार्यालय के सचिव या न्यायिक पुलिस कर्मचारी से भिन्न किसी व्यक्ति ने कुख्यात अपराधी (flagrant) को बन्दी किया हो तो वह अपराधी को अविलम्ब किसी जिला या स्थानीय लोक-समाहर्ता-कार्यालय के लोक-समाहर्ता या न्यायिक पुलिस कर्मचारी को सौंप देगा।

अनु० 215—जब किसी न्यायिक पुलिस सिपाही ने किसी कुख्यात अपराधी की सुपुर्दगी पाई हो तो वह उसे तत्काल न्यायिक पुलिस अधिकारी को सौप देगा।

अपराधी की सुपुर्दगी पानेवाला न्यायिक पुलिस सिपाही, बन्दी करनेवाले व्यक्ति का नाम और निवास तथा बन्दी करने का कारण निश्चित करेगा। आवश्यकतानुसार, वह बन्दी करनेवाले व्यक्ति को तत्सबद्ध सरकारी कार्यालय या लोक-कार्यालय तक अपने साथ ले जा सकता है।

अनु० 216—अनुच्छेद 199 के अनुसार बन्दी किए गए सदिग्ध से सबद्ध उपबन्ध, बन्दी किए गए कुख्यात अपराधी (flagrant) के सबध मे यथोचित परिवर्तन के साथ लागू होगे।

अनु० 217—पाँच सौ येन तक के अर्थदण्ड, निरोध या छोटे अर्थदण्ड द्वारा दण्डनीय कुख्यात अपराध (flagrant offence) के सबध मे, अनुच्छेद 213 से 216 तक के उपबन्ध केवल उसी दशा मे लागू होगे जबकि अपराधी का नाम या निवास अज्ञात हो या अपराधी के निकल भागने की आशका हो।

अनु० 218—लोक-समाहर्ता-कार्यालय का सचिव या न्यायिक पुलिस कर्मचारो किसी न्यायाधीश द्वारा जारी किए गए अधिपत्र पर, अपराध के अनुसधान को आवश्यकता के अनुसार, अभिग्रहण, तलाशी एव साक्ष्य का निरीक्षण कर सकते है। ऐसी दशा में, शरीर की जाँच के लिए कार्यान्वित अधिपत्र पर ही शरीर की जाँच की जाएगी।

उस दशा में जबकि कोई सदिग्ध शारीरिक अवरोध मे हो, पिछले परिच्छेद मे उल्लिखित अधिपत्र के बिना भी उसका अगुली-छाप (finger-prints) या पद-चिह्न लिया जा सकता ह, उसकी ऊँचाई या भार मापा जा सकता है, या उसके चित्र लिए जा सकते है, किन्तु वह (स्त्री या पुरुष) विवस्त्र (नग्न) नही किया जा सकता ।

पहले परिच्छेद में उल्लिखित अधिपत्र, लोक-समाहर्ता, लोक-समाहर्ता-कार्यालय के सचिव या न्यायिक पुलिस अधिकारी की माँग पर ही जारी किया जा सकेगा ।

लोक-समाहर्ता, लोक-समाहर्ता-कार्यालय का सचिव या न्यायिक पुलिस अधिकारी, शरीर की जाँच के लिए अधिपत्र का निवेदन करते समय, शरीर, लिंग एव शारीरिक अवस्थाओं और अन्य विषयो की जाँच की आवश्यकता का कारण अवश्य दिखलाएगा, जो न्यायालय-नियमो द्वारा विहित हो ।

कोई न्यायाधीश शरीर की जाँच के लिए कुछ प्रतिबन्ध लगा सकता है जिसे वह युक्ति-युक्त समझे ।

अनु० 219—पिछले अनुच्छेद मे उल्लिखित अधिपत्र मे, सदिग्ध या अभियुक्त का नाम एवं अपराध का नाम, अभिगृहीत की जानेवाली वस्तुएँ, स्थान, शरीर या वस्तुएँ जिनकी तलाशी लेनी हो, स्थान और वस्तुएँ जिनका निरीक्षण करना हो, व्यक्ति जिसकी जाँच करनी हो, शरीर की जाँच से सबद्ध प्रतिबन्ध, प्रभावी (effective) अवधि, यह विवरण कि अभिग्रहण, तलाशी या साक्ष्य का निरीक्षण उक्त अवधि के बीत जाने पर किसी भी तरह नही किया जाएगा और अधिपत्र न्यायालय को वापस कर दिया जाएगा, तथा जारी किए जाने की तिथि के साथ ही साथ न्यायालय-नियमो द्वारा विहित अन्य विषय, और अधिपत्र जारी करने वाले न्यायाधीश का नाम एव उसके मुद्राक रहेगे ।

अनुच्छेद **64** परिच्छेद **2** की व्यवस्थाएँ, यथोचित परिवर्तन के साथ, पिछले परिच्छेद मे उल्लिखित अधिपत्र के सम्बन्ध में लागू होगी ।

अनु० 220—उन दशाओ मे जहाँ कि लोक-समाहर्ता, लोक-समाहर्ता कार्यालय का सचिव या न्यायिक पुलिस कर्मचारी अनुच्छेद **199** के अनुसार किसी संदिग्ध को बन्दी (गिरफ्तार) करता है या जहाँ वह किसी कुख्यात अपराधी (flagrant offender) को बन्दी करता है, वहाँ वह आवश्यकतानुसार,

निम्नलिखित कार्रवाई कर सकता है। यही नियम, आवश्यकतानुसार, अनुच्छेद 210 के अनुसार बदी किए गए सदिग्ध के सम्बन्ध मे भी लागू होगा।

(1) किसी व्यक्ति के निवास या परिसर, भवन या व्यक्तियो द्वारा रक्षित जलयानो मे प्रवेश करना तथा सदिग्ध को ढूँढना,

(2) बदीकरण के स्थान का अभिग्रहण, निरीक्षण या उसकी तलाशी लेना।

पिछले परिच्छेद के उत्तर भाग (latter part) मे उल्लिखित दशा मे, यदि वन्दीकरण का अधिपत्र न पाया जा सके तो अभिगृहीत वस्तुओं को अविलम्ब लौटा दिया जायगा।

पहले परिच्छेद मे उल्लिखित कार्रवाई के लिए अधिपत्र की आवश्यकता नही।

परिच्छेद 1 के प्रभाग 2 एव पिछले परिच्छेद की व्यवस्थाएँ, यथोचित परिवर्तन के साथ, उस दशा में लागू होगी जहॉ कि लोक-समाहर्ता-कार्यालय का सचिव या न्यायिक पुलिस कर्मचारी प्रस्तुति या निरोध का अधिपत्र निष्पादित करे। परिच्छेद 1 के प्रभाग 1 की व्यवस्थाएँ भी यथोचित परिवर्तन के साथ उस दशा मे लागू होगी जहाँ कि सदिग्ध के विरुद्ध जारी किया गया प्रस्तुति या निरोध का अधिपत्र निष्पादित किया जाय।

अनु० 221—लोक-समाहर्ता, लोक-समाहर्ता-कार्यालय का सचिव या न्यायिक पुलिस कर्मचारी उन वस्तुओ को, जो सदिग्ध या अन्य व्यक्तियो द्वारा छोड दी गई हो या उनको जो उनके स्वामी, अधिकर्ता या अभिरक्षक द्वारा स्वत प्रस्तुत की गई हो, रख सकता है।

अनु० 222 - अनुच्छेद 99, 100, 102 से 105, 110 से 112, 114, 115 और 118 से 124 तक की व्यवस्थाएँ, यथोचित परिवर्तन के साथ, अनुच्छेद 218, 220 और 221 के अनुसार किसी लोक-समाहर्ता, लोक-समाहर्ता-कार्यालय के सचिव या न्यायिक पुलिस कर्मचारी द्वारा कार्यान्वित अभिग्रहण या तलाशी के सम्बन्ध मे लागू होगी। अनुच्छेद 110, 112, 114, 118, 129, 131 और 137 से 140 तक की व्यवस्थाएँ, यथोचित परिवर्तन के साथ, अनुच्छेद 218 या 220 की व्यवस्थाओ के अनुसार किसी लोक-समाहर्ता, लोक-समाहर्ता-कार्यालय के सचिव या न्यायिक पुलिस कर्मचारी द्वारा कार्या-

न्वित साक्ष्य के निरीक्षण के सम्बन्ध मे लागू होगी। तथापि, कोई न्यायिक सिपाही (Judicial constable), अनुच्छेद 122 से 124 तक के अनुच्छेदो मे विहित कार्रवाई कार्यान्वित नहीं कर सकता।

अनुच्छेद 220 की व्यवस्थाओ के अनुसार सदिग्ध की तलाशी की दशा मे, अनुच्छेद 114 परिच्छेद 2 की व्यवस्थाओ का अनुपालन, अविलम्बिता की स्थिति मे, आवश्यक नही।

अनुच्छेद 116 क्षौर 117 की व्यवस्थाएँ, यथोचित परिवर्तन के साथ, ोक-समाहर्ता, लोक-समाहर्ता-कार्यालय के सचिव या न्यायिक पुलिस कर्मचारी द्वारा, अनुच्छेद 218 की व्यवस्थाओ के अनुसार कार्यान्वित, अभिग्रहण या तलाशी के सबन्ध मे लागू होगी।

कोई लोक-समाहर्ता, लोक-समाहर्ता-कार्यालय का सचिव या न्यायिक पुलिस कर्मचारी, सूर्योदय के पहले और सूर्यास्त के बाद, अनुच्छेद 218 की व्यवस्थाओ के अनुसार निरीक्षण द्वारा साक्ष्य लेने के अभिप्राय से किसी व्यक्ति के निवास, परिसर, भवन या व्यक्तियो द्वारा रक्षित जलयान मे तब तक प्रवेश नही करेगा जब तक कि अधिपत्र मे यह विवरण न हो कि इसे रात्रि मे भी कार्यान्वित किया जा सकता है। तथापि, यह अनुच्छेद 117 मे उल्लिखित स्थलो के सम्बन्ध में लागू नही होगा।

उस दशा मे जब कि निरीक्षण द्वारा साक्ष्य लेना सूर्यास्त के पहले शुरू हो गया हो तो कार्रवाई सूर्यास्त के बाद भी जारी रखी जा सकती है।

उस दशा मे जब कि कोई लोक-समाहर्ता, लोक-समाहर्ता-कार्यालय का सचिव या न्यायिक पुलिस कर्मचारी, अनुच्छेद 218 की व्यवस्थाओ के अनुसार अभिग्रहण, तलाशी या साक्ष्य का निरीक्षण करे, आवश्यकतानुसार, सदिग्ध को उपस्थित कराया जा सकता है।

उस दशा मे जब कि कोई व्यक्ति शरीर की जॉच कराना अस्वीकार करे, उस पर अदाण्डिक अर्थदण्ड (non-penal fine) लगाया जायगा अथवा उसे, पहले परिच्छेद की व्यवस्थाओं के अनुसार उसके अस्वीकरण से होने वाले परिव्ययो के प्रतिकर के लिए आदेश दिया जायगा, ऐसी कार्रवाइयो के लिए निवेदन न्यायालय से किया जायगा।

अनु० 223—लोकसमाहर्ता, लोकसमाहर्ता-कार्यालय के सचिव, एव न्यायिक पुलिस कर्मचारी संदिग्ध के अतिरिक्त अन्य किसी व्यक्ति को अपने कार्यालयों

मे उपसजात होने के लिए आदेश दे सकते है, उससे पूछ सकते है या उसे, यदि आपराधिक अनुसधान मे आवश्यक हो, एक विशेषज्ञ (expert) के रूप में अपनी सम्मति देने या अर्थनिर्वाचक (Interpreter) या भाषान्तरकार (translator) के रूप मे कार्य करने का निवेदन कर सकते है।

अनुच्छेद 198 परिच्छेद 1 एव इसी के तीसरे से पाँचवे परिच्छेद तक के उपबन्ध, यथोचित परिवर्तन के साथ, पिछले परिच्छेद द्वारा विहित दशा मे लागू होगे।

अनु० 224—उन दशाओ मे जब कि पिछले अनुच्छेद परिच्छेद 1 के अनुसार किसी विशेषज्ञ-साक्ष्य के लिये निवेदन किया गया हो और अनुच्छेद 167 परिच्छेद 1 द्वारा विहित उपाय आवश्यक हो तो लोकसमाहर्ता, लोक-समाहर्ता-कार्यालय का सचिव या न्यायिक पुलिस अधिकारी, उल्लिखित उपायो के लिये न्यायाधीश से निवेदन करेगा।

यदि वह पिछले परिच्छेदो मे उल्लिखित निवेदन को तर्कसम्मत समझे तो न्यायाधीश उन्ही उपायो को कार्यान्वित करेगा जो अनुच्छेद 167 की दशा मे होते है।

अनु० 225—वह व्यक्ति, जिससे अनुच्छेद 223 परिच्छेद 1 के अनुसार विशेषज्ञ सम्मति देने के लिये निवेदन किया गया हो, न्यायाधीश की अनुमति से, अनुच्छेद 168 परिच्छेद 1 द्वारा विहित उपायो को कार्यान्वित कर सकता है।

पिछले परिच्छेद मे उल्लिखित अनुमति, लोक-समाहर्ता, लोक-समाहर्ता-कार्यालय के सचिव या न्यायिक पुलिस अधिकारी द्वारा माँगी जायगी।

जब न्यायाधीश पिछले परिच्छेद मे उल्लिखित अनुमति की माँग को तर्कसमत समझे तो वह इसे, एक अनुमति का अधिपत्र जारी करके, प्रदान करेगा।

अनुच्छेद 168 के परिच्छेद 2 से 4 एव 6 की व्यवस्थाएँ, यथोचित परि-वर्तन के साथ, पिछले परिच्छेद मे उल्लिखित अनुमति के अधिपत्र के सबन्ध मे लागू होगी।

अनु० 226—जब कोई व्यक्ति, जो अपराध के अनुसधान के लिये आवश्यक जानकारी प्रत्यक्षत. रखता हो किन्तु उपसजात होने या अनुच्छेद 223 के परिच्छेद 1 के अनुसार परीक्षा में उक्त जानकारी को स्वत· प्रकट करना

अस्वीकार करे तो लोक-समाहर्ता किसी न्यायाधीश से वाद के लोक-विचारण के लिये निश्चित पहली तिथि के पहले ही एक साक्षी के रूप मे उससे पूछ-ताछ करने का निवेदन कर सकता है ।

अनु० 227—जब यह विश्वास करने के कारण हो कि उस व्यक्ति पर, जिसने लोक-समाहर्ता, लोक-समाहर्ता-कार्यालय के सचिव या न्यायिक पुलिस कर्मचारी द्वारा अनुच्छेद 223 परिच्छेद 1 के अनुसार परीक्षा (examination) के अवसर पर स्वेच्छया सूचना दी, लोक-विचारण के अवसर पर प्रमाण (testimony) मे उक्त वक्तव्य (statement) वापस लेने या बदलने के लिये दबाव डाला जा सकता है, और जब उक्त प्रमाण अभियुक्त के अपराध को सिद्ध करने के लिये आवश्यक भासित हो तो लोक-समाहर्ता वाद के लोक-विचारण के लिये निश्चित पहली तिथि के पहले ही किसी न्यायाधीश को एक साक्षी के रूप मे उस व्यक्ति से पूछताछ करने का निवेदन कर सकता है ।

पिछले परिच्छेद मे उल्लिखित निवेदन करते समय लोकसमाहर्ता को उक्त पूछताछ (interrogation) की आवश्यकता के कारणो का प्रकल्पित प्रमाण और अभियुक्त के अपराध को सिद्ध करने के लिये उसकी नितान्त आवश्यकता का प्रमाण देना होगा ।

अनु० 228—पिछले दो अनुच्छेदो द्वारा विहित निवेदन जिस न्यायाधीश के यहाँ किया जायगा उसे वही प्राधिकार होगा जो किसी न्यायालय या पीठासीन न्यायाधीश को साक्षियो की परीक्षा (examination) के सबन्ध मे होता है ।

न्यायाधीश यदि समझे कि यह आपराधिक अनुसधान के अनुसरण मे बाधक नही होगा तो वह अभियुक्त, सदिग्ध या उसके प्रतिवाद-परामर्शदाता को, पिछले परिच्छेद मे उल्लिखित परीक्षा के अवसर पर, उपस्थित होने को प्रेरित कर सकता है ।

अनु० 229—अप्राकृतिक मृत्यु (unnatural death) से मरे हुए या जिसके विषय मे अप्राकृतिक मृत्यु से मरने का सदेह हो उस व्यक्ति की शरीर (शव) मिलने पर, जिला या स्थानीय लोक-समाहर्ता-कार्यालय का लोकसमाहर्ता, जिसके अधिकार-क्षेत्र में वह स्थान हो जहाँ शव पाया गया हो, अन्वीक्षण (inquest, शव की जाँच) करेगा ।

लोक-समाहर्ता, लोक-समाहर्ता-कार्यालय के सचिव या न्यायिक पुलिस अधिकारी से पिछले परिच्छेद मे उल्लिखित कार्रवाई करा सकता है।

अनु० 230—-किसी अपराध के परिणामस्वरूप अपकृत (क्षत injured) व्यक्ति परिवाद कर सकता है।

अनु० 231—अपकृत पक्ष (injured party) का वैध प्रतिनिधि अपना स्वतंत्र परिवाद कर सकता है।

अपकृन-पक्ष की मृत्यु पर उसका पति या पत्नी, उसके वंशीय सम्बन्धियों में से कोई अथवा भाई या बहन परिवाद कर सकते है किन्तु अपकृत पक्ष के स्पष्ट आशय (intention) के विरुद्ध नहीं।

अनु० 232—जहाँ अपकृत-पक्ष का वैध प्रतिनिधि संदिग्ध, संदिग्ध का पति या उसकी पत्नी, (spouse), संबंध की तीसरी कोटि के अंदर का रक्त-सबधी या सदिग्ध का, तीसरी कोटि के अंदर आने वाला बन्धुता का संबंधी हो तो अपकृत-पक्ष का सबधी स्वतंत्र परिवाद कर सकता है।

अनु० 233—किसी मृत-व्यक्ति की मानहानि के अपराध के संबध में उसके सम्वन्धी या वंशज परिवाद कर सकते है।

पिछले परिच्छेद की व्यवस्थाएँ वहाँ भी नियंत्रण करेंगी जहाँ मानहानि के अपराध के सम्बन्ध में अपकृत-पक्ष बिना परिवाद किये ही मर गया हो। तथापि, अपकृत-पक्ष के अभिव्यक्त आशय के विरुद्ध कोई परिवाद नहीं किया जायगा।

अनु० 234—यदि परिवाद पर अभियोजनीय किसी अपराध के सम्बन्ध मे परिवाद करने वाला कोई व्यक्ति न हो तो किसी बद्धहित (interested) व्यक्ति के प्रार्थनापत्र पर, लोकसमाहर्ता किसी व्यक्ति को नामोदिष्ट कर सकता है, जो परिवाद कर सके।

अनु० 235—परिवाद पर अभियोजनीय किसी अपराध के सबध में, अपराधी की जानकारी होने की तिथि से छ मास बीत जाने के बाद कोई परिवाद नही किया जायगा। तथापि यह दण्ड-सहिता (Penal Code) के अनुच्छेद 232 परिच्छेद 2 के अनुसार किसी विदेशी शक्ति (foreign power) के प्रतिनिधि द्वारा किये जाने वाले परिवाद या दण्ड-सहिता (Penal Code) के अनुच्छेद 230 या 231 मे उल्लिखित **जापान** को भेजे गए किसी विदेशी मिशन (Foreign mission) के विरुद्ध अपराध के सम्बन्ध मे उक्त मिशन द्वारा किये जाने वाले परिवाद के संबद्ध में लागू नहीं होगा।

दण्ड-सहिता (Penal Code) के अनुच्छेद 229 की व्यवस्था (Proviso) में अवेक्षित वाद का परिवाद तब तक मान्य (valid) नहीं होगा जब तक कि विवाह को प्रभावहीन या रद्द घोषित करने वाले निर्णय के अटल (irrevocable) होने की तिथि से छ मास के अन्दर न किया जाय।

अनु० 236—जहाँ परिवाद करने के दो या अधिक अधिकारी व्यक्ति हों वहाँ उनमें से एक द्वारा परिवाद की अवधि के अनुपालन की असमर्थता दूसरों के प्रति प्रवर्तित नही होगी।

अनु० 237—लोक-कार्यवाही के सस्थित किये जाने के पहले किसी भी समय परिवाद वापस लिया जा सकता है।

अपने परिवाद वापस लेने वाले व्यक्ति को अन्य परिवाद करने से बाधित किया जायगा।

पिछले दो परिच्छेदो की व्यवस्थाएँ, यथोचित परिवर्तन के साथ, माँग (demand) पर लिये जाने वाले अभियोग मे की गई माँग के सबध में लागू होगी।

अनु० 238—परिवाद (Complaint) पर अभियोजनीय अपराध में एक या उससे अधिक सह-अपराधियो (Co-offenders) के विरुद्ध किया गया परिवाद या उसका प्रत्याहरण (withdrawal) दूसरे सह-अपराधियो के सम्बन्ध मे भी कार्यकर होगा।

पिछले परिच्छेद की व्यवस्था, यथोचित परिवर्तन के साथ, माँग (demand) या अभियोजन (accusation) पर लिये जाने वाले अभियोग के सबध में किये गये अभियोजन या माँग या उसके प्रत्याहरण (withdrawal) के सम्बन्ध में लागू होंगी।

अनु० 239—कोई व्यक्ति, जिसे यह विश्वास हो कि कोई अपराध किया गया है, अभियोजन कर सकता है।

जब कोई सरकारी या लोक-कर्मचारी अपने कार्यों के सम्पादन मे यह विश्वास करे कि कोई अपराध किया गया है तो उसे अभियोजन अवश्य करना होगा।

अनु० 240—परिवाद प्रतिपत्री (proxy) द्वारा किया जा सकता है। यही नियम परिवाद के प्रत्याहरण (withdrawal) के सम्बन्ध मे भी लागू होगा।

अनु० 241—परिवाद या अभियोजन लिखित या मौखिक रूप मे किसी लोक-समाहर्ता या न्यायिक पुलिस अधिकारी के यहाँ किया जायगा।

किसी मौखिक परिवाद या अभियोजन के ले लेने पर लोक-समाहर्ता या न्यायिक पुलिस अधिकारी एक नयाचार (Protocol) तैयार करेगा।

अनु॰ 242—किसी परिवाद या अभियोजन के ले लेने पर न्यायिक पुलिस अधिकारी प्रलेख (documents) एव उससे सबद्ध साक्ष्य का अश लोक-समाहर्ता को तुरन्त अग्रेषित (forward) करेगा।

अनु॰ 243—पिछले दो अनुच्छेदो की व्यवस्थाएँ, यथोचित परिवर्तन के साथ, परिवाद या अभियोजन के प्रत्याहरण (withdrawal) के सम्बन्ध मे भी लागू होगी।

अनु॰ 244—दण्ड-सहिता (Penal Code) के अनुच्छेद 232 परिच्छेद 2 की व्यवस्थाओ के अनुसार किसी विदेशी शक्ति (foreign power) के प्रतिनिधि द्वारा किया जाने वाला परिवाद या उसका प्रत्याहरण (withdrawal), इस विधि (law) के अनुच्छेद 241 तथा पिछले अनुच्छेद की व्यवस्थाओं के विचार किये बिना, परराष्ट्र मत्री के यहाँ किया जा सकता है। यही नियम दण्ड-सहिता (Penal Code) के अनुच्छेद 230 या 231 मे उल्लिखित **जापान** को भेजे गए किसी विदेशी मिशन (mission) के विरुद्ध अपराध के लिये उक्त मिशन द्वारा किये जाने वाले परिवाद या उसके प्रत्याहरण (withdrawal) के सम्बन्ध मे लागू-होगा।

अनु॰ 245—अनुच्छेद 241 एव 242 की व्यवस्थाएँ, यथोचित परिवर्तन के साथ, आत्म-प्रत्याख्यान (self-denunciation) के सम्बन्ध में लागू होगी।

अनु॰ 246—इस विधि में अन्यथा विहित दशा को छोडकर, जब किसी न्यायिक पुलिस अधिकारी ने किसी अपराध का अनुसधान किया हो तो वह उस अभियोग को, प्रलेख एवं साक्ष्य के अंशो के साथ लोक-समाहर्ता के यहाँ भेज देगा। तथापि, यह उस अभियोग के सम्बन्ध मे लागू नही होगा जो लोक-समाहर्ता द्वारा विशेष रूप से नामोद्दिष्ट किया गया हो।

अध्याय 2

लोक-कार्यवाही

(Public Action)

अनु॰ 247—लोक-कार्यवाही लोकसमाहर्ता द्वारा सस्थित की जायगी।

अनु॰ 248—यदि अपराधी के चरित्र, आयु एव स्थिति, अपराध की

गुरुता, परिस्थिति जिनमें अपराध किया गया हो, और अपराध-सम्पादन के बाद की दशाओ पर विचार करने के बाद, अभियोजन (Prosecution) अनावश्यक समझा जाय तो लोक-कार्यवाही समाप्त की जा सकती है।

अनु० 249—लोक-समाहर्ता द्वारा नामोद्दिष्ट, अभियुक्त से भिन्न व्यक्तियो के विरुद्ध लोक-कार्यवाही कार्यकर नही होगी।

अनु० 250—भोगाधिकार (Prescription) निम्नलिखित अवधियो के बीत जाने पर पूरा होगा .

(1) प्राण-दण्ड पाने योग्य अपराध के लिये, पन्द्रह वर्ष;

(2) अनिश्चित अवधि वाले कठोरश्रम-कारावास या सामान्य कारावास दण्ड पाने योग्य अपराधो के लिये, दस वर्ष ,

(3) कम से कम दस वर्ष की चरम अवधि (maximum term) के कठोरश्रम-कारावास या सामान्य कारावास दण्ड पाने योग्य अपराधो के लिये, सात वर्ष ,

(4) अधिक से अधिक दस वर्ष की चरम अवधि के कठोरश्रम-कारावास या सामान्य कारावास दण्ड पाने योग्य अपराधों के लिये, पाँच वर्ष ,

(5) पाँच वर्ष से कम की चरम अवधि के कठोरश्रम-कारावास या सामान्य कारावास के दण्ड या अर्थदण्ड पाने योग्य अपराधो के लिये, तीन वर्ष ;

(6) निरोध या छोटे अर्थदण्ड पाने योग्य अपराधो के लिए, एक वर्ष।

अनु० 251—जहाँ तक दो या अधिक प्रधान दण्डो (principal penalties) मे से एक अथवा दो या अधिक प्रधान दण्डो के एक साथ आरोपण (Concurrent imposition) द्वारा दण्डनीय अपराधो का सबध है, पिछले परिच्छेद की व्यवस्थाएँ (उनमें से) गुरुतम दण्ड (heaviest penalty) के सम्बन्ध मे लागू होगी।

अनु० 252—जहाँ दण्ड-सहिता (Penal Code) के अनुसार दण्ड बढ़ाना या कम करना हो तो अनुच्छेद 250 की व्यवस्थाएँ, इस तरह न बढाए गए या कम न किए गए दण्ड के सम्बन्ध में ही लागू होगी।

अनु० 253—भोगाधिकार (prescription) उस समय से आरम्भ हो जायगा जबकि आपराधिक कृत्य समाप्त हुआ।

दो या अधिक व्यक्तियो द्वारा सामूहिक रूप में (cojointly) किए गए अपराध के सम्बन्ध मे भोगाधिकार की अवधि, सभी सह-पराधियो (co-offenders) के लिए उसी समय से आरम्भ हो जायगी जबकि अतिम कृत्य (final act) समाप्त हुआ।

अनु० 254—अभियोग के विरुद्ध लोक-कार्यवाही के सस्थित हो जाने पर भोगाधिकार रुक जाएगा और उस समय आरभ हो जावेगा जब क्षेत्राधिकारिक अक्षमता (jurisdictional incompetency) अधिसूचित करने वाला या लोक-कार्यवाही को खारिज (रद्द) करने वाला कोई निर्णय अतिम रूप मे बन्धनकारी (finally binding) हो गया हो। तथापि, यह उन अभियोगो मे नही लागू होगा जिनमें लोक-कार्यवाही की सस्थिति (institution of public action), **अनुच्छेद 271** के परिच्छेद **2** के अनुसार अपनी मान्यता (validity) खो चकी हो।

सह-अपराधियो (co-offenders) में से एक के विरुद्ध सस्थित लोक-कार्यवाही द्वारा किया गया भोगाधिकार का विराम (cessation) अन्य सह-अपराधियो के विरुद्ध भी प्रभावी होगा; तथा रुका हुआ भोगाधिकार अभियोग के निर्णय के अन्तत बन्धनकारी (finally binding) हो जानें पर फिर शुरू हो जायगा।

अनु० 255—उस अवधि मे भोगाधिकार चालू नही रहेगा जिसमें कि अपराधी **जापान** के बाहर रहे या वह अपने को इस तरह छिपा ले कि उसे अभ्यारोपण (indictment) की एक प्रति तामील करना असंभव हो जाय।

जापान से अपराधी की अनुपस्थिति या उसका छिप जाना, जिससे कि उसे अभ्यारोपण (indictment) की प्रति तामील करना असभव हो गया हो, सिद्ध करने के लिए आवश्यक विषय न्यायालय के नियमो द्वारा विहित किए जाएँगे।

अनु० 256—लोक-कार्यवाही की सस्थिति न्यायालय को एक लिखित अभ्यारोपण (written indictment) फाइल करने के द्वारा की जायगी।

लिखित अभ्यारोपण मे निम्नाकित विषय रहेंगे :—

(1) अभियुक्त (accused) का नाम तथा अन्य विषय, जो अभियुक्त को निर्दिष्ट करने मे आवश्यक हो;

(2) आरोपित अपराध के घटक तथ्य;

(3) आरोप;

आरोपित अपराध के घटक तथ्यो का स्पष्ट विवरण निर्दिष्ट गणको (counts) के रूप मे दिया जाएगा जिसमे अपराध के समय, घटना-स्थल तथा उसके ढग का, जानकारी के अनुसार, अवश्य वर्णन किया जाएगा।

आरोपों का वर्णन उन विधियो एव अध्यादेशो के लागू होने वाले अनुच्छेदो की गणना द्वारा किया जाएगा जिनका अभियुक्त ने उल्लघन किया हो। तथापि उक्त अनुच्छेदो की गणना सबधी गल्तियाँ (errors), लोक-कार्यवाही की सस्थिति की मान्यता पर प्रभाव नही डालेगी, यदि उनके द्वारा अभियुक्त के प्रतिवाद मे कोई सारवान् प्रतिकूल प्रभाव उत्पन्न करने की आशका न हो।

अनेक गणको (counts) और लागू होने वाले अनुच्छेद वैकल्पिक (alternative) या यौगिक (conjunctive) रूप मे उल्लिखित किए जा सकते है।

कोई भी साक्ष्य-विषयक लेख या अन्य वस्तु जो न्यायाधीश को पूर्वनिर्णय (Prejudication) करने मे साधक हो सके, लिखित अभ्यारोपण मे न तो अनुबद्ध की जायगी और न निर्दिष्ट की जायगी।

अनु० 257—लोक-कार्यवाही प्राथमिक न्यायालय (first instance) से निर्णय दिए जाने से पहले वापस ली जा सकती है।

अनु० 258—यदि लोक-समाहर्ता यह समझे कि प्रस्तुत अभियोग उसके निजी लोक-समाहर्ता-कार्यालय से सबद्ध न्यायालय के अधिकार-क्षेत्र मे नही आता तो वह उक्त अभियोग को प्रलेखो एव साक्ष्य के अशो के सहित, क्षमताशील न्यायालय से सबद्ध किसी लोक-समाहर्ता-कार्यालय के लोक-समाहर्ता के पास भेज देगा।

अनु० 259—जब किसी लोक-समाहर्ता ने लोक-कार्यवाही न सस्थित करने के लिए कोई कार्रवाई किया हो तो वह सदिग्ध के निवेदन करने पर उसे उक्त तथ्य की सूचना अविलम्ब देगा।

अनु० 260—यदि किसी अभियोग के सबंध मे जिसमें परिवाद (complaint), अभियोजन (accusation) या माँग (demand) की गई हो, लोककार्यवाही संस्थित की गई हो अथवा इसके सस्थित न किए जाने की कार्रवाई की गई हो तो उक्त तथ्य की सूचना लोक-समाहर्ता द्वारा परिवादी (complainant) अभियोक्ता (accuser) या माँग करने वाले व्यक्ति को तत्काल दी जाएगी। यही नियम उस दशा मे भी लागू होगा जहाँ लोक-

कार्रवाई वापस ले ली गई हो अथवा अभियोग दूसरे लोक-समाहर्ता-कार्यालय के लोक-समाहर्ता के यहाँ भेज दिया गया हो।

अनु० 261—यदि किसी अभियोग के सम्बन्ध मे, जिसमे परिवाद, अभियोजन या माँग की गई हो, लोक-कार्यवाही सस्थित न करने की कार्रवाई की गई हो तो परिवादी, अभियोक्ता या माँग करने वाले व्यक्ति के निवेदन पर लोक-समाहर्ता उन्हे उक्त कार्रवाई के कारण की सूचना तत्काल देगा।

अनु० 262—यदि किसी अभियोग मे, जिसके सम्बन्ध मे दण्डसहिता (Penal Code) के अनुच्छेद 193 से 196 तक के अनुच्छेदो मे उल्लिखित अपराधों से संबद्ध अभियोजन या परिवाद किया गया हो, और परिवादी या अभियोक्ता लोक-समाहर्ता द्वारा लोक-कार्यवाही सस्थित न करने की कार्रवाई से असतुष्ट हो तो वह अभियोग को किसी न्यायालय मे विचारणार्थ (for trial) सौपने के लिए, उस जिला-न्यायालय में प्रार्थना-पत्र दे सकता है जिसके क्षेत्राधिकार मे उक्त लोक-समाहर्ता-कार्यालय आता हो जिससे सबद्ध वह लोक-समाहर्ता हो।

पिछले परिच्छेद मे उल्लिखित प्रार्थना-पत्र, लोक-कार्यवाही सस्थित न करने के लिए कार्रवाई करने वाले लोक-समाहर्ता के यहाँ, लिखित प्रार्थना-पत्र के रूप मे, अनुच्छेद 260 मे उल्लिखित सूचना के प्राप्त करने के सात दिनो के अन्दर दिया जाएगा।

अनु० 263—पिछले अनुच्छेद के परिच्छेद 1 मे उल्लिखित प्रार्थनापत्र अनुच्छेद 262 की व्यवस्था (ruling) कार्यान्वित की जाने के पहले वापस लिया जा सकता है।

पिछले परिच्छेद मे विहित वापसी (withdrawal) करने वाला व्यक्ति, उसी अभियोग के सम्बन्ध मे पिछले अनुच्छेद के परिच्छेद 1 मे उल्लिखित प्रार्थनापत्र को फिर से नही दे सकता।

अनु० 264— अनुच्छेद 262 के परिच्छेद 1 मे उल्लिखित प्रार्थनापत्र को यदि साधार समझे तो लोक-समाहर्ता लोक-कार्यवाही संस्थित करेगा।

अनु० 265—अनुच्छेद 262 के परिच्छेद 1 मे उल्लिखित प्रार्थनापत्र पर किसी सहयोगी न्यायालय द्वारा विचारण एव निर्णय किया जायगा।

न्यायालय यदि आवश्यक समझ तो सहयोगी न्यायालय के किसी सदस्य को तथ्य के अनुसधान के लिए प्रेरित कर सकता है या जिला-न्यायालय या

क्षिप्र-न्यायालय के किसी न्यायाधीश को ऐसा करने के लिए अधियाचित कर सकता है। ऐसी दशा में राजादिष्ट (commissioned) न्यायाधीश या अधियाचित (requisitioned) न्यायाधीश को वही प्राधिकार होगा जो किसी न्यायालय के न्यायाधीश या पीठासीन (presiding) न्यायाधीश को होता है।

अनु० 266—अनुच्छेद 262 परिच्छेद 1 मे उल्लिखित प्रार्थनापत्र पाने, पर, न्यायालय निम्नाकित वर्गीकरण के अनुसार व्यवस्था (ruling) जारी करेगा

(1) विधि अथवा अध्यादेश द्वारा निश्चित किये गए प्रपत्र (form) या रूप से प्रतिकूल रूप मे दिया गया, या प्रार्थनापत्र देने के अधिकार के समाप्त हो जाने के बाद दिया गया, या आधारहीन प्रार्थनापत्र खारिज कर दिया जायगा;

(2) यदि प्रार्थनापत्र सुदृढ (well-founded) हो तो अभियोग क्षमताशील जिला-न्यायालय मे विचारण के लिये सुपुर्द कर दिया जायगा।

अनु० 267—जब पिछले अनुच्छेद के प्रभाग 2 मे उल्लिखित व्यवस्था (ruling) जारी की जा चुकी हो तो अभियोग पर लोक-कार्यवाही सस्थित समझी जायगी।

अनु० 268—जब कोई अभियोग अनुच्छेद 266 प्रभाग 2 की व्यवस्थाओ के अनुसार किसी न्यायालय मे सुपुर्द किया गया हो तो वह (न्यायालय) अधिवक्ताओ (advocates) मे से किसी एक को नामोद्दिष्ट करेगा जो लोककार्यवाही का सधारण (sustain) करेगा।

पिछले परिच्छेद में उल्लिखित नामोद्दिष्ट अधिवक्ता, उस अभियोग के निर्णय के अतिम रूप से बाध्यकारी (finally binding) होने तक लोक-कार्यवाही के सधारण के लिये, लोक-समाहर्ता के कार्य करेगा। तथापि, पिछले परिच्छेद में उल्लिखित अधिवक्ता किसी लोक-समाहर्ता को, लोक-समाहर्ता-कार्यालय के सचिवो या न्यायिक पुलिस कर्मचारी को आपराधिक अनुसधान के लिये निदेशित करने की आज्ञा देगा।

पिछले परिच्छेद के अनुसार लोकसमाहर्ता के कार्य करने वाले अधिवक्ता को विधियो एव अध्यादेशो के अनुसार लोक-सेवा (public service) मे लगे हुए कर्मचारी के रूप मे समझा जायगा।

न्यायालय, पहले परिच्छेद के अनुसार नामोद्दिष्ट अधिवक्ता के नामोद्देश (designation) को किसी समय निरस्त कर सकता है यदि वह (न्यायालय) समझे कि वह अपने कार्य करने मे योग्य नही है अथवा कोई दूसरी विशेष परिस्थितियाँ हो।

पहले परिच्छेद के अनुसार नामोद्दिष्ट अधिवक्ता को मत्रि-परिषद् के आदेशो द्वारा निश्चित भत्ते दिये जायँगे।

अनु० 269—जब कोई न्यायालय, अनुच्छेद 262 के परिच्छेद 1 मे उल्लिखित प्रार्थनापत्र को खारिज करे या प्रार्थनापत्र वापस ले लिया जाय तो न्यायालय, एक व्यवस्था (ruling) के आधार पर प्रार्थनापत्र देने वाले व्यक्ति को प्रार्थनापत्र सबधी कार्यवाही से होने वाले परिव्ययो के पूरे अथवा किसी अश के प्रतिकर (compensation) देने को आदेश दे सकता है। उक्त व्यवस्था (ruling) के विरुद्ध एक आसन्न (immediate) **कोकोकु** अपील की जा सकती है।

अनु० 270—लोक-कार्यवाही के सस्थित किये जाने के बाद, लोक-समाहर्ता उस अभियोग से सबद्ध साक्ष्य के अशो एव प्रलेखों का निरीक्षण एव उनकी प्रतिलिपि कर सकता है।

अध्याय 3

लोक-विचारण (Public Trial)

अनुभाग 1. लोक-विचारण की तैयारी तथा उसकी प्रक्रिया।
(Preparation for Public Trial and Process of Public Trial)

अनु० 271—लोक-कार्यवाही सस्थित की जाने पर, न्यायालय अभियुक्त को अभ्यारोपण (indictment) की एक प्रति अविलम्ब तामील करेगा।

यदि लोक-कार्यवाही संस्थित की जाने के दो मास के अन्दर अभ्यारोपण की प्रतिलिपि अभियुक्त को तामील न की जा सके तो लोक-कार्यवाही की संस्थिति की मान्यता निष्क्रियतया (retroactively) समाप्त हो जायगी।

अनु० 272—लोक-कार्यवाही के सस्थित हो जाने पर न्यायालय अभियुक्त को अधिसूचित करेगा कि वह (अपने खर्च से) अपना प्रतिवाद-परामर्शदाता चुन सकता है, अथवा यदि वह निर्धनता या अन्य कारणो से प्रतिवाद-परामर्श-

दाता न चुन सके तो वह अपने लिये परामर्शदाता नियुक्त करने के लिय न्यायालय से निवेदन कर सकता है। तथापि, यह तब लागू नही होगा यदि अभियुक्त के पास पहले से ही प्रतिवाद-परामर्शदाता हो।

अनु० 273—पीठासीन न्यायाधीश लोक-विचारण (public trial) की तिथि निश्चित करेगा।

लोक-विचारण की तिथि पर अभियुक्त को समन किया जायगा।

लोकसमाहर्ता, प्रतिवाद-परामर्शदाता एव सहायक (assistant) को लोक-विचारण की तिथि की सूचना दी जायगी।

अनु० 274—यदि अभियुक्त को न्यायालय के उपान्त (precincts) मे मिलने पर न्यायालय द्वारा लोक-विचारण की निश्चित तिथि की सूचना दी जाय तो उसे समन का प्रादेश (writ of summons) तामील किया गया समझा जायगा।

अनु० 275—लोक-विचारण के लिये निश्चित पहली तिथि तथा अभियुक्त को समन के प्रादेश की तामीली मे न्यायालय-नियमो द्वारा विहित समुचित अवकाश (reasonable interval) रहेगा।

अनु० 276—न्यायालय पदेन अथवा लोक-समाहर्ता, अभियुक्त या उसके प्रतिवाद-परामर्शदाता के निवेदन पर, लोक-विचारण के लिये नियत तिथि को बदल सकता है।

जैसा कि न्यायालय-नियमो द्वारा विहित हो, न्यायालय लोक-विचारण की नियत तिथि के बदलने के पहले ही लोकसमाहर्ता, अभियुक्त या उसके प्रतिवाद-परामर्शदाता की राय सुनेगा। तथापि, अविलम्बिता (urgency) की स्थिति मे यह लागू नही होगा।

पिछले परिच्छेद की व्यवस्था (proviso) द्वारा विहित दशाओ मे न्यायालय लोकसमाहर्ता, अभियुक्त या उसके प्रतिवाद-परामर्शदाता को नई तिथि (new date) पर लोक-विचारण के आरम्भ (commencement) के समय आपत्ति करने का अवसर देगा।

अनु० 277—यदि किसी न्यायालय ने अपने प्राधिकार (authority) के दुरुपयोग के फलस्वरूप लोक-विचारण की तिथि बदल दिया हो तो उस अभियोग से संबद्ध व्यक्ति, **उच्चतम न्यायालय** के नियमों (rules) अथवा

अनुदेशों (instructions) के अनुसार, अदालती प्रशासनिक नियत्रण कार्य-वाहियो (judicial administrative control proceedings) मे उपचार का निवेदन कर सकते है।

अनु० 278—यदि लोक-विचारण के लिए समन किया गया कोई व्यक्ति बीमारी या अन्य कारणो से नियत तिथि पर उपसजात न हो सके तो वह, न्यायालय-नियमो के अनुसार चिकित्सा-प्रमाणपत्र (medical certificate) या अन्य साक्ष्य-सामग्री (evidential materials) को न्यायालय मे प्रस्तुत करेगा।

अनु० 279—लोक-समाहर्ता, अभियुक्त या उसके प्रतिवाद-परामर्शदाता के निवेदन पर या पदेन कोई न्यायालय, अन्य लोक-कार्यालयो या सस्थाओ को, चाहे वे सार्वजनिक या व्यक्तिगत हो, लोक-विचारण के लिये आवश्यक विषयो का विवरण देने के लिये आदेश दे सकता है।

अनु० 280—लोक-कार्यवाही के संस्थित होने के बाद और लोक-विचारण की पहली तिथि के पहले की निरोध-सबधी कार्रवाइयो का कार्यभार न्यायाधीश द्वारा लिया जायगा।

जहाँ अनुच्छेद **204** या **205** द्वारा विहित कालावधियो की समाप्ति के पूर्व ही अनुच्छेद **199** या **210** की व्यवस्थाओ के अनुसार बन्दी किये गए किसी सदिग्ध या कुख्यात अपराधी (flagrant offender) के विरुद्ध लोक-कार्यवाही सस्थित की जा चुकी हो और जिसे निरोध के अधिपत्र द्वारा निरोधित किया गया हो, न्यायाधीश अभियुक्त को उस पर आरोपित अपराधों को सूचना अविलम्ब देगा और उस पर उसका विवरण (statement) सुनेगा और यदि न्यायाधीश निरोध का अधिपत्र जारी न करे तो उसे तुरन्त विमुक्त करने का आदेश अवश्य देगा।

पिछले दो परिच्छेदो में उल्लिखित न्यायाधीश को वही अधिकार होगा जो किसी न्यायालय या पीठासीन न्यायाधीश (presiding judge) को कार्रवाइयो के संबध में होता है।

अनु० 281—अनुच्छेद 158 द्वारा विहित किसी उपबन्ध (condition) पर विचार करने और लोकसमाहर्ता, अभियुक्त या उसके प्रतिवाद-परामर्शदाता की राय सुनने के बाद, न्यायालय यदि आवश्यक समझे तो लोक-विचारण के लिए नियत तिथि से भिन्न किसी तिथि पर साक्षियों की परीक्षा कर सकता है।

अनु० 282—सुनवाई (hearing) किसी न्यायालय-कक्ष मे लोक-विचारण की तिथि पर की जाएगी।

न्यायालय न्यायाधीश (या न्यायाधीशो) और न्यायालय लिपिको की समवेत (assembled) उपस्थिति तथा लोकसमाहर्ता की उपस्थिति मे खोला जाएगा।

अनु० 283—यदि अभियुक्त कोई न्यायिक व्यक्ति (juridical person) हो तो वह सदैव प्रतिपत्री (proxy) द्वारा उपसजात हो सकता है।

अनु० 284—यदि अभ्यारोपित अपराध (offence charged) का दण्ड पाँच हजार येन से अधिक न हो या कोई छोटा अर्थदण्ड हो तो अभियुक्त को उपसजात नही होना पडेगा। तथापि, वह प्रतिपत्री (proxy) द्वारा उपसजात हो सकता है।

अनु० 285—यदि अभ्यारोपित अपराध का दण्ड निरोध (detention) हो तो लोक-विचारण की तिथि पर निर्णय दिए जाते समय अभियुक्त को अवश्य उपस्थित रहना पड़ेगा। लोक-विचारण की अन्य किसी भी अवस्था मे, जब कि न्यायालय यह समझे कि उसकी उपस्थिति उसके अधिकारो की सुरक्षा के लिए आवश्यक नही है, उसे अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा दे सकता है।

जहाँ अभ्यारोपित अपराध (offence charged) का दण्ड अधिक से अधिक तीन वर्ष की चरम अवधि का कठोरश्रम-कारावास या सामान्य कारावास हो अथवा पाँच हजार येन से अधिक का अर्थदण्ड हो, वहाँ अभियुक्त को लोक-विचारण की तिथि पर अनुच्छेद 291 मे वर्णित कार्यवाहियो के अवसर पर तथा निर्णय दिए जाने के समय अवश्य उपस्थित रहना होगा। लोक-विचारण की अन्य अवस्था में, पिछले परिच्छेद का अतिम भाग (last part) लागू होगा।

अनु० 286—पिछले तीन अनुच्छेदो द्वारा अन्यथा विहित दशाओ के अतिरिक्त, अभियुक्त के उपस्थित न रहने पर लोक-विचारण नही किया जाएगा।

अनु० 287—लोक-विचारण के न्यायालय मे उपस्थित अभियुक्त को तब तक किसी तरह के शारीरिक अवरोध मे नही रखा जाएगा जब तक कि वह कोई हिंसक प्रयोग या निकल भागने का प्रयत्न नही करता।

तथापि, शारीरिक अवरोध (physical restraint) मे न रखे जाने की स्थिति मे भी अभियुक्त पर आरक्षी (guards) रखे जा सकते है।

अनु० 288—पीठासीन न्यायाधीश की अनुज्ञा के अतिरिक्त अभियुक्त न्यायालय से नही हट सकेगा।

पीठासीन न्यायाधीश अभियुक्त को न्यायालय मे ठहरने एव व्यवस्था बनाए रखने के लिए (to maintain order) उचित उपाय कर सकता है।

अनु० 289—यदि अभ्यारोपित अपराध का दण्ड प्राण-दण्ड, अनिर्धारित काल का या तीन वर्ष से अधिक चरम-अवधि का कठोरश्रम-कारावास या सामान्य कारावास हो तो लोक-विचारण विना प्रतिवाद-परामर्शदाता के नही किया जाएगा।

जहाँ प्रतिवाद-परामर्शदाता उपसजात हो या उन अभियोगो मे तब तक प्रतिवाद परामर्शदाता चुना ही न गया हो जिनमे लोक-विचारण प्रतिवाद-परामर्शदाता की उपस्थिति के बिना न किया जा सके तो पीठासीन न्यायाधीश पदेन (ex-officio) अभियुक्त के लिये प्रतिवाद-परामर्शदाता अवश्य नियुक्त करेगा।

अनु० 290—यदि अनुच्छेद 37 के किसी प्रभाग (item) के अन्तर्गत दशाओ मे से किसी मे प्रतिवाद-परामर्शदाता उपसजात नही होता तो न्यायालय, पदेन (ex-officio) प्रतिवाद-परामर्शदाता निर्धारित कर सकता है।

अनु० 291—लोक-विचारण के आरभ करते समय लोक-समाहर्ता द्वारा अभ्यारोपण (indictment) जोर से पढा जाएगा।

अभ्यारोपण पढ़े जाने के बाद, पीठासीन न्यायाधीश अभियुक्त को अवश्य अधिसूचित करेगा कि वह सदैव चुपचाप रह सकता है और किसी भी प्रश्न का उत्तर देने से इनकार कर सकता है तथा न्यायालय-नियमो द्वारा विहित अन्य विषयो को भी सूचित करेगा, जो अभियुक्त के अधिकारो की सुरक्षा के लिए आवश्यक हो और अभियुक्त एव उसके प्रतिवाद-परामर्शदाता को अभियोग के सम्बन्ध मे अपना विवरण देने का अवसर अवश्य देगा।

अनु० 292—पिछले अनुच्छेद द्वारा विहित कार्यवाही की समाप्ति के बाद साक्ष्य की परीक्षा (examination of evidence) आरंभ की जाएगी।

अनु० 293—साक्ष्य की परीक्षा समाप्त होने पर, लोकसमाहर्ता तथ्य के विषय मे एव विधि के विनियोग (application of law) के सबन्ध मे अपनी समति देगा।

अभियुक्त एवं उसके प्रतिवाद-परामर्शदाता भी अपनी समति देगे।

अनु० 294—लोक-विचारण के लिए नियत तिथि पर सुनवाई (hearing), पीठासीन न्यायाधीश की अध्यक्षता मे की जाएगी।

अनु० 295—पीठासीन न्यायाधीश (अभियुक्त को छोडकर साक्षी एव दूसरो के विषय में) पूछे गए किसी भी प्रश्न अथवा विचारण से सबद्ध व्यक्तियों द्वारा दिए गए किसी विवरण (statement) को विखण्डित कर सकता है, यदि वे अनावश्यक रूप से दुहराए गए हो, वाद-पद से असबद्ध हो अथवा किसी भी तरह ग्राह्य न हो, वही तक जहाँ तक कि यह (विखण्डन) उन व्यक्तियो के मुख्य अधिकारों को हानि न पहुँचाए।

यही नियम उस दशा मे भी लागू होगा जहाँ विचारण से सबद्ध व्यक्तियो द्वारा अभियुक्त से प्रश्न किया जाय।

अनु० 296—लोकसमाहर्ता साक्ष्य की परीक्षा करने के बाद बतलाएगा कि वह क्या प्रमाणित करने की प्रत्याशा रखता हैं। तथापि, वह अग्राह्य सामग्री पर आधृत अथवा साक्ष्य के रूप में न देने योग्य विषयो पर आधृत कोई ऐसा विवरण नही देगा जो न्यायालय से पक्षपात (prejudice) कराने मे साधक हो अथवा कोई प्रतिकूल प्रभाव (prejudication) उत्पन्न कराने वाला हो।

अनु० 297—जहाँ तक साक्ष्य की परीक्षा की प्रक्रिया (process) का सम्बन्ध है न्यायालय लोकसमाहर्ता और अभियुक्त या उसके प्रतिवाद-परामर्श-दाता की समति सुनने के बाद, उसका क्षेत्र, प्रक्रम एव प्रणाली निर्धारित करेगा।

पिछले परिच्छेद मे उल्लिखित कार्यवाही को कार्यान्वित करने के लिए न्यायालय अपने किसी भी सहयोगी सदस्य को प्रेरित कर सकता है।

न्यायालय, किसी भी समय जब वह उचित समझे, लोक-समाहर्ता और अभियुक्त अथवा उसके प्रतिवाद-परामर्शदाता की समति एव सुझाव सुनने के बाद, पहले परिच्छेद के अनुसार पूर्व निर्धारित साक्ष्य की परीक्षा के क्षेत्र, प्रक्रम एवं प्रणाली को बदल सकता है।

अनु० 298—लोकसमाहर्ता, अभियुक्त और उसके प्रतिवाद-परामर्शदाता साक्ष्य की परीक्षा के लिए निवेदन कर सकते है।

न्यायालय, यदि आवश्यक समझे, साक्ष्यो की परीक्षा पदेन (ex-officio) कर सकता है।

अनु० 299—किसी साक्षी, विशेपज्ञ साक्षी, अर्थनिर्वाचक या अनुवादक की परीक्षा का निवेदन करने के पहले, लोक-समाहर्ता, अभियुक्त या उसका प्रतिवाद-परामर्शदाता अपने विरोधी पक्ष (opponent party) को अग्रिम रूप मे उस व्यक्ति का नाम एव पता जानने का अवसर देगा। जब कोई लेख्य (documentary) या वास्तविक साक्ष्य (real evidence) परीक्षा के लिए प्रस्तुत किया जाय तो इसके निरीक्षण के लिए विरोधी पक्ष को अग्रिम रूप मे अवश्य अवसर दिया जाएगा। तथापि, यह उस दशा मे लागू नही होगा यदि विरोधी पक्ष आपत्ति न करे।

साक्ष्य की परीक्षा की व्यवस्था (ruling) पदेन (ex-officio) जारी करने के पहले, न्यायालय लोक-समाहर्ता और अभियुक्त या उसके प्रतिवाद-परामर्शदाता की समति अवश्य सुनेगा।

अनु० 300—लोक-समाहर्ता उन प्रलेखो की परीक्षा का निवेदन अवश्य करेगा जिनका साक्ष्य के रूप में प्रयोग, अनुच्छेद 321 परिच्छेद 1, प्रभाग 2 के अतिम भाग की व्यवस्थाओ के अनुसार हो सकता है।

अनु० 301—जहाँ अभियुक्त का वक्तव्य (statement), जिसे अनुच्छेद 322 और अनुच्छेद 324 के परिच्छेद 1 की व्यवस्थाओं के अनुसार साक्ष्य-रूप मे प्रयुक्त किया जा सके, अभ्यारोपित अपराध की स्वीकृति (confession) हो तो उसकी परीक्षा का निवेदन (request) तब तक नही किया जाएगा जब तक कि अपराध के घटक तथ्यो को प्रमाणित करने वाले अन्य साक्ष्यो की परीक्षा न हो जाय।

अनु० 302—जहाँ अनुच्छेद 321 से 323 तक या 326 की व्यवस्थाओ के अनुसार साक्ष्य-रूप में प्रयुक्त किए जाने योग्य प्रलेख अनुसधान के अभिलेखों (investigation records) के ही अश हों तो लोक-समाहर्ता उन्हे अन्य फाइलो से जहाँ तक हो सके अलग करते हुए उनकी परीक्षा का निवेदन करेगा।

अनु० 303—न्यायालय, लोक-विचारण की तिथि पर, उन सभी प्रलेखो की परीक्षा (जाँच) करेगा जिनमें साक्षियो या अन्य व्यक्तियों की परीक्षा (examination), अभिग्रहण और तलाशी एव साक्ष्य के निरीक्षण के परिणाम (result) तथा लोक-विचारण की तैयारी के सदर्भ में प्रलेखीय या वास्तविक साक्ष्य के रूप मे अधिगृहीत सभी वस्तुएँ होगी।

अनु० 304—साक्षियों, विशेषज्ञ-साक्षियो, अर्थनिर्वाचकों या अनुवादकों की परीक्षा (examination) सर्वप्रथम किसी पीठासीन न्यायाधीश या सह-न्यायाधीश (associate judge) द्वारा की जाएगी।

लोक-समाहर्ता, अभियुक्त या उसके प्रतिवाद-परामर्शदाता पीठासीन न्यायाधीश को अधिसूचित करके पिछले परिच्छेद मे उल्लिखित परीक्षा समाप्त हो जाने के बाद, साक्षियों, विशेषज्ञ-साक्षियो, अर्थनिर्वाचको या अनुवादको की परीक्षा कर सकते है। उस दशा में, जहाँ कि साक्षियो विशेषज्ञ-साक्षियों, अर्थनिर्वाचको या अनुवादकों की परीक्षा लोक-समाहर्ता, अभियुक्त या उसके प्रतिवाद-परामर्शदाता के निवेदन पर आरभ की गई हो, वहाँ निवेदन करने वाला व्यक्ति ही उनकी परीक्षा करने वाला पहला व्यक्ति होगा।

न्यायालय, यदि उचित समझे तो लोक-समाहर्ता, अभियुक्त या उसके प्रतिवाद-परामर्शदाता की समति सुनने के बाद, पिछले दो परिच्छेदो मे उल्लिखित परीक्षा का क्रम (order) बदल सकता है।

अनु० 305—लोक-समाहर्ता, अभियुक्त या उसके प्रतिवाद-परामर्शदाता द्वारा किए गए निवेदन पर की जाने वाली लेख्य-साक्ष्यो की परीक्षा के सबध में पीठासीन न्यायाधीश निवेदन करने वाले व्यक्ति को उन्हे जोर से पढने के लिए प्रेरित करेगा। तथापि, पीठासीन न्यायाधीश उन लेख्य-साक्ष्यो को स्वय जोर से पढ सकता है अथवा सह-न्यायाधीश या न्यायालय-लिपिक से ऐसा करा सकता है।

उस दशा मे जबकि न्यायालय लेख्य-साक्ष्यो की परीक्षा पदेन (ex-officio) करे तो पीठासीन न्यायाधीश उन लेख्यो को स्वय जोर से पढ़ेगा या सह-न्यायाधीश अथवा न्यायालय-लिपिक से ऐसा कराएगा।

अनु० 306—लोक-समाहर्ता, अभियुक्त या उसके परामर्शदाता द्वारा किए गए निवेदन पर की जाने वाली वास्तविक साक्ष्यो (real evidences) की परीक्षा के संबंध में, पीठासीन न्यायाधीश, निवेदन करने वाले व्यक्ति को उन्हें दिखाने के लिए प्रेरित करेगा। तथापि, पीठासीन न्यायाधीश स्वय उन्हें दिखा सकता है अथवा किसी सह-न्यायाधीश या न्यायालय-लिपिक से ऐसा करा सकता है।

उस दशा मे जबकि न्यायालय वास्तविक साक्ष्यो की परीक्षा, पदेन करे तो पीठासीन न्यायाधीश स्वयं उन्हें विचारण (trial) से सबद्ध व्यक्तियों

को दिखाएगा अथवा किसी सह-न्यायाधीश या न्यायालय-लिपिक से ऐसा कराएगा।

अनु० 307—अन्य वास्तविक साक्ष्यो मे, जिनका सार (purport) प्रमाण का काम दे, प्रलेखो (documents) की परीक्षा दोनो ही अनुच्छेद 305 एव पिछले अनुच्छेद के अनुसार की जाएगी।

अनु० 308—न्यायालय, लोक-समाहर्ता एव अभियुक्त अथवा उसके प्रतिवाद-परामर्शदाता को साक्ष्य के प्रमाणक मूल्य (probative value) पर आपत्ति करने के लिए आवश्यक उचित अवसर अवश्य प्रदान करेगा।

अनु० 309—लोक-समाहर्ता अभियुक्त या उसका प्रतिवाद-परामर्शदाता साक्ष्यो की परीक्षा के सम्बन्ध में आपत्तियाँ (objections) खडी कर सकते है।

लोक-समाहर्ता, अभियुक्त या उसके प्रतिवाद-परामर्शदाता, पिछले परिच्छेद द्वारा विहित आपत्तियो के अतिरिक्त, पीठासीन न्यायाधीश द्वारा कार्यान्वित किसी भी कार्रवाई पर आपत्ति कर सकते है।

न्यायालय, पिछले दो परिच्छेदो के अन्तर्गत की गई आपत्तियो पर एक व्यवस्था (ruling) जारी करेगा।

अनु० 310—लेख्य-विषयक या वास्तविक साक्ष्य, परीक्षा समाप्त हो जाने पर न्यायालय के समक्ष अविलम्ब प्रस्तुत किए जाएँगे। तथापि, जहाँ तक किसी प्रलेख का सबंध है, न्यायालय की अनुमति से मूल के बदले में उसकी प्रतिलिपि प्रस्तुत की जा सकती है।

अनु० 311—विचारण के क्रम में अभियुक्त सदैव चुपचाप रह सकता है या किसी प्रश्न का उत्तर देने से इनकार कर सकता है।

जहाॅ अभियुक्त स्वेच्छया अपना वक्तव्य (statement) दे तो पीठासीन न्यायाधीश किसी समय आवश्यक विषयो (matters) पर प्रश्न कर सकता है।

सह-न्यायाधीश (associate judge), लोक-समाहर्ता, प्रतिवाद-परामर्शदाता, सह-प्रतिवादी (co-defendant) या उसका प्रतिवाद-परामर्शदाता भी, पीठासीन न्यायाधीश को अधिसूचित कर, पिछले परिच्छेद में उल्लिखित दशाओ मे अभियुक्त से प्रश्न कर सकते है।

अनु० 312—लोक-समाहर्ता के निवेदन पर न्यायालय उसे गणक (count) या अभ्यारोपण मे उद्धृत दाण्डिक उपबन्धो (penal provisions) को जोडने, वापस लेने या बदलने की अनुमति उस अवस्था तक देगा जहाँ तक कि उससे अभ्यारोपित अपराध (offence charged) की अनन्यता (identity) मे हेर-फेर न हो।

न्यायालय जहाँ विचारण की प्रगति के अनुसार उचित समझे, किसी लोक-समाहर्ता को दाण्डिक उपबन्धो या गणको को जोडने या बदलने का आदेश दे सकता है।

जहाँ दाण्डिक उपबन्ध या गणक जोडे गए, वापस लिए गए या बदले गए हो वहाँ न्यायालय अभियुक्त को, जोड़े गए, वापस लिए गए या बदले गए अशो की अविलम्ब अधिसूचना देगा।

जहाँ न्यायालय को यह विश्वास हो कि अभ्यारोपण के दाण्डिक उपबन्धों या गणको मे जोड या परिवर्तन से अभियुक्त के प्रतिवाद पर सारवान प्रतिकूल प्रभाव (substantial prejudice) पडेगा तो वह अभियुक्त या उसके प्रतिवाद-परामर्शदाता के निवेदन पर, एक व्यवस्था (ruling) द्वारा, लोक-विचारण की प्रक्रिया को उतने समय तक के लिए रोक देगा जितने मे अभियुक्त अपने पर्याप्त प्रतिवाद के लिए तैयार हो सके।

अनु० 313—न्यायालय जब उचित समझे, लोक-समाहर्ता, अभियुक्त या उसके प्रतिवाद-परामर्शदाता के निवेदन पर या पदेन (ex-officio) एक व्यवस्था (ruling) द्वारा, मौखिक कार्यवाहियो को अलग या सम्मिलित कर सकता है अथवा समाप्त की गई मौखिक कार्यवाहियो को फिर से आरंभ कर सकता है।

जहाँ अभियुक्त के अधिकारो की रक्षा के लिए आवश्यक हो, न्यायालय एक व्यवस्था (ruling) द्वारा, न्यायालय-नियमो के अनुसार मौखिक कार्यवाहियो को पृथक् कर सकता है।

अनु० 314—यदि अभियुक्त विकृतचित्तता की अवस्था (state of unsound mind) मे हो तो लोक-विचारण की प्रक्रिया, लोक-समाहर्ता और परामर्शदाता की संमति सुनने के बाद, उक्त अवस्था के सातत्य (continuance) में, एक व्यवस्था (ruling) द्वारा, रोक दी जाएगी। तथापि, उस दशा में जब कि निर्दोषिता, विमुक्ति, दण्ड-क्षमा या लोक-कार्यवाही के

परिहार (dismissal) के निर्णय देने के स्पष्ट कारण हो तो ऐसा निर्णय अभियुक्त की उपसजाति की बिना प्रतीक्षा किए ही तुरन्त दिया जाएगा।

यदि अभियुक्त बीमारी के कारण उपसजात होने मे असमर्थ हो तो लोक-विचारण की प्रक्रिया, लोकसमाहर्ता और प्रतिवाद-परामर्शदाता की सम्मति सुनने के बाद, एक व्यवस्था (ruling) द्वारा तबतक के लिए रोक दी जाएगी जबतक उसका उपसजात होना सभव न हो जाय। तथापि, यह उस दशा मे लागू नही होगा जहाँ अनुच्छेद 284 और 285 के अनसार कोई प्रति-पत्री (proxy) उपसजात कराया गया हो।

जहाँ किसी अपराध के घटक तथ्यो की सत्ता या अभाव को प्रमाणित करने के लिए अत्यावश्यक कोई साक्षी बीमारी के कारण लोक-विचारण की तिथि पर उपसजात न हो सकता हो तो न्यायालय लोक-विचारण की प्रक्रिया को तबतक के लिए अवश्य रोक देगा जबतक कि उसका उपसजात होना सभव न हो जाय, केवल उस दशा को छोडकर जब कि न्यायालय उसकी परीक्षा लोक-विचारण की तिथि से अन्य तिथियो पर करना उचित समझे।

पिछले तीन परिच्छेदो के अनुसार विचारण रोकने के पहले न्यायालय किसी चिकित्सा विशेषज्ञ (medical expert) की समति सुनेगा।

अनु० 315—जहाँ लोक-विचारण के आरभ के बाद ही एक (या अनेक) न्यायाधीश बदल दिया (दिए) गया (गए) हो (हो) तो उसकी कार्यवाही नवीकृत की जाएगी। तथापि, यह उस दशा मे लागू नही होगा जब कि केवल न्याय-निर्णय (judgment) मात्र का उद्घोषित किया जाना ही शेष रहा हो।

अनु० 316—किसी जिला-न्यायालय के अकेले एक न्यायाधीश द्वारा भी प्रचालित कार्यवाहियाँ प्रभाव-शून्य नही होगी चाहे प्रस्तुत अभियोग ऐसा भले ही हो जिसे किसी सहयोगी-न्यायालय (collegiate court) मे ही विचारा जाना वैध हो।

अनुभाग 2. साक्ष्य (Evidence)

अनु० 317—तथ्यो (facts) का पता साक्ष्य के आधार पर लगाया जाएगा।

अनु० 318—साक्ष्य का प्रमाणक मूल्य (probative value) न्यायाधीशो के स्वतंत्र विवेक (discretion) पर छोड दिया जाएगा।

अनु० 319—बाध्यता, यन्त्रणा या धमकी द्वारा अथवा लम्बे बन्दीकरण या निरोध के बाद की गई सस्वीकृति (confession) अथवा जिसके स्वेच्छया न किए जाने का सदेह हो, ऐसी सस्वीकृति को साक्ष्य मे नही माना जाएगा।

उस दशा में अभियुक्त को अभिशस्त (convicted) नही किया जाएगा जहाँ उसकी निजी सस्वीकृति ही, चाहे वह खुले न्यायालय मे की गई हो या नही, उसके विरुद्ध एक मात्र प्रमाण हो।

पिछले दो परिच्छेदो मे उल्लिखित सस्वीकृति मे अभियुक्त की कोई भी स्वीकृति आ सकती है जो उसे अभ्यारोपित अपराध का दोषी अभिस्वीकृत करे।

अनु० 320—अनुच्छेद 321 से 328 तक के अनुच्छेदो द्वारा अन्यथा विहित दशा के अतिरिक्त, न तो किसी व्यक्ति द्वारा लोक-विचारण की तिथि पर मौखिक रूप मे दिए गए वक्तव्य के बदले किसी प्रलेख का साक्ष्यरूप में प्रयोग किया जाएगा और न अन्य व्यक्ति द्वारा लोक-विचारण की तिथि से भिन्न अन्य तिथियो पर दिए गए किसी वक्तव्य का मौखिक विवरण ही साक्ष्य रूप मे प्रयुक्त होगा।

अनु० 321—अभियुक्त से भिन्न व्यक्ति द्वारा दिया गया लिखित वक्तव्य (written statement) या प्रलेख (document), जिसमें उसका वक्तव्य हो और उसी के द्वारा हस्ताक्षरित एव सील किया गया हो, केवल निम्नाकित प्रभागो में से किसी के अन्तर्गत होने पर ही साक्ष्य रूप मे प्रयुक्त हो सकेगा .

(1) जहाँ तक उस प्रलेख का सबंध है, जिसमे किसी व्यक्ति का न्यायाधीश के समक्ष दिया गया वक्तव्य हो, जहाँ कि वह लोक-विचारण की तैयारी या लोक-विचारण की तिथि पर, मृत्यु, मानसिक स्थिति की विकृति (unsoundness), लापता होने (missing), या **जापान** के बाहर रहने के कारण उपसजात न हो या प्रमाणित न करे अथवा वह शरीर से इतना असमर्थ हो कि प्रमाणित न कर सके या जहाँ वह उल्लिखित तिथि पर उपसजात होकर अपने पहले के वक्तव्य से किसी रूप में भिन्न प्रमाण दिया हो,

(2) जहाँ तक उस प्रलेख का सबध है, जिसमे किसी व्यक्ति का लोक-समाहर्ता के समक्ष दिया गया वक्तव्य हो, जहाँ वह लोक-विचारण की तैयारी या लोक-विचारण की तिथि पर मृत्यु, मानसिक स्थिति की विकृति (unsoundness), लापता होने (missing), या **जापान** के बाहर रहने के कारण उपसंजात न हो सके या प्रमाणित न कर सके अथवा शरीर से इतना असमर्थ हो कि प्रमाणित न कर सके अथवा जहाँ वह उल्लिखित तिथि पर उपसजात होकर अपने पहले के वक्तव्य के विरुद्ध या उससे तत्त्वत भिन्न प्रमाण दिया हो; तथापि, अतिम दशा में यह केवल वही लागू होगा जहाँ विशेष परिस्थितियाँ हो जिनके कारण न्यायालय को यह पता लग सके कि पहले के वक्तव्य, उल्लिखित तिथि पर पूछताछ (interrogation) के सदर्भ में दिए गए प्रमाण से अधिक विश्वसनीय है;

(3) जहाँ तक पिछले दो प्रभागो (items) में विहित से भिन्न लिखित वक्तव्यो का सबध है, जहाँ कि वक्तव्य देने वाला व्यक्ति लोक-विचारण की तैयारी या लोक-विचारण की तिथि पर मृत्यु, मानसिक स्थिति की विकृति (unsoundness), लापता होने (missing), या **जापान** के बाहर रहने के कारण उपसजात न हो या प्रमाणित न करे या वह शरीर से इतना असमर्थ हो कि प्रमाणित न कर सके और उसके पिछले वक्तव्य अभ्यारोमित अपराध के आवश्यक प्रमाण हो, तथापि, यह उसी दशा मे लागू होगा जब कि विशेष परिस्थितियाँ रही हो जिनमे वक्तव्य दिए गए और जो विशेष प्रत्येयता (special credibility) उत्पन्न करे।

कोई लिखित अभिलेख (record), जिसमे अभियुक्त से अन्य किसी व्यक्ति द्वारा लोक-विचारण की तैयारी या लोक-विचारण की तिथि पर दिए गए वक्तव्य हों अथवा वह लिखित अभिलेख जिसमे न्यायालय या किसी न्यायाधीश द्वारा किए गए निरीक्षण (inspection) के परिणाम (result) का वर्णन हो, पिछले परिच्छेद का बिना विचार किए ही, साक्ष्य-रूप मे प्रयुक्त किया जा सकता है।

कोई लिखित अभिलेख जिसमें लोकसमाहर्ता, लोकसमाहर्ता- कार्यालय के सचिव या न्यायिक पुलिस कर्मचारी द्वारा किए गए निरीक्षण के परिणाम का वर्णन हो, इस अनुच्छेद के पिछले परिच्छेद का बिना विचार किए ही, साक्ष्यरूप में प्रयुक्त किया जा सकता है, यदि इसे तैयार करने वाला

व्यक्ति लोक-विचारण की तिथि पर साक्षी के रूप मे उपसजात हो और जॉच किए जाने पर प्रलेख का सत्याकन करे।

पिछला परिच्छेद, यथोचित परिवर्तन के साथ, उस प्रलेख (document) के सबन्ध मे लागू होगा जिसे किसी विशेषज्ञ साक्षी (expert witness) ने तैयार किया हो और जिसमे उसके निष्कर्षो (conclusions) एव प्रक्रिया (process) का वर्णन हो जिसके अन्तर्गत उसने अपनी समति दी हो।

अनु० 322—अभियुक्त द्वारा दिया गया कोई लिखित वक्तव्य (written statement) या प्रलेख जिसमे उसका वक्तव्य हो और उसके द्वारा हस्ताक्षर एव सील किया गया हो, उसके विरुद्ध साक्ष्य-रूप मे प्रयुक्त हो सकता है यदि वक्तव्य मे अभियुक्त द्वारा की गई उस तथ्य की स्वीकृति (admission) हो जो उसके हित (interest) के विरुद्ध हो अथवा यदि वक्तव्य असाधारण परिस्थितियो (unusual circumstances) में दिया गया हो जिनसे विशेष प्रत्येयता (special credibility) पैदा हो गई हो। तथापि, जहॉ लिखित वक्तव्य या प्रलेख मे अभियुक्त द्वारा अपने हित के विरुद्ध तथ्य की स्वीकृति (admission) की गई हो और यह सदेह हो कि स्वीकृति स्वेच्छया नही की गई है तो वह, एव साथ ही साथ अनुच्छेद 319 द्वारा विहित दशाओ मे, अभियुक्त के विरुद्ध साक्ष्य के रूप मे प्रयुक्त नही किया जायगा, चाहे स्वीकृति (admission) किसी अपराध की सस्वीकृति (confession) भले न हो।

कोई लिखित अभिलेख, जिसमें अभियुक्त द्वारा पहले, लोक-विचारण की तैयारी या लोक-विचारण की तिथि पर, दिए गए वक्तव्य हो, तभी तक साक्ष्य-रूप मे प्रयुक्त हो सकता है जब तक कि वह स्वेच्छया दिया गया प्रतीत हो।

अनु० 323—पिछले दो अनुच्छेदो मे विहित से भिन्न प्रलेख (documents) केवल तभी साक्ष्य के रूप मे प्रयुक्त हो सकते है यदि वे निम्नाकित में से कोई हो :

(1) किसी के कुटुम्ब रजिष्टर (family register) की एक प्रति या विलेख (notarial deed) की प्रति अथवा उन तथ्यो को प्रमाणित करने वाले ऐसे ही अन्य लोक-लेख्य (public documents) जिन्हे प्रमाणित करने का कर्तव्य (duty) या प्राधिकार (authority) किसी लोक-कर्मचारी (जिनमें विदेशी सरकार के कर्मचारी भी सम्मिलित है) को हो;

(2) कोई लेखा-पुस्तक (account book), जल-यात्रा अभिलेख (voyage log) एव अन्य प्रलेख जो व्यापार की नियमित परिधि मे तैयार किए गए हो,

(3) पिछले दो प्रभागों द्वारा विहित से भिन्न प्रलेख जो अपने अन्तर्गत तथ्यो के दृढ़ कथन (assertions) के प्रति विशेष प्रत्येयता मे (special credibility) प्रदान करने वाली परिस्थितियो तैयार किये गए हों।

अनु० 324—जहाँ तक अभियुक्त से भिन्न व्यक्ति द्वारा लोक-विचारण की तैयारी की तिथि या उस लोक-विचारण की तिथि पर दिए गए मौखिक वक्तव्यो का सम्बन्ध है, जिसमे अभियुक्त के विचारण के पहले के वक्तव्य (pre-trial statements) हो, अनुच्छेद 322 की व्यवस्थाएँ, यथोचित परिवर्तन के साथ, लागू होगी।

जहाँ तक अभियुक्त से भिन्न व्यक्ति द्वारा उल्लिखित तिथि पर दिए गए मौखिक वक्तव्यो का सबध है जिनमे अभियुक्त से भिन्न व्यक्ति द्वारा दिए गए, विचारण के पूर्व के वक्तव्य (pre-trial statements) हो, अनुच्छेद 321, परिच्छेद 1 प्रभाग 3 की व्यवस्थाएँ, यथोचित परिवर्तन के साथ, लागू होगी।

अनु० 325—पिछले चार अनुच्छेदों के अनुसार साक्ष्य-रूप में ग्राह्य वक्तव्य या प्रलेख, न्यायालय द्वारा तब तक साक्ष्य-रूप मे प्रयुक्त नही किया जायगा जब तक कि उसे अनुसंधान के बाद यह विश्वास न हो जाय कि किसी व्यक्ति के वक्तव्य या प्रलेख मे वर्णित वक्तव्य, जो अन्य व्यक्ति द्वारा लोक-विचारण की तैयारी की तिथि या लोक-विचारण की तिथि पर दिये गए मौखिक वक्तव्य मे निहित हो, स्वेच्छया (voluntarily) दिया गया था।

अनु० 326—अनुच्छेद 321 से 325 तक के अनुच्छेदो के अतिरिक्त भी कोई प्रलेख या वक्तव्य केवल तभी साक्ष्य-रूप मे प्रयुक्त हो सकता है जब कि लोक-समाहर्ता और अभियुक्त उसके लिए सम्मति (consent) दे और न्यायालय उन परिस्थितियो पर विचार करने के बाद जिनमें उक्त प्रलेख या वक्तव्य लिया गया था, इसे उचित समझे।

उन अभियोगो मे जहाँ अभियुक्त की अनुपस्थिति (non-attendance) में भी साक्ष्यों की परीक्षा (examination of evidences) कार्यान्वित की जा सकती हो और अभियुक्त उपसंजात न हो तो पिछले परिच्छेद में

उल्लिखित सम्मति उसने दे दी ऐसा मान लिया जायगा। तथापि, यह उस दशा में लागू नही होगा जहाँ उसके बदले मे उसका प्रतिपत्री या परामर्शदाता उपसजात हो।

अनु० 327—लोक-समाहर्ता और अभियुक्त या उसके प्रतिवाद परामर्शदाता के सहमत होने पर किसी प्रलेख के अन्तर्विषयो के सम्बन्ध में लिखित अनुबन्ध (written stipulations) या किसी प्रमाण का साराश, जो यदि साक्षी न्यायालय मे उपसजात होने वाला होता तो दिया जाता, मौलिक प्रलेख (original document) की जाँच के बिना ही या लोक-विचारण मे साक्षी से बिना पूछताछ किए ही, साक्ष्य-रूप मे प्रयुक्त किया जा सकता है। तथापि, अनुबध के प्रमाणक मूल्य (probative value) पर किसी भी समय आपत्ति (objection) की जा सकती है।

अनु० 328—किसी प्रलेख या मौखिक वक्तव्य (oral statement) को, जिसे अनुच्छेद **321** से **324** तक के अनुच्छेदो द्वारा साक्ष्य-रूप मे प्रयुक्त किया जा सके, उस वक्तव्य की प्रत्येयता (credibility) निर्धारण करने की प्रणाली (method) के रूप मे प्रयुक्त किया जा सकता है जो लोक-विचारण की तैयारी की तिथि या लोक-विचारण की तिथि पर अभियुक्त, साक्षी या अन्य व्यक्तियो (जिन्होने अपने वक्तव्य (statements) न्यायालय के बाहर दिए हो) द्वारा दिए गए हो।

अध्याय 3

लोक-विचारण का विनिश्चय

(Decision in Public Trial)

अनु० 329—किसी अभियुक्त के विरुद्ध लम्बित (pending) अभियोग (case) की दशा मे, जो न्यायालय के अधिकार-क्षेत्र (jurisdiction) मे न आता हो, अक्षमता (incompetency) की उद्घोषणा एक निर्णय (judgment) द्वारा की जायगी। तथापि, अनुच्छेद **266**, प्रभाग **2** के अन्तर्गत किसी जिला-न्यायालय मे विचारण के लिए सौपे गए अभियोग के सबंध में न्यायालय अक्षमता की उद्घोषणा नही करेगा।

अनु० 330—यदि कोई अभियोग, जिसके लिए लोक-कार्यवाही उसके विशेष क्षेत्राधिकार में आने के कारण किसी उच्च न्यायालय में सस्थित की गई हो,

किसी निम्न न्यायालय के अधिकार-क्षेत्र में आता हो तो पिछले अनुच्छेद की व्यवस्थाओ का बिना विचार किए, एक व्यवस्था द्वारा उसे क्षमताशील (competent) न्यायालय मे अन्तरित कर दिया जायगा।

अनु० 331—अभियुक्त के प्रार्थना-पत्र देने की दशा के अतिरिक्त, न्यायालय प्रादेशिक क्षेत्राधिकार (territorial jurisdiction) के सबध मे अक्षमता की उद्घोषणा नही करेगा।

अभियुक्त के विरुद्ध लम्बित अभियोग (case) के सबध मे साक्ष्य की परीक्षा प्रारभ की जाने के बाद किसी भी अक्षमता की अभ्युक्ति (plea of incompetency) को वरीयता नही दी जायगी।

अनु० 332—कोई क्षिप्र-न्यायालय, एक व्यवस्था द्वारा, किसी अभियोग को अधिकार-क्षत्र-सपन्न जिला-न्यायालय मे अन्तरित कर देगा, यदि वह अभियोग को जिला-न्यायालय मे विचारित कराना उचित समझे।

अनु० 333—जहॉ अभियुक्त के विरुद्ध लम्बित अभियोग के सबध में अपराध का प्रमाण मिलता हो वहॉ अनुच्छेद 334 की दशा को छोड़कर, एक निर्णय द्वारा दण्ड की उद्घोषणा की जायगी।

ऐसे दण्ड के साथ ही साथ निर्णय द्वारा दण्ड-निष्पादन के निलम्बन (suspension) की उद्घोषणा की जायगी।

अनु० 334—जहाँ अभियुक्त के विरुद्ध लम्बित अभियोग के सबध में दण्ड क्षमा किया जानेवाला हो तो निर्णय द्वारा इस तथ्य की उद्घोषणा की जायगी।

अनु० 335—अभियुक्त को अपराधी उद्घोषित करने मे, अपराध के घटक तथ्यो, साक्ष्य की सूची (inventory), तथा विधियो एवं अध्यादेशों की प्रयुक्ति (application) का निर्देश किया जायगा।

जहॉ अपराध के सघटन (formation of offence) को बाधित करने वाले वैधानिक आधारो (legal grounds) के सबन्ध में कोई आरोप लगाया गया हो अथवा उन तथ्यो के सबन्ध में लगाया गया हो जिनके कारण दण्ड बढ़ाया (aggravated) या घटाया (commuted) जा सके तो उस पर भी विनिश्चय (decision) का निर्देश किया जायगा।

अनु० 336—यदि अभियुक्त के विरुद्ध अभियोग में किसी अपराध का संघटन न हो अथवा यदि अपराध में प्रमाण का अभाव हो तो अभियुक्त को

निर्णय (judgemeut) द्वारा "निर्दोष" ("not guilty") उद्घोषित किया जायगा।

अनु० 337—विमुक्ति (acquittal) की उद्घोषणा निर्णय द्वारा निम्नाकित दशाओ मे की जायगी।

(1) जहाँ कोई अन्तत. बाध्यकारी निर्णय (finally binding judgment) पहले ही दिया जा चुका हो,

(2) जहाँ अपराध-सपादन के बाद ही प्रवर्तित (लागू) किये गए विधि या अध्यादेश द्वारा दण्ड परिहृत (abolished) कर दिया गया हो,

(3) जहाँ कोई सामान्य राजक्षमा (general amnesty) घोषित की गई हो;

(4) जहाँ कोई भोगाधिकार (prescription) पूरा किया गया हो।

अनु० 338—निम्नाकित दशाओ में निर्णय द्वारा लोक-कार्यवाही निरस्त (dismiss) कर दी जायगी

(1) जहाँ अभियुक्त पर न्यायालय का अधिकार-क्षेत्र लागू न हो;

(2) जहाँ कोई लोक-कार्यवाही, अनुच्छेद 340 के उल्लघन मे सस्थित की गई हो;

(3) जहाँ उसी अभियोग पर, जिस पर कोई लोक-कार्यवाही की गई थी, दूसरी लोक-कार्यवाही उसी न्यायालय मे लाई गई हो,

(4) जहाँ लोक-कार्यवाही सस्थित करने की प्रक्रिया (procedure), उससे सबद्ध व्यवस्थाओ के विरोध में होने के कारण प्रभावहीन (void) हो।

अनु० 339—निम्नलिखित दशाओ मे, एक व्यवस्था द्वारा लोक-कार्यवाही निरस्त कर दी जायगी

(1) जहाँ अभ्यारोपण (indictment) के सभी गणक (counts), चाहे वे सही क्यों न हो, कोई विशेष अपराध का घटन न करे;

(2) जहाँ यह (लोक-कार्यवाही) वापस ले ली गई हो;

(3) जहाँ अभियुक्त मर गया हो, या न्यायिक व्यक्ति (juridical person) होने के कारण (अभियुक्त रूप में) न हो;

(4) जहाँ अनुच्छेद **10** या **11** की व्यवस्थाओं द्वारा न्यायनिर्णय (adjudication) बाधित हो।

पिछले परिच्छेद मे उल्लिखित व्यवस्था के विरुद्ध, आसन्न **कोकोकु** अपील की जा सकती है।

अनु० 340—जहाँ वापसी (withdrawal) के फलस्वरूप लोक-कार्यवाही को निरस्त करने वाली व्यवस्था अन्ततः बाध्यकारी (finally binding) हो जाय, तो उस अपराध के लिये केवल उसी दशा मे नई लोक-कार्यवाही संस्थित की जा सकती है जब कि यह किसी नवाविष्कृत (newly discovered) सारवान् साक्ष्य (material evidence) पर आधृत हो।

अनु० 341—उस दशा मे जब कि कोई अभियुक्त बयान (statement) देने से इनकार करे, बिना अनुमति के न्यायालय से निवृत्त (retire) हो जाय, या पीठासीन न्यायाधीश द्वारा शान्ति स्थापन के लिये न्यायालय से निवृत्त होने के लिये आदेश पावे तो उसका बयान बिना सुने ही निर्णय दिया जा सकता है।

अनु० 342—लोक-विचारण-न्यायालय (public trial court) मे निर्णय उद्घोषणा (pronouncement) अवगत कराया जायगा।

अनु० 343—कारावास या किसी गुरुतर दण्ड दिये जाने के समय जमानत या निरोध-निष्पादन का निलम्बन (suspension) प्रभावहीन हो जायगा। ऐसी दशा में, अनुच्छेद 98 की व्यवस्थाएँ, यथोचित परिवर्तन के साथ, केवल तभी लागू होगी जब कि जमानत या निरोध-निष्पादन के निलम्बन की कोई नई व्यवस्था न जारी की गई हो।

अनु० 344—अनुच्छेद 89 की व्यवस्थाएँ कारावास या गुरुतर दण्ड दिये जाने के बाद नही लागू होगी।

अनु० 345—निर्दोषिता ("not guilty") विमुक्ति, दण्ड-क्षमा, दण्ड-निष्पादन के निलम्बन लोक-कार्यवाही के निरसन, अक्षमता (incompetency) या अर्थदण्ड या छोटे अर्थदण्ड का निर्णय दिये जाने के समय निरोध का अधिपत्र (warrant of detention) प्रभावहीन हो जायगा।

अनु० 346—यदि अभिगृहीत (seized) वस्तुओ के सबध मे राज्य-सात्करण (confiscation) की उद्घोषणा न की गई हो तो अभिग्रहण (seizure) से उक्त वस्तुओ की छूट की उद्घोषणा की गई समझी जायगी।

अनु० 347—यदि अभिग्रहण के अन्तर्गत रखे गए अन्यायार्जित (ill-gotten) मालो के सबध में, अपकृत-पक्ष (injured party) को पुनः लौटा देने के स्पष्ट हेतु (clear reason) हो तो उक्त मालो को अपकृत-पक्ष को प्रत्यावर्तित करने (restoration)का एक उद्घोषण किया जायगा।

वह अभियोग भी जिसमे अपकृत-पक्ष, अन्यायार्जित माल के विचार के लिये ली गई किसी वस्तु को पुनः लौटाने की मॉग करे, पिछले परिच्छेद द्वारा ही नियन्त्रित होगा।

जहॉ अनन्तिम रूप से प्रत्यावर्तित (provisionally restored) मालों के सबध मे, कोई विरोधी उद्घोषण न किया गया हो, वहॉ प्रत्यावर्तन का उद्घोषण किया गया समझा जायगा।

पिछले तीन परिच्छेदो के अतिरिक्त, कोई भी बद्धहित (interested) व्यक्ति दीवानी प्रक्रिया (civil procedure) के अनुसार अपने अधिकारों का दृढ़-प्रतिपादन (assertion) कर सकता है।

अनु० 348—यदि कोई न्यायालय अभियुक्त पर अर्थदण्ड, छोटे अर्थदण्ड या अतिरिक्त वसूली (additional collection) का उद्घोषण करे तो न्यायालय वस्तुत. या पदेन लोकसमाहर्ता के निवेदन पर, उक्त उद्घोषित धनराशि की अनन्तिम अदायगी (provisional payment) का आदेश दे सकता है, यदि वह समझे कि निष्पादन के विलम्बित होने की दशा में जब तक निर्णय अन्तत बाध्यकारी न हो जाय तब तक निर्णय को निष्पादित करना असभव या अत्यन्त कठिन होगा।

अनन्तिम अदायगी के विनिश्चय (decision) का उद्घोषण न्यायाधीश द्वारा दण्ड के उद्घोषण के साथ ही साथ किया जायगा।

अनन्तिम अदायगी के आदेश करने वाले विनिश्चय को अविलम्ब निष्पादित किया जा सकता है।

अनु० 349—उस दशा में, जब कि दण्ड-निष्पादन को निलम्बित करने वाला उद्घोषण विखण्डित किया जाने वाला (to be rescinded) हो, लोकसमाहर्ता जिला-न्यायालय, परिवार-न्यायालय या क्षिप्र-न्यायालय से,

जिसके अधिकार-क्षेत्र मे सिद्धदोष व्यक्ति (convicted person) रहता हो या रह चुका हो, उक्त विखण्डन (rescission) की माँग करेगा।

जब पिछले परिच्छेद मे उल्लिखित माँग की जा चुकी हो, न्यायालय अभियुक्त या उसके प्रतिपत्री (proxy) की सम्मति सुनने के बाद एक व्यवस्था जारी करेगा। उक्त व्यवस्था के विरुद्ध आसन्न **कोकोकु** अपील की जा सकती है।

अनु० 350—उस दशा मे, जब कि **दण्ड-संहिता** (Penal Code) के अनुच्छेद 52 के अनुसार किसी दण्ड का निर्धारण किया जाने वाला हो तो लोक-समाहर्ता उस न्यायालय से दण्ड निर्धारित करने की माँग करेगा जिसने उस अभियोग पर दण्ड निर्धारित करने का अन्तिम निर्णय दिया हो। इस दशा मे, पिछले अनुच्छेद के परिच्छेद 2 की व्यवस्थाएँ यथोचित परिवर्तन के साथ लागू होगी।

———

तीसरा खण्ड-अपील

अध्याय 1

सामान्य उपबन्ध

(General Provisions)

अनु० 351—अपील (जोसो) किसी लोकसमाहर्ता या अभियुक्त द्वारा की जा सकती है।

जब अनुच्छद 266 के प्रभाग 2 के अनुसार किसी न्यायालय मे विचारण के लिये सौपा गया कोई अभियोग दूसरे अभियोग के साथ सामूहिक रूप में विचारित किया गया हो और निर्णय दिया गया हो तो अनुच्छेद 268 के परिच्छेद 2 के अनुसार लोकसमाहर्ता के कार्यो को करने वाला अधिवक्ता (advocate) एव दूसरे अभियोग मे लगा हुआ लोक-समाहर्ता क्रमश. स्वतत्र रूप में उक्त निर्णय के विरुद्ध अपील कर सकते है।

अनु० 352—अभियुक्त या लोकसमाहर्ता से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा, जिसके विरुद्ध कोई व्यवस्था (ruling) जारी की गई हो, कोकोकु अपील की जा सकती है।

अनु० 353—अभियुक्त का वैध प्रतिनिधि (legal representative) या पालक (curator) अभियुक्त की ओर से अपील कर सकता है।

अनु० 354—जहाँ निरोध का कारण निर्देशित किया गया हो, निर्देशन (indication) का निवेदन करने वाला व्यक्ति भी, अभियुक्त की ओर से निरोध (detention) के विरुद्ध अपील कर सकता है। यही नियम अपील को निरस्त करने वाली व्यवस्था के सबंध में भी लागू होगा।

अनु० 355—मूल न्यायालय (orginal instance) का प्रतिपत्री (proxy) या परामर्शदाता अभियुक्त की ओर से अपील कर सकता है।

अनु० 356—पिछले तीन अनुच्छेदों में उल्लिखित अपील अभियुक्त के स्पष्टतः व्यक्त किए गए आशय (intention) के विरुद्ध नही ली जायगी।

अनु० 357—निर्णय के किसी अश के विरुद्ध अपील की जा सकती है।

वह अपील जो निर्णय के किसी अश मात्र तक ही सीमित न हो, पूरे निर्णय पर की गई समझी जायगी।

अनु० 358—अपील करने की अवधि निर्णय विज्ञापित करने के दिन से आरम्भ हो जायगी।

अनु० 359—लोक-समाहर्ता, अभियुक्त या अनुच्छेद 352 मे उल्लिखित व्यक्ति अपील वापस ले सकते है।

अनु० 360—अनुच्छेद 353 या 354 मे उल्लिखित व्यक्ति अभियुक्त की सम्मति (consent) से अपील वापस ले सकते है।

अनु० 361—वह व्यक्ति, जिसने कोई अपील वापस ले ली हो, उसी अभियोग के सम्बन्ध मे दूसरी अपील नही कर सकता। यही उस अभियुक्त के सबध मे लागू होगा जिसने अपील को वापस लेने की समति (consent) दी हो।

अनु० 362—जब अनुच्छेद 351 से 355 तक के अनुच्छेदो के बल पर (by virtue of) अपील करने का अधिकारी व्यक्ति, ऐसे कारण से जो स्वय उस पर या उसके प्रतिनिधि पर आरोपित न किया जा सके, अपील करने की अवधि के अदर अपील करने से रोक दिया गया हो तो वह अपील करने के अपने अधिकार की पुन प्राप्ति (recovery) के लिए मूल न्यायालय (original court) मे प्रार्थनापत्र दे सकता है।

अनु० 363—अपील करने के अधिकार की पुन प्राप्ति (recovery of right) की मॉग लिखित रूप मे उस अवधि के अदर की जायगी, जो अपील करने की अवधि के बराबर होगी जिसका और आरभ उस दिन होगा जिस दिन अपील रोकने वाला कारण समाप्त हुआ।

अपील करने के अधिकार की पुनःप्राप्ति की माँग करने वाला व्यक्ति उक्त मॉग के साथ ही साथ अपील के लिये एक प्रार्थना-पत्र देगा।

अनु० 364—अपील करने के अधिकार की पुन.प्राप्ति की मॉग के सबध मे की गई व्यवस्था के विरुद्ध आसन्न **कोकोकु** अपील की जा सकती है।

अनु० 365—जब अपील करने के अधिकार की पुन. प्राप्ति की माँग की गई हो तो मूल-न्यायालय निर्णय के निष्पादन को रोकने वाली कोई व्यवस्था

तब तक के लिये जारी कर सकता है जब तक कि पिछले अनुच्छेद में विहित व्यवस्था जारी न कर दी जाय। इस दशा मे, अभियुक्त के विरुद्ध निरोध का अधिपत्र जारी किया जा सकता है।

अनु॰ 366—यदि कारागार मे रहते हुए अभियुक्त द्वारा अपील के लिये लिखित प्रार्थनापत्र मुख्य काराधिकारी (Chief Prison Officer) या उसके सहायक के पास, अपील की अवधि के अदर दे दिया जाय तो ऐसी अपील विहित अवधि में की गई समझी जायगी।

यदि अभियुक्त लिखित प्रार्थना-पत्र स्वय तैयार करने मे असमर्थ हो तो मुख्य काराधिकारी या उसका सहायक उसके लिथे प्रार्थना-पत्र लिख देगा अथवा अपने अधीन किसी कर्मचारी से ऐसा करा देगा।

अनु॰ 367—पिछले परिच्छेद की व्यवस्थाएँ, यथोचित परिवर्तन के साथ, उन अभियोगों मे लागू होंगी जहाँ कारागार में रहता हुआ अभियुक्त अपील वापस ले या अपील करने के अपने अधिकार की पुन प्राप्ति की माँग करे।

अनु॰ 368—उस दशा मे जब कि केवल लोक-समाहर्ता द्वारा सस्थित अपील खारिज की या वापस ली गई हो, राज्य (State) अभियोग के तत्कालीन अभियुक्त को उस न्यायालय में जिसमे अपील की गई हो अपील के कारण किये गए व्ययो (expenses) का प्रतिकर (compensation) देगा।

अन॰ 369—प्रतिकर की राशि मे केवल यात्रा-व्यय (travelling expenses), दैनिक भत्ते, और आवास खर्च (lodging charges), जिन्हें तत्कालीन अभियुक्त एव तत्कालीन प्रतिवाद-परामर्शदाता (then Defense Counsel) ने लोक-विचारण की तैयारी या लोक विचारण की तिथि पर उपसजात होने के लिये दिया हो, और पारिश्रमिक (remuneration) रहेगा जिसे अभियुक्त ने परामर्शदाता को दिया हो, तथा जहाँ तक अनुदान (grant) की जाने वाली राशि का सबध है आपराधिक प्रक्रिया के परिव्ययों (Costs of Criminal Procedure) से संबद्ध विधि (Law) के परामर्शदाता एवं साक्षी से सबद्ध व्यवस्थाएँ, यथोचित परिवर्तन के साथ, क्रमश. तत्कालीन अभियुक्त एवं तत्कालीन परामर्शदाता के संबंध मे लागू होंगी।

अनु० 370—प्रतिकर तत्कालीन अभियुक्त या उसके प्रतिपत्री (proxy) की प्रार्थना पर, **उच्चतम न्यायालय** या **उच्च न्यायालय** द्वारा जिसने उस अभियोग पर अपना अपीलीय क्षेत्राधिकार (appelate jurisdiction) प्रयुक्त किया हो, एक व्यवस्था द्वारा स्वीकृत (allowed) किया जायगा।

पिछले परिच्छेद मे उल्लिखित प्रार्थना (request), अपील खारिज करने वाले निर्णय के अधिसूचित किये जाने या अपील के वापस लिये जाने के बाद दो मास के अदर की जायगी।

उच्च न्यायालय द्वारा पहले परिच्छेद के बल पर जारी की गई व्यवस्था पर अनुच्छेद 428 के परिच्छेद 2 के अनुसार आपत्ति (objection) की जा सकती है। आसन्न **कोकोकु** अपील से सबद्ध व्यवस्थाएँ भी, यथोचित परिवर्तन के साथ, उल्लिखित आपत्ति के संबध मे लागू होंगी।

अनु० 371—इस **संहिता** (Code) मे अन्यथा विहित दशा को छोडकर, न्यायालय के नियम प्रतिकर सबन्धी प्रार्थना, प्रतिकर की अदायगी एव प्रतिकर से सबद्ध अन्य कार्यवाही को अधिकृत करेगे।

अध्याय 2

कोसो अपील

(Koso Appeal)

अनु० 372—किसी जिला-न्यायालय, परिवार-न्यायालय या क्षिप्र-न्यायालय द्वारा प्रथम न्यायालय (first instance) मे दिए गए निर्णय के विरुद्ध **कोसो** अपील की जा सकती है।

अनु० 373—**कोसो** अपील के लिए निर्धारित अवधि चौदह दिन होगी।

अनु० 374—**कोसो** अपील प्रथम न्यायालय (Court of first instance) मे **कोसो** अपील के लिए लिखित प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करते हुए की जायगी।

अनु० 375—जहाँ यह स्पष्ट हो कि **कोसो** अपील, **कोसो** अपील करने के अधिकार की समाप्ति के बाद की गई है, प्रथम न्यायालय उसे एक व्यवस्था के आधार पर खारिज कर देगा। ऐसी व्यवस्था के विरुद्ध आसन्न (immediate) **कोकोकु** अपील की जा सकती है।

अनु० 376—अपीलकर्ता (appellant) **कोसो** अपील के हेतुओ का विवरण अपीलीय न्यायालय को, न्यायालय-नियमो द्वारा विहित अवधि के अदर, अवश्य प्रस्तुत करेगा।

जैसा कि न्यायालय-नियमो या इस **संहिता** (Code) मे अपेक्षित हो **कोसो** अपील के हेतुओ के विवरण के साथ परामर्शदाता या लोकसमाहर्ता का प्रमाण-पत्र या प्रकल्पित प्रमाण (presumptive proof) अवश्य सलग्न किया जायगा।

अनु० 377—जहाँ निम्नाकित में से किसी आधार पर **कोसो** अपील की जाय, परामर्शदाता या लोकसमाहर्ता के प्रमाणपत्र के साथ अपील के हेतुओ का विवरण इस आशय से सलग्न किया जायगा कि (यदि अवसर दिया जाय) ऐसे आधारो की सत्ता का पर्याप्त प्रमाण दिया जा सकता है

(1) जब कि मूल-न्यायालय का सघटन विधि द्वारा विहित रूप मे न किया गया हो;

(2) जब कि किसी न्यायाधीश ने जिसे कुछ वैधानिक कारणो (legal reason) से निर्णय मे भाग नही लेना चाहिए था किन्तु उसने निर्णय देने मे वस्तुत भाग लिया हो;

(3) जब कि खुले लोक-विचारण से सबद्ध व्यवस्थाओ का उल्लघन किया गया हो।

अनु० 378—जहाँ **कोसो** अपील निम्नाकित मे से किसी आधार पर की जाय, अपील के हेतुओ के विवरण (statement) मे, अभिकथित आधार (ground alleged) को प्रत्येय (credible) बनाने के लिए उन विषयो का समुचित उद्धरण रहेगा जो विषय उस अभिलेख मे आते हो जिसमें पहले की कार्यवाही एव मूल न्यायालय द्वारा लिए गए साक्ष्य के अन्तर्विषयो (contents) का विवरण हो ·

(1) जब कि न्यायालय अपने को अवैध रूप से (illegally) क्षमताशील (competent) या अक्षम (incompetent) समझ ले;

(2) जब कि लोक-कार्यवाही अवैध रूप से स्वीकृत या खारिज की गई हो;

(3) जब कि अभ्यारोपण (indictment) मे आए हुए किसी गणक (count) के सबध मे निर्णय न दिया गया हो अथवा ऐसे गणक के सबध मे दिया गया हो जो अभ्यारोपण मे न हो,

(4) जब कि निर्णय सहेतुक न किया गया हो, या हेतु विरोध में रहे हो।

अनु० 379—जहाँ **कोसो** अपील पिछले दो अनुच्छेदो द्वारा विहित से भिन्न इस आधार पर की जाय कि कार्यवाही मे किसी विधि या अध्यादेश का उल्लघन किया गया है और यह कि वह उल्लघन निर्णय मे महत्वपूर्ण (material) स्थान रखता है तो अपील के हेतुओ के विवरण मे अभिकथित आधार को प्रत्येय (credible) बनाने के लिए उन विषयो का समुचित उद्धरण रहेगा जो उस अभिलेख मे आते हों जिसमे की गई कार्यवाही एव मूल न्यायालय द्वारा लिए गए साक्ष्य के अन्तर्विषयो (contents) का वर्णन हो।

अनु० 380—जहाँ **कोसो** अपील मूल न्यायालय द्वारा विधि या अध्यादेश के निर्माण (construction), अर्थ-निर्वचन (interpretation) या प्रयुक्ति (application) मे की गई भूल (mistake) के आधार पर की जाय और वह भूल निर्णय मे महत्वपूर्ण रही हो तो अपील के हेतुओ के विवरण मे उक्त भूल एव निर्णय मे उसकी महत्वपूर्णता का विशेष निर्देश किया जायगा।

अनु० 381—जहाँ **कोसो** अपील इस आधार पर की जाय कि दण्ड का निर्धारण अनुचित एव अन्यायपूर्ण ढग से किया गया है तो अपील के हेतुओ के विवरण में, अभिकथित आधार को प्रत्येय बनाने के लिए, उन विषयो का समुचित उद्धरण रहेगा जो उस अभिलेख (record) मे आते हो जिसमें की गई कार्यवाही एव मूल न्यायालय द्वारा लिए गए साक्ष्य के अन्तर्विषयों का वर्णन हो।

अनु० 382—जहाँ **कोसो** अपील तथ्यो के अनुसंधान मे त्रुटि (error) एव निर्णय मे उसकी स्पष्ट महत्त्वपूर्णता (obvious materiality) के आधार पर की जाय तो अपील के हेतुओ के विवरण में, अभिकथित आधार को प्रत्येय बनाने के लिए, उन विषयो का समुचित उद्धरण रहेगा जो उस अभिलेख में आते हों जिसमे की गई कार्यवाही एव मूल न्यायालय द्वारा लिए गए साक्ष्य के अन्तर्विषयों का वर्णन हो।

अनु० 383—जहाँ **कोसो** अपील निम्नाकित मे से किसी आधार पर की तो अपील के हेतुओ के विवरण को, आधार के प्रकल्पित प्रमाण के साथ न किया जायगा :

(1) जब कि कार्यवाही के पुर्नविचार (reopening of procedure) का समर्थन करने वाला कोई तथ्य मिलता हो (**सइशिन**);

(2) जब कि अवर न्यायालय में निर्णय दिये जाने के ठीक बाद, दण्ड का परिहार या परिवर्तन कर दिया गया हो या सामान्य राजक्षमा (general amnesty) की घोषणा की गई हो।

अनु० 384—**कोसो** अपील अनु० 377 से 383 तक के अनुच्छेदो द्वारा त, अपील के आधारो मे से किसी एक के दृढकथन (asserting) द्वारा ा सकती है।

अनु० 385—जहाँ यह स्पष्ट हो कि **कोसो** अपील का प्रार्थनापत्र विधि ाध्यादेश द्वारा विहित प्रपत्र (form) के अनुसार नही बनाया गया है ा अपील करने के अधिकार की समाप्ति के बाद दिया गया है तो **कोसो** ञ का न्यायालय उसे एक व्यवस्था द्वारा खारिज कर देगा।

पिछले परिच्छेद में उल्लिखित व्यवस्था के विरुद्ध अनुच्छेद 428 परिच्छेद अनुसार आपत्ति (objection) की जा सकती है; ऐसी दशा मे, न **कोकोकु** अपील की व्यवस्थाएँ भी यथोचित परिवर्तन के साथ लागू ।

अनु० 386—**कोसो** अपील का न्यायालय **कोसो** अपील को एक व्यवस्था खारिज (dismiss) कर सकता है :

(1) जब कि **कोसो** अपील के हेतुओ का विवरण अनुच्छेद 376 परिच्छेद 1 में विहित अवधि के अन्दर न प्रस्तुत किया जाय;

(2) जब कि **कोसो** अपील के हेतुओ का विवरण इस **संहिता** (Code) एवं न्यायालय के नियमो द्वारा निश्चित किए गए प्रपत्र (form) के अनुसार न हो, अथवा जब इसके साथ, इस **संहिता** (Code) अथवा न्यायालय-नियमो द्वारा विहित आवश्यक प्रकल्पित प्रमाण या प्रमाणपत्र (certificate) न हो।

(3) जब कि यह स्पष्ट हो कि **कोसो** अपील के हेतुओ के विवरण के अन्तर्विषय अनच्छेद 377 से 383 तक के अनुच्छेदो मे विहित अपील के एक भी आधार (ground for appeal) के घटकरूप में न आते हों।

पिछले परिच्छेद मे उल्लिखित व्यवस्था के सम्बन्ध मे पिछले अनुच्छेद के परिच्छेद 2 की व्यवस्थाएँ यथोचित परिवर्तन के साथ लागू होगी।

अनु० 387—कोसो अपील के किसी विचारण (trial) के लिये अधिवक्ता से भिन्न कोई व्यक्ति परामर्शदाता (defense counsel) नही नियुक्त किया जायगा।

अनु० 388—कोसो अपील के विचारण (trial) मे अभियुक्त की ओर से केवल परामर्शदाता ही बहस (argue) कर सकता है।

अनु० 389—सुनवाई की तिथि पर, लोक-समाहर्ता और परामर्शदाता **कोसो** अपील के हेतुओं के विवरण के आधार पर बहस करेगे।

अनु० 390—कोसो अपील के विचारण मे, लोक-विचारण की तिथि पर अभियुक्त को उपसजात होना आवश्यक नही। तथापि, पॉच हजार येन तक के अर्थदण्ड या छोटे अर्थदण्ड द्वारा दण्डनीय अपराध के अभियोग मे, **कोसो** अपील का न्यायालय लोक-विचारण की तिथि पर अभियुक्त को उपसजात होने के लिए आदेश दे सकता है, यदि वह अभियुक्त के अधिकारो की सुरक्षा के लिये ऐसा करना आवश्यक समझे।

अनु० 391—यदि कोई प्रतिवाद-परामर्शदाता उपसजात न हो अथवा कोई परामर्शदाता नियुक्त न किया गया हो तो लोक-समाहर्ता का वक्तव्य (statement) सुनने के बाद निर्णय दिया जा सकता है, केवल उस दशा को छोडकर, जिसमें परामर्शदाता इस **संहिता** (Code) के अनुसार अपेक्षित हो या व्यवस्था द्वारा सौंपा गया हो।

अनु० 392—कोसो अपील का न्यायालय अपील के हेतुओ के विवरण में आए हुए सभी विषयों का अनुसधान करेगा।

कोसो अपील का न्यायालय अनुच्छेद 377 से 383 तक के अनुच्छेदों में विहित किन्ही विषयों का पदेन (ex-officio) अनुसंधान कर सकता है चाहे वे अपील के हेतुओं के विवरण में भले ही न आए हो।

अनु० 393—पिछले अनुच्छेद मे उल्लिखित अनुसधान (investigation) के लिए आवश्यकता समझने पर **कोसो** अपील का न्यायालय लोक-समाहर्ता, अभियुक्त या उसके प्रतिवाद-परामर्शदाता के निवेदन पर या पदेन तथ्यो की जॉच कर सकता है। तथापि, उन साक्ष्यो के सबध मे जिनके विषय मे यह प्रदर्शित करने वाला प्रकल्पित प्रमाण (presumptive proof) प्रस्तुत किया जाय कि प्रथम न्यायालय मे मौखिक कार्यवाहियो के पर्यवसान (conclusion) के पहले उन्हे जॉच के लिए नही दिया जा सका तो न्यायालय उक्त साक्ष्यो की जॉच केवल उसी दशा मे करेगा जबकि वे दण्ड के अनुचित निर्धारण (improper determination) अथवा निर्णय के लिए महत्व-पूर्ण तथ्य के अनुसधान मे की गई त्रुटियो के प्रमाण के लिए आवश्यक हो।

पिछले परिच्छेद मे उल्लिखित जॉच (examination) सहयोगी-न्यायालय के किसी सदस्य द्वारा कार्यान्वित कराई जा सकती है, अथवा इसे करने के लिए जिला-न्यायालय, परिवार-न्यायालय या क्षिप्र-न्यायालय का कोई न्यायाधीश अधियाचित किया जा सकता है। ऐसी दशा में, राजादिष्ट न्यायाधीश या अधियाचित न्यायाधीश के वही अधिकार होगे जो किसी न्यायालय या पीठासीन न्यायाधीश के रहते है।

अनु० 394—कोई साक्ष्य जो प्रथम न्यायालय में साक्ष्य-रूप में स्वीकृत या प्रयुक्त किया गया हो, **कोसो** अपील के न्यायालय मे भी साक्ष्य-रूप मे प्रयुक्त किया जा सकता है।

अनु० 395—जब **कोसो** अपील का कोई प्रार्थना-पत्र विधि या अध्यादेश द्वारा विहित प्रपत्र के अनुसार न दिया गया हो या **कोसो** अपील करने के अधिकार की समाप्ति के बाद दिया गया हो तो **कोसो** अपील का न्यायालय निर्णय द्वारा इसे खारिज कर देगा।

अनु० 396—जहॉ अनुच्छेद 377 से 383 तक के अनुच्छेदो मे विहित **कोसो** अपील के आधारों (grounds) मे से कोई न हो तो इसे एक निर्णय द्वारा खारिज कर दिया जायगा।

अनु० 397—जहॉ अनुच्छेद 377 से 383 तक के अनुच्छेदो में विहित **कोसो** अपील के आधारों में से कोई हो तो एक निर्णय द्वारा मूल निर्णय (original judgment) खण्डित कर दिया जायगा।

अनु० 398—जबकि मूल-निर्णय को इस आधार पर खण्डित करना हो कि मूल-न्यायालय (original court) ने अपने को अवैध रूप से अक्षम (incompetent) घोषित किया अथवा लोक-कार्यवाही को अवैध रूप से खारिज कर दिया तो वह अभियोग, एक निर्णय द्वारा पुन मूल न्यायालय को वापस भेज दिया जायगा।

अनु० 399—यदि मूल निर्णय को इस आधार पर खण्डित करना हो कि न्यायालय ने अवैधरूप से अपने को क्षमताशील (competent) समझ लिया तो वह अभियोग एक निर्णय के द्वारा, किसी क्षमताशील प्रथम न्यायालय मे अन्तरित कर दिया जायगा। तथापि, उस अभियोग पर यदि **कोसो** अपील के न्यायालय को प्रथम न्यायालय का अधिकार-क्षेत्र प्राप्त हो तो वह उस अभियोग पर प्रथम न्यायालय के रूप मे विचार (try) करेगा।

अनु० 400—जब कि मूल निर्णय को पिछले दो अनुच्छेदो मे उल्लिखित आधारो से भिन्न किसी आधार पर खण्डित करना हो तो वह अभियोग या तो मूल न्यायालय को पुन वापस कर दिया जायगा या एक निर्णय द्वारा मूल न्यायालय को ही कोटि के अन्य किसी न्यायालय में अन्तरित कर दिया जायगा। तथापि, यदि न्यायालय यह समझे कि वह, मूल न्यायालय या अपील-न्यायालय द्वारा परीक्षित (examined) एवं प्रस्तुत अभिलेखो (records) एव साक्ष्यो के आधार पर, अविलम्ब निर्णय दे सकता है तो वह उस अभियोग पर निर्णय दे सकता है।

अनु० 401—उस दशा मे जब कि मूल निर्णय (original judgment) को अभियुक्त के लाभ के लिए खण्डित किया जाय तो ऐसे निर्णय को उस सहाभियुक्त (co-accused) के लिए भी खण्डित किया जायगा जिसने **कोसो** अपील किया हो, यदि खण्डित करने का आधार (ground) उस सहाभियुक्त के सबध में भी समान हो।

अनु० 402—उस अभियोग मे जिसमे अभियुक्त द्वारा या उसके लाभ के लिए **कोसो** अपील की गई हो तो मूल निर्णय द्वारा आरोपित दण्ड से गुरुतर दण्ड की घोषणा नही की जायगी।

अनु० 403—उस दशा में जब कि कोई मूल न्यायालय लोक-कार्यवाही को खारिज करने वाली किसी व्यवस्था को जारी करने मे अवैध रूप से असमर्थ रहे तो लोक-कार्यवाही एक व्यवस्था द्वारा खारिज की जायगी।

जहाँ तक पिछले परिच्छेद मे उल्लिखित व्यवस्था का सबध है अनुच्छेद 385 परिच्छेद 2 की व्यवस्थाएँ, यथोचित परिवर्तन के साथ, लागू होगी।

अनु० 404—इस **संहिता** (Code) मे अन्यथा विहित दशा को छोडकर, **दूसरे खण्ड** (Book II) मे प्रतिपादित लोक-विचारण (public trial) से सबद्ध व्यवस्थाएँ, यथोचित परिवर्तन के साथ, **कोसो** अपील के विचारण के सबध मे लागू होगी।

अध्याय 3

जोकोकु अपील

(Jokoku Appeal)

अनु० 405—**जोकोकु** अपील प्रथम या द्वितीय न्यायालय (first or second instance) मे किसी **उच्च न्यायालय** द्वारा दिए गए निर्णय के विरुद्ध निम्नाकित दशाओ मे की जा सकती है :

(1) इस आधार पर कि **संविधान** का उल्लघन हुआ है अथवा **संविधान** के निर्माण, अर्थनिर्वचन या विनियोग (प्रयुक्ति) में त्रुटि (error) हुई है;

(2) इस आधार पर कि **उच्च न्यायालय** द्वारा पूर्व स्थापित न्यायिक दृष्टान्तो (judicial precedents) से असगत कोई निर्णय किया गया है,

(3) उन अभियोगो मे, जिनके लिए **उच्चतम न्यायालय** का कोई न्यायिक दृष्टान्त (judicial precedent) न हो, इस आधार पर कि पूर्ववर्ती **उच्चतम न्यायालय (दइ शिन इन)** द्वारा अथवा **जोकोकु** अपील न्यायालय के रूप में **उच्च न्यायालय** द्वारा अथवा इस **संहिता** (Code) के प्रवर्तन (enforcement) के बाद **कोसो** अपील न्यायालय के रूप मे **उच्च न्यायालय** द्वारा पूर्व स्थापित न्यायिक दृष्टान्तों (judicial precedents) से असगत (incompatible) निर्णय किया गया है।

अनु० 406—**जोकोकु** अपील के न्यायालय के रूप में **उच्चतम न्यायालय**, न्यायालय नियमों के अनुसार, किन्हीं भी वैसे अभियोगो को, उनके मूल-

कोई भूल (mistake) रह गई हो जो निर्णय मे महत्त्वपूर्ण (material) हो।

(2) जब कि दण्ड नितान्त अन्यायपूर्ण एव अनुचित रूप से लगाया गया हो,

(3) जब कि तथ्यो के अनुसधान में कोई घोर त्रुटि (gross error) हो जो निर्णय मे महत्त्वपूर्ण हो,

(4) जब कि कार्यवाही के पुनर्विचार (**सइशिन**) का समर्थन करने वाला कोई हेतु हो ;

(5) जब कि मूल-निर्णय दिए जाने के बाद, दण्ड का परिहार (abolition) या परिवर्तन कर दिया गया हो, या सामान्य राज-क्षमा (general amnesty) की घोषणा की गई हो।

अनु० 412– जब मूल-निर्णय को इस आधार पर खण्डित करना हो कि न्यायालय ने अवैध रूप से अपने को क्षमताशील (competent) मान लिया था तो वह अभियोग एक निर्णय द्वारा, क्षमताशील **कोसो** अपील न्यायालय या क्षमताशील प्रथम न्यायालय मे अन्तरित कर दिया जायगा।

अनु० 413—जब कि मूल-निर्णय को, पिछले अनुच्छेद मे उल्लिखित आधारो से भिन्न आधार पर खण्डित करना हो तो वह अभियोग एक निर्णय द्वारा, या तो मूल-न्यायालय (original court) या प्रथम-न्यायालय में वापस भेज दिया जायगा या इन्ही न्यायालयो के तुल्य कोटि के किसी अन्य न्यायालय मे अन्तरित कर दिया जायगा। तथापि, यदि **जोकोकु** अपील का न्यायालय समझे कि वह, मूल-न्यायालय या प्रथम-न्यायालय द्वारा जाँच किए गए एव पूर्व प्रस्तुत साक्ष्यो तथा अभिलेखो के आधार पर, अविलम्ब निर्णय दे सकता है तो वह उस अभियोग पर निर्णय दे सकता है।

अनु० 414 इस **संहिता** मे अन्यथा विहित दशा को छोडकर, पिछले **अध्याय** की व्यवस्थाएँ यथोचित परिवर्तन के साथ, जोकोकु न्यायालय के विचारण के सबध मे लागू होगी।

अनु० 415—अपने निर्णय के अन्तर्विषयों (contents) मे त्रुटि पाने पर **जोकोकु** अपील का न्यायालय लोक-समाहर्ता या अभियुक्त या उसके परामर्शदाता के निवेदन पर, अन्य निर्णय द्वारा उसका सशोधन कर सकता है।

पिछले परिच्छेद मे उल्लिखित निवेदन, निर्णय के उद्घोषण के दिन के बाद दस दिन के अन्दर किया जायगा।

जोकोकु अपील का न्यायालय, यदि उचित समझे, इस अनुच्छेद के प्रथम परिच्छेद मे उल्लिखित व्यक्तियो के निवेदन पर, पिछले परिच्छेद द्वारा निर्धारित अवधि को बढा सकता है।

अनु॰ 416—मौखिक कार्यवाही बिना किये ही सशोधन के लिये निर्णय दिया जा सकता है।

अनु॰ 417—**जोकोकु** अपील का न्यायालय, उस दशा मे जब कि वह सशोधन (amendment) के लिये निर्णय न दे, एक व्यवस्था द्वारा, निवेदन को अविलम्ब अस्वीकृत कर देगा।

अनुच्छेद 415 के परिच्छेद 1 के बल पर सशोधन के निर्णय के विरुद्ध फिर कोई निवेदन प्रस्तुत नही किया जायगा।

अनु॰ 418—**जोकोकु** अपील के न्यायालय का निर्णय, अनु॰ 415 मे उल्लिखित अवधि की समाप्ति पर, अथवा जहाँ इसी अनुच्छेद के परिच्छेद 1 के अनुसार कोई निवेदन किया गया हो उस दशा मे सशोधन के लिये निर्णय दिये जाने या निवेदन अस्वीकृत करने वाली व्यवस्था के निर्णय दिये जाने पर, अन्तत बाध्यकारी हो जायगा।

अध्याय 4

कोकोकु अपील

(Kokoku Appeal)

अनु॰ 419—उन अभियोगो को छोडकर, जिनमे यह विशेषत विहित है कि एक आसन्न (immediate) **कोकोकु** अपील की जा सकती है, किसी न्यायालय द्वारा जारी की गई व्यवस्था के विरुद्ध, इस **संहिता** (Code) मे अन्यथा विहित दशा को छोडकर, **कोकोकु** अपील की जा सकती है।

अनु॰ 420—किसी न्यायालय के अधिकार-क्षेत्र या कार्यवाहियो से सबद्ध, निर्णय से पहले की गई व्यवस्था के विरुद्ध, केवल उन अभियोगो को छोड

कर, जिनमे यह विशेषतः विहित है कि आसन्न **कोकोकु** अपील की जा सकती है, कोई **कोकोकु** अपील नही की जायगी।

पिछले परिच्छेद की व्यवस्थाएँ निरोध, जमानती निर्मुक्ति, अभिगृहीत वस्तुओ के अभिग्रहण या प्रत्यावर्तन (restoration) सबधी व्यवस्था या विशेषज्ञ साक्ष्य (expert evidence) के लिये आवश्यक परिरोध-सबधी व्यवस्था के संबध में लागू नही होगी।

पिछले परिच्छेद की व्यवस्थाओ के रहते हुए भी, किसी निरोध के विरुद्ध, इस आधार पर कि अपराध का सदेह नही है, कोई **कोकोकु** अपील नही की जायगी।

अनु० 421—आसन्न (immediate) **कोकोकु** अपील को छोडकर, कोकोकु अपील किसी भी समय की जा सकती है तथापि, यह उस दशा में लागू नहीं होगा जब कि मूल-व्यवस्था को निरसित (cancelled) कराने मे कोई वास्तविक लाभ न हो।

अनु० 422—आसन्न **कोकोकु** अपील के लिए विहित अवधि तीन दिन की होगी।

अनु० 423—**कोकोकु** अपील मूल-न्यायालय (original court) को एक लिखित प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करते हुए की जायगी।

मूल-न्यायालय, यह जान लेने पर कि **कोकोकु** अपील सुदृढ आधार (well-founded) पर है, व्यवस्था की त्रुटि (error) को ठीक कर देगा। उस दशा मे जब कि वह **कोकोकु** अपील के पूरे या किसी अश को निराधार (groundless) पावे, लिखित-प्रार्थनापत्र को, उससे सलग्न लिखित संमतियो (written opinions) के साथ, **कोकोकु** अपील के न्यायालय मे, प्रार्थना-पत्र पाने के दिन के बाद तीन दिन के अन्दर, भेज देगा।

अन० 424—आसन्न **कोकोकु** अपील को छोड़कर, (सामान्य) **कोकोकु** अपील मे निर्णय के निष्पादन को निलम्बित करने का प्रभाव (effect) नहीं होगा। तथापि, मूल न्यायालय, एक व्यवस्था द्वारा, निष्पादन को तब तक के लिये निलम्बित कर सकता है जब तक कि **कोकोकु** अपील पर न्याय-निर्णय न दे दिया जाय।

कोकोकु अपील का न्यायालय, एक व्यवस्था द्वारा, निर्णय को निलम्बित कर सकता है।

अनु० 425—आसन्न कोकोकु अपील के लिए विहित अवधि में, एव जब कोकोकु अपील की जा चुकी हो, निर्णय का निष्पादन निलम्बित कर दिया जायगा ।

अनु० 426—**कोकोकु** अपील को नियन्त्रित करने वाली व्यवस्थाओ (provisions) के प्रतिकूल रूप मे की गई **कोकोकु** अपील अथवा यदि कोई **कोकोकु** अपील निराधार (groundless) हो तो वह एक व्यवस्था द्वारा खारिज कर दी जायगी ।

यदि **कोकोकु** अपील सुदृढ आधार पर हो तो मूलव्यवस्था (original ruling), एक व्यवस्था (ruling) द्वारा निरसित कर दी जायगी, और आवश्यकतानुसार, फिर से नया निर्णय दिया जायगा ।

अनु० 427—**कोकोकु** अपील के न्यायालय के विरुद्ध, फिर कोई **कोकोकु** अपील नही की जायगी ।

अनु० 428—किसी **उच्च न्यायालय** की व्यवस्था के विरुद्ध कोई **कोकोकु** अपील नही की जायगी ।

उच्च न्यायालय द्वारा जारी की गई व्यवस्था पर, जिसके विरुद्ध विशेष व्यवस्थाओ (special provisions) द्वारा आसन्न **कोकोकु** अपील विहित हो अथवा जिसके विरुद्ध अनुच्छेद 419 एवं 420 के बल पर **कोकोकु** अपील की जा सके, **उच्च न्यायालय** मे आपत्ति (objection) की जा सकती है ।

कोकोकु अपील से सबद्ध व्यवस्थाएँ यथोचित परिवर्तन के साथ, पिछले परिच्छेद मे उल्लिखित आपत्ति के सबध मे लागू होगी । आसन्न **कोकोकु** अपील से सबद्ध व्यवस्थाएँ (provisions), यथोचित परिवर्तन के साथ, उस व्यवस्था (ruling) की आपत्ति के सबध में लागू होगी जिसके विरुद्ध आसन्न (immediate) **कोकोकु** अपील विशेष व्यवस्थाओं (special provisions) द्वारा विहित हो ।

अनु० 429—निम्नांकित निर्णयो में से किसी पर असतुष्ट कोई व्यक्ति, निर्णय के विखण्डन (rescission) या परिवर्तन (alteration) के लिये, यदि निर्णय क्षिप्र-न्यायालय द्वारा दिया गया हो तो जिला-न्यायालय मे, जिसके अधिकारक्षेत्र में वह अभियोग हो, अथवा यदि **उच्चतर न्यायालय** के किसी

न्यायाधीश द्वारा दिया गया हो तो उस न्यायालय मे, जिसका वह न्यायाधीश हो, निवेदन (request) कर सकता है :—

(1) आपत्ति के प्रस्ताव (motion) को खारिज करने वाला निर्णय (decision);

(2) निरोध, जमानती निर्मुक्ति, अभिग्रहण या अभिगृहीत वस्तुओ (seized articles) के प्रत्यावर्तन (restoration) से सबद्ध निर्णय;

(3) विशेषज्ञ साक्ष्य (expert evidence) के लिये परिरोध (confinement) का आदेश करने वाला निर्णय,

(4) अदाण्डिक अर्थदण्ड (non-penal fine) लगाने वाला या किसी साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, अर्थनिर्वाचक या अनुवादक के व्ययो (expenses) के प्रतिकर (compensation) का आदेश करने वाला निर्णय;

(5) अदाण्डिक अर्थदण्ड लगाने वाला, या किसी व्यक्ति के व्ययो के प्रतिकर का आदेश करने वाला निर्णय, जिसके शरीर की जॉच होने वाली हो;

अनुच्छेद 420 परि० 3 की व्यवस्थाएँ, यथोचित परिवर्तन के साथ, पिछले परिच्छेद मे विहित निवेदन के सबंध मे लागू होंगी।

पहले परिच्छेद मे उल्लिखित निवेदन प्राप्त करने वाला जिला-न्यायालय या परिवार-न्यायालय किसी सहयोगी-न्यायालय (collegiate court) द्वारा एक व्यवस्था बनवाएगा।

पछले परिच्छेद के प्रभाग 4 या 5 मे उल्लिखित निर्णय के विखण्डन (rescission) या परिवर्तन (alteration) के लिये निवेदन उक्त निर्णय दिये जाने के दिन के तीन दिन के अन्दर, किया जायगा।

पिछले परिच्छेद के निवेदन के लिये विहित अवधि मे एव उक्त निवेदन किये जाने पर, निर्णय का निष्पादन निलम्बित रखा जायगा।

अनु० 430—प्रत्यक० यक्ति, जिसे अनुच्छेद 39, परिच्छेद 3 मे उल्लिखित कार्रवाइयो अथवा अभिग्रहण या अभिगृहीत वस्तुओ के प्रत्यावर्तन (restoration) से सबद्ध कार्रवाइयो पर, जो किसी लोक-समाहर्ता या लोकसमाहर्ता-

कार्यालय के सचिव द्वारा जारी की गई हो, कोई आपत्ति (objectior) हो, उक्त लोकसमाहर्ता या सचिव के लोकसमाहर्ता-कार्यालय से सबद्ध न्यायालय मे, उन कार्रवाइयो के विखण्डन (cancellation) या परिवर्तन (alteration) के लिये निवेदन कर सकता है।

प्रत्येक व्यक्ति, जिसे पिछले परिच्छेद मे उल्लिखित कार्रवाइयो पर, जो किसी न्यायिक पुलिस-कर्मचारी द्वारा जारी की गई हो, कोई आपत्ति हो, उन कार्रवाइयो के विखण्डन या परिवर्तन के लिये, उस जिला-न्यायालय या क्षिप्र-न्यायालय मे निवेदन कर सकता है, जिसके अधिकार-क्षेत्र मे वह स्थान आता हो जहाँ पर उक्त न्यायिक पुलिस कर्मचारी अपने कार्य करता हो।

प्रशासनिक वादकरण (administrative litigation) से सबद्ध विधि एव अध्यादेश की व्यवस्थाएँ पिछले दो परिच्छेदो मे उल्लिखित निवेदन के सबध मे लागू नही होगी।

अनु० 431—पिछले दो अनुच्छेदो मे उल्लिखित निवेदन लिखित रूप मे किसी क्षमताशील न्यायालय (competent court) में किये जायँगे।

अनु० 432—अनुच्छेद 424, 426 और 427 की व्यवस्थाएँ (provisions), यथोचित परिवर्तन के साथ, उस दशा मे लागू होगी जहाँ अनुच्छेद 429 और 430 में उल्लिखित निवेदन किये गए हो।

अनु० 433—उस व्यवस्था या आदेश (order) के विरुद्ध, जिस पर इस **संहिता** मे कोई आपत्ति विहित नही है अनुच्छेद 405 मे विहित किसी हेतु के रहने के आधार (ground) पर, **उच्चतम न्यायालय मे कोकोकु** अपील की जा सकती है।

पिछले परिच्छेद मे उल्लिखित **कोकोकु** अपील के लिये विहित अवधि पाँच दिन की होगी।

अनु० 434—अनुच्छेद 423, 424 और 426 की व्यवस्थाएँ (provisions), यथोचित परिवर्तन के साथ, इस **संहिता** मे अन्यथा विहित दशा को छोडकर, पिछले अनुच्छेद के परिच्छेद 1 में उल्लिखित **कोकोकु** अपील के सबध मे लागू होगी।

———

चौथा खण्ड

कार्यवाही का पुनर्विचार

(Reopenıng of Procedure)

अनु० 435–निम्नाकित दशाओ मे कार्यवाही के पुनर्विचार का निवेदन उस व्यक्ति के हित के लिए किया जा सकता है जिसके विरुद्ध "दोषिता" ("guılty") का कोई निर्णय अन्ततः बाध्यकारी हो चुका हो

(1) जब कि लेख्यसाक्ष्य (documentary evidence) या साक्ष्य के अंश, जिन पर मूल-निर्णय आधृत था, अन्य अन्तत बाध्यकारी निर्णय द्वारा जाली (forged) या परिवर्तित (altered) सिद्ध हो चुके हो,

(2) जब कि कोई मौखिक साक्ष्य (testımony), विशेष-समति (expert opınion), अर्थ-निर्वचन या अनुवाद, जिस पर कि मूल-निर्णय आधृत था, अन्य अन्तत बाध्यकारी निर्णय द्वारा नकली (false) सिद्ध हो चुका हो;

(3) जब कि किसी दोषी (guılty) घोषित व्यक्ति के विरुद्ध किए गए मिथ्या अभियोग (false accusation) का अपराध अन्य अन्तत· बाध्यकारी निर्णय द्वारा प्रमाणित किया जा चुका हो; तथापि यह केवल उसी दशा मे लागू होगा जहाँ "दोषिता" का निर्णय उक्त मिथ्या अभियोग के ही कारण दिया गया हो;

(4) जब कि विनिश्चय (decısıon), जिस पर कि मूल-निर्णय आधृत था, एक अन्तत बाध्यकारी विनिश्चय द्वारा परिवर्तित कर दिया गया हो;

(5) जब कि किसी अभियोग मे, जिसमें किसी एकस्व अधिकार (patent rıght), उपयोगिता-आदर्श अधिकार (utılıty model rıght) अभिकल्प अधिकार (design rıght), या व्यापार-छाप अधिकार (trade-mark rıght) के अतिलघन (ınfrıngıng) के

आधार पर "दोषिता" का निर्णय दिया जा चुका हो, उक्त अधिकारों को प्रभावहीन करता हुआ, एकस्व कार्यालय (Patent Office) का कोई विनिश्चय (decision) अन्तत बाध्यकारी हो चुका हो, अथवा किसी न्यायालय द्वारा ऐसा ही (उक्त अधिकारो को प्रभावहीन करने वाला) निर्णय दिया गया हो,

(6) जब कि ऐसा स्पष्ट साक्ष्य (clear evidence) नवाविष्कृत (newly discovered) हो कि किसी दोषी घोषित व्यक्ति के सबध में "निर्दोषिता" ("not-guilty") या विमुक्ति (acquital) का निर्णय दिया जाय, अथवा किसी दोषित (condemned) व्यक्ति के सबध में दण्ड-क्षमा (remission) का निर्णय दिया जाय अथवा मूल-निर्णय द्वारा प्रतिपादित अपराध से हल्का (lighter) अपराध मान लिया जाय,

(7) जब कि किसी अन्तत बाध्यकारी निर्णय द्वारा यह प्रमाणित हो जाय कि मूल-निर्णय मे भाग लेने वाले न्यायाधीश या मूल-निर्णय के आधारभूत लेख्यसाक्ष्यो के निर्माण मे भाग लेने वाले न्यायाधीश या मूल-निर्णय के आधारभूत साक्ष्य-प्रलेखों (evidential documents) या वक्तव्यो (statements) को तैयार करने वाले लोक-समाहर्ता, लोक-समाहर्ता-कार्यालय के सचिव या न्यायिक पुलिस कर्मचारी द्वारा, कार्यालयीय कार्यो (official functions) के सबध मे किए गए अपराध रहे है। तथापि, यह केवल वही लागू होगा जहाँ, उस दशा मे जब कि उक्त न्यायाधीश, लोक-समाहर्ता, लोक-समाहर्ता-कार्यालय के सचिव अथवा न्यायिक पुलिस कर्मचारी के विरुद्ध, मूल-निर्णय दिए जाने के पूर्व ही कोई लोक-कार्यवाही (public action) की गई हो, मूल-निर्णय देने वाला न्यायालय उक्त तथ्य से अनभिज्ञ रहा हो।

अनु० 436—निम्नाकित दशाओ में किसी अन्ततः बाध्यकारी निर्णय के विरुद्ध, जिसके द्वारा **कोसो** अपील या **जोकोकु** अपील खारिज की गई हो, उस व्यक्ति के हित के लिए जिसके प्रति निर्णय दिया गया हो, कार्यवाही के पुनर्विचार के लिए निवेद किया जा सकता है -

(1) यदि पिछले अनुच्छेद के प्रभाग 1 या 2 मे उल्लिखित हेतु (causes) मिलते हो;

(2) यदि पिछले अनुच्छेद के प्रभाग 7 मे उल्लिखित हेतु उस न्यायाधीश के सबध मे मिलते हो जिसने मूल-निर्णय या मूल-निर्णय मे साक्ष्य के रूप में अगीकृत लेख्य-साक्ष्य (documentary evidence) की तैयारी (preparation) मे भाग लिया हो ।

किसी अभियोग पर, जिसमे प्रथम न्यायालय मे, अन्तत बाध्यकारी निर्णय के विरुद्ध कार्यवाही के पुनर्विचार का निवेदन किया गया था, कार्यवाही के पुनर्विचार का निर्णय दिए जाने के बाद, **कोसो** अपील को खारिज करने वाले निर्णय के विरुद्ध कार्यवाही के पुनर्विचार का निवेदन नही किया जायगा ।

किसी अभियोग पर, जिसमे प्रथम या द्वितीय न्यायालय मे किसी अन्तत. बाध्यकारी निर्णय के विरुद्ध, कार्यवाही के पुनर्विचार का निवेदन किया गया था, कार्यवाही के पुनर्विचार का निर्णय दिए जाने के बाद, **जोकोकु** अपील खारिज करने वाले निर्णय के विरुद्ध कार्यवाही के पुनर्विचार का निवेदन नही किया जायगा ।

अनु० 437—जब किसी अभियोग मे ऐसा अन्तत· बाध्यकारी निर्णय पाना असभव हो जिसमें, पिछले दो अनुच्छेदो के अनुसार, किसी अन्तत. बाध्यकारी निर्णय द्वारा प्रमाणित किए गए किसी अपराध का कोई तथ्य (fact) कार्यवाही के पुनर्विचार का हेतु बनाया जाय तो उक्त तथ्य को प्रमाणित करने पर कार्यवाही के पुनर्विचार का निवेदन किया जा सकता है । तथापि, यह उस अभियोग के सम्बन्ध में नही लागू होगा जिसमे ऐसा अन्तत. बाध्यकारी निर्णय, साक्ष्य के अभाव (lack of evidence) के कारण न पाया जा सके ।

अनु० 438—कार्यवाही के पुनर्विचार का निवेदन मूल-निर्णय देने वाले न्यायालय के अधिकार-क्षेत्र (jurisdiction) में आएगा ।

अनु० 439—निम्नाकित व्यक्ति कार्यवाही के पुनर्विचार का निवेदन कर सकते है .

(1) (क्षमताशील न्यायालय से सबद्ध) लोक-समाहर्ता,
(2) "दोषी" घोषित किया गया व्यक्ति '
(3) "दोषी" घोषित किए गए व्यक्ति के वैध प्रतिनिधि एव पालक ;
(4) "दोषी" घोषित किए गए व्यक्ति के पति या पत्नी (spouse), वशीय सबधी, भाई या बहन, यदि वह व्यक्ति मर गया हो अथवा विकृत-चित्तता (unsound mind) की स्थिति में हो ।

अनुच्छेद 435, प्रभाग 7 या अनुच्छेद 436, परिच्छेद 1, प्रभाग 2 में उल्लिखित हेतुओ के बल पर कार्यवाही के पुनर्विचार का निवेदन केवल लोक-समाहर्ता द्वारा किया जा सकता है, यदि वह अपराध "दोषी" घोषित व्यक्ति द्वारा उकसाया गया (instigated) हो ।

अनु० 440—जब लोक-समाहर्ता से भिन्न कोई व्यक्ति कार्यवाही के पुनर्विचार का निवेदन करे तो वह प्रतिवाद-परामर्शदाता (defense counsel) चुन सकता है ।

पिछले परिच्छेद की व्यवस्थाओ (provision) के अनुसार प्रतिवाद-परामर्शदाता का चुनाव तब तक मान्य (valid) रहेगा जब तक कार्यवाही के पुनर्विचार में कोई निर्णय न हो जाय ।

अनु० 441—कार्यवाही के पुनविचार का निवेदन, दण्ड-निष्पादन (execution of penalty) के पूरे किए जाने के बाद भी अथवा जहाँ दण्ड निष्पादित न किया जाने वाला हो, किया जा सकता है ।

अनु० 442—कार्यवाही के पुनविचार का निवेदन दण्ड के निष्पादन को नहीं रोकेगा । तथापि, किसी क्षमताशील न्यायालय से सबद्ध लोक-समाहर्ता-कार्यालय का लोक-समाहर्ता दण्ड के निष्पादन को तब तक के लिए रोक सकता है जब तक कि कार्यवाही के पुनर्विचार के निवेदन के सबध में कोई निर्णय (decision) न दिया जाय ।

अनु० 443—कार्यवाही के पुनविचार का निवेदन वापस लिया जा सकता है ।

वह व्यक्ति जिसने कार्यवाही के पुनविचार का निवेदन वापस लिया हो, फिर उसी हेतु (same cause) पर कार्यवाही के पुनर्विचार का निवेदन नही कर सकेगा ।

अनु० 444—अनुच्छेद 366 की व्यवस्थाएँ, यथोचित परिवर्तन के साथ, कार्यवाही के पुनर्विचार के निवेदन एव प्रत्याहरण (withdrawal) के सबध मे लागू होगी ।

अनु० 445—कार्यवाही के पुनर्विचार का निवेदन प्राप्त कर लेने पर, न्यायालय, आवश्यकतानुसार, उस निवेदन के हेतु से सबद्ध तथ्यो का अनुसधान चालू करने के लिए, सहयोगी-न्यायालय के किसी सदस्य को प्रेरित कर सकता है, अथवा इसे करने के लिए जिला-न्यायालय, कुटुम्ब-न्यायालय, या क्षिप्र-न्यायालय के किसी न्यायाधीश को अधियाचित कर सकता ह । ऐसी दशा मे, राजादिष्ट न्यायाधीश या अधियाचित न्यायाधीश को वही अधिकार होगा जो न्यायालय या पीठासीन न्यायाधीश को होता है ।

अनु० 446—जब कार्यवाही के पुनर्विचार का कोई निवेदन विधि या अध्यादेश के प्रपत्र (form) के विरुद्ध अथवा निवेदन करने के अधिकार की समाप्ति (termination) के बाद किया गया हो तो वह एक व्यवस्था के द्वारा खारिज कर दिया जायगा ।

अनु० 447—जब कार्यवाही के पुनर्विचार का निवेदन निराधार (without grounds) हो तो वह एक व्यवस्था द्वारा खारिज कर दिया जायगा ।

पिछले परिच्छेद में उल्लिखित व्यवस्था के जारी किये जाने के बाद, किसी भी व्यक्ति द्वारा उसी हेतु पर फिर से, कार्यवाही के पुनर्विचार का निवेदन नही किया जा सकेगा ।

अनु० 448—जब कार्यवाही के पुनर्विचार का निवेदन सुदृढ आधार (well-founded) पर हो तो कार्यवाही के पुनर्विचार को आरभ करने के लिये एक व्यवस्था जारी की जायगी ।

जब कार्यवाही के पुनर्विचार को आरम्भ करने के लिये कोई व्यवस्था जारी की जा चुकी हो तो दण्ड का निष्पादन, एक व्यवस्था द्वारा रोका जा सकता है ।

अनु० 449 – जब, **कोसो** अपील खारिज करने वाले अन्ततः बाध्यकारी निर्णय के सबध में तथा उल्लिखित निर्णय द्वारा अन्तत. बाध्यकारी हुए प्रथम न्यायालय के किसी निर्णय के सबध में, कार्यवाही के पुनर्विचार का निवेदन किये जाने पर प्रथम न्यायालय (court of first instance) ने कार्यवाही

के पुनर्विचार मे कोई निर्णय दे दिया हो तो **कोसो** अपील का न्यायालय, एक व्यवस्था द्वारा, कार्यवाही के पुनर्विचार का निवेदन खारिज कर देगा।

जब प्रथम या द्वितीय न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध **जोकोकु** अपील खारिज करने वाले अन्ततः बाध्यकारी निर्णय के सबध मे तथा उक्त निर्णय द्वारा अन्तत बाध्यकारी हुए, प्रथम या द्वितीय न्यायालय के किसी निर्णय के सबध मे, कार्यवाही के पुनर्विचार का निवेदन किये जाने पर प्रथम या द्वितीय न्यायालय ने कार्यवाही के पुनर्विचार में कोई निर्णय दे दिया हो तो **जोकोकु** अपील का न्यायालय, एक व्यवस्था द्वारा, कार्यवाही के पुनर्विचार का निवेदन खारिज कर देगा।

अनु० 450—अनुच्छेद 446, 447 परिच्छेद 1, अनुच्छेद 448, परिच्छेद 1, अथवा अनुच्छेद 449, परिच्छेद 1 मे उल्लखित व्यवस्था के विरुद्ध आसन्न **कोकोकु** अपील की जा सकती है।

अनु० 451—उस अभियोग में, जिसके सबध में कार्यवाही का पुनर्विचार आरभ करने के लिए व्यवस्था अन्तत बाध्यकारी हो चुकी हो, न्यायालय, अनुच्छेद 449 की दशा को छोडकर, अपनी श्रेणी (grade) के अनुसार, नये सिरे से (anew) विचारण करेगा।

अनुच्छेद 314 के परिच्छेद 1, एवं अनुच्छेद 339, परिच्छेद 1, प्रभाग 3 के निकाय (body) की व्यवस्थाएँ (provisions), निम्नाकित दशाओ मे, पिछले परिच्छेद में उल्लिखित विचारण (trial) के सबध में लागू नही होगी :

(1) जब कि कार्यवाही के पुनर्विचार का निवेदन किसी मृत-व्यक्ति (deceased person) या विकृत-चित्त (unsound mind) व्यक्ति की ओर से किया गया हो, जिसे ठीक होने की कोई आशा न हो ;

(2) जब कि "दोषी" घोषित व्यक्ति, कार्यवाही के पुनर्विचार में कोई निर्णय दिये जाने के पूर्व ही मर गया हो या विकृत-चित्तता की स्थिति में आ गया हो और उसे ठीक होने की आशा न हो।

पिछले परिच्छेद की दशा मे बिना अभियुक्त की उपसंजाति (appearance) के विचारण किया जा सकता है। तथापि, उसके प्रतिवाद-परामर्श

दाता (defense counsel) की अनुपस्थिति मे विचारण नही किया जायगा ।

यदि पिछले परिच्छेद की दशा मे, कार्ययाही के पुर्नविचार के लिए निवेदन करने वाला व्यक्ति प्रतिवाद-परामर्शदाता नही चुनता तो उसके लिये पीठासीन न्यायाधीश, पदेन (ex-officio), कोई परामर्शदाता निर्दिष्ट करेगा ।

अनु० 452—कार्यवाही के पुर्नविचार मे, मूल-निर्णय मे घोषित किये गए दण्ड से गुरुतर (heavier)दण्ड नही दिया जायगा ।

अनु० 453—यदि कार्यवाही के पुर्नविचार मे "निर्दोष" की घोषणा की गई हो तो ऐसे निर्णय को सरकारी राजपत्र (Official Gazette) एव समाचार-पत्रो मे प्रकाशित किया जायगा ।

पाँचवाँ खण्ड

असाधारण अपील

(Extraordinary Appeal)

अनु० 454—जब, किसी निर्णय के अन्तत बाध्यकारी होने के बाद यह ज्ञात हो गया हो कि अभियोग का विचारण (trial) या निर्णय विधि या अध्यादेश के उल्लघन (violation) मे हुआ है तो **महा-समाहर्ता** (Procurator General) **उच्चतम न्यायालय** मे असाधारण अपील कर सकता है।

अनु० 455—असाधारण अपील करने मे, उसके हेतुओ (reasons) के विवरण वाला एक लिखित प्रार्थनापत्र **उच्चतम न्यायालय** मे प्रस्तुत किया जायगा।

अनु० 456—लोक-समाहर्ता लोक-विचारण (public trial) की तिथि पर लिखित प्रार्थनापत्र के आधार पर बहस करेगा।

अनु० 457—असाधारण अपील निराधार होने पर एक निर्णय द्वारा खारिज कर दी जायगी।

अनु० 458—यदि कोई असाधारण अपील सुदृढ आधारो (well-founded) पर समझी जाय तो निम्नांकित वर्गों (categories) के अनुसार निर्णय दिया जायगा :

(1) जब कि मूल-निर्णय विधि या अध्यादेश के उल्लघन (violation) मे दिया गया हो तो उल्लघन में आने वाले अश को खण्डित कर दिया जायगा। तथापि, यदि मूल-निर्णय अभियुक्त के लिये अहित-कारक (disadvantageous) रहा हो तो उसे खण्डित कर दिया जायगा और अभियोग पर फिर से (anew) निर्णय दिया जायगा ;

(2) जब कोई कार्यवाही विधि या अध्यादेश के उल्लंघनमें हो तो उल्लंघन में आने वाली कार्यवाही खण्डित कर दी जायगी।

अनु० 459— पिछले अनुच्छेद के प्रभाग 1 के प्रतिबन्ध (provisio) के अन्तर्गत दिए गए निर्णय को छोडकर, असाधारण अपील में निर्णय का प्रभाव (effect) अभियक्त तक नही बढेगा।

अनु० 460—न्यायालय केवल उन्ही विषयो का अनुसधान करेगा जो असाधारण अपील के लिखित प्रार्थनापत्र मे उक्त रहेगे।

न्यायालय मूल-न्यायालय के अधिकार-क्षेत्र (jurisdiction), लोक-कार्यवाही की स्वीकृति (acceptance of public action) एव अभियोग की प्रक्रिया से सबद्ध तथ्यो की जॉच कर सकता है। इस दशा में अनुच्छेद 393, परिच्छेद 2 की व्यवस्थाएँ, यथोचित परिवर्तन के साथ, लागू होगी।

———

छठा खण्ड

क्षिप्र-प्रक्रिया

(Summary Procedure)

अनु० 461—क्षिप्र-न्यायालय, अपने क्षेत्राधिकार में आने वाले किसी मामले मे, लोक-समाहर्ता की माँग पर एक क्षिप्र-आदेश (summary order) द्वारा लोक-विचारण के पूर्व ही पाँच हजार येन तक का अर्थदण्ड या छोटा अर्थदण्ड दे सकता है। इस दशा में दण्ड-निष्पादन का निलम्बन, राज्य-सात्करण (confiscation) एव अन्य सहायक कार्रवाइयाँ (accessory dispositions) की जा सकती है।

क्षिप्र-आदेश केवल उसी दशा मे दिया जायगा जहाँ लोक-समाहर्ता द्वारा की गई क्षिप्र-आदेश की माँग की अधिसूचना जिस दिन संदिग्ध को दी गई हो उस दिन से सात दिन बीत चुके हो और सदिग्ध की ओर से क्षिप्र-प्रक्रिया (summary procedure) पर कोई आपत्ति (objection) न हो।

अनु० 462—क्षिप्र-आदेश की माँग लिखित रूप मे लोक-कार्यवाही की सस्थिति (institution) के साथ ही साथ की जायगी।

अनु० 463—यदि, उस दशा मे जब कि पिछले अनुच्छेद के अन्तर्गत माँग (demand) की गई हो, ऐसा समझा जाय कि अभियोग क्षिप्रआदेश जारी किए जाने योग्य नही है अथवा ऐसा करना उचित नही है तो विचारण सामान्य व्यवस्थाओं (provisions) के अनुसार किया जायगा।

अनु० 464—क्षिप्र-आदेश में, अपराध का घटक तथ्य, प्रयुक्त विधि या अध्यादेश, दण्ड (penalty) एवं की जाने वाली अन्य सहायक कार्रवाइयाँ एव यह वक्तव्य (statement) कि नियमित विचारण (regular trial) के लिए प्रार्थना-पत्र, आदेश की अधिसूचना (notification) के दिन से सात दिन के अन्दर दिया जा सकता है, लिखे जायँगे।

अनु० 465—वह व्यक्ति, जिसके विरुद्ध कोई क्षिप्र-आदेश जारी किया गया हो, या लोक-समाहर्ता, उस (क्षिप्र आदेश) की अधिसूचना मिलने के सात दिन के अन्दर नियमित विचारण के लिए प्रार्थना-पत्र दे सकता है।

नियमित विचारण का प्रार्थना-पत्र लिखित रूप में क्षिप्र-आदेश जारी करने वाले न्यायालय मे दिया जायगा। नियमित विचारण का प्रार्थना-पत्र दिए जाने पर, न्यायालय इस तथ्य की अधिसूचना तुरन्त लोक-समाहर्ता या उस व्यक्ति को देगा जिसके विरुद्ध क्षिप्र-आदेश जारी किया गया हो।

अनु० 466—नियमित विचारण का प्रार्थना-पत्र प्रथम न्यायालय (first instance) में कोई निर्णय दिए जाने के पहले, वापस लिया जा सकता है।

अनु० 467—अनुच्छेद 353, 355 से 357 एव 359 से 365 तक की व्यवस्थाएँ, यथोचित परिवर्तन के साथ, नियमित विचारण (regular trial) के प्रार्थना-पत्र एव उसके प्रत्याहरण (withdrawal) के सम्बन्ध मे लागू होगी।

अनु० 468—यदि नियमित विचारण का प्रार्थना-पत्र विधियो एवं अध्यादेशो के प्रपत्रो (forms) के विरुद्ध दिया गया हो अथवा प्रार्थना-पत्र देने के अधिकार की समाप्ति (termination) के बाद दिया गया हो तो वह एक व्यवस्था द्वारा खारिज कर दिया जायगा। ऐसी व्यवस्था के विरुद्ध आसन्न (immediate) **कोकोकु** अपील की जा सकती है।

यदि नियमित विचारण का प्रार्थना-पत्र विधि-सगत (legal) समझा जाय तो विचारण सामान्य व्यवस्थाओ के अनुसार चालू किया जायगा।

पिछले परिच्छेद की दशा में क्षिप्र-आदेश बाध्यकारी (binding) नही होगा।

अनु० 469—नियमित विचारण के प्रार्थना-पत्र पर कोई निर्णय दिए जाने पर क्षिप्र-आदेश प्रभाव-शून्य हो जायगा।

अनु० 470—क्षिप्र-आदेश के वे ही प्रभाव (effects) होंगे जो नियमित विचारण के प्रार्थना-पत्र देने की अवधि के बीत जाने अथवा प्रार्थनापत्र वापस लेने पर अंतिम निर्णय (irrevocable judgment) के होते है। यही उस दशा मे भी लागू होगा जहाँ नियमित विचारण के प्रार्थनापत्र को खारिज करने वाला विनिश्चय (decision) अटल (irrevocable) हो चुका हो।

सातवाँ खण्ड

विनिश्चय का निष्पादन

(Execution of Decision)

अनु० 471—इस संहिता में अन्यथा विहित दशा को छोडकर, किसी विनिश्चय (decision) का निष्पादन उसके अन्तत. बाध्यकारी हो जाने पर किया जायगा।

अनु० 472—विनिश्चय का निष्पादन उस विनिश्चय देने वाले न्यायालय से सबद्ध लोक-समाहर्ता-कार्यालय के लोक-समाहर्ता द्वारा निदेशित किया जायगा। तथापि, यह अनुच्छेद 70, परिच्छेद 1 एव अनुच्छेद 108, परिच्छेद 1 मे उल्लिखित प्रतिबन्ध (proviso) की दशा मे लागू नही होगा और न तो ऐसे अभियोगो (cases) के सम्बन्ध मे ही जिनमें इसका निदेशन किसी न्यायालय या न्यायाधीश द्वारा किया जाना आवश्यक हो।

उस दशा मे, जब कि किसी अपील पर किए गए अथवा अपील की वापसी (withdrawal) पर किए गए विनिश्चय (decision) के परिणाम स्वरूप किसी अवर न्यायालय (inferior court) का कोई विनिश्चय निष्पादित करना हो तो अपील के न्यायालय से सबद्ध लोक-समाहर्ता-कार्यालय का लोक-समाहर्ता उसके निष्पादन (execution) को निदेशित करेगा। तथापि, यदि अभियोग के अभिलेख (records) अवर न्यायालय या उस न्यायालय से सबद्ध लोक-समाहर्ता-कार्यालय मे हो तो उस न्यायालय से सबद्ध लोक-समाहर्ता-कार्यालय का लोक-समाहर्ता विनिश्चय के निष्पादन को निदेशित करेगा।

अनु० 473—विनिश्चय के निष्पादन को लिखित रूप में निदेशित किया जायगा और इस लेख के साथ विनिश्चय के प्रलेख (document of decision) अथवा नयाचार (protocol) की एक प्रति अथवा उसका उद्धरण (extract) जिसमें विनिश्चय अङ्कित हो, सलग्न रहेगा। तथापि, निदेश (direction) भी, यदि वह दण्ड के निष्पादन का न हो, विनिश्चय के प्रलेख के मूल या प्रतिलिपि अथवा उद्धरण या नयाचार की प्रति या उसके उद्धरण पर मुद्रांक (mitome-in) लगा कर दिया जा सकता है।

अनु० 474—उस दशा में जब कि अर्थदण्डों या छोट दण्डों अर्थ के अतिरिक्त दो या अधिक प्रधान दण्ड (principal penalties) हो तो गुरुतम (दण्ड) को सबसे पहले निष्पादित किया जायगा। तथापि, लोकसमाहर्ता, **महा-लोकसमाहर्ता** (Procurator General) की अनुमति से, जब कि वह **उच्चतम लोक-समाहर्ता-कार्यालय** का लोकसमाहर्ता हो, अथवा (**उच्च लोक-समाहर्ता-कार्यालय के**) **अधीक्षक समाहर्ता** (Superintending Procurator) की अनुमति से, जबकि वह **उच्चतम लोक-समाहर्ता-कार्यालय** से भिन्न किसी (कार्यालय) का लोक-समाहर्ता हो, गुरुतर दण्ड के निष्पादन को रोक (stay) एवं अन्य दण्ड को निष्पादित करा सकता है।

अनु० 475—प्राण-दण्ड का निष्पादन अटार्नी जनरल (Attorney-General) के आदेश के अन्तर्गत किया जायगा।

पिछले परिच्छेद में उल्लिखित आदेश निर्णय के अन्ततः बाध्यकारी होने के दिन से छ. मास के अन्दर दिया जायगा। तथापि, उन दशाओं में, जहाँ अपील करने के अधिकार की पुनः प्राप्ति (recovery of right to Appeal) या कार्यवाही के पुनर्विचार का निवेदन (request) किया गया हो अथवा असाधारण अपील या राज-क्षमा (amnesty) की याचिका (petition) या प्रार्थना-पत्र (application) दिया जा चुका हो तो उसकी प्रक्रिया (procedure) के पर्यवसान की अवधि एवं वह अवधि जब तक के लिए सह-प्रतिवादियों पर, यदि कोई हों, घोषित निर्णय अन्ततः बाध्यकारी न हो जाय, उक्त अवधि में परिकलित (calculated) नही की जायँगी।

अनु० 476—अटार्नी जनरल (Attorney-General) द्वारा प्राण-दण्ड के निष्पादन का आदेश दिए जाने की दशा में ऐसा निष्पादन पाँच दिन के अन्दर कार्यान्वित किया जायगा।

अनु० 477—प्राण-दण्ड लोक-समाहर्ता, लोक-समाहर्ता-कार्यालय के सचिव, एवं कारागार के संरक्षक (warden of prison) या उसके प्रतिनिधि के समक्ष निष्पादित किया जायगा।

कोई भी व्यक्ति लोक-समाहर्ता या कारागार के सरक्षक की अनुमति के बिना निष्पादन के स्थान (place of execution) मे प्रवेश नही कर सकेगा।

अनु० 478—लोक समाहर्ता-कार्यालय का सचिव, जो प्राण-दण्ड के निष्पादन के समय उपस्थित हो, निष्पादन का एक विवरण (account) बना लेगा जिस पर लोक-समाहर्ता एव कारागार के संरक्षक या उसके प्रतिनिधि के साथ ही साथ वह स्वय हस्ताक्षर करके मुहर बद करेगा।

अनु० 479—यदि प्राण-दण्ड से अपराधित व्यक्ति विकृतचित्तता की स्थिति मे हो तो अटार्नी जनरल के आदेशानुसार निष्पादन रोक दिया जायगा।

यदि प्राण-दण्ड से अपराधित महिला गर्भवती (pregnant) हो तो अटार्नी जनरल के आदेशानुसार निष्पादन रोक दिया जायगा।

उस दशा मे जब कि पिछले दो परिच्छदो की व्यवस्थाओ के अन्तर्गत प्राण-दण्ड का निष्पादन रोक दिया गया हो तो दण्ड तब तक निष्पादित नही किया जायगा जब तक कि अटार्नी जनरल द्वारा विकृतचित्तता (unsound mind) की स्थिति से पुन. पूर्व-स्थिति में आने (recovery) या प्रसव (delivery) के बाद फिर आदेश न दिया जाय।

अनुच्छेद 475 के परिच्छेद 2 की व्यवस्थाएँ, यथोचित परिवर्तन के साथ, पिछले परिच्छेद मे उल्लिखित आदेश के सबंध में लागू होंगी। ऐसी दशा मे उक्त अनुच्छेद का "निर्णय के अन्तत. बाध्यकारी होने के दिन से" के स्थान पर "विकृतचित्तता की स्थिति से पुन पूर्व-स्थिति में आने या प्रसव (delivery) के दिन से" पढ़ा जायगा।

अनु० 480—यदि कठोरश्रम-कारावास या निरोध के दण्ड से अपराधित (condemned) कोई व्यक्ति विकृतचित्तता की अवस्था में हो तो निष्पादन, उसके पुनः पूर्व-स्थिति में आने तक के लिये, दण्ड घोषित करने वाले न्यायालय से सबद्ध लोक-समाहर्ता-कार्यालय के लोकसमाहर्ता अथवा जिला-लोक-समाहर्ता-कार्यालय के लोक-समाहर्ता के, जिसके क्षेत्राधिकार मे वह स्थान आता हो जहाँ अपराधित व्यक्ति स्थित हो, निदेशन (direction) के अधीन रोक दिया जायगा।

अनु० 481—पिछले अनुच्छेद के अनुसार रोके गए दण्ड-निष्पादन की दशा मे, लोक-समाहर्ता अपराधित व्यक्ति को, उसकी देखभाल एव सुरक्षा के लिए नियुक्त व्यक्ति अथवा स्थानीय लोक सत्ताओं के अध्यक्ष (head of the

local public entities) को सौंप देगा तथा किसी चिकित्सालय या अन्य अनुकूल स्थान (suitable place) में रखवा देगा।

वह व्यक्ति, जिसके दण्ड का निष्पादन रोक दिया गया हो, एक कारागार में तब तक रखा जायगा जब तक कि पिछले परिच्छेद में उल्लिखित कार्रवाई कार्यान्वित नही कर दी जाती, और इस प्रकार के निरोध की अवधि दण्ड की अवधि में सम्मिलित की जायगी।

अनु० 482—कठोरश्रम-कारावास, कारावास, अथवा निरोध का निष्पादन, निम्नांकित दशाओ में, दण्ड घोषित करने वाले न्यायालय से सबद्ध लोक-समाहर्ता-कार्यालय के लोक-समाहर्ता अथवा जिला-लोकसमाहर्ता-कार्यालय के, जिसके क्षेत्राधिकार में वह स्थान आता हो जहाँ अपराधित व्यक्ति स्थित हो, निदेशन के अधीन, रोक दिया जायगा। तथापि, लोक-समाहर्ता को, यदि वह **उच्चतम लोकसमाहर्ताकार्यालय** का सदस्य हो तो **महा-लोकसमाहर्ता** की अथवा यदि वह **उच्चतम लोकसमाहर्ता-कार्यालय** से अन्य का लोक-समाहर्ता हो तो (**उच्च लोक-समाहर्ताकार्यालय के**) अधीक्षक-समाहर्ता (Superintending Procurator) की अग्रिम अनुमति लेना आवश्यक होगा :

(1) यदि अपराधित व्यक्ति के स्वास्थ्य में, दण्ड के निष्पादन के फलस्वरूप गम्भीर ह्रास हो गया हो अथवा यह भय हो कि वह जीवित नही बचेगा ;

(2) यदि अपराधित व्यक्ति कम से कम सत्तर वर्ष की आयु का हो ;

(3) यदि अपराधित महिला एक सौ पचास या इससे अधिक दिनो की गर्भिणी हो ;

(4) यदि अपराधित महिला के बच्चा प्रसव करने के बाद साठ दिन न बीते हों ;

(5) यदि यह आशंका हो कि दण्ड के निष्पादन से अप्रतिकार्य अलाभ (irretrievable disadvantage) होगा ;

(6) यदि अपराधित व्यक्ति के महाजनक (grand parents, पितामही-पितामह) या माता-पिता कम से कम सत्तर वर्ष की आयु के या विकलांग (crippled) अथवा असाध्य बीमार (seriously ill) हों, और उनकी देख-भाल करनेवाला अन्य कोई संबंधी न हो;

(7) यदि अपराधित व्यक्ति के पुत्र (children) या पौत्र (grand children) शैशवावस्था में हो और उनकी देखभाल करने वाला कोई सबंधी न हो ;

(8) यदि अन्य कोई गम्भीर कारण (serious cause) हो ।

अनु० 483--विचारण के परिव्ययो (Costs of trial) को वहन करने का आदेश करने वाले विनिश्चय का निष्पादन, अनुच्छेद 500 द्वारा विहित निवेदन (request) के लिए नियत अवधि तक अथवा उस दशा में जब कि उक्त निवेदन किया जा चुका हो, उस पर विनिश्चय के अन्तत. बाध्यकारी हो जाने तक के लिये, रोक दिया जायगा ।

अनु० 484—यदि प्राण-दण्ड, कठोरश्रम-कारावास या निरोध के दण्ड से अपराधित व्यक्ति परिरोध मे न हो तो लोकसमाहर्ता उसे दण्ड के निष्पादन के लिये बुलायेगा । यदि उक्त बुलावे (calling) के उत्तर में वह उपसजात न हो तो एक सुपुर्दगी का प्रादेश (writ of commitment) जारी किया जायगा ।

अनु० 485—यदि प्राण-दण्ड, कठोरश्रम-कारावास, कारावास या निरोध के दण्ड से अपराधित व्यक्ति निकल भगा हो अथवा उसके निकल भगने की आशंका हो तो लोक-समाहर्ता तुरन्त एक सुपुर्दगी का प्रादेश जारी करेगा अथवा किसी न्यायिक पुलिस अधिकारी को ऐसा करने का आदेश देगा ।

अनु० 486—यदि प्राण-दण्ड, कठोरश्रम-कारावास, कारावास या निरोध के दण्ड से अपराधित व्यक्ति का पता (whereabouts) अज्ञात हो तो लोकसमाहर्ता उच्च लोक-समाहर्ता-कार्यालय के किसी अधीक्षक समाहर्ता (Superintending Procurator) से, उसे कारागार में सौपने का निवेदन करेगा ।

इस प्रकार से निवेदित किया गया अधीक्षक समाहर्ता लोकसमाहर्ता को अपने जिले में सुपुर्दगी का प्रादेश जारी करने का निदेशन देगा ।

अनु० 487—सुपुर्दगी के प्रादेश मे, अपराधित व्यक्ति का नाम, निवास-स्थान एव आयु, दण्ड का नाम एव अवधि तथा सुपुर्दगी के अन्य विषय लिखित रहेंगे, और इस पर लोकसमाहर्ता या न्यायिक पुलिस अधिकारी का नाम तथा मुद्रांक (सील) रहेगा ।

अनु० 488—सुपुर्दगी के प्रादेश का वही प्रयोजन होगा जो प्रस्तुति के अधिपत्र (warrant of production) का होता है ।

अनु० 489—प्रस्तुति के अधिपत्र के निष्पादन से सबद्ध व्यवस्थाएँ, यथोचित परिवर्तन के साथ, सुपुर्दगी के प्रादेश के निष्पादन के सबन्ध मे लागू होंगी ।

अनु० 490—अर्थदण्ड, लघु अर्थदण्ड, राज्यसात्करण, अतिरिक्त वसूली (additional collection), अदाण्डिक अर्थदण्ड (non-penal fine), जब्ती (sequestration), विचारण के परिव्ययो, परिव्ययो के प्रतिकर अथवा अनन्तिम अदायगी (provisional payment) के आरोप करने वाले (imposing) विनिश्चय का निष्पादन, लोकसमाहर्ता के आदेश द्वारा किया जायगा । ऐसे आदेश का वही प्रयोजन होगा जो बन्धन (obligation) के किसी निष्पादनीय हक (executablel title) का होता है ।

दीवानी प्रक्रिया से (civil procedure) से संबद्ध विधि एवं अध्यादेश की व्यवस्थाएँ, यथोचित परिवर्तन के साथ, पिछले परिच्छेद मे निर्दिष्ट विनिश्चयो (decisions) के निष्पादन के संबंध में लागू होगी । तथापि, विनिश्चय की तामीली (service of the decision) निष्पादन के पहले आवश्यक नही ।

अनु० 491—करो (taxes) या अन्य लागो (imposts) अथवा सरकारी एकाधिकारो (monopolies) से सबद्ध विधि या अध्यादेश की व्यवस्थाओं के अन्तर्गत आरोपित राज्यसात्करण (confiscation) या अर्थदण्ड या अतिरिक्त वसूली (additional collection) का निष्पादन, निर्णय के अन्तत. बाध्यकारी हो जाने के/बाद, अभियुक्त के मर जाने की स्थिति में, उत्तराधिकार की सपत्ति पर किया जा सकता है ।

अनु० 492—यदि, उस दशा में जब कि कोई न्यायिक व्यक्ति (juridical person) अर्थदण्ड, राज्यसात्करण या अतिरिक्त वसूली से अपराधित किया गया हो और वह न्यायिक व्यक्ति निर्णय के अन्तत बाध्यकारी हो जाने के बाद, समामेलन (amalgamation) द्वारा समाप्त (extinguish) हो गया हो तो समामेलन के बाद जो न्यायिक व्यक्ति कार्य करता हो या जो समामेलन द्वारा बनाया गया हो उस पर दण्ड का निष्पादन किया जायगा ।

अनु० 493—यदि, उस दशा में जब कि प्रथम या द्वितीय न्यायालयों में

अनन्तिम अदायगी (provisional payment) के विनिश्चय किए गए हो, प्रथम न्यायालय का विनिश्चय (decision) निष्पादित किया जा चुका हो तो ऐसा निष्पादन द्वितीय न्यायालय के विनिश्चय के लिए धन की राशि के उस परिमाण तक समझा जायगा जितना द्वितीय न्यायालय के विनिश्चय द्वारा जमा करने का आदेश दिया गया हो।

पिछले परिच्छेद की दशा मे, जब प्रथम न्यायालय में अनन्तिम अदायगी के विनिश्चय के निष्पादन द्वारा प्राप्त धनराशि का परिमाण, उक्त विनिश्चय द्वारा, द्वितीय न्यायालय मे, जमा की जाने के लिए आदिष्ट धनराशि के परिमाण से बढ जाय तो अधिक परिमाण की वापसी (reimbursed) कर दी जायगी।

अनु० 494—यदि अनन्तिम अदायगी के विनिश्चय के निष्पादन के बाद किसी अर्थदण्ड, लघु अर्थदण्ड, या अतिरिक्त वसूली का विनिश्चय अन्तत. बाध्यकारी हो गया हो तो जमा किए गए परिमाण तक दण्ड निष्पादित समझा जायगा।

पिछले परिच्छेद की दशा में, जब अनन्तिम अदायगी के विनिश्चय के निष्पादन द्वारा धनराशि का परिमाण अर्थदण्ड, लघु अर्थदण्ड, या अतिरिक्त वसूली के परिमाण से बढ जाय तो अधिक परिमाण की वापसी कर दी जायगी।

अनु० 495—अपील के लिए विहित अवधि मे निरोध के दिनों की सख्या, अपील के प्रार्थनापत्र के बाद निरोध द्वारा लम्बित निर्णय (detention pending judgment) के दिनो की सख्या को छोड़कर, नियत दण्ड (regular penalty) के परिकलन मे सम्मिलित की जायगी।

अपील के प्रार्थनापत्र के बाद निरोध द्वारा लम्बित निर्णय के दिनो की सख्या, निम्नाकित दशाओं में, नियत दण्ड के परिकलन (calculation) मे सम्मिलित की जायगी·

(1) उस अभियोग मे जिसमे अपील के लिए प्रार्थनापत्र लोकसमाहर्ता द्वारा दिया गया हो;

(2) उस अभियोग मे जिसमें अपील के लिए प्रार्थनापत्र लोक-समाहर्ता से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा दिया गया हो, और अपीलीय क्षेत्राधिकार-सपन्न न्यायालय (court of appellate jurisdiction) द्वारा मूल-निर्णय खण्डित कर दिया गया हो।

पिछले दो परिच्छेदो के अनुसार परिकलन के लिए, निरोध द्वारा लम्बित निर्णय का एक दिन, दाण्डिक अवधि (penal term) के एक दिन या बीस येन की राशि के बराबर गिना जायगा।

अपीलीय क्षेत्राधिकार-सपन्न न्यायालय द्वारा मूल-निर्णय खण्डित किए जाने के बाद कार्यान्वित निरोध को, अपील के लम्बन (pendency) की अवधि में निरोध के दिनो की सख्या की तरह, परिकलन में सम्मिलित किया जायगा।

अनु० 496—राज्यसात्करण मे लिए गए मालो को लोक-समाहर्ता द्वारा बेच दिया जायगा।

अनु० 497—यदि, राज्यसात्करण के निष्पादन के बाद तीन मास के अन्दर अधिकारी व्यक्ति द्वारा राज्यसात्कृत मालो (confiscated goods) को लौटाने की माँग (demand) की जाय तो लोक-समाहर्ता, विनष्ट किए जाने अथवा दूर फेंके जाने वाले मालो को छोडकर, उन्हे वापस दे देगा।

यदि पिछले परिच्छेद में उल्लिखित माँग (demand) राज्यसात्करण में लिए गए मालो के बेचे जाने के बाद की गई हो तो लोक-समाहर्ता लोक-विक्रय (public sale) में प्राप्त आगम (proceeds) को वापस दे देगा।

अनु० 498—उस दशा में जब कि कोई जाली (forged) या परिवर्तित (altered) वस्तु वापस दी गई हो तो उस वस्तु पर ही उसके जाली या परिवर्तित अश का निर्देश किया जायगा।

उस दशा मे जब कि कोई जाली या परिवर्तित वस्तु का अभिग्रहण न किया गया हो तो इसे प्रस्तुत कराया जायगा और पिछले परिच्छेद मे निर्दिष्ट उपाय (measures) किए जायँगे। तथापि, यदि वह वस्तु किसी लोक-कार्यालय की हो तो उसके जाली या परिवर्तित अंशो की सूचना उस कार्यालय को दी जायगी और उचित कार्रवाई कराई जायगी।

अनु० 499—उस दशा में जब कि अभिगृहीत माल (goods under seizure), जिसे वापस करना हो ऐसे अधिकारी व्यक्ति का पता अज्ञात रहने या अन्य कारण से वापस न किया जा सके तो लोक-समाहर्ता इस तथ्य की सार्वजनिक सूचना (public notice) सरकारी राजपत्र (Official Gazette) में देगा।

यदि प्रकाशन के समय से छः मास के अन्दर वापसी (restoration) का निवेदन न किया जाय तो माल राष्ट्रीय कोष (National Treasury) मे जमा कर दिया जायगा।

पिछले परिच्छेद मे निर्दिष्ट अवधि के अदर भी बिना मूल्य की वस्तुएँ फेंकी जा सकती है, और जिन्हें अभिरक्षण (custody) मे सुविधापूर्वक नही रखा जा सकता उन्हें लोक-विक्रय (public sale) मे बेंच दिया जायगा और आगम (proceeds) को अभिरक्षण मे रखा जायगा।

अनु० 500—यदि कोई व्यक्ति, जिसे विचारण के खर्च (costs of trial) वहन करने को आदेश दिया गया हो, निर्धनता के कारण पूरी अदायगी न कर सकता हो तो वह उस न्यायालय से, जिसने उसे खर्च वहन करने का आदेश करने वाला विनिश्चय (decision) दिया हो, उस खर्च के पूरे या किसी अश के सबध मे विनिश्चय के निष्पादन से अपने को मुक्त होने के लिए निवेदन (request) कर सकता है।

पिछले परिच्छेद में उल्लिखित निवेदन, खर्च के वहन किए जाने के आदेश देने वाले विनिश्चय के अन्तत बाध्यकारी होने के समय से दस दिन के अदर किया जायगा।

अनु० 501—यदि किसी दण्ड से अपराधित किसी व्यक्ति को विनिश्चय के अर्थ-निर्वचन (interpretation) के संबंध में कोई सदेह (doubt) हो तो वह उस विनिश्चय को उद्घोषित करने वाले न्यायालय से उसके अर्थ-निर्वचन (interpretation) के लिए निवेदन कर सकता है।

अनु० 502—यदि कोई व्यक्ति, जिस पर किसी विनिश्चय का निष्पादन करना हो, अथवा उसका वैध प्रतिनिधि या पालक (curator), लोक-समाहर्ता द्वारा निष्पादन के संबध में कार्यान्वित की गई किसी कारंवाई (disposition) को अनुचित समझता हो तो वह उक्त विनिश्चय घोषित करने वाले न्यायालय में आपत्ति (objection) कर सकता है।

अनु० 503—पिछले तीन अनुच्छेदों में अवेक्षित प्रावेदन (motions), उन पर किसी व्यवस्था के जारी किए जाने के पहले किसी भी समय वापस लिए जा सकते है।

अनुच्छेद 366 की व्यवस्था (provision), यथोचित परिवर्तन के साथ,

पिछले तीन अनुच्छदो में उल्लिखित प्रावेदनो (motions) एव उनके प्रत्याहरण (withdrawal) के सबध में लागू होगी ।

अनु० 504—अनुच्छेद 500 से 502 तक के अनुच्छेदों में उल्लिखित प्रावेदनों (motions) के संबध में जारी की गई व्यवस्था विरुद्ध, आसन्न के (immediate) **कोकोकु** अपील की जा सकती है ।

अनु० 505—किसी अर्थदण्ड या लघु अर्थदण्ड की पूरी अदायगी न कर सकने की दशा में जहाँ तक किसी निबल-निकेतन (work-house) में निरोध के निष्पादन का सबध है, दण्डो के निष्पादन से सबद्ध व्यवस्थाएँ, यथोचित परिवर्तन के साथ, लागू होगी ।

अनु० 506—अनुच्छेद 490, परिच्छेद 1 में निर्दिष्ट विनिश्चयो में किसी भी विनिश्चय के निष्पादन के खर्च (costs of execution) उस व्यक्ति से वसूल किए जायेंगे, जिस व्यक्ति पर उक्त निष्पादन का उद्ग्रहण किया गया हो और निष्पादन के साथ ही साथ, दीवानी प्रक्रिया (civil procedure) से सबद्ध विधि एव अध्यादेश की व्यवस्थाओ के अनुसार, वसूल किया जायगा ।

अनुपूरक उपबन्ध :

(Supplementary Provisions)

यह संहिता जनवरी 1, 1949 से लागू होगी ।

शब्दावली

अक्षम	incompetent
अक्षुण्ण	inviolate
अग्नि काण्ड	arson
अटल निर्णय	irrevocable judgment
अतिचार	trespass
अतिरिक्त	additional
अतिरिक्त दण्ड	additional penality
अदाण्डिक अर्थदड	non-penal fine
अधिकार	right
अधिकार क्षेत्र	jurisdiction
अधिकारी	officer
अधिनियम	act
अधिन्यास	assignment
अधिपत्र	warrant
अधिभोक्ता	occupant
अधियाचित	requisitioned
अधिलघन	suppression
अधिवक्ता	advocate
अधिवास	domicile
अधिवेशन	session
अधिसेविता	servitude
अध्यादेश	ordinance
अध्याय	chapter
अनुच्छेद	article
अनुदेश	instruction
अनुपूरक	supplementary
अनुपूरक उपबन्ध	supplimentary provisions
अनुवाद	translation
अनुसन्धान	investigation
अनूढा-गमन	fornication
अनेकापराध	Heigozai
अन्तत. बाध्यकारी	finally binding
अन्तर्विवेक	conscience
अन्तर्विषय	content
अपकृत पक्ष	injured party
अपराध	crime
अपराधित	condemned
अपराधी	criminal
अपवर्जन	exclusion
अपहरण	abduction
अपीलीय क्षेत्राधिकार	appelate jurisdiction
अप्रतिकार्य	irretrievable
अभिग्रहण	seizure
अभित्याग	desertion
अभित्रास	intimidation
अभियाचना	demand
अभियुक्त	accused

अभियोक्ता	accuser
अभियोग	case
अभियोजन	prosecution
अभिरक्षक	custodian
अभिरक्षण	custody
अभिलेख	record
अभिशस्त करना	incriminate
अभ्यारोपण	indictment
अभ्युक्ति	plea
अर्थनिर्वचन	interpretation
अर्हता	qualification
अवधि	term
अवर न्यायालय	Inferior court
अवरोध	restraint
अश्लीलता	obscenity
असगत	incompatible
असहिष्णुता	intolerance
असाधारण अपील	extraordinary appeal
असावधानी	negligence
अहितकारक	disadvantageous
आगम	proceeds
आधार	ground
आपत्ति	objection
आपराधिक अनुसंधान	criminal investigation
आपराधिक विधियाँ	criminal laws
आप्लावन	inundation
आयव्ययक	budget
आयात	import
आयोग	Commission
आशय	intention
आसन्न	immediate
उकसाना	instigate
उच्चतम न्यायालय	Supreme Court
उच्चन्यायालय	High Court
उपयोग	utilization
उपसजाति	appearance
उपसहायक	accessory
उपान्त	precincts
उल्लघन	violation
ऋण-पत्र	security
एकस्व अभिकर्ता	patent agent
कटपूर्ण उपाय	fraudulent stratagem
कब्रिस्तान	cemetery
कर	tax
कठोरश्रम-कारावास	Penal servitude
कर्तव्य	duty
कर्मचारी	official
कर्मशाला	work-house
कारागार	prison
कारावास	imprisionment
कार्यवाही	proceeding
कार्यवाही पर पुनर्विचार	recopening of procedure

कार्यालय भ्रष्टाचार	official corruption
कार्रवाई	disposition
कुख्यात	flagrant
कुर्की	attachment
कुलीनता	peerage
केतु	signal
क्षमाप्रदान	annesty
क्षिप्र आदेश	summary order
क्षिप्रन्यायालय	summary pro
क्षिप्रप्रक्रिया	cedure
क्षेत्राधिकारिक अक्षमता	jurisdictional incompetency
खण्डित करना	quash
ख्याति	reputation
गणक	counts
गर्भपात	abortion
गुरुता	gravity
गृहयुद्ध	civil war
गोपनीयता	secrecy
घटाव	mitigation
घायल करना	wounding
घोर त्रुटि	gross error
घोषणा	pronouncement
चरम	maximum
चोट	injury
चोरी	theft
छुड़ा लेना	rescue
जनमत सग्रह	referendum
जनहित	public welfare
जमानती निर्मुक्ति	release on bail
जल-नली	water main
जलयान	vessel
जालसाजी	forgery
जाली	forged
जाली सिक्का	counterfeit coin
जुआ खेलना	gambling
तथ्य	fact
तलाशी	search
त्यागपत्र	resignation
दम्पति	spouce
दण्ड	penalty
दण्ड घटाने वाली परिस्थितियाँ	extenuating circumstances
दण्ड प्रक्रिया सहिता	code of criminal procedure
दण्ड सहिता	penal code
दलन	oppression
दाण्डिक निरोध	penal detention
दीवानी प्रक्रिया	civil procedure
दौत्यसम्बन्धी	diplomatic
द्विपत्नीत्व	bigamy

धमकी	threat
धात्री	midwife
नयाचार	protocol
निकाल दिया गया	deleted
नियन्त्रण	control
नियम	regulation
निरीक्षण	inspection
निरोध	detention
निर्णय	judgement
निर्देशन	indication
निर्दोष	not guilty
निर्बन्धन	restriction
निर्वाचक	electors
निर्वाह्य	sustainable
निलम्बन	suspension
निवास प्रभार	lodging charges
निविदा	tender
निष्पादन	execution
नुकसान पहुँचाना	damage
न्यायपालिका	judiciary
न्यायाधीश	judge
न्यायालय	court
न्यायिक दृष्टान्त	judicial precedent
न्यास	trust
न्यूनतम	minimum
पड़ताल	entry
पदनाम	designation
पदेन	ex-officio
परामर्शदाता	counsel

परिकलन	calculation
परिच्छेद	paragraph
परित्याग	renunciation
परिप्रश्न (जाँच)	inquiry
परिरक्षण	preservation
परिरोध	confinement
परिवर्तन	commutation
परिवाद	complaint
परिवादी	complainant
परिव्यय	costs
परिहार	abolition
परीक्षा	examination
पर्यवेक्षण	supervision
पलायन	escape
पारपत्र	passport
पालक	curator
पीठासीन न्यायाधीश	presiding judge
पीड़ा	torture
पुन.प्राप्ति	recovery
पुनरावृत्त अपराध	repeated crimes
पुनर्विलोकन	review
पूछताछ	interrogation
प्रकल्पित प्रमाण	presumptive proof
प्रख्यापन	promulgation
प्रणाल	sluice
प्रतिकर	compensation
प्रतिनिधि	representative

प्रतिनिधि-सदन	House of representative
प्रतिपत्री	proxy
प्रतिबन्ध	proviso
प्रतिरक्षा	defense
प्रतिवाद परामर्शदाता	defense counsel
प्रतिविधान	rescript
प्रतिवेदन	report
प्रतिसहरण	revocation
प्रतिसहृत करना	revoke
प्रत्याभूत	guaranteed
प्रत्यावर्तन	restoration
प्रत्याहरण	withdrawal
प्रत्येय	credible
प्रभाग	item
प्रभुत्व	sovereignty
प्रमाणक मूल्य	probative value
प्रयत्न	attempt
प्रलेख	document
प्रवर्तन	enforcement
प्रशासन	administration
प्रस्ताव	resolution
प्रस्तुति	production
प्राणदण्ड	death penalty
प्राथमिक न्यायालय	court of first instance
प्राथमिक व्यवहार	first instance

प्रादेश	writ
प्रादेशिक क्षेत्राधिकार	territorial jurisdiction
प्राधिकरण	authorisation
बन्दीकरण	arrest
बलवा	riot
बलात्कार	rape
बाधा डालना	obstruct
बाध्यता	obligation
बाँध	embankment
भुगतान	payment
भोगाधिकार	prescription
मन्त्रि-परिषद्	cabinet
महत्त्वपूर्ण	material
महाभियोग	public impeachment
मानव के मौलिक अधिकार	fundamental human rights
मानववध	homicide
मिथ्या अभियोग	false accusation
मिथ्या शपथ	perjury
मुख्य अपराधी	principal
मुद्रा	seal
मूल न्यायालय	original court
यातायात अवरोध	traffic obstruction
यात्राव्यय	travelling expenses

रक्षी	guard
राजप्रतिनिधि	regent
राजप्रतिनिधि मण्डल	regency
राजवित्तीय वर्ष	fiscal year
राजस्व	revenue
राजादिष्ट	commissioned
राज्य-सदन-विधि	imperial house law
राज्य सभा	Diet
राज्यसात्करण	confiscation
राज्य-सिहासन	imperial throne
राष्ट्रीय-ध्वज	National flag
लगाना	impose
लघु अर्थदण्ड	minor fine
लम्बन	pendecy
लम्बित	pending
लापता होना	missing
लिखित अनुबन्ध	written stipulations
लूट	robbery
लेखा	record
लेखापरीक्षक मण्डल	board of audit
लेखा परीक्षण	audit
लेख्य प्रमाणक	notary
लोक अधिकारी	public officer
लोक कर्मचारी	public official
लोक कार्यालय	public office
लोक प्राधिकरण	public authority
लोक विचारण	public trial
लोक विक्रय	public sale
लोक समाहर्ता	public procurator
वसूली	collection
वादकरण सामर्थ्य	litigation capacity
वापसी	restoration
विकलाग	crippled
विखण्डन	rescission
विचारण	trial
वितरण	service
वित्त	finance
विधान	law
विधायक अग	law-making organ
विधि, विधान	law
विधिज्ञ सघ	bar association
विधेयक	bill
विध्वस्त करना	subvert
विनिमय	exchange
विनियोग (प्रयुक्ति)	application
विनियोजन	appropriatio
विनिश्चय	decision
वियोजन	non-constitution
विलेख	deed

विवरण (वक्तव्य)	statement
विवाचक	arbitrator
विशेषज्ञ साक्ष्य	expert evidence
विशेष प्रत्येयता	special credibility
विशेषाधिकार	privilege
वैध	legal
व्यवसाय	business
व्यवस्था	provision
शोषण	exploitation
षड्यन्त्र	plot
सदिग्ध	suspect
सधिपत्र	treaty
सगत	agreement
समति	consent
सविधान	constitution
संशोधन	amendment
सश्रय देना	harbor
सस्वीकृति	confession
सहिता	code
सचिव	secretary
सत्याकन	ratification
सत्यापन	verification
सभासद् सदन	House of councillors
समन (आह्वान)	summon
समर्थ न्यायाधिकारी	competent judicial officer
समाधि	grave
समाप्ति	extinction
समामेलन	amalgamation
समावेदन	motion
सम्राट्	emperor
सरकारी राजपत्र	official gazette
सरगना	ring leader
सवोच्च विधि	supreme law
सहन्यायाधीश	associate judge
सह–प्रतिवादी	co-defendant
सहयोगी	collegiate
सहापराधिता	complicity
सहापराधी	accomplice
साविधानिकता	constitutionality
साक्षी	witness
साक्ष्य	evidence
साक्ष्यसामग्री	evidential material
साख	credit
सामयिक निर्मुक्ति	provisional release
सामान्य उपबन्ध	general provisions
सार्वजनिक नीलामी	public auction
सार्वजनिक वयस्क मताधिकार	Universal adult suffrage

सिद्धदोष	convicted	स्थानीय लोक सत्ता	local public entity
सीमित	limited	स्थानीय स्वायत शासन	local self government
सुनवाई	hearing	स्वीकृति	approval
सुपुर्दगी का प्रादेश	writ of commitment	हरण	kidnapping
सूची	inventory	हल्का करना	mitigate

GLOSSARY

abduction	अपहरण
abolition	परिहार
abortion	गर्भपात
accessory	उपसहायक
accomplice	सहापराधी
accuser	अभियोक्ता
accused	अभियुक्त
act	अधिनियम
additional	अतिरिक्त
additional penalty	अतिरिक्त दण्ड
administration	प्रशासन
advocate	अधिवक्ता
agreement	सगत
amalgamation	समामेलन
amendment	सशोधन
amnesty	क्षमाप्रदान
appearance	उपसजाति
appelate jurisdiction	अपीलीय क्षेत्राधिकार
application	विनियोग(प्रयुक्ति)
appropriation	विनियोजन
approval	स्वीकृति
arbitrator	विवाचक
arrest	बन्दीकरण
arson	अग्निकाण्ड
article	अनुच्छेद
assignment	अधिन्यास
associate judge	सहन्यायाधीश
attachment	कुर्की
attempt	प्रयत्न
audit	लेखा परीक्षण
athorisation	प्राधिकरण
Bar Association	विधिज्ञ सघ
bigamy	द्विपत्नीत्व
bill	विधेयक
board of audit	लेखापरीक्षक मण्डल
budget	आयव्ययक
business	व्यवसाय
cabinet	मन्त्रि-परिषद
calculation	परिकलन
case	अभियोग
cemetery	कब्रिस्तान
chapter	अध्याय
civil procedure	दीवानी प्रक्रिया
civil war	गृह युद्ध
code	सहिता
co-defendant	सह प्रतिवादी
code of criminal procedure	दण्ड प्रक्रिया सहिता

English	Hindi
collection	वसूली
collegiate	सहयोगी
commission	आयोग
commissioned	राजादिष्ट
commutation	परिवर्तन
compensation	प्रतिकर
competent judicial officer	समर्थ न्यायाधिकारी
complainant	परिवादी
complaint	परिवाद
complicity	सहापराधिता
condemned	अपराधित
confession	सस्वीकृति
confinement	परिरोध
confiscation	राज्यसात्करण
conscience	अन्तर्विवेक
consent	समति
constitution	सविधान
constitutionality	साविधानिकता
content	अन्तर्विषय
control	नियन्त्रण
convicted	सिद्ध दोष
costs	परिव्यय
court	न्यायालय
counsel	परामर्शदाता
counterfeit coin	जाली सिक्का
counts	गणक
court of first instance	प्राथमिक न्यायालय
credible	प्रत्येय
credit	साख
crime	अपराध
criminal	अपराधी
criminal investigation	अपराधिक अनुसन्धान
criminal laws	आपराधिक विधियाँ
crippled	विकलाग
custodian	अभिरक्षक
custody	अभिरक्षण
curator	पालक
damage	नुकसान पहुँचाना
death penalty	प्राणदण्ड
decision	विनिश्चय
deed	विलेख
defense	प्रतिरक्षा
defense counsel	प्रतिवाद परामर्शदाता
deleted	निकाल दिया गया
demand	अभियाचना
desertion	अभित्याग
designation	पदनाम
detention	निरोध
diet	राज्य सभा
diplomatic	दौत्यसम्बन्धी
disadvantageous	अहितकारक

house of representatives	प्रतिनिधि सदन	inventory	सूची
immediate	आसन्न	investigation	अनुसंधान
imperial house law	राज्य-सदन-विधि	inviolate	अक्षुण्ण
imperial throne	राज्य-सिंहासन	irretrievable	अप्रतिकार्य
import	आयात	irrevocable judgement	अटल निर्णय
impose	लगाना	item	प्रभाग ।
imprisonment	कारावास	judge	न्यायाधीश
incompatible	असगत	judgement	निर्णय
incompetent	अक्षम	judicial precedent	न्यायिक दृष्टान्त
incriminate	अभिशस्त करना	judiciary	न्यायपालिका
indication	निर्देशन	jurisdiction	अधिकारक्षेत्र
indictment	अभ्यारोपण	jurisdictional incompetency	क्षेत्राधिकारिक अक्षमता
inferior court	अवर न्यायालय	kidnapping	हरण
injured party	अपकृत पक्ष	law	विधान
injury	चोट	law	विधि, विधान
inquiry	परिप्रश्न (जाँच)	law-making organ	विधायक अग
inspection	निरीक्षण	legal	वैध
instigate	उकसाना।	limited	सीमित
instruction	अनुदेश	litigation capacity	वादकरण सामर्थ्य
intention	आशय	local public entity	स्थानीय लोक-सत्ता
interpretation	अर्थनिर्वचन	local self government	स्थानीय स्वायत्त-शासन
interrogation	पूछताछ		
intimidation	अभित्रास		
intolerance	असहिष्णुता		
inundation	आप्लावन		

lodging charges	निवास प्रभार
material	महत्त्वपूर्ण
maximum	चरम
midwife	धात्री
minimum	न्यूनतम
minor fine	लघु अर्थदण्ड
missing	लापता होना
mitigate	हल्का करना
mitigation	घटाव
motion	समावेदन
National flag	राष्ट्रीय ध्वज
negligence	असावधान
non-constitution	वियोजन
non-penal fine	अदाण्डिक अर्थदड
notary	लेख्य प्रमाणक
not guilty	निर्दोष
objection	आपत्ति
obligation	बाध्यता
obscenity	अश्लीलता
obstruct	बाधा डालना
occupant	अधिभोक्ता
officer	अधिकारी
official	कर्मचारी
official corruption	कार्यालयीय भ्रष्टाचार
official gazette	सरकारी राजपत्र
oppression	दलन
ordinance	अध्यादेश
original court	मूल न्यायालय
Paragraph	परिच्छेद
passport	पारपत्र
patent agent	एकस्व अभिकर्ता
payment	भुगतान
peerage	कुलीनता
penal code	दण्ड संहिता
penal detention	दाण्डिक निरोध
penal servitude	कठोरश्रम कारावास
penalty	दण्ड
pendency	लम्बन
pending	लम्बित
perjury	मिथ्या शपथ
plea	अभ्युक्ति
plot	षड्यन्त्र
precincts	उपान्त
prescription	भोगाधिकार
preservation	परिरक्षण
presiding judge	पीठासीन न्यायाधीश
presumptive proof	प्रकल्पित प्रमाण
principal	मुख्य अपराधी
prison	कारागार
privilege	विशेषाधिकार
probative value	प्रामाणक मूल्य

proceeding कार्यवाही
proceeds आगम
production प्रस्तुति
promulgation प्रख्यापन
pronouncement घोषणा
prosecution अभियोजन
protocol नयाचार
proviso प्रतिबन्ध
provision व्यवस्था
provisional release सामयिकनिर्मुक्ति
proxy प्रतिपत्री
public सार्वजनिक
public auction नीलामी
public authority लोक प्राधिकरण
public impeachment महाभियोग
public office लोक कार्यालय
public officer लोक अधिकारी
public official लोक कर्मचारी
public procurator लोक समाहर्ता
public sale लोक विक्रय
public trial लोक विचारण
public welfare जनहित
qualification अर्हता
quash खण्डित करना
rape बलात्कार
ratification सत्याकन
record लेखा
record अभिलेख
recovery पुनः प्राप्ति
referendum जनमत सग्रह
regency राजप्रतिनिधि मण्डल
regent राजप्रतिनिधि
regulation नियम
release on bail जमानती निर्मुक्ति
renunciation परित्याग
reopening of procedure कार्यवाही पर पुर्नविचार
repeated crimes पुनरावृत्त अपराध
report प्रतिवेदन
representative प्रतिनिधि
reputation ख्याति
requisitioned अधियाचित्त
rescission विखण्डन
rescript प्रतिविधान
rescue छुड़ा लेना
resignation त्याग पत्र
resolution प्रस्ताव
restoration वापसी
restoration प्रत्यावर्तन

restraint	अवरोध	summary procedure	क्षिप्रप्रक्रिया
restriction	निर्बन्धन	summon	समन (आह्वान)
revenue	राजस्व	supervision	पर्यवेक्षण
review	पुनर्विलोकन	supplementary	अनुपूरक
revocation	प्रतिसहरण	supplementary provisions	अनुपूरक उपबन्ध
revoke	प्रतिसहृत करना	suppression	अधिलघन
right	अधिकार	supreme court	उच्चतम न्यायालय
riot	बलवा	supreme law	सर्वोच्च विधि
ring leader	सरगना	suspect	सदिग्ध
robbery	लूट	suspension	निलम्बन
seal	मुद्रा	statement	विवरण (वक्तव्य)
search	तलाशी	sustainable	निर्वाह्य
secrecy	गोपनीयता	tax	कर
secretary	सचिव	tender	निविदा
security	ऋणपत्र	term	अवधि
seizure	अभिग्रहण	territorial jurisdiction	प्रादेशिक क्षेत्राधिकार
service	वितरण	theft	चोरी
servitude	अधिसेविता	threat	धमकी
session	अधिवेशन	torture	पीडा
signal	केतु	traffic obstruction	यातायात अवरोध
sluice	प्रणाल	translation	अनुवाद
sovereignty	प्रभुत्व	travelling expenses	यात्राव्यय
special credibliity	विशेष प्रत्येयता		
spouce	दपति		
subvert	विध्वस्त करना		
summary court	क्षिप्रन्यायालय		
summary order	क्षिप्रआदेश		